



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

CIN: U17232WB1980GOI032768



४३वीं वार्षिक प्रतिवेदन
२०२२-२३

43rd ANNUAL REPORT
2022-23



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन: U17232WB1980GOI032768

43वीं वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	1
2.	निदेशक मंडल और अन्य विवरण	2
3.	निदेशक की रिपोर्ट	4
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण		
4.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मंतव्य	25
5.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	26
6.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध	36
7.	तुलनपत्र	45
8.	लाभ व हानि का विवरण	46
9.	नकद प्रवाह विवरण	47
10.	वित्तीय विवरण हेतु टिप्पण	49
समेकित वित्तीय विवरण		
11.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मंतव्य	84
12.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	85
13.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुबंध	97
14.	तुलनपत्र	110
15.	लाभ व हानि का विवरण	111
16.	नकद प्रवाह विवरण	112
17.	वित्तीय विवरण हेतु टिप्पण	114

BLANK



संदर्भ संख्या : एनजेएमसी/43वीं एजीएम/2023-24/5847

43वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड की 43वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 29 दिसंबर, 2023 को अपराह्न 3:00 बजे पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण व्यवसाय :

- 1) 31 मार्च, 2023 तक तुलनपत्र और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरण साथ ही खातों पर टिप्पण सहित वार्षिक खातों (समेकित और एकल) को अपनाने पर विचार करना और उसे स्वीकृत करना तथा उस पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के मंतव्य भी शामिल हैं।
- 2) वर्ष 2023-24 हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर ध्यान देना तथा उनके पारिश्रमिक को निर्धारित करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना, तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना :

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स सलारपुरिया एंड पार्टनर्स (सीए 9199), सनदी लेखाकार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2023-24 हेतु निगम के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका पारिश्रमिक उस पर संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 1,37,500/- (फुटकर खर्च तथा जीएसटी को छोड़कर) है।

बोर्ड के आदेशानुसार

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :

चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल
4, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता-700001

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29/12/2023

टिप्पणी :

- 1) बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और उसे सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

निदेशक मंडल 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	: श्री मलय चंदन चक्रवर्ती
निदेशक	: श्री शशि रंजन कुमार श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा (02.05.2022 से) श्रीमती माधवी अग्रवाल (03.02.2023 तक) श्री बिमल चंद्र दास
कंपनी सचिव	: सुश्री मोहिनी वर्मा

लेखापरीक्षा समिति 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

श्रीमती माधवी अग्रवाल	: अध्यक्ष (03.02.2023 तक)
श्री बिमल चंद्र दास	: अध्यक्ष (29.03.2023 से)
श्री शशि रंजन कुमार	: सदस्य
श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा	: सदस्य (02.05.2022 से)
श्री मलय चंदन चक्रवर्ती	: सदस्य

सांविधिक लेखापरीक्षकगण	: आर.के. पटोदी एंड कंपनी सनदी लेखाकार 2, चर्च लेन, चौथी मंजिल, सुइट संख्या - 404ए, कोलकाता - 700 001

बैंकर्स	: इलाहाबाद बैंक यूको बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई बैंक यूनियन बैंक भारतीय स्टेट बैंक



पंजीकृत कार्यालय

: चार्टर्ड बैंक भवन, दूसरी मंजिल,
4, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता - 700001.

मिल यूनिट

: एलेक्जेंड्रा, पी.ओ. जगतदल,
जिला - उत्तर 24 परगना,
पिन-743125, पश्चिम बंगाल

: खड्डदह, पी.ओ. टीटागढ़
जिला - उत्तर 24 परगना,
पिन-700019, पश्चिम बंगाल

: किन्निसन, पी.ओ. टीटागढ़
जिला - उत्तर 24 परगना,
पिन-700019, पश्चिम बंगाल

: नेशनल
गांव : राजगंज, सांकराइल,
पी.ओ. बानीपुर, जिला - हावड़ा,
पिन-711304, पश्चिम बंगाल

: यूनिअन
कॉन्वेंट लेन,
कोलकाता-700015

: आरबीएचएम
कटिहार, पी.ओ. और जिला - कटिहार,
पिन-854105, बिहार

सहायक कंपनी

: बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग,
पहली मंजिल, 4, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता-700001

: मिल यूनिट
200, दक्षिणदाड़ी रोड, (वी.आई.पी. रोड के पास)
कोलकाता-700048
(1986 से)



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारकगण,

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

महानुभावो,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लेखापरीक्षित खातों सहित एनजेएमसी लिमिटेड की 43वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ उस पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

I. वित्तीय कार्य-निष्पादन :

पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कंपनी का संक्षिप्त कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	विवरण	समेकित		स्टैंडअलोन	
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
I	उत्पादन (एम. टन में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
II.	संचालन से राजस्व	-	-	-	-
III.	अन्य आय	65.94	3.99	62.78	3.44
IV.	शुद्ध लाभ/(हानि) के लिए वर्ष	29.84	(8.13)	31.06	(3.53)
V.	नकद लाभ/(हानि)	-	-	-	-
VI.	संचित लाभ/(हानि)	(356.69)	(386.53)	(257.67)	(288.74)
VII.	शुद्ध माहिपत्त	(295.74)	(325.58)	(197.45)	(228.51)

कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी के साथ समेकन के बाद पिछले वित्तीय वर्ष में ₹8.13 करोड़ के निवल घाटे की तुलना में ₹29.84 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जबकि एनजेएमसी लिमिटेड ने अकेले ही पिछले वित्तीय वर्ष में ₹3.53 करोड़ के शुद्ध घाटे की तुलना में ₹31.06 करोड़ का लाभ अर्जित किया है।

II. कंपनी की वर्तमान स्थिति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को निगम को बंद करने की मंजूरी दे दी है और इस संबंध में एक पत्र हमें, पत्र फाइल संख्या 11/18/2014जूट (वॉल्यूम) दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से, भेजा गया था। इसके अलावा, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बंद करने की प्रक्रिया का पालन करने का भी उल्लेख किया गया था।

निर्देशों के अनुसार, भूमि प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्यरत मैसर्स एनबीसीसी (आई) लिम. को संगठन की सभी चल और अचल संपत्ति के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन के लिए प्री-एलएमए गतिविधियों के लिए नियुक्त किया गया था। एनबीसीसी (आई) लिमिटेड के कार्य के दायरे के अनुरूप दिनांक 09.01.2020 को मैसर्स एनबीसीसी (आई) लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

निर्देशों के अनुसार मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड को एनजेएमसी लिमिटेड की चल और अचल परिसंपत्तियों के निपटान के लिए नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

एनजेएमसी लिमिटेड की इमारतों सहित चल परिसंपत्तियों के निपटान के लिए एमएसटीसी के साथ दिनांक 25.03.2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

ई-नीलामी की अनुमोदित विशेष नियम व शर्तों के अनुसार, देखें “जहां है जैसा है एवं जो है जैसा है” तथा “कोई शिकायत आधार नहीं”, चरणबद्ध तरीके से चल परिसंपत्तियों की ई-नीलामी की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के लिए 15.09.2022 को अनुमोदन प्राप्त हुआ।

डीपीई के निर्देशों के अनुसार, एनजेएमसी लिमिटेड की गैर-मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्राकरण के उद्देश्य से यूको बैंक में एक एस्करो खाता खोला गया।

यूनिट एलेक्जेंड्रा, आरबीएचएम, किन्निसन और नेशनल जूट मिल की चल परिसंपत्तियों की ईनीलामी से, एनजेएमसी लिमिटेड को जीएसटी और टीसीएस सहित कुल ₹142.33 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

खड़दह जूट मिल के संबंध में, विक्रेता ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर बोली मूल्य जमा नहीं किया, इसलिए एनजेएमसी लिमिटेड ने विशेष नियम व शर्तों के खंड 2.0 के अनुसार पूर्वबोली ईएमडी राशि ₹2.20 करोड़ जब्त कर ली।

₹2.20 करोड़ की राशि जब्त किये जाने के खिलाफ, विक्रेता ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 2023 का एक रिट याचिका संख्या 4751, सुशील कुमार थर्ड बनाम एनजेएमसी लिमिटेड दायर की थी, जिसमें एनजेएमसी लिमिटेड को एजेंसी द्वारा जमा की गयी पूर्वबोली बयाना राशि को रोकने के आदेश को रद्द करने और निर्णय की तिथि से 21 दिनों के भीतर इसे वापस करने का निर्देश दिया गया था।

यह उल्लेख करना उचित है कि एनजेएमसी लिमिटेड ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के साथ-साथ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, हालांकि, निर्णय के खिलाफ कोई राहत नहीं मिली है। एनजेएमसी लिमिटेड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विक्रेता को ₹2.20 करोड़ का भुगतान करना है।

सौरभ मुकलानिया बनाम एनजेएमसी लिमिटेड के मामले में, देखें 2022 का एपी संख्या 221 व एपी संख्या 89, के मार्फत जहां तक कि सामान्य व्यवसाय का संबंध है, एनजेएमसी लिमिटेड को निगम की अचल परिसंपत्तियों पर निषेधाज्ञा आदेश द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।

बी-टिवल सेकिंग बैग (665 ग्राम) के उत्पादन के लिए 16.11.2015 को एनजेएमसी लिमिटेड और मैसर्स रजत इंजीनियरिंग वर्क्स (आरईडब्ल्यू) के बीच निष्पादित जॉब वर्क अनुबंध हेतु मैसर्स रजत इंजीनियरिंग वर्क्स (आरईडब्ल्यू) के मालिक सौरभ मुकलानिया नियुक्त किये गये। एनजेएमसी लिमिटेड ने अनुबंध के अनुसार गैर-कार्यप्रदर्शन के लिए 07.03.2016 को उक्त अनुबंध को समाप्त कर दिया। इसके बाद मैसर्स रजत इंजीनियरिंग वर्क्स (आरईडब्ल्यू) ने निगम को उपर्युक्त समझौते के अनुसार मध्यस्थता के खंड को लागू करने के लिए एक नोटिस दी।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने मैसर्स रजत इंजीनियरिंग वर्क्स के पक्ष में ₹11,06,76,409 का आदेश पारित किया। एनजेएमसी लिमिटेड ने निर्णय को रद्द करने के लिए 2023 का एपी 221 आवेदन दायर किया है।

एजेंसी ने निष्पादन याचिका 2023 का ईसी 22 दायर की है। न्यायालय के आदेश के अनुसार एनजेएमसी लिमिटेड ने उक्त प्रतिबंध को हटाने के लिए न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रजिस्ट्रार, मूल पक्ष, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष कुल राशि जमा कर दी है।

इसलिए एनजेएमसी लिमिटेड भवन और अन्य अचल परिसंपत्तियों के निपटान के लिए स्वतंत्र है। इसलिए एनबीसीसी (आई) लिमिटेड की अनुमोदित प्री-एलएमए रिपोर्ट जून 2023 के आधार पर, एनजेएमसी लिमिटेड को (1) पश्चिम बंगाल में एलेक्जेंड्रा मिल, किन्निसन मिल और नेशनल मिल की इमारतों और संरचनाओं को अलग-अलग निपटाने, तथा (2) यूनिट खड़दह मिल की पहचान की गयी परिसंपत्तियों को अपनी चल परिसंपत्तियों की फिर से नीलामी के लिए और साथ ही प्रत्येक मिल के लिए अलग-अलग नीलामी के माध्यम से भवन और संरचना की ई-नीलामी के लिए “जैसा है जहां है के आधार पर और जो है जैसा है के आधार पर व क्लीन स्वीप के आधार” और “कोई शिकायत नहीं के आधार” और “बिक्री के बाद किसी भी देयता के बिना” और “पहचानी गयी परिसंपत्तियों की स्थिति के रूप में कोई वारंटी या गारंटी नहीं” के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

यथा उल्लिखित नीलामी के संबंध में, आगामी नीलामी के लिए सिर्फ पहचान की गयी परिसंपत्तियों की सूची के अनुसार ऊपर किसी भी बाधा के बिना भवनों और संरचनाओं पर विचार किया जाएगा। उपलब्ध भवन और संरचना निर्मित स्थान के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मोटे तौर पर निम्नलिखित भवनों और संरचनाओं को ई-नीलामी के माध्यम से ध्वस्तीकरण और निपटान (भूतल स्तर तक) के लिए शामिल किया जाना है:



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

- 1) आसपास की दीवारों, आंतरिक दीवारों, आंतरिक कमरों, खंभों और अन्य संरचनाओं, यदि कोई हो, सहित पूरा फैक्ट्री भवन।
- 2) टूल रूम, वर्कशॉप, स्टोर रूम, बॉयलर रूम, सबस्टेशन, जनरेटर रूम, ट्रांसफार्मर रूम आदि।
- 3) खाली गोदाम जो सभी तरह की बाधाओं और विवादों से मुक्त हों।
- 4) सभी कार्यालय भवन, श्रम कार्यालय, गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष, प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र।
- 5) परित्यक्त कर्मचारी और अधिकारी आवास, अतिथि गृह, जी.एम. बंगलो, मनोरंजन क्लब और संबंधित कमरे, भोजनालय कक्ष, औषधालय, सामुदायिक हॉल, शौचालय ब्लॉक और इसी तरह की वर्तमान में अप्रयुक्त और खाली संरचनाएं आदि।
- 6) चिमनी और उसके आवास एवं संरचनाएं।

मिल के अनुसार बहिष्करण सूची जिसमें i) धार्मिक महत्व के स्थान ii) मुकदमे के अंतर्गत आने वाली इमारतें और संरचनाएं (यदि कोई हो), iii) इमारतें और संरचनाएं जिनकी एक दीवार मिल की सीमा के साथ मिलती हो (यदि कोई हो, तो केवल आम दीवार वाला हिस्सा)।

बहिष्करण सूचियों में सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए संभावित खरीदारों को प्रतिबंधित किया गया है।

खड़दह मिल के मिल परिसर के समीप स्थित ईडी बंगलो भवन को बहिष्करण सूची का हिस्सा माना जाता है और इसे ध्वस्त नहीं किया जाना है। उक्त भवन का उपयोग मिल की नीलामी संबंधी गतिविधियों सहित आवश्यक दैनिक कार्यालय गतिविधियों के लिए किया जाए।

यह उल्लेख करना उचित है कि, आपका निगम सभी लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है और एनजेएमसी लिमिटेड के बंद होने की स्थिति के बारे में नियमित रूप से वस्त्र मंत्रालय को जानकारी दी जा रही है।

अन्य मामले :

1. निगम को ईएसआई, कोलकाता से पत्र संख्या सी 21973/1112/आरआरसी एवं अन्य (41000031560000102)/1139 दिनांक 05.10.2021 के माध्यम से ₹3.33 करोड़ की मांग की मांग सूचना प्राप्त हुई है, जिसके बाद उन्हें 14.09.2021 को अंशदान राशि के रूप में ₹1.52 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

न्यायालय के निर्देशानुसार एनजेएमसी लिमिटेड ने 20.12.2021 को ₹50 लाख का भुगतान किया था तथा शेष राशि अर्थात् ₹2.83 करोड़ का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के आदेशानुसार इंडियन बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा के डीडी संख्या 935640 के माध्यम से किया गया।

2. एनजेएमसी लिमिटेड की यूनिट नेशनल में लगातार चोरी की सूचना मिली थी। इसलिए स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तथा उच्च मूल्य की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एनजेएमसी लिमिटेड ने उक्त यूनिट में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) सुरक्षा एजेंसी से संपर्क किया। डीजीआर ने 05.05.2022 को दोपहर 2:00 बजे से सुरक्षा का भार उठाने के लिए मैसर्स 7313/शिशिर कुमार बाग सुरक्षा एजेंसी को प्रायोजित किया है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की कुल लागत लगभग ₹19.84 लाख प्रति माह के साथ जीएसटी है।

3. ऋण राशि के प्रति ब्याज भाग पर एनजेएमसी लिमिटेड और बीजेईएल की खाता बहियों में अंतर था, इसलिए इसमें एकस्यता बनाए रखने के लिए एनजेएमसी लिमिटेड और बीजेईएल को 2020-21 तक ₹67.41 लाख का अतिरिक्त ब्याज वसूल कर अपनी खाता बहियों में ₹77.72 लाख का अतिरिक्त ब्याज दर्ज करना चाहिए।

इसलिए, एनजेएमसी लिमि. को अपनी बहियों और बीजेईएल की बहियों में (वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान) ₹536.92 लाख का एक समान ब्याज रखने की मंजूरी मिली। इसके अलावा यह भी देखा गया कि 2020-21 तक ₹477.49 लाख के मूलधन पर कुल ब्याज ₹3829.8 लाख होगा और 2021-22 से आगे की ब्याज गणना के लिए एसबीआई बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग दर पर विचार किया गया था।

4. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) में पंजीकृत प्रभारों के सूचकांक के अनुसार, तीन (3) प्रभार वर्ष 1981 में पंजीकृत किये गये थे और वर्ष 1986 में संशोधित किये गये थे, जो एनजेएमसी लिमिटेड के नाम पर थे और खुली स्थिति में थे। तीन (3) में से, दो (2) प्रभार यूको बैंक के साथ और एक (1) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ बनाये गये थे। हालाँकि, एनजेएमसी लिमिटेड ने पहले ही सभी देयताएं चुकता कर दी हैं।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

संबंधित बैंकों के साथ एनजेएमसी लिमिटेड द्वारा लंबे अनुनय के बाद सभी प्रभार बंद कर दिये गये हैं और एनजेएमसी लिमिटेड को उक्त बैंकों से संबंधित प्रभारों के लिए “अदेयता प्रमाण पत्र” प्राप्त हुए हैं।

5. चल परिसंपत्तियों के लिए एनबीसीसी लिमिटेड की अनुमोदित प्री-एलएमए रिपोर्ट के अनुसार, प्लांट और मशीनरी की सूची को एक ही लॉट में उसके निपटान के लिए स्कैप के रूप में माना गया है और तदनुसार सभी चल परिसंपत्तियों को स्कैप में स्थानांतरित करके अचल परिसंपत्ति के पंजीकरण को अद्यतन किया गया है। इसके अलावा, सभी चल परिसंपत्तियों को स्कैप मानते हुए निपटान की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया गया है।

इसलिए, एनजेएमसी लिमिटेड की सभी इकाइयों के लिए एनबीसीसी (आई) लिमिटेड की प्री-एलएमए रिपोर्ट में स्कैप माने जाने वाले संयंत्र और मशीनरी की अनुमोदित सूची के अनुसार कंपनी की अचल परिसंपत्ति रजिस्टर को अद्यतन करने की मंजूरी दी गयी।

इसके अलावा, स्कैप माने जाने वाले संयंत्र और मशीनरी की सूची के साथ मौजूदा अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में वर्तमान अंतर और इसके मूल्य की राशि को बड़े खाते में डालने की मंजूरी दी गयी, जो ₹120180.55 है।

6. एनजेएमसी लिमिटेड को ट्रस्टी बैंकों/निवेश खातों और अन्य वित्तीय संस्थानों से शेष राशि को आरपीएफसी में स्थानांतरित करने और फिर बैंक शुल्क, यदि कोई हो, को काटने के बाद आरपीएफसी को संपूर्ण धनराशि स्थानांतरित करने के बाद तत्काल प्रभाव से उक्त बैंक खातों को बंद करने की सहमति प्राप्त हुई है।
7. एनजेएमसी लिमिटेड अपनी कुल देयताओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इसलिए, एनजेएमसी लिमिटेड ने जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 में निर्धारित प्रक्रिया और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एनजेएमसी लिमिटेड की ओर से भुगतान आयुक्त (सीओपी) के माध्यम से दावा किये गये और दावा न किये गये दायित्वों के निपटान के लिए 31.07.2023 तक एनजेएमसी लिमिटेड की कुल देयताओं के आकलन और अंतिम रूप देने के लिए एक लेखापरीक्षा फर्म को नियुक्त किया है।

III. लाभ और हानि विश्लेषण

कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी के साथ समेकन के बाद पिछले वित्तीय वर्ष में ₹8.13 करोड़ के निवल घाटे के मुकाबले समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ₹29.84 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है, जबकि अकेले एनजेएमसी लिमिटेड ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹3.53 करोड़ के निवल घाटे के मुकाबले ₹31.06 करोड़ का लाभ अर्जित किया है।

IV. सहायक कंपनी – बीजेईएल

कंपनी की एक सहायक कंपनी है, जिसका नाम बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को संगठन को बंद करने की मंजूरी दे दी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के तहत कंपनी की सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण एसीओ 1 के रूप में संलग्न है, सहायक कंपनी के वार्षिक खाते शेयरधारकों को मांगने पर उपलब्ध कराये जाएंगे।

V. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित नहीं किये गये हैं।

VI. नैगम अभिशासन

कंपनी दर्शन

नैगम अभिशासन पर कंपनी के दर्शन परिचालन के सभी पहलुओं में उच्च स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के अनुपालन की प्राप्ति पर केंद्रित है, ताकि नैगम अभिशासन के सर्वोत्तम मानकों को प्राप्त किया जा सके।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगम अभिशासन के लिए दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार कंपनी नैगम अभिशासन की आवश्यकता का अनुपालन करती है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31.03.2023 तक निदेशक मंडल और वर्ष के दौरान उपस्थित हुए बैठकों का विवरण

संगठन के लेखों के अनुसार, सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना और वर्ष के दौरान उपस्थित हुए बैठकों निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण (1 अप्रैल, 2022 - 31 मार्च, 2023)						एजीएम में भाग लिया
		31 मई, 2022	15 सितंबर, 2022	15 नवंबर, 2022	5 दिसंबर, 2022	31 दिसंबर, 2022	29 मार्च, 2022	
श्री मलय चंदन चक्रवर्ती, जूट आयुक्त	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
श्री शशि रंजन कुमार, एस एंड एफए	सरकार नामांकित निदेशक	हां	एलओए	एलओए	एलओए	एलओए	एलओए	नहीं
श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव (नियुक्ति 02.05.2022 से प्रभावी)	सरकार नामांकित निदेशक	हां	हां	एलओए	हां	एलओए	हां	नहीं
श्रीमती माधवी अग्रवाल (03.02.2023 तक)	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां
श्री बिमल चंद्र दास	गैर सरकारी निदेशक	एलओए	एलओए	एलओए	हां	हां	हां	नहीं

टिप्पणी:

- श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव को वस्त्र मंत्रालय, जूट अनुभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 11/25/2014 दिनांक 2 मई, 2022 के मार्फत 02.05.2022 से सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्रीमती माधवी अग्रवाल, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 03.02.2023 से समाप्त हुआ।

लेखा परीक्षा समिति

आपके निगम की लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी (बोर्ड की बैठकों और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 5 और उसके प्रासंगिक/सहायक विनियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था, ताकि इसकी बुनियादी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे नैगम प्रथा का पालन किया जा सके। लेखापरीक्षा समिति में पाँच (5) सदस्य होते हैं और लेखापरीक्षा समिति का कोरम दो सदस्यों का होता है। लेखापरीक्षा समिति के वर्तमान सदस्यों में शामिल हैं:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम
1	श्रीमती माधवी अग्रवाल, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष (03.02.2023 तक)
2	श्री बिमल चंद्र दास, गैर सरकारी निदेशक-अध्यक्ष (29.03.2023 से प्रभावी)
3	श्री शशि रंजन कुमार, सरकार नामांकित निदेशक-अध्यक्ष - सदस्य
4	श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा, सरकार नामित निदेशक सदस्य (02.05.2022 से)
5	श्री मलय चंदन चक्रवर्ती, अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक - सदस्य



लेखापरीक्षा समिति की वर्तमान संरचना और वर्ष के दौरान बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण (1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023)					
		31 मई, 2022	15 सितंबर, 2022	15 नवंबर, 2022	5 दिसंबर, 2022	31 दिसंबर, 2022	29 मार्च, 2022
श्रीमती माधवी अग्रवाल, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (03.02.2023 से पद समाप्त)	अध्यक्ष (03.02.2023 तक)	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
श्री बिमल चंद्र दास गैर-सरकारी निदेशक	अध्यक्ष (29.03.2023 से प्रभावी)	एलओए	एलओए	एलओए	हां	हां	हां
श्री शशि रंजन कुमार, एएस एंड एफए	सदस्य	हां	एलओए	एलओए	एलओए	एलओए	एलओए
श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव (नियुक्ति 02.05.2022 से प्रभावी)	सदस्य	हां	हां	एलओए	हां	एलओए	हां
श्री मलय चंदन चक्रवर्ती, जूट आयुक्त, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त भार)	सदस्य	हां	हां	हां	हां	हां	हां

- ❖ लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था जिसमें श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
- ❖ श्रीमती माधवी अग्रवाल, गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 03.02.2023 से समाप्त हो गया और उसके बाद श्री बिमल चंद्र दास को 29.03.2023 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।
- ❖ कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

- वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच।
- कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक हेतु सिफारिश।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के कार्यप्रदर्शन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी।
- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की स्वीकृति या बाद में कोई संशोधन।
- अंतर-नैगम ऋण और निवेश की जांच।
- जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
- सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों, यदि कोई हो, के माध्यम से उगाही गयी धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

सामान्य निकाय बैठकें :

		2019-20 (40वीं एजीएम)	2020-21 (41वीं एजीएम)	2022-23 (42वीं एजीएम)
01	दिनांक	31.12.2020	09.11.2021	31.12.2022
02	दिन	गुरुवार	मंगलवार	शनिवार
03	समय	अपराह्न 03:45 बजे	अपराह्न 03:30 बजे	अपराह्न 12:45 बजे
04	स्थान	जूट आयुक्त का कार्यालय, (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तीसरा एमएसओ बिल्डिंग, चौथी मंजिल, डीएफ ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700064	वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नयी दिल्ली-110011.	

प्रकटीकरण :

- कंपनी अधिनियम, लेखा मानक प्रथा और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत आवश्यक प्रकटीकरण।
- कर्मचारी अपने पर्यवेक्षकों/सीवीओ/सीएमडी को नियमों/विनियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- जहां तक संभव/लागू हो सका, लागू दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- कोई भी व्यय जो व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं है लेखा बहियों में दर्ज।
- कोई भी व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का है, उपगत नहीं किया गया है।

क. अन्य जानकारी

- बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठक और प्रक्रिया: आमतौर पर बोर्ड के समक्ष रखी जाने वाली जानकारी में शामिल हैं:
 - कार्यवृत्त की पुष्टि।
 - बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कारवाई।
 - विभिन्न मुद्दों से संबंधित स्थिति रिपोर्ट को अद्यतन करना।
 - कानूनी मामले।
 - वार्षिक खाता।
 - समवर्ती लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
- बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों हेतु कार्यसूची: बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथियों के निर्धारण पर, कार्यसूची पत्र तैयार किये जाते हैं और निर्धारित समय के भीतर निदेशकों/सदस्यों को परिचालित किये जाते हैं। इसी तरह बैठक के मसौदा कार्यवृत्त निदेशकों/सदस्यों को उनके विचार और अनुमोदन के लिए परिचालित किये जाते हैं।
- बैठक के बाद अनुवर्ती पद्धति: पिछली बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती रिपोर्टों पर बोर्ड/समिति की तत्काल बाद की बैठक में चर्चा की जाती है।
- बोर्ड/समिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग: प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त कंपनी सचिव द्वारा दर्ज किये जाते हैं। इसके बाद बोर्ड/समिति की अगली बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है और तदनुसार कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है।

व्यापार आचार संहिता

कंपनी अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने और सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।



VII. लाभांश

चूँकि, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु निगम ने समेकित लेखा विवरण के अनुसार ₹356.69 करोड़ का संचित घाटा और एनजेएमसी लिमिटेड के एकल लेखा विवरण के अनुसार ₹257.67 करोड़ का संचित घाटा दर्ज किया है।

संसद के निर्णय के अनुसरण में निगम बंद होने की प्रक्रिया में है और लगातार घाटे में चल रहा है, साथ ही संचित घाटा भी है।

इसलिए, आपके निदेशक वर्ष 2022-23 के दौरान लाभांश के रूप में किसी भी राशि की अनुशंसा नहीं करते हैं।

VIII. आरक्षित निधि में स्थानांतरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल किसी भी राशि को आरक्षित निधियों में स्थानांतरित करने की अनुशंसा नहीं करता है।

IX. सतर्कता

31.10.2022 से 06.11.2022 तक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। उक्त अवधि के दौरान, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता लाने के लिए निगम के सभी कर्मचारियों द्वारा शपथ (भौतिक के साथ ही साथ ई-शपथ) ली गयी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री इमान अली मंडल, सीओओ और डीजीएम, एनजेएमसी लिमिटेड को 05.10.2018 से अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का कार्यभार सौंपा गया और तब से वे इस पद पर बने हुए हैं।

X. राजभाषा का प्रचार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के निर्देशों को लागू करने के लिए निगम निरंतर प्रयास कर रहा है।

XI. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ग) के अनुसार, आपके निदेशक यह बताते हैं कि:

- (i) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक खातों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- (ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाये हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण का उचित और पर्याप्त ध्यान रखा था;
- (iv) निदेशकों ने जारी चिंता के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खाते तैयार किये थे।
- (v) कंपनी असूचीबद्ध होने के कारण, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) का उप खंड (ड) लागू नहीं होता है।
- (vi) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।



XII. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

• निदेशक मंडल

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री मलय चंदन चक्रवर्ती, जूट आयुक्त और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष
2.	श्री शशि रंजन कुमार, एएस एंड एफए	सरकार नामित निदेशक
3.	श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा	सरकार नामित निदेशक
4.	श्रीमती माधवी अग्रवाल	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
5.	श्री बिमल चंद्र दास	गैर-सरकारी निदेशक

टिप्पणी :

• निदेशक

- क) श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव को वस्त्र मंत्रालय, जूट अनुभाग, भारत सरकार के दिनांक 2 मई, 2022 की पत्र संख्या 11/25/2014 जूट के मार्फत 02.05.2022 से सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- ख) श्रीमती माधवी अग्रवाल, गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 03.02.2023 से समाप्त हो गया।

• प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

सुश्री मोहिनी वर्मा को 1 फरवरी, 2022 से निगम के कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

XIII. संबंधित पार्टी लेनदेन

सहायक कंपनियों के साथ किये गये संबंधित पार्टी लेनदेन को दो सरकारी कंपनियों के बीच लेनदेन और एक होल्डिंग और उसकी सहायक कंपनी के बीच किये गये लेनदेन से छूट दी गयी थी, जिनके खाते होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित हैं और आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे गये हैं। इसलिए, फॉर्म एओसी-2 तैयार नहीं किया गया है।

कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया है जिससे कंपनी के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उल्लंघन में संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

XIV. आरटीआई अधिनियम, 2005

आपके निगम ने पंजीकृत कार्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया। मांगी गयी जानकारी निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाती है।

XV. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

विगत वर्ष एवं पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में निगम को लगातार घाटा हुआ है तथा मंत्रिमण्डल ने दिनांक 10.10.2018 को निगम को बंद करने की स्वीकृति भी दे दी है, अतः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत सीएसआर प्रावधान एवं सम्बन्धित नियम आपके निगम पर लागू नहीं होते हैं।

XVI. जमा राशि

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके निगम ने न तो कोई जमा राशि स्वीकार की है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

XVII. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन प्रकटीकरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।



XVIII. विनियामकों/न्यायालय/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेश

- i. न्यायालय ने संदर्भ एपी/89/2022 के मार्फत, दिनांक 28.02.2022 के आदेश में प्रतिवादी की अचल संपत्ति के संबंध में मैसर्स रजत इंजीनियरिंग की निषेधाज्ञा की प्रार्थना को स्वीकार किया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि “निषेधाज्ञा का आदेश प्रतिवादियों की अचल परिसंपत्तियों तक ही सीमित है, सिवाय इसके कि जहां तक व्यवसाय के सामान्य क्रम का संबंध है”।

इसके बाद, एनजेएमसी लिमिटेड के खिलाफ एलडी मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवार्ड की अवैधता के आधार पर 19.04.2022 को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर किया गया।

फिर विपक्षी पक्षों ने 2023 के ई.सी. केस संख्या 22 के तहत निष्पादन आवेदन दायर किया, जहां माननीय न्यायमूर्ति एस.बी. सराफ की एकल पीठ ने अपने आदेश दिनांक 31.01.2023 के तहत निगम को आदेश जारी होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर नकद जमा के रूप में दी गयी राशि का 75% रजिस्ट्रार, मूल पक्ष, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास जमा करने और शेष राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रजिस्ट्रार मूल पक्ष के समक्ष बैंक गारंटी के रूप में जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें बैंक गारंटी के हर साल 5% प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ और समाप्ति की निर्धारित तिथि से कम से कम एक महीने पहले नवीनीकरण का अतिरिक्त खंड शामिल है।

माननीय न्यायमूर्ति एस. बी. सराफ के दिनांक 31.01.2023 के आदेश के अनुसार, यदि उपर्युक्त सुरक्षा आदेश का अनुपालन अधिनिर्णय ऋणी द्वारा किया जाता है, तो एपी/89/2022 उसमें पारित आदेश के साथ ही निपटारा हो जाएगा। एपी/89/2022 में पारित आदेश भी निरस्त माने जाएंगे।

- ii. पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका (2018 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1850) मैसर्स राजेश कुमार द्वारा दायर की गयी थी, एक प्रोपराइटर ने आरोप लगाया कि उन्होंने वर्ष 2015 में एनजेएमसी लिमिटेड को जूट की आपूर्ति की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹15,82,609 का दावा किया गया था, जिसका भुगतान नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता को बकाया भुगतान करने के लिए 29.10.2018 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था।

एनजेएमसी लिमिटेड ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका (सिविल संशोधन संख्या 233 ऑफ 2019) दायर की है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 31.08.2022 को एक आदेश पारित किया और समीक्षा याचिका का निपटारा किया, जिससे एनजेएमसी लिमिटेड को विपक्षी पक्ष को भुगतान किये जाने वाले स्वीकृत बकाया राशि का निर्धारण करने का अधिकार मिल गया, जिसे किसी भी मामले में, जे. मोहित कुमार झा द्वारा पारित आदेश की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्धारित और भुगतान किया जाएगा।

XIX. महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वित्तीय विवरण से संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ हुई हैं और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर उनका प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

1. एनजेएमसी लिमिटेड ने 25.07.2023 को पटना उच्च न्यायालय में 2019 के सिविल रिवीजन संख्या 233, 2018 के सीडब्ल्यूजे 1850 एनजेएमसी लिमि. बनाम मैसर्स राजेश कुमार के न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ₹9,48,000 का भुगतान किया।
2. एनजेएमसी लिमि. को एनजेएमसी लिमि. की अचल परिसंपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनजेएमसी लिमिटेड की अचल परिसंपत्तियों के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत एनबीसीसी (आई) लिमिटेड की प्री-एलएमए रिपोर्ट जून 2023 पर अनुमोदन प्राप्त हुआ।

प्रत्येक मिल के लिए अलग-अलग नीलामी शुरू की जाएगी, जिसमें खडदह मिल की पहचान की गयी चल और अचल परिसंपत्तियों (केवल भवन और संरचनाएं) की नीलामी से शुरुआत होगी, इसके बाद नेशनल मिल, एलेक्जेंड्रा मिल और किन्निसन मिल की पहचान की गयी परिसंपत्तियों (केवल भवन और संरचनाएं) की नीलामी अनुमोदित विशेष नियमों और शर्तों के अनुसार क्रमशः “जहां है जैसा है और जो है जैसा है” के आधार पर और क्लीन स्वीप आधार पर और “कोई शिकायत नहीं” और “बिक्री के बाद किसी भी देयता के बिना” और “पहचानी गयी परिसंपत्तियों की स्थिति के अनुसार कोई वारंटी या गारंटी नहीं” होगी।



3. एपी/89/2022 के संबंध में, दिनांक 28.02.2022 के आदेश के अनुसार, एनजेएमसी लिमि. ने रजिस्ट्रार, मूल पक्ष, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पक्ष में दिनांक 21.04.2023 को ₹8,30,07,307 का चेक जमा किया है। इसके अलावा, एनजेएमसी लिमिटेड ने रजिस्ट्रार, मूल पक्ष, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पक्ष में दिनांक 02.08.2023 को जारी किये गये डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ₹2,76,69,102 की नकद सुरक्षा का भुगतान किया है और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मैसर्स रजत इंजीनियरिंग के पक्ष में दिनांक 10.08.2023 को चेक के माध्यम से ₹20,000 की प्रतिवादी लागत का भुगतान किया गया।
4. माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 2023 के रिट याचिका संख्या 4751, सुशील कुमार थर्ड बनाम एनजेएमसी लिमि. थी जहां, एनजेएमसी लिमि. को एजेंसी द्वारा जमा की गयी ₹2.20 करोड़ की बोलीपूर्व अग्रिम राशि रोकने के आदेश को रद्द करने तथा निर्णय की तिथि से 21 दिनों के भीतर इसे वापस करने का निर्देश दिया। निर्णय से व्यथित होकर, एनजेएमसी लिमिटेड ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ के समक्ष 2023 के एमएटी संख्या 2068, (एनजेएमसी लिमिटेड बनाम सुशील कुमार थर्ड) दायर किया है। मामले की सुनवाई 17.10.2023 को हुई, एनजेएमसी लिमिटेड को विद्वत एकल पीठ के निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया और आदेश की तिथि से 21 दिनों की अवधि तक के लिए समय बढ़ा दिया गया। एनजेएमसी लिमिटेड ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की विद्वत खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ 03.11.2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2023 के विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) संख्या 25436 (2023 की डायरी संख्या 46006), एनजेएमसी लिमि. बनाम सुशील कुमार थर्ड दायर की है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 28.11.2023 को मामले को खारिज कर दिया है।

XX. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

जैसा कि कंपनी अधिनियम के तहत प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण इसके साथ संलग्न अनुलग्नक-I में दिये गये हैं और इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

XXI. वार्षिक रिटर्न सार

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अधीन आवश्यक अनुसार एमजीटी-9 फॉर्म में वार्षिक रिटर्न के सार का हिस्सा बनाने वाला विवरण इसके साथ अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

XXII. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण

भारत सरकार ने 10.10.2018 को निगम को बंद करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में कंपनी के रोल में कोई स्थायी कर्मचारी मौजूद नहीं है, इसलिए उपर्युक्त लागू नहीं है।

XXIII. मानव संसाधन नीति और औद्योगिक संबंध

निगम की चल रही बंदी प्रक्रिया के मद्देनजर, एनजेएमसी लिमिटेड को संविदात्मक श्रमबल के साथ व्यवसाय संचालित करने का सुझाव दिया गया था, तदनुसार अनुबंध के आधार पर श्रमबल को काम पर रखा गया है। भर्ती किये गये श्रमबल का चयन एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं के जरिए और श्रमबल का सर्वोत्तम पूल प्राप्त करने के लिए खुले विज्ञापन की पीएसयू चयन प्रक्रिया के अनुरूप किया जाता है।

XXIV. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों और समय-समय पर संशोधित अनुसार लागू नियमों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मैसर्स आर. के. पाटोदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, कोलकाता को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

निगम की चल रही बंदी प्रक्रिया तथा कंपनी द्वारा अपना सारा उत्पादन बंद कर दिये जाने के मद्देनजर आपके निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार लागत लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।



XXV. लेखापरीक्षा अवलोकन और टिप्पणियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा किये गये अवलोकन स्वतः स्पष्ट हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(च) के अधीन आगे की टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है।

XXVI. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

निगम के पास एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण के उपाय के रूप में, प्रबंधन के पास आंतरिक लेखापरीक्षा है जो हर वर्ष सनदी लेखाकार की एक टीम द्वारा संचालित की जाती है।

XXVII. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की समीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आपकी कंपनी के खातों की समीक्षा की है और उनकी टिप्पणियाँ अनुलग्नक III में दी गयी हैं।

XXVIII. आभार :

आपके निदेशक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, खास कर वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने समय-समय पर कंपनी को अपना सहयोग और मार्गदर्शन दिया है। वे पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए भी आभारी हैं। निदेशक कंपनी के बैंकरों, सी एंड एजी, सांविधिक लेखापरीक्षकों और इसके सभी कर्मचारियों से प्राप्त निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए भी आभारी हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(प्राजक्ता एल. वर्मा)

निदेशक

डीआईएन : 05117895

(बिमल चंद्र दास)

निदेशक

डीआईएन : 09485570

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक : 19.12.2023



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

प्रपत्र एओसी-1

[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अनुसार]

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग “क” : सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी ₹ में राशि के साथ प्रस्तुत की जानी है)

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1.	सहायक कंपनी का नाम	बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
2.	सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तिथि	29.09.1986
3.	संबंधित सहायक कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं
4.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	3948000
6.	आरक्षित और अधिशेष	(151087000)
7.	कुल परिसंपत्तियां	90343000
8.	कुल देयताएं	15972665000
9.	निवेश	शून्य
10.	कारोबार	शून्य
11.	कराधान पूर्व लाभ	(33324000)
12.	कराधान के लिए प्रावधान	शून्य
13.	कराधान पश्चात लाभ	(33324000)
14.	प्रस्तावित लाभांश	शून्य
15.	शेयरधारिता का %	58.92

(प्राजक्ता एल. वर्मा)

निदेशक

डीआईएन : 05117895

(बिमल चंद्र दास)

निदेशक

डीआईएन : 09485570

(मोहिनी वर्मा)

कंपनी सचिव

एसीएस : 52405



अनुलग्नक - I

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेहन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण।

क. ऊर्जा संरक्षण :

चूकि निगम को दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गयी है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण खंड ने प्रचालन बंद करने और सभी मिलों के बंद होने के साथ अपनी प्रासंगिकता खो दी है।

ख. प्रौद्योगिकी आमेहन :

चूकि निगम को दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गयी है, इसलिए प्रौद्योगिकी अवशोषण खंड ने परिचालन बंद करने और सभी मिलों के बंद होने के साथ अपनी प्रासंगिकता खो दी है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय या व्यय नहीं हुआ।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(प्राजक्ता एल. वर्मा)

निदेशक

डीआईएन : 05117895

(बिमल चंद्र दास)

निदेशक

डीआईएन : 09485570

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक : 19.12.2023



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

अनुलग्नक- II

प्रपत्र संख्या : एमजीटी-9

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सार
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i)	सी.आई.एन	यू 17232 डब्ल्यू बी 1980 जी.ओ.आई 032768
ii)	पंजीकरण की तिथि	03.06.1980
iii)	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/केंद्र सरकार कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, 4, एन.एस. रोड, 2रा तल, कोलकाता- 700 001, दूरभाष : 033 22306434
vi)	क्या सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कारोबार में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ बतायी जाएँगी।

कंपनी की सभी छह (6) मिलें चालू नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान शून्य उत्पादन हुआ है।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

III . नियंत्रक, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	यू17232डब्ल्यूबी1904 जीओआई001579	सहायक कंपनी	59%	2(87)



IV. शेयर धारिता का स्वरूप
(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)
i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

ए. शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) केन्द्र सरकार	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
ग) राज्य सरकार (सं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (अ)(1)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
(2) विदेशी									
ए) एमआरआईज-व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) अन्य - व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) निकाय निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवर्तकों का कुल शेयर होल्डिंग (ए)=(ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
बी.	सार्वजनिक शेयरधारिता								
	1. संस्थाएँ								
	क) म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ग) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	घ) राज्य सरकार (एस)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ड) वेंचर कैपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	च) बीमा कंपनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	छ) एफआईआईएस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	उप कुल (बी)(1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2. गैर संस्थाएँ								
	ए) निकायों निगम								
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	



शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
3. वैयक्तिक									
i) ₹ 1 लाख तक नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ₹ 1 लाख से अधिक नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप योग (बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा रखे गये शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (ए+बी+सी)	शून्य	557974	557974	100	शून्य	557974	557974	100	शून्य
सी.									



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/बंधक रखे गये शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/बंधक रखे गये शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	557974	100	शून्य	557974	100	शून्य	शून्य
	कुल	557974	100	शून्य	557974	100	शून्य	शून्य

❖ कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है, कुल शेयरधारिता में से 557972 इक्विटी शेयर भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामिती के पास हैं तथा शेष 2 शेयर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के नामित अधिकारियों के पास हैं।

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

(यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया स्पष्ट करें) कोई परिवर्तन नहीं

क्र.सं.		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरुआत में	557974	100	557974	100
	वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे कि आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तक की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	557974	100	557974	100



(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर तथा एडीआर धारकों के अलावा) की शेयरधारिता का स्वरूप :

क्र.सं.		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	भारत के राष्ट्रपति				
	वर्ष की शुरुआत में	557974	100	557974	100
	वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे कि आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, :	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तिथि को, अगर वर्ष के दौरान अलग हुआ)	557974	100	557974	100

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता :

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरुआत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे कि आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तिथि को, अगर वर्ष के दौरान अलग हुआ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं

(रु. करोड़ में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन राशि	-	-	218.52	
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	13.09	
iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	-	-	-	
कुल (i + ii + iii)	-	-	231.61	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
संयोजन	-	-	-	
कमी	-	-	-	
शुद्ध परिवर्तन	-	-	3.05	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता :				
i) मूलधन राशि	-	-	218.52	
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	16.14	
iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	
कुल (i + ii + iii)	-	-	234.66	

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

आपका निगम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सरकारी कंपनी) है, निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। प्रकार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार दिया जाता है। वर्ष के दौरान गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक को बैठने की फीस के रूप में प्रति बैठक ₹10,000/- और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) को ₹4.60/- लाख का पारिश्रमिक दिया जाता है।

VII. दंड/जुर्माना/अपराध शमन :

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी, उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 की किसी भी धारा के उल्लंघन के लिए कोई जुर्माना/दंड/अपराधों का शमन नहीं किया गया।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(प्राजक्ता एल. वर्मा)

निदेशक

डीआईएन : 05117895

(बिमल चंद्र दास)

निदेशक

डीआईएन : 09485570

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक : 19.12.2023



31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मंतव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि यह कार्य उन्होंने 01 दिसंबर 2023 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

(बिभुदत्त बसंतिया)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 21 दिसंबर 2023



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

सापेक्ष राय

हमने **राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड** ("कंपनी") के दिये गये एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक का तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट की सापेक्ष राय के आधार के अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

सापेक्ष राय हेतु आधार

अ) चालू व्यवसाय धारणा :

खाते चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किये गये हैं जो निम्नलिखित कारणों से चलते परिस्थितियों के अधीन उचित नहीं है:

क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (एनजेएमसी) और इसकी सहायक कंपनी बर्ड्स जूट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) को बंद करने की मंजूरी दे दी है। सभी परिसंपत्तियों का निपटान डीपीई के दिनांक 14.06.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और देयताओं को पूरा करने के बाद परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय भारत की समेकित निधि में जमा की जाएगी। नीलामी एजेंसी के रूप में एमएसटीसी की नियुक्ति के संदर्भ में, इसकी तीन मिलों अर्थात् नेशनल, एलेक्जेंड्रा और आरबीएचएम की सभी चल परिसंपत्तियों का निपटान कर दिया गया है। किन्निसन के संबंध में वितरण सलाह सहित निपटान की सभी प्रक्रिया वर्ष के अंत तक पूरी कर ली जाती लेकिन उन परिसंपत्तियों को वास्तव में हटाने का काम लंबित है। इसके अलावा, खड़दह इकाई के संबंध में परिसंपत्तियां बाद की अवधि के दौरान बेची गयी हैं। एनबीसीसी जिसे प्रीलैंड मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, लेकिन सभी इकाइयों के लिए भूमि और भवन का निपटान अभी तक नहीं किया गया है।

ख) बंदी की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार को 200 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज मुक्त ऋण वापस किया है। पिछले कई वर्षों से कंपनी की आय मुख्य रूप से सावधि जमा पर ब्याज से है, जो उक्त वापसी के बाद काफी कम हो गयी है।

ग) वित्तीय विवरण दर्शाते हैं कि कंपनी की चालू और गैरचालू देयताएं इसकी कुल परिसंपत्तियों से ₹ 19,745.27 लाख (पिछले वर्ष ₹ 22,851.57 लाख) अधिक हैं।

ये कारक कंपनी की चालू व्यवसाय के स्तर में जारी रहने और व्यवसाय के सामान्य क्रम में अपनी देयताओं का निर्वहन करने में असमर्थता की पुष्टि करते हैं।

ब) लेखांकन मानकों का अननुपालन :

ब.1 लेखांकन मानक 2 - सामानसूची का मूल्यांकन

जैसा कि लेखांकन नीति 1.4 में कहा गया है, सामानसूची की मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य/बाजार मूल्य में से कम पर किया जाता है। चूंकि इकाइयां प्रचालन में नहीं थीं, इसलिए सामानसूची कई वर्षों से स्थिर हैं। प्रबंधन के निर्णय के



अनुसार, वर्ष के दौरान सामानसूची सहित तीनों इकाइयों की सभी चल परिसंपत्तियों का निपटान कर दिया गया है और प्राप्त मूल्य उसके बही मूल्य से अधिक पाया गया है। लेकिन शेष सामानसूची के लिए प्रासंगिक लागत विवरण और निवल प्राप्ति योग्य मूल्य के निर्धारण का आधार हमें उपलब्ध नहीं कराया गया और, इसलिए, यह पता लगाना संभव नहीं है कि एस-2 का अनुपालन किया गया है या नहीं। इसके अलावा, सामानसूची का आयुवार विश्लेषण और साथ ही अप्रचलित और गैर-विपणन योग्य सामानसूची की पहचान सुनिश्चित नहीं की गयी है। इसलिए, यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि सामानसूची का वहन मूल्य उसके उचित मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं।

ब.2 लेखा मानक-9 - राजस्व मान्यता :

प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, चार इकाइयों के लिए निपटान प्रक्रिया लेखापरीक्षा प्राप्त ईएमडी/प्रतिभूति जमा, बोली मूल्य, बिक्री आदेश जारी करना और वितरण सलाह के अंतर्गत वर्ष के समापन से पहले पूरी कर ली गयी थी। जबकि तीन मिलों अर्थात् एलेक्जेंड्रा, नेशनल और आरबीएचएम के संबंध में प्राप्त राशि क्रम से ₹1,511 लाख, ₹3,000 लाख और ₹1,570 लाख को स्कैप बिक्री में माना गया है, लेकिन, भले ही किनिंसन मिल के संबंध में 21.03.2023 को डिलीवरी सलाह जारी की गयी थी, वर्ष के दौरान किसी भी स्कैप बिक्री पर विचार नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹3,650 लाख की स्कैप बिक्री और प्रासंगिक सीमा तक लाभ को कम करके आंका गया है।

कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को दिये गये ऋणों पर ₹259.23 लाख की ब्याज आय को मान्यता दी है। लेकिन साथ ही, इसने इस खाते पर टीडीएस के निवल संदिग्ध ब्याज प्राप्य के लिए प्रावधान भी किया है। लेखांकन की यह प्रक्रिया वर्षों से ब्याज आय पर आयकर के कारण कंपनी को नुकसान पहुंचा रही है, जो कि वसूल नहीं हो पा रहा है। सहायक कंपनी ने कई वर्षों से मूलधन और ब्याज का कोई पुनर्भुगतान नहीं किया है।

ब.3 लेखांकन मानक-22 - आय पर करों हेतु लेखांकन :

कंपनी ने आय पर करों हेतु एस-22 लेखांकन का अनुपालन नहीं किया है। उक्त मानक के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता का निर्धारण नहीं किया गया है।

ब.4 लेखांकन मानक-29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां :

हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी विभिन्न पक्षों के साथ विभिन्न मामलों पर मुकदमे पर है, जिनमें से कुछ कई वर्षों से लंबित हैं। हालांकि, ज्यादातर मामलों में, कंपनी ने विवाद के संभावित वित्तीय निहितार्थ की राशि का अनुमान और प्रकटीकरण नहीं किया है, जैसा कि एस-29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां के अधीन आवश्यक है।

ब.5 लेखा मानक-24 - प्रचालन बंद करना :

चूंकि कंपनी ने बंद करने के निर्देशों के अनुसार सामानसूची सहित अपनी चल परिसंपत्तियों का निपटान पहले ही शुरू कर दिया है, इसलिए कंपनी को प्रचालन में जारी नहीं माना जा सकता है। कंपनी के खातों की तैयारी में लेखा मानक-24 परिचालन बंद करना में निहित प्रकटीकरण का पालन नहीं किया गया है।

स) आय/व्यय और परिसंपत्तियों/देयताओं का कम/अधिक विवरण

स.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा मूल्यहास :

- क) ₹637 के डब्ल्यूडीवी वाली कुछ परिसंपत्तियां राष्ट्रीयकरण के बाद से तीसरे पक्ष के पास पड़ी थीं, जैसा कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर नोट 9(2) में कहा गया है। उक्त मिल की चल परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ का निर्धारण प्रबंधन द्वारा तीसरे पक्ष के पास पड़ी हुई उक्त परिसंपत्तियों को ध्यान में रखे बिना किया गया है।
- ख) जैसा कि नोट 9(6) में प्रकट किया गया है, भूमि और भवन में 5, अलीपुर रोड, कोलकाता की संपत्ति शामिल है, जो कंपनी के कब्जे में नहीं है, हालांकि जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के तहत कंपनी में निहित है। संपत्ति मुकदमा कार्रवाई के अधीन है और कानूनी विशेषज्ञों का संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार के बारे में अलग-अलग विचार



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

हैं। हालांकि स्वामित्व विवादित है, कंपनी कोलकाता नगर निगम को देय नगरपालिका करों के संबंध में देयता प्रदान कर रही है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹4.45 लाख (पिछले वर्ष(कोलन) ₹4.45 लाख) थी। दिनांक 31.03.2023 तक प्रदान की गयी संचयी देयता ₹116.47 लाख (31.03.2022 तक: ₹112.02 लाख) है।

- ग) वर्ष 2021-22 के दौरान परिसम्पत्तियों की चोरी के कारण हुई ₹1.84 लाख की हानि को चालू वर्ष में वसूल किया गया है, लेकिन 202021 में हुई ₹0.28 लाख की इसी तरह की हानि के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि मिल की सभी चल परिसंपत्तियों का निपटान कर दिया गया है।
- घ) विभिन्न अवस्थानों पर भूमि के स्वत्व विलेख हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध कराये गये थे, लेकिन उन्हें ठीक से सत्यापित नहीं किया जा सका और अचल परिसंपत्तियों के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा नहीं जा सका। हालांकि, हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तीनों मिलों यानी खड़दह, किन्निसन और एलेक्जेंड्रा के कुछ हिस्से अभी भी पूर्ववर्ती कंपनियों के नाम पर जारी है। हमें आगे बताया गया है कि उक्त संपत्तियों के संबंध में भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी उत्तर 24 परगना, बारासात के साथसाथ सचिव, भूमि व भूमि सुधार और शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को प्रतिनिधित्व सौंपा गया है, लेकिन 31 मार्च, 2023 तक मामला अभी भी लंबित है।

स.2 निवेश :

नियंत्रक कंपनी अपने निवेशों का उचित रजिस्टर नहीं रख रही है। नोट संख्या 10 के अधीन बताये गये निवेशों का विवरण भी सामान्य खाता बही से मेल नहीं खा रहा है और इसमें ₹0.37 लाख का अंतर है। इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में कुल ₹0.74 लाख और ब्रिटानिया इंजीनियरिंग लिमिटेड और जे.एफ. लो एंड कंपनी लिमिटेड में धारित निवेश के संबंध में शेयर रिक्रप्स, मूल्य शून्य को हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका और बताया गया कि उनका पता नहीं चल पा रहा है। ये निवेश बहुत पुराने हैं और हमें बताया गया कि मूल प्रमाणपत्र विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/ विभागों को सुरक्षा के रूप में प्रदान किये गये होंगे। यह भी देखा गया कि निवेश में उन कंपनियों के शेयरों में ₹0.02 लाख शामिल हैं, जिनके नाम पहले ही काट दिये गये हैं। हालांकि, इन सभी निवेशों के विरुद्ध पूर्ण प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, निवेश में चेवियट कंपनी लिमिटेड और बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर शामिल हैं, जिनके विरुद्ध पूर्ण प्रावधान किया गया है, हालांकि इन शेयरों के विरुद्ध लाभांश प्राप्त किया गया है।

स.3 सामानसूची :

वर्ष के अंत में शेष मिलों की सामानसूची, जो बहुत पुरानी है, समय बीतने और इसके गैर-प्रचालन के कारण क्षति/अप्रचालन पर विचार किये बिना, का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा किया गया है, लेकिन उनकी उगाही के संदर्भ में मूल्य में कमी नहीं की गयी है।

स.4 नकद और बैंक शेष :

बैंक शेष में यूको बैंक, टीटागढ़ शाखा के पास पड़ी किन्निसन इकाई के खाते में ₹91,083.04 शामिल हैं, जो तुलनपत्र तिथि के अनुसार एक निष्क्रिय खाता है।

इसके अलावा, बैंक खातों में शेष राशि बैंक के साथ बुक ओवरड्राफ्ट का निवल है, जो कि 31 मार्च 2023 को ₹701.85 लाख की राशि के जीएसटी बकाया के भुगतान के कारण खाता पुस्तकों के अनुसार ऋणात्मक बैंक शेष है, हालांकि बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं थी।

स.5 अल्पावधि ऋण और अग्रिम :

- क) स्रोत पर आयकर कटौती के स्वरूप में प्राप्य ₹1219.33 लाख की कुल राशि के प्रति कंपनी ने ₹408.77 लाख का प्रावधान किया है। पिछले वर्षों के लिए निर्धारित आयकर रिफंड, उस पर अनुमत ब्याज के साथ, आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष 1990-91 हेतु बकाया मांग के प्रति समायोजित किया जा रहा है। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 हेतु धारा 143(1) के तहत सूचना में दिखाई पड़ने वाले कंपनी के बकाया मांग सारांश में अभी भी कंपनी द्वारा देय ₹177.94 लाख की राशि



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

दिख रही है। हमें सूचित किया गया है कि कंपनी कर निर्धारण वर्ष 1990-91 हेतु उठायी गयी मांग के संबंध में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्राप्त होने के बाद आवश्यक समायोजन/आगे का प्रावधान किया जाएगा।

ख) बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सहायक कंपनी से प्राप्त 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु शेष राशि की पुष्टि और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को देखने के बाद, हमने पाया कि सहायक कंपनी के साथ विभिन्न खातों में पड़ी शेष राशि मेल नहीं खा रही हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है:

खाता	एनजेएमसी के अनुसार शेष राशि (₹ लाख में)	सहायक कंपनी के अनुसार शेष राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
सहायक कंपनी को दिये गये ऋणों पर अर्जित ब्याज	4047.24	4047.33	कॉलम में उल्लिखित अंतरों का वर्ष के अंत तक समाधान नहीं किया गया है।
पेशगी दी गये	605.64	631.05	
माल के लिए लेनदार	शून्य	94.91	
किराए के लेनदार	शून्य	0.15	
अन्य सेवाओं के लिए लेनदार	0.10	शून्य	
ब्रोकरेज के लिए लेनदार	0.28	शून्य	
व्यापार प्राप्य खाते सामान	23.56	258.21	
व्यापार प्राप्य खाते व्यय	शून्य	7.40	
सेवाओं के लिए दिया गया अग्रिम	3.33	शून्य	

स.6 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ:

सुरक्षा जमा राशि के संबंध में पार्टीवार विवरण और प्रासंगिक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, जो कुल ₹56.31 लाख है, जिसमें से ₹11.47 लाख को संदिग्ध माना जाता है, यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि कंपनी को ₹44.84 लाख की शेष राशि की वसूली का आश्वासन कैसे दिया गया है, जिसे भी वर्तमान स्थिति के तहत प्रदान किया जाना चाहिए था।

स.7 दीर्घकालिक उधार:

क) कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार से ₹281.48 लाख का ऋण लिया है। हालाँकि ऋण समझौता या ऐसे ऋण के नियम और शर्तों को दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज हमारे सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराया जा सका, लेकिन सरकार ने ऋण की पूरी अवधि के लिए ब्याज दर “दंड दर 13%” के साथ एक विस्तृत गणना प्रदान की है, जो 31.03.2023 तक कंपनी द्वारा प्रदान की गयी ₹1613.67 लाख की कुल ब्याज देयता दर्शाती है, जिसमें चालू वर्ष हेतु ₹36.59 लाख और पिछले वर्ष हेतु ₹268.46 लाख के ब्रेकअप में समीक्षाधीन वर्ष हेतु ₹305.06 लाख शामिल हैं। जैसा कि खातों के लिए नोट 4 अतिरिक्त जानकारी (ग) में कहा गया है, कंपनी ने इस ऋण की अदायगी में चूक की है और कंपनी के खाते की पुस्तकों के अनुसार अप्रदत्त ब्याज सहित मूलधन का संचित शेष 31 मार्च, 2023 तक ₹1895.15 लाख (31 मार्च, 2022 तक ₹1590.09 लाख) है। ब्याज दर और अन्य शर्तों को दर्शाने वाले किसी भी दस्तावेज के अभाव में, हम ₹1613.67 लाख के कुल ब्याज की सत्यता को सत्यापित नहीं कर सके।

ख) 31.03.2023 तक ऋणों की बकाया राशि, जो कि ₹21,571.41 लाख है, के लिए कंपनी द्वारा केंद्र सरकार से कोई शेष पुष्टि प्राप्त नहीं की गयी है।

स.8 व्यापार देयताएं:

व्यापार देयताओं का कुल योग ₹2104.85 लाख (31.03.2022 तक ₹2055.99 लाख) है, जिसमें कंपनी द्वारा तैयार व्यापार देयताओं के आयुवार विश्लेषण के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय से चली आ रही पुरानी बकाया राशि शामिल है, जो



कुल मिलाकर ₹1976.48 लाख है। पार्टियों से प्राप्त पार्टीवार और चालानवार विवरण या खाते के विवरण के अभाव में, यह पता लगाना संभव नहीं है कि इन देनदारियों में से कितनी अंततः देय हैं। आवश्यक जानकारी के अभाव में, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पार्टियों की स्थिति और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, पिछले कई वर्षों से एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन देय ब्याज के कारण कोई देयता खातों में प्रदान नहीं की जा रही है। फलस्वरूप, उक्त अधिनियम के अधीन देय ब्याज व्यापार देयताओं शीर्ष के अधीन दिखाये गये ब्याज देयता की राशि से भिन्न हो सकता है। इसके अलावा, किन्निसन इकाई के मामले में, सेवाओं के लिए विविध लेनदारों और भंडार के लिए विविध लेनदारों की राशि को इन लेनदार खातों में से कुछ में पड़े ₹25.32 लाख के नामे शेष के शुद्ध व्यापार देयताओं में शामिल किया जा रहा है। फलस्वरूप, व्यापार देयताओं के कारण देयता तुलन पत्र में उस सीमा तक कम करके दिखायी गयी है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा दिये गये संदिग्ध अग्रिमों के लिए किये गये प्रावधान भी उस सीमा तक कम हैं, जिसके कारण इस खाते पर ₹5.32 लाख की सीमा तक नुकसान को कम करके दिखाया गया है।

स.9 अन्य चालू देयताएँ:

क) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ईएसआई की मांग और माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता के तत्पश्चात आदेश के अनुसार ईएसआई अंशदान पर ब्याज के लिए ₹284.36 लाख का भुगतान किया है। इन भुगतानों को 1 अप्रैल 2022 तक लेखा बहियों में पड़े ₹3524.19 लाख की अप्रदत्त देयता के तहत कंपनी द्वारा समायोजित किया गया है, जो बिना किसी आधार के ईएसआई क्षति के लिए प्रावधान के रूप में है तथा इस खाते पर लाभ और हानि के विवरण में कुछ भी चार्ज नहीं किया गया है। हमें उपलब्ध कराये गये कागजात से पता चलता है कि उपर्युक्त भुगतान ईएसआई के दावों में जोड़े गये ब्याज के तहत किया गया है, जिसे समायोजित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष हेतु नुकसान कम दिखाया गया है।

ख) वैधानिक बकाया में शामिल हैं

पीएफ पर देय क्षति और उस पर ब्याज की राशि ₹903.05 लाख, ईएसआई पर क्षति और उस पर ब्याज की राशि ₹3,240.00 लाख, व्यवसाय कर (ब्याज सहित) ₹70.20 लाख, अनुषंगी लाभ कर ₹8.92 लाख, वैट/सीएसटी के लिए प्रावधान और बिक्री पर वैट ₹18.74 लाख जो काफी समय से आगे लाये गये हैं, जिनके लिए कंपनी द्वारा कोई प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की गयी है, इसलिए प्रासंगिक जानकारी के अभाव के कारण यह पता नहीं लगाया जा सका कि इन देयताओं में से कितनी अंततः देय हैं या क्या उन्हें पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया है।

अन्य चालू देयताओं (टिप्पण संख्या 7) में जीएसटी के लिए ₹701.85 लाख की सीमा तक वैधानिक बकाया शामिल नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि ये बकाया राशि कंपनी द्वारा 31 मार्च 2023 को आरटीजीएस के माध्यम से पहले ही चुका दी गयी है, लेकिन उक्त तिथि के लिए विधिवत भुगतान किया गया चालान हमारे सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके अलावा यह राशि वर्ष के अंत में तैयार किये गये बैंक समाधान विवरण में बकाया के रूप में दिखाई दे रही है क्योंकि संबंधित बैंक खाते में यह भुगतान करने के लिए पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध नहीं थी। बाद के वर्ष के बैंक विवरण के सत्यापन पर, हमने पाया कि यह भुगतान 19 अप्रैल 2023 को बैंक खाते में नामे किया गया है। तदनुसार, हमारी राय में, यह भुगतान बाद के वर्ष में दर्ज किया जाना चाहिए था जब भुगतान वास्तव में 19 अप्रैल 2023 को किया गया था। 31 मार्च 2023 को उपरोक्त भुगतान के लेखांकन के परिणामस्वरूप, वर्तमान परिसंपत्तियां और वर्तमान देनदारियां दोनों तुलनपत्र में ₹701.85 लाख की सीमा तक कम दिखायी गयी हैं।

ग) भुगतान आयुक्त के असंवितरित दावे के संबंध में पार्टीवार विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी के अभाव में: ₹40.29 लाख; कार्यप्रदर्शन गारंटी: ₹57.47 लाख, आईएसडीएस फंड पर ब्याज: ₹19.02 लाख और सुरक्षा जमा/ईएमडी में शामिल पुरानी बकाया राशि और पार्टियों से अग्रिम: विवरण के अभाव में जिसकी राशि का पता नहीं लगाया जा सका, हमारे लिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि इन देनदारियों में से कितनी अंततः देय हैं या क्या उनके लिए अंततः प्रावधान किया गया है। अधिकांश शेष राशि लंबे समय से बकाया हैं।



घ) कर्मचारी लाभ के लिए ₹338.80 लाख की देनदारियों में वीआरएस देय, उपदान देय और वेतन देय के कारण ₹320.60 लाख की पुरानी बकाया देनदारी शामिल है। कंपनी कर्मचारियों से संबंधित भुगतानों के लिए देयता के रूप में पुरानी शेष राशि बनाये रख रही है। हमें दी गयी जानकारी के अनुसार, श्रम मामलों में कुल वित्तीय आकस्मिक देयता, अब तक प्रबंधन कई मामलों में पता लगा सका है जो ₹6989.05 लाख है।

ड) अप्रदत्त दरों और करों में शामिल है उपकर, शुल्क आदि ₹0.78 लाख, व्यावसायिक कर ₹0.12 लाख, सेवा कर ₹1.69 लाख, टीडीएस ₹0.99 लाख, अन्य दरें और कर ₹109.97 लाख, जिन्हें लंबी अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रासंगिक जानकारी के अभाव में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि इनमें से कितनी देनदारियाँ अंततः देय हैं या क्या उन्हें पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया है।

उपयुक्त अवलोकनों के मद्देनजर, हम कंपनी के मामलों के विवरण पर इन मामलों के प्रभाव तथा लाभ और हानि के विवरण पर इसी प्रभाव को निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबंधित किया गया था और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

एसए 701 के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मुख्य लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबांध, व्यवसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है, और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किये गये कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक भौतिक गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन और एकल वित्तीय विवरणों के लिए शासन प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में बताये गये मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं, जिसमें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख का अनुरक्षण; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन और कार्यान्वयन और



खरखाव भी शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते थे और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त थे।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प ना हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाये रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत बयान के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करें और निष्पादित करें और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाले भौतिक गलत बयान का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।



हम शासन के लिए जिम्मेदार उन लोगों सहित अन्य मामलों के साथसाथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल हो, जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, के बारे में संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को विवरण के माध्यम यह भी अवगत कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद भी करते हैं, जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम अनुबंधक में, आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने सापेक्ष आधारित राय के अनुच्छेद में वर्णित मामलों को छोड़कर, वे सभी जानकारीयों और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किये हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
 - (ख) सापेक्ष आधारित राय के अनुच्छेद में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गयी हैं, जैसा कि बहियों की हमारी जांच से पता चलता है;
 - (ग) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाये गये तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और नकद प्रवाह का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
 - (घ) सापेक्ष आधारित राय कंडिका में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, एकल तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - (ङ) सापेक्ष आधारित राय के अनुच्छेद में वर्णित मामले, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
 - (च) हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी है।
 - (छ) खातों के अनुरक्षण और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यता उपर्युक्त सापेक्ष आधारित राय के अनुच्छेद में बतायी गयी है।
 - (ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध ख में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
 - (झ) चूंकि कंपनी निदेशकों को कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक नहीं दे रही है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 का प्रावधान लागू नहीं होता है।
 - (ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - i. पूर्ण विवरण के अभाव में, हम यह मंतव्य करने की स्थिति में नहीं हैं कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के पूर्ण प्रभाव का प्रकटीकरण किया है या नहीं।



- ii. कंपनी के पास व्युत्पन्नी अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमानित घाटा था।
- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
- iv. (क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (मध्यस्थ) भी शामिल है, को कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गयी निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं दी गयी है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गयी हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा;
- (ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("निधीयन पक्ष") शामिल है, से इस समझ के साथ, कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गयी है, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गयी हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;
- (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ड) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के अधीन प्रदान किया गया है, में कोई भी महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।
- v. चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 में निहित प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के प्रत्युत्तर में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- (i) कंपनी के पास अपनी इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच ई-आरपी लेखा प्रणाली या पूरी तरह से एकीकृत आईटी प्रणाली नहीं है। प्रत्येक इकाई और कॉर्पोरेट कार्यालय के खातों को लेखांकन सॉफ्टवेयर पर अनुरक्षित किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय और विभिन्न प्रभागों के खातों का समेकन एक अलग डेटा प्रविष्टि साधन के जरिए किया जाता है। कंपनी द्वारा अपनायी गयी वर्तमान प्रणाली डेटा अखंडता की अनुपस्थिति की गुंजाइश छोड़ती है और लेखापरीक्षा जोखिम को बढ़ाती है।
- (ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
- (iii) (क) कंपनी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) और बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित कंपनी के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण ले रही है, जो दीर्घकालिक उधार के रूप में है।
- (ख) कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार से ₹281.48 लाख का ऋण प्राप्त किया है, ऋण और ब्याज का पुनर्भुगतान 31 मार्च 1994 से चूक गया है। ऋण और अप्रदत्त ब्याज का संचित शेष 31.03.2023 तक ₹1895.15 लाख है। ऋण दस्तावेजों, नियमों और शर्तों के अभाव में, किये गये ब्याज प्रावधान की पर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।



(ग) जैसा कि वित्तीय विवरणों के टिप्पण 3 में बताया गया है, कंपनी को 1988-89 में बिहार सरकार और आईजेआईआरए से अनुदान मिला था और 1982-83 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से आर्थिक साहाय्य प्राप्त हुआ था। ऐसे अनुदान/ आर्थिक साहाय्य के साथ ही साथ ऐसे अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों के विस्तृत कागजात हमें उपलब्ध नहीं कराये गये।

कृते आर के पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार

सदस्यता संख्या: 059144

यूडीआईएन: 23059144बिजिडव्लिऊ1डव्लिऊवि5111

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 01.12.2023



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुबंध-क

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध,

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- (i) (क) (अ) अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित रिकॉर्ड कंपनी नहीं रख रही है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में कंपनी द्वारा रखे गये रिकॉर्ड में कई मामलों में पर्याप्त जानकारी का अभाव है, जैसे पहचान संभव बनाने के लिए परिसंपत्ति का विवरण, इसका स्थान/स्थिति, खरीद का वर्ष, पुनर्मूल्यांकन या हानि के कारण किये गये समायोजन, यदि कोई हो, इसका उपयोगी जीवन और, कंपनी की कुछ इकाइयों में भूमि के मामले में, इसका प्लॉटवार विवरण और विनिर्देशन कि क्या यह फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है या स्थायी पट्टा है। इसके अलावा, कंपनी ने पिछले कई वर्षों से इन रिकॉर्ड का अद्यतन नहीं किया है। हमें सूचित किया गया है कि कंपनी बंद होने की प्रक्रिया में है और उसने वर्ष के दौरान अपनी बंद मिलों में से तीन के संबंध में संपूर्ण चल परिसंपत्तियों का निपटान कर दिया है। इस बिक्री का लेखा एनबीसीसी (आई) लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करायी गयी चल परिसंपत्तियों की सूची के लिए किये गये मूल्यांकन से अधिक किया गया है, जिसे निदेशक मंडल की उचित मंजूरी के साथ डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान करने से पहले परिसंपत्तियों के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, शेष चल परिसंपत्तियों की बिक्री का लेखा निदेशक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर कंपनी द्वारा स्कैप खाते में स्थानांतरित करके किया जाएगा।

(ब) कंपनी की बहियों में कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है।

- (ख) हमें दी गयी जानकारी के अनुसार, कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन करने के लिए कोई नियमित कार्यक्रम नहीं है। यह भी बताया गया है कि कर्मचारियों की कमी के कारण, प्रबंधन समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं कर सका। किसी भी भौतिक सत्यापन के अभाव में, हम यह मंतव्य करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई भौतिक विसंगति मौजूद है। हालाँकि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है, परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और भूमि) का सत्यापन एक बाहरी एजेंसी यानी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एक केंद्र सरकार का एक पीएसयू, के माध्यम से प्रीएलएएमए गतिविधियों के हिस्से के रूप में किया गया था और निदेशक मंडल ने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार चल परिसंपत्तियों की सूची को विसंगति, यदि कोई हो, का पता लगाये बिना स्वीकार कर लिया है।

- (ग) यद्यपि हमारे सत्यापन के लिए प्रबंधन ने ज़मीन के विभिन्न भूखंडों के संबंध में कई स्वत्व विलेख हमारे सामने प्रस्तुत किये गये थे, लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अभिलेखों में पर्याप्त विवरण की कमी के कारण उन्हें देश के विभिन्न अवस्थानों पर रखी गयी अपनी अचल संपत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा रखे गये अभिलेखों के साथ ठीक से जोड़ा नहीं जा सका। हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि विभिन्न स्रोतों से उनके द्वारा किये गये अधिकारों के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर, कंपनी की निम्नलिखित अचल संपत्तियों का शीर्षक इसके नाम पर नहीं है:



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

कंपनी के नाम पर धारित नहीं अचल संपत्ति का विवरण						
तुलनपत्र में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिनके नाम पर है स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार या कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम धारित न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	भूमि - इकाई एलेक्जेंड्रा	एफएआर में उल्लिखित ₹ 134752/- में शामिल, अलग से अभनिश्चितयोग्य नहीं	एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	यद्यपि जूट कंपनी राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अनुसार सभी उल्लिखित संपत्तियां एनजेएमसी लिमिटेड में निहित थीं, फिर भी एनजेएमसी के नाम पर उनका हस्तांतरण अभी भी लांबित है।
	भूमि - इकाई एलेक्जेंड्रा	₹ 4,86,332.00	मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड*	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - इकाई नेशनल	₹ 3,183.01	मायारानी देवी	लागू नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - इकाई नेशनल	एफएआर में उल्लिखित ₹ 240384.99 में शामिल, अलग से अभनिश्चितयोग्य नहीं	नेशनल जूट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - इकाई किन्निसन	एफएआर में उल्लिखित ₹ 7911000 में शामिल, अलग से अभनिश्चितयोग्य नहीं	द किन्निसन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - इकाई किन्निसन	शामिल, अलग से अभनिश्चितयोग्य नहीं	द केबल चुट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - इकाई खड़दह	₹ 5,15,136.00	खड़दह कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - इकाई आरबीएचएम	₹ 27,00,000.00	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन (लीज)	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भवन - अलीपुर रोड	₹ 2,00,000.00	मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड*	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

जैसा कि हमें बताया और समझाया गया है, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 18 ए की उपधारा (1) के खंड (ए) के अंतर्गत छह बीमार निजी क्षेत्र की जूट विनिर्माण कंपनियों का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा अपने हाथों ले लिया गया था और उसके बाद सक्षम कानूनों के माध्यम से इन कंपनियों की सभी संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों का स्वामित्व केंद्र सरकार में निहित कर दिया गया था। राष्ट्रीय जूट मिल का राष्ट्रीय कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया था और शेष पांच कंपनियों का राष्ट्रीयकरण जूट कंपनियां (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के तहत किया गया था। इन राष्ट्रीयकृत कंपनियों का स्वामित्व एनजेएमसी लिमिटेड में निहित था, जो 3 जून 1980 को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एक नई कंपनी थी। (राष्ट्रीय जूट मिल 10 जून, 1980 से और शेष पांच मिलें 21 दिसंबर, 1980 से)। हमें बताया गया कि इन इकाइयों से संबंधित कुछ भूमि, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 एकड़ है, के संबंध में टाइटल डीड हालांकि अधिकारों के अभिलेखों में दिखाई तो देते हैं, लेकिन कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं।

- (घ) कंपनी ने संदर्भित वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ) जैसा कि कंपनी ने हमें सूचित और समझाया है, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है या लंबित नहीं है।
- (ii) (क) हमें दी गयी जानकारी के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वस्तुसूची का भौतिक स्वरूप से सत्यापन नहीं किया गया था और इसलिए हम यह मंतव्य करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई विसंगति है।
- (ख) हमें दी गयी जानकारी और कंपनी की बहियों के अनुसार, चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से इसके पास कोई कार्यशील पूंजी ऋण नहीं है।
- (iii) (क) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, बशर्ते कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी भी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की या ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान की, चाहे वह रक्षित हो या अरक्षित।
- (अ) यद्यपि वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया था, कंपनी ने पिछले वर्षों में अपनी सहायक कंपनी को अरक्षित ऋण और अग्रिम दिये हैं। ऐसे ऋणों और अग्रिमों का शेष, ब्याज सहित कुल ₹5,130.37 लाख (31.03.2022 को ₹4898.10 लाख) है, जो 31.03.2023 तक अर्जित हुआ।
- (ब) पिछले वर्षों में, कंपनी ने एक पार्टी को बिना ब्याज वाला ऋण भी दिया है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। 31.03.2023 को तुलनपत्र के अनुसार उक्त ऋण का शेष ₹1078.21 लाख (31.03.2022 को ₹1078.21 लाख) है।
- (ख) पिछले वर्षों में सहायक कंपनी को जिन नियमों और शर्तों पर ऋण और अग्रिम दिये गये थे, वे हमें उपलब्ध नहीं कराये जा सके और इसलिए, हम यह मंतव्य करने में असमर्थ हैं कि क्या वे कंपनी के हित के लिए हानिकारक थे। जहाँ तक उपर्युक्त अन्य पक्ष, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, को पिछले वर्ष दिये गये ब्याज मुक्त ऋण का संबंध है, हमें प्रबंधन द्वारा समझाया गया है कि यह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के निर्णय के अनुसार दिया गया था और इसलिए, इसे कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं माना जाना चाहिए।
- (ग) पिछले वर्षों में सहायक कंपनी को जिन नियम और शर्तों पर ऋण और अग्रिम दिये गये थे, वे हमें उपलब्ध नहीं कराये जा सके और इसलिए, हम यह मंतव्य करने में असमर्थ हैं कि ब्याज के भुगतान और मूल राशि की वापसी के लिए नियत तिथियों के संबंध में कोई स्पष्ट शर्तें हैं या नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उक्त सहायक कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है और परिणामस्वरूप उक्त ऋण को संदिग्ध माना जा रहा है, लेकिन कंपनी अपनी सहायक कंपनी को दिये गये ऋण पर सहमत दरों पर ब्याज ले रही है और इसके लिए पूर्ण प्रावधान भी किया है, उस पर टीडीएस घटाकर, क्योंकि राशि की वसूली संदिग्ध मानी जा रही है।



जहां तक उपर्युक्त अन्य पक्ष को पिछले वर्ष में दिये गये ब्याज मुक्त ऋण का सवाल है, पक्ष द्वारा उक्त ऋण अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री आय से ऋण के संवितरण की तिथि से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर चुकाया जाना था। उक्त पक्ष ने दिनांक 28.01.2021 को अपने ईमेल के माध्यम से कंपनी से अनुरोध किया है कि वह पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित समय को दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि या एमओटी के अगले निर्देश तक बढ़ा दे, क्योंकि पक्ष बंद होने की प्रक्रिया के उन्नत चरण में है। अपनी 189वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, ऋण चुकौती के लिए समय अवधि के अनुरोधित विस्तार के संबंध में तथ्यों को बताते हुए और आवश्यक सलाह प्राप्त करने के लिए वस्त्र मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था।

- (घ) हमारे समक्ष प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज के अभाव में, जिसमें उन नियमों और शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया हो, जिन पर पिछले वर्षों में सहायक कंपनी को ऋण और अग्रिम दिये गये थे, हम तुलनपत्र तिथि पर ₹5130.37 लाख के समापन शेष में शामिल 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय राशि को निर्दिष्ट करने में असमर्थ हैं, जिसमें उस तिथि तक अर्जित ₹4047.24 लाख का कुल ब्याज शामिल है। हमें सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार ने सहायक कंपनी को बंद करने की घोषणा की है और यदि कोई वसूली होगी, तो वह सहायक कंपनी द्वारा अपनी परिसंपत्तियों के निपटान के माध्यम से उत्पन्न की जाने वाली निधियों से की जाएगी। एक अन्य पार्टी, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, को दिये गये ब्याज रहित ऋण के संबंध में, मूल रूप से निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर ₹1078.21 लाख की शेष राशि 90 दिनों से अधिक समय से अतिदेय है। जैसा कि पूर्वोक्त है, उक्त पक्ष ने दिनांक 28.01.2021 को अपने ईमेल के माध्यम से कंपनी से अनुरोध किया है कि वह पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित समय को दो वर्ष की अवधि तक या एमओटी के अगले निर्देश तक बढ़ा दे, क्योंकि यह पक्ष बंद होने की प्रक्रिया के उन्नत चरण में है। अपनी 189वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, ऋण पुनर्भुगतान के लिए समय अवधि के अनुरोधित विस्तार के संबंध में तथ्यों को बताते हुए और आवश्यक सलाह प्राप्त करने के लिए वस्त्र मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था।
- (ङ) पहले खंड में जो कहा गया है, उसे छोड़कर, कंपनी ने उन्हीं पक्षों को दिये गये मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नये ऋणों का नवीनीकरण या विस्तार या अनुदान नहीं किया है। अपने नवीनीकरण के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे उक्त ऋण की राशि ₹1078.21 लाख है। वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया।
- (च) कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, जो या तो मांग पर या किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है। जहां तक सहायक कंपनी को पिछले वर्षों में दिये गये ऋणों या ऋण की प्रकृति में अग्रिमों का सवाल है, जिन नियमों और शर्तों पर उन्हें प्रदान किया गया था, वे हमें उपलब्ध नहीं कराये जा सके और इसलिए हम यह मतव्य करने में असमर्थ हैं कि क्या वे मांग पर या किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किये बिना चुकाये जा सकते थे।
- iv) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं दिया, निवेश नहीं किया, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की, जो अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों को आकर्षित करती है।
- v) हमें दी गयी जानकारी के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अर्थ में वर्ष के दौरान जनसाधारण से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और कंपनी लॉ बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी लॉ न्यायाधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी न्यायालय या किसी भी अन्य न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
- vi) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं थी जो अधिनियम की धारा 148 के अधीन लागत अभिलेखों के रखरखाव को आकर्षित करती हो।
- vi) (क) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर उचित अधिकारियों के साथ अपने वर्तमान निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित थी, सिवाय:
- भूमि किराया कटिहार के भुगतान में देरी के लिए जुर्माना: ₹2.81 लाख।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

हालांकि, कई पुराने वैधानिक बकाया लंबे समय से अदत्त पड़े हुए हैं, जिनके लिए कोई उचित विवरण और भुगतान न करने के अन्य स्पष्टीकरण हमें उपलब्ध नहीं कराये जा सके, जिनका विवरण निम्नलिखित अनुसार है:

- क) भविष्य निधि हेतु क्षति (ब्याज सहित): ₹903.05 लाख
- ख) कर्मचारी राज्य बीमा हेतु क्षति (ब्याज सहित): ₹3240.00 लाख
- ग) व्यवसाय कर (ब्याज सहित): ₹70.20 लाख
- घ) अनुषंगी हितलाभ कर: ₹8.92 लाख
- ड) वैट/सीएसटी: ₹18.74 लाख
- च) अन्य दरें और कर: ₹113.56 लाख

इसके अलावा उचित स्पष्टीकरण के लिए किसी भी समर्थित दस्तावेज के अभाव में हम यह पता नहीं लगा सके कि उपर्युक्त वैधानिक बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए कोई विवाद मौजूद है या नहीं।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण 31 मार्च, 2023 तक निम्नलिखित वैधानिक बकाया राशि जमा नहीं की गयी है:

संवधि की प्रकृति	बकाया राशि की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	बकाया राशि (₹ लाख में)	वह अवधि जिससे बकाया राशि संबंधित है
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	उपायुक्त, सेवा कर	0.10	बहुत पुराना
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर, 2003	सीएसटी	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	223.08	2010-11 से 2017-18

viii) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर निर्धारण में वर्ष के दौरान कोई अघोषित आय मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।

ix)(क) हमारे द्वारा जांच की गयी कंपनी की बहियों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने 31.03.2023 तक पश्चिम बंगाल सरकार से लिये गये ऋण ₹1895.15 लाख (ब्याज और उस पर दंडात्मक ब्याज सहित कुल ₹1613.67 लाख) की अदायगी में चूक की है। जैसा कि वित्तीय विवरण के टिप्पण 4(घ) में कहा गया है, कंपनी ने भूमि अधिग्रहण और देय ब्याज में से ₹922 लाख को सॉफ्ट लोन में बदलने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले मुआवजे के तहत मूलधन राशि के समायोजन का अनुरोध किया है। हालांकि, इस संबंध में कोई दस्तावेज हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका। चूंकि ऋण के नियम और शर्तें हमें उपलब्ध नहीं कराये जा सके, इसलिए हम देरी के दिनों की संख्या और नियत तारीख के भीतर भुगतान नहीं की गयी राशि पर मतव्य करने में असमर्थ हैं।

उधार की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	देय तिथि पर भुगतान नहीं की गयी राशि	मूलधन/ब्याज	विलंब के दिनों की संख्या	टिप्पणियां
अरक्षित ऋण	पश्चिम बंगाल सरकार	₹281.48 लाख	मूलधन	1994 से	हमें दी गयी जानकारी के अनुसार कंपनी ने भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे के तहत मूलधन राशि समायोजित करने तथा देय कुल ब्याज में से ₹922 लाख स्प्र को सुलभ ऋण में बदलने का अनुरोध किया है। अभी तक कोई सहमति नहीं मिली है।
वही	वही	₹1613.67 लाख	ब्याज	1994 और उसके बाद के वर्ष	



- (ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित नहीं किया गया है;
- (ग) कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार दोनों से ऋण प्राप्त किया है। हालाँकि, जिन नियमों व शर्तों के अधीन कंपनी ने ऋण प्राप्त किया है तथा जिस उद्देश्य के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, वह हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए, हम यह मतव्य करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण उन उद्देश्यों के लिए लागू किये गये थे जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।
- (घ) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं उठाया है और तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(घ) के अधीन रिपोर्टिंग आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- (ङ) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें समझाया और सूचित किया गया है।
- (च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गयी प्रतिभूतियों की गिरवी पर ऋण नहीं जुटाया है।
- x)(क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार दोनों से ऋण प्राप्त किया है। हालाँकि, जिन नियमों और शर्तों के अधीन कंपनी ने ऋण प्राप्त किया है, जिसमें वह उद्देश्य भी शामिल है जिसके लिए ऐसे ऋण स्वीकृत किये गये थे, हमें उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इसलिए, हम यह मतव्य करने में असमर्थ हैं कि ऋण उन उद्देश्यों के लिए लागू दिये गये थे जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।
- (ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है।
- xi)(क) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें वर्ष के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला है, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे मामले की जानकारी दी गयी है।
- (ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 12 के अंतर्गत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है।
- (ग) वर्ष के दौरान कंपनी को पर्दाफाश करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता है।
- xiii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, और ऐसे लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- xiv) (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी है।
- (ख) चूंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी, इसलिए ऐसी रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाता है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

- xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैरनकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं होता है।
- xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xvi) लागू नहीं होता है।
- xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।
- xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(viii) के अधीन रिपोर्टिंग आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- xix) वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गयी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में लेखापरीक्षक के ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारा यह मत है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार इस बात में अनिश्चितता विद्यमान है कि कंपनी चार मिलों के निपटान के बाद भी, तुलनपत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा उनके देय होने पर पूरा किया जाएगा।
- xx) चूंकि कंपनी ने न तो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची पै में विनिर्दिष्ट कोई फंड बनाया है और न ही उक्त अधिनियम की धारा 135 के अधीन कोई राशि खर्च की है, इसलिए यह पॉइंट कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xxi) चूंकि हमारी रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरणों पर नहीं है, इसलिए इस खंड के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते आर के पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार

सदस्यता संख्या : 059144

यूडीआईएन : 23059144बिजिडव्लिऊ1डव्लिऊवि5111

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 01.12.2023



अनुलग्नक-ख

सेवा में

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 तक **राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड** (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी की गयी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आवश्यक अनुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण (“मार्गदर्शन टिप्पण”) और आईसीएआई द्वारा जारी किये गये ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा की जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माना जाता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग के लिए लागू हैं और दोनों इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किये गये हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पण के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी होगी और उसे निष्पादित करना होगा कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किये गये जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गयी प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि पुराने मामलों को छोड़कर अधिकांश मामलों में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप



से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किये जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अतिप्रभाव की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

सापेक्ष राय

हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी और इसकी इकाइयाँ कई वर्षों से निष्क्रिय बनी हुई हैं, समर्थन में विभिन्न जानकारी और कागजात उपलब्ध नहीं कराये जा सके, इसलिए हम आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लिखेकेपरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में बताये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों, जैसे नियंत्रण वातावरण, जोखिम मूल्यांकन, नियंत्रण गतिविधियाँ, सूचना प्रणाली और संचार और निगरानी पर आधारित मानदंडों पर या उन पर विचार करके वित्तीय रिपोर्टिंग पर इसके आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मतव्य नहीं कर सकते। बोर्ड की रिपोर्ट में जोखिम के तत्वों की पहचान सहित कंपनी के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति भी शामिल नहीं है।

उपर्युक्त अवलोकनों के मद्देनजर, 31.03.2023 तक कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताये गये के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर अपर्याप्त है।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने में ऊपर बतायी गयी सापेक्ष राय पर विचार किया है।

कृते आर के पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार

सदस्यता संख्या : 059144

यूडीआईएन : 23059144बिजिडव्लिऊ1डव्लिऊवि5111

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 01.12.2023

(₹ लाख में)

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405

45



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

		टिप्पणी सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के हेतु
	आय			
1	परिचालन से राजस्व	17	-	-
2	अन्य आय	18	6,277.79	344.00
3	कुल आय (1 + 2)		6,277.79	344.00
	व्यय			
4	(क) उपभोग किये गये कच्चे माल की लागत	19	-	-
	(ख) तैयार माल और कार्यप्रगति पर की वस्तुसूची में परिवर्तन	20	-	-
	(ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय	21	106.64	86.53
	(घ) वित्त लागत	22	36.59	36.36
	(ङ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	9	28.40	34.20
	(च) अन्य व्यय	23	1,182.54	498.05
	कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ+च)		1,354.17	655.14
5	आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (3-4)		4,923.62	(311.14)
6	आपवादिक मदें: वस्तुसूची के मूल्य को लिखें		-	41.99
7	असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (5+6)		4,923.62	(353.13)
8	असाधारण मदें		-	-
9	कर पूर्व लाभ/(हानि) (7-8)		4,923.62	(353.13)
10	कर व्यय			
	(क) चालू कर		1,817.21	-
	(ख) आस्थितिगत कर		-	-
11	वर्ष हेतु लाभ/(हानि) (9+10)		3,106.41	(353.13)
12	आय प्रति इक्विटी शेयर	24		
	(₹ में, प्रत्येक ₹ 1,000/- के इक्विटी शेयर हेतु)			
	मूल		556.73	(63.29)
	मंदित		556.73	(63.29)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

1

अन्य व्याख्यात्मक जानकारी

25

अतिरिक्त विनियामक जानकारी

26

टिप्पणी 1 से 26 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

आर के पटोदी एंड कं.

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार

सदस्यता सं. 059144

यूडीआईएन: 23059144बिजिडविलऊ।डविलऊवि5111

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 01.12.2023

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(प्राजक्ता एल. वर्मा)

निदेशक

डीआईएन: 05117895

(बिमल चंद्र दास)

निदेशक

डीआईएन: 09485570

(मोहिनी वर्मा)

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 52405



31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
अ. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
असाधारण मद और कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		4,923.62	(353.13)
निम्न के लिए समायोजन:			
उधार पर ब्याज	36.59		36.36
मूल्यहास	28.40		34.20
चोरी पर नुकसान	1.84		-
पूर्व अवधि मूल्यहास	-		0.39
लाभांश आय	(0.04)		(0.11)
वस्तुसूची के मूल्य में कमी	-		41.99
स्कैप की बिक्री पर लाभ	(5,761.51)		-
बैंक जमा पर ब्याज आय	(196.14)		(234.63)
सरकारी अनुदान के लिए समायोजन (आरक्षित)	(0.10)	(5,890.96)	(0.10)
			(121.91)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		(967.34)	(475.04)
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम में वृद्धि	165.01		(119.09)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	2.17		132.59
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	48.85		(37.98)
व्यापार प्राप्य में वृद्धि	(30.81)		-
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	6,999.54		(180.70)
दीर्घकालिक प्रावधानों और गैरचालू परिसंपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	1,781.61		(1.44)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से निवल नकद प्रवाह		8,966.37	(206.61)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद (अ)		7,999.03	(681.65)
ब. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह			
सावधि जमा में (वृद्धि)/कमी	(1,076.05)		533.53
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री/(खरीद)	6,081.00		(2.49)
लाभांश आय	0.04		0.11
सावधि जमा पर ब्याज	196.14	5,201.13	237.99
			769.14
निवेश गतिविधियों से निवल नकद (ब)		5,201.13	769.14
स. वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह			
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद (स)		-	-
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+ब+स)		13,200.16	87.49
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		218.87	131.38
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		13,419.03	218.87



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण (जारी)

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
क)	नकद और नकद समकक्षों का घटक				
	(i) बैंक खातों में शेष राशि		13,418.73		40.17
	(ii) नकद हाथ में		0.29		0.09
	(iii) अल्पावधि सावधि जमा		-		178.61
			13,419.02		218.87

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 1
अन्य व्याख्यात्मक जानकारी 25
अतिरिक्त विनियामक जानकारी 26
टिप्पणी 1 से 26 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

आर के पटोदी एंड कं.

सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन: 23059144बिजिडविलरु।डविलरुवि5111

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 01.12.2023

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(प्राजक्ता एल. वर्मा)

निदेशक
डीआईएन: 05117895

(बिमल चंद्र दास)

निदेशक
डीआईएन: 09485570

(मोहिनी वर्मा)

कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण

टिप्पणी-1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

1.1 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम 2014 (संशोधित) के नियम 7 और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में सामान्य स्तर से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये जाते हैं, जो लागू होते हैं। कंपनी लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करती है और आय एवं व्यय को उपाजन के आधार पर पहचानती है।

1.2 संपत्ति, संयंत्र व उपकरण

1.2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ मदों के मामले में, जिनका वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान पुनर्मूल्यांकन किया गया था, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत/पुनर्मूल्यांकित राशि पर दर्शाया गया है। राष्ट्रीयकरण के समय अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को राष्ट्रीयकरण की तिथि पर उनके बही मूल्य पर दर्शाया जा रहा है।

1.2.2 मूल्यहास :

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्धारित अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

1.3 निवेश

कंपनी द्वारा किये गये निवेश गैरचालू निवेश की प्रकृति के हैं और उन्हें राष्ट्रीयकरण की तिथि को बही मूल्य पर या उसके बाद किये गये निवेशों के संबंध में अधिग्रहण/खरीद की लागत पर रखा जा रहा है। गैर-चालू निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान तब किया जाता है जब उसे स्थायी प्रकृति का माना जाता है। वर्तमान निवेश, यदि कोई हो, लागत और उचित मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

1.4 वस्तुसूची

1.4.1 कच्चे जूट का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जो एफआईएफओ आधार पर निर्धारित होता है, या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य जो भी कम हो।

1.4.2 तैयार माल का मूल्यांकन लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। लागत में सभी प्रत्यक्ष लागत और लागू विनिर्माण उपरिव्यय शामिल हैं।

1.4.3 प्रक्रियाधीन कार्य का मूल्यांकन प्रसंस्करण के विशिष्ट चरण के प्रतिशत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य जो भी कम हो, के आधार पर अनुमानित लागत पर किया जाता है।

1.4.4 भंडार और कलपुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

1.5 राजस्व मान्यता

राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो। माल की बिक्री, यदि कोई हो, को तब मान्यता दी जाती है जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल में स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और अधिनिर्णय खरीदार को हस्तांतरित किये जाते हैं। सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व, यदि कोई हो, को ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने पर मान्यता दी जाती है।

1.6 सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी हितलाभ

कंपनी के वेतन पर कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। वर्ष के दौरान सभी कर्मचारी संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे थे। इसलिए किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रदान की थी।



टिप्पणी-1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (जारी...)

उपदान: उपदान के लिए देयता तुलनपत्र की तिथि पर रोल पर मौजूद कर्मचारियों के संबंध में वास्तविक देयता के आधार पर प्रदान की जाती है।

छुट्टी नकदीकरण: छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक देयता के आधार पर प्रदान की जाती है।

1.7 कराधान के लिए लेखांकन

वर्तमान कर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय कर की राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। वर्ष के लिए बही और कर योग्य लाभ के बीच समय के अंतर के लिए आस्थगित कर का लेखा उन कर दरों और कानूनों का उपयोग करके किया जाता है जो तुलनपत्र की तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हैं। समय के अंतर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है और आगे बढ़ाया जाता है कि भविष्य में परिसंपत्तियों की प्राप्ति के बारे में उचित निश्चितता हो।

1.8 प्रावधान

एक प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

1.9 आकस्मिक देयताएँ/परिसंपत्तियाँ

ऐसी आकस्मिकताएँ जो महत्वपूर्ण हैं और जिनके भविष्य के परिणाम को उचित निश्चितता के साथ सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी में टिप्पण के माध्यम से उनका प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो पहचाना जाता है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

1.10 नकद व नकद समकक्ष

नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य से, नकद और नकद समकक्ष में चालू और अल्पकालिक सावधि जमा खातों में नकद और बैंक शेष राशि, यदि कोई हो, शामिल है।

1.11 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में लेनदेन, यदि कोई हो, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर फिर से मापा जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.12 परिसंपत्तियों की हानि

यदि संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की वहन राशि रिपोर्टिंग तिथि पर वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो वहन राशि वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। वसूली योग्य राशि को अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य द्वारा निर्धारित निवल विक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य में से उच्चतर के स्तर में मापा जाता है।

1.13 उधार लागत

विशेषकर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होने वाली उधार लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक विशेषकर परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधार लागत को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।



टिप्पणी-1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (जारी...)

1.14 अनुमानों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी जिसके लिए प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गयी राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करने वाले निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। हालाँकि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्रवाइयों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, लेकिन इन मान्यताओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में परिसंपत्तियों या देयताओं की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

1.15 पट्टे

पट्टों पर लेखांकन मानक 19 लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई भी वित्तीय पट्टा समझौता लागू नहीं है।

1.16 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

कंपनी के पास ऐसी कोई अमूर्त परिसंपत्तियाँ नहीं हैं जिनके बारे में रिपोर्ट करना आवश्यक हो।

टिप्पणी-2 शेयर पूंजी

	(₹ लाख में)	
	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अधिकृत		
₹ 1,000 प्रत्येक के 600000 इक्विटी शेयर (31.03.2021 तक: 600000 इक्विटी शेयर)	6000.00	6000.00
जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से चुकता		
₹ 1,000 प्रत्येक के 557974 इक्विटी शेयर (31.03.2021 तक: 557974 इक्विटी शेयर)	5579.74	5579.74
कुल	5579.74	5579.74

अतिरिक्त जानकारी

क) कुल 557974 शेयरों में से, ₹ 1,000/- प्रत्येक के 366000 इक्विटी शेयर राष्ट्रीयकरण समायोजन खाते के प्रति, नकद में भुगतान प्राप्त किये बिना, पूरी तरह से चुकता शेयरों के रूप में आवंटित किये गये थे।

ख) वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन/संचलन नहीं हुआ है।

ग) कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका अंकित मूल्य ₹ 1,000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट और लाभांश के लिए समान अधिकार प्राप्त है।

घ) तुलनपत्र तैयार होने की तिथि से ठीक पहले पांच वर्षों की अवधि हेतु

i) कंपनी ने नकद भुगतान प्राप्त किये बिना किसी भी अनुबंध के तहत पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई शेयर आवंटित नहीं किया है।

ii) कंपनी ने बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई शेयर आवंटित नहीं किया है।

iii) कंपनी ने कोई शेयर वापस नहीं खरीदा है।

ड) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक:

	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
शेयर धारकों का नाम	शेयरों की संख्या	(%)	शेयरों की संख्या	(%)
माननीय भारत के राष्ट्रपति	557972	99.98	557972	99.98



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-2 शेयर पूंजी (जारी...)

च) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	(%)	शेयरों की संख्या	(%)
भारत के माननीय राष्ट्रपति	557972	99.98	557972	99.98
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	1	0.01	1	0.01
आर्थिक सलाहकार	1	0.01	1	0.01
वर्ष के दौरान परिवर्तनों का प्रतिशत	शून्य	शून्य		

टिप्पणी-3 आरक्षित निधि और अधिशेष

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पूंजी आरक्षित		
सरकारी अनुदान के तहत		
प्रारंभिक शेष	0.79	0.89
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/हस्तांतरित	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग/हस्तांतरित	0.10	0.10
अंतिम शेष	0.79	0.79
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	441.81	441.81
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/हस्तांतरित	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग/हस्तांतरित	-	-
अंतिम शेष	441.81	441.81
लाभ और हानि विवरण में (घाटा)		
प्रारंभिक शेष	(28,873.91)	(28,520.78)
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	3,106.41	(353.13)
अंतिम शेष	(25,767.51)	(28,873.91)
कुल	(25,325.01)	(28,431.31)

अतिरिक्त जानकारी

आरक्षित पूंजी

- क) आरबीएचएम के संबंध में उपर्युक्त निधियों से प्राप्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के समायोजन के बाद अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए वर्ष 1988-89 में बिहार सरकार से प्राप्त अनुदान की शेष राशि ₹150 लाख के तहत और इकाई किन्निसन के संबंध में उपर्युक्त निधियों से प्राप्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के समायोजन के बाद यूएनडी परियोजना के अंतर्गत रिंग स्पिनिंग फ्रेम की स्थापना के लिए वर्ष 1988-89 में आईजेआईआरए से प्राप्त अनुदान की शेष राशि, ₹5.44 लाख के तहत।
- ख) ₹0.01 लाख की सब्सिडी, जो 1982-83 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त अनुदान शेष के रूप में है, जो अधिग्रहण की तिथि से मूल्यहास के समायोजन के बाद इकाई किन्निसन के संबंध में कैपिटल डीजल पावर जनरेशन सेट की स्थापना हेतु ₹6.97 लाख की राशि है। (पिछले वर्ष: ₹0.01 लाख)



टिप्पणी-3 आरक्षित निधि और अधिशेष (जारी...)

ग) राष्ट्रीयकरण की तिथि पर इकाई आरबीएचएम के संबंध में निवेश के बाजार मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर।	0.11	0.11
	0.69	0.79

पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि

इकाई आरबीएचएम के संबंध में कटिहार में स्थित भूमि तथा कलिम्पोंग और फोर्बेसगंज में स्थित भूमि और भवन के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि (1997-98 में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार) और 31.03.1993 को अंकित मूल्य के बीच का अंतर (संदर्भ: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर टिप्पण 9 में अतिरिक्त सूचना संख्या 5 और 6)

441.81	441.81
441.81	441.81

टिप्पणी-4 दीर्घकालिक उधार

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क) अन्य ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		
i) भारत सरकार से	21,571.41	21,571.41
ii) पश्चिम बंगाल सरकार से	281.48	281.48
कुल	21,852.89	21,852.89

अतिरिक्त जानकारी

क) भारत सरकार से अतिरिक्त बजटीय सहायता के स्वरूप में प्राप्त ऋण आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) और बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित एनजेएमसी की पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना के अनुसार ब्याज मुक्त है। कंपनी ने 2018-19 के दौरान बंदी अधिसूचना के अनुसार ₹20000 लाख चुकाये हैं।

ख) कंपनी ने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से उपर्युक्त ऋणों के संबंध में कोई सुरक्षा या कोई गारंटी प्रदान नहीं की है।

ग) कंपनी ने निम्नलिखित के संबंध में ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है:

	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	चूक की अवधि	राशि (₹ लाख में)	चूक की अवधि	राशि (₹ लाख में)
पश्चिम बंगाल सरकार से ऋण :				
i) मूलधन	31.03.1994 से	281.48	31.03.1994 से	281.48
ii) ब्याज	31.03.1994 से	1,613.67	31.03.1994 से	1,308.61
कुल		1,895.15		1,590.09

घ) कंपनी को निम्नलिखित के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से औपचारिक सहमति प्राप्त होना शेष है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर टिप्पणी 9 में अतिरिक्त सूचना 3 में संदर्भित अनुसार उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए प्राप्त होने वाले मुआवजे के तहत ₹281.48 लाख की मूलधन राशि का समायोजन और ₹1613.67 लाख (31.03.2022 को: ₹1308.61 लाख) की उपर्युक्त ब्याज राशि में शामिल ₹922 लाख के उपार्जित ब्याज का बीआईएफआर अनुमोदित योजना के सुलभ ऋण में रूपांतरण।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-5 दीर्घकालिक प्रावधान

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
i) छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	-	-
ii) उपदान हेतु प्रावधान	10.08	10.08
कुल	10.08	10.08

अतिरिक्त जानकारी

- उपदान: चालू वित्त वर्ष के दौरान उपदान का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सभी कर्मचारी अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं।
- छुट्टी नकदीकरण: उपर्युक्त वर्णित आधार पर छुट्टी नकदीकरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालाँकि, भुगतान किये जाने पर वास्तविक भुगतान राजस्व खातों में प्रभावित किया जाता है।

टिप्पणी - 6 व्यापार देय

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
i) माल, व्यय और सेवाओं हेतु लेनदार	1,978.24	1,929.38
ii) व्यापार देय पर दिया गया ब्याज	126.61	126.61
कुल	2,104.85	2,055.99

व्यापार देय का अलग-अलग विवरण और आवधिक अनुसूची:

31.03.2023 को							
विवरण	अबिलकृत व्यापार देय	भुगतान हेतु अदेय व्यापार देय	देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु भुगतान के लिए बकाया व्यापार देय				कुल
			1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य	-	-	123.34	2.48	2.54	1,863.90	1,992.27
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	123.34	2.48	2.54	1,976.48	2,104.85

31.03.2022 को							
विवरण	अबिलकृत व्यापार देय	भुगतान हेतु अदेय व्यापार देय	देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु भुगतान के लिए बकाया व्यापार देय				कुल
			1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य	-	-	76.60	5.08	0.16	1,861.56	1,943.41
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	76.60	5.08	0.16	1,974.14	2,055.99



टिप्पणी-6 व्यापार देय (जारी...)

(₹ लाख में)

iii) ऊपर दर्शाये गये एमएसएमई बकाया ब्योरा :

- क) वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन राशि
ख) पिछले वर्ष के अंत तक बकाया और देय ब्याज
कुल

31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
55.06	55.06
57.52	57.52
112.58	112.58

टिप्पणी-7 अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

- i) सांविधिक बकाया (पीएफ और ईएसआईसी में योगदान, रोके गये कर, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, पीएफ और ईएसआई योगदान पर ब्याज/क्षति, आदि)
ii) अर्जित और देय ब्याज
iii) भुगतान आयुक्त का असंवितरित दावा
iv) कार्यनिष्पादन गारंटी
v) प्रतिभूति जमा/ईएमडी
vi) आईएसडीएस निधि पर ब्याज
vii) पार्टियों से अग्रिम
viii) संपत्ति कर/नगर निगम कर सहित अप्रदत्त दरें और कर
ix) कर्मचारी हितलाभ के लिए देयताएं
x) देय लेखापरीक्षा शुल्क
कुल

31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
4313.80	4536.35
1,613.67	1,308.61
40.29	40.29
57.47	57.47
2,751.58	92.68
19.02	19.02
4405.86	98.83
230.03	242.79
338.80	338.15
1.73	1.92
13,772.26	6,736.13

अतिरिक्त जानकारी

- क) ईएसआई कॉर्पोरेशन और पीएफ कमिश्नर द्वारा दावा किये गये क्रम से ₹3550.11 लाख (पिछले वर्ष ₹3550.11 लाख) और ₹592.24 लाख (पिछले वर्ष ₹592.24 लाख) की क्षति के संबंध में बीआईएफआर अनुमोदित योजना के अनुसार सक्षम अधिकारियों से कंपनी द्वारा मांगी गयी छूट अभी भी लंबित है।
ख) वर्ष के दौरान एनजेएमसी लिमिटेड ने ईएसआई की मांग और माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के तहत ईएसआई बकाया पर ब्याज के रूप में यूनियन और नेशनल मिल को तदर्थ आधार पर ₹284.36 लाख का अंशदान भुगतान किया है। यह भुगतान कंपनी द्वारा ईएसआई क्षति के प्रावधान के रूप में 01.04.2022 तक लेखा पुस्तकों में पड़े हुए ₹3524.19 लाख की अप्रदत्त देयता के प्रति समायोजित किया गया है।
ग) अप्रदत्त संपत्ति कर में 5, अलीपुर रोड, कोलकाता में परिसर के संबंध में प्रदान की गयी देयता शामिल है, जो मुकदमे के अधीन है। इस प्रकार प्रदान की गयी देयता का विवरण निम्नानुसार है:

	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
मूलधन	70.68	66.23
जुर्माना	7.21	7.21
ब्याज	38.58	38.58
कुल	116.47	112.02

- हालाँकि न तो एनजेएमसी कोई भुगतान कर रही है और न ही केएमसी ने कंपनी पर कोई मांग उठायी है, फिर भी उपर्युक्त प्रावधान एहतियाती उपाय के स्तर में किया जा रहा है क्योंकि उक्त संपत्ति का स्वामित्व विवाद में है।
घ) कर्मचारी हितलाभ के लिए देयताओं में वीआरएस, उपदान, एलटीए, बकाया वेतन आदि के कारण देय ₹243.61 लाख (31.03.2022 तक: ₹243.61 लाख) का पुराना बकाया शामिल है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-8 अल्पावधि प्रावधान

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आकस्मिकता हेतु प्रावधान (समाधान के बाद कामगारों को देय उपदान के कारण)	189.08	189.08
कर हेतु प्रावधान	1,817.21	-
कुल	2,006.29	189.08



मूत परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक			मूल्यहास						स्कैप	निवल ब्लॉक	
	31 मार्च, 2022 को	संयोजन (+)	कटौती (-)	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 तक	31.03.2023 के लिए नहीं बिका मूल्यहास	बिक्री मूल्यहास 31.03.2023	बकाया मूल्यहास	बिक्री समेकित मूल्यहास 31.03.2023		नहीं बिका निवल ब्लॉक 31.03.2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) भूमि-मोहोल्ड	605.59	-	-	605.59	-	-	-	-	-	0	605.59	605.59
(ख) भवन और सड़कें	1,003.41	-	-	1,003.41	861.16	11.11	-	-	-	0	131.14	142.25
(ग) संयंत्र और उपकरण	3,730.16	-	2,048.65	1,681.51	3,600.75	9.33	6.96	-	1,992.55	56.10	57.02	129.41
(घ) फर्नीचर और जुड़नार	68.30	-	24.00	44.30	65.51	0.12	0.01	-	23.14	0.86	1.79	2.79
(ङ) वाहन	47.21	-	20.47	26.74	45.29	-	-	-	19.74	0.73	1.19	1.92
(च) कंप्यूटर	68.61	-	32.73	35.88	66.61	0.24	-	-	32.01	0.72	1.03	1.99
(छ) रेलवे साइडिंग/जेटी	1.55	-	1.47	0.08	1.51	-	-	-	1.43	0.04	0.00	0.04
(ज) कार्यालय उपकरण	22.28	-	2.41	19.88	20.36	0.62	0.00	-	2.31	0.09	1.20	1.92
कुल मूत परिसंपत्तियां (अ)	5,547.11	-	2,129.72	3,417.39	4,661.19	21.42	6.98	-	2,071.17	58.55	798.97	885.92
पिछले वर्ष (अ)	5,544.62	2.49	-	5,547.11	4,626.60	34.20	-	0.39	-	-	-	918.02
पूँजी कार्य प्रगति पर	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	-	-	-	24.86
घटायें: प्रावधान	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	-	-	-	24.86
कुल पूँजी कार्य प्रगति पर (ब)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
पिछले वर्ष (ब)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
कुल अवल परिसंपत्तियां (अ+ब)	5,547.11	-	2,129.72	3,417.39	4,661.19	21.42	6.98	-	-	-	-	885.92
पिछले वर्ष (अ+ब)	5,544.62	2.49	-	5,547.11	4,626.60	34.20	-	0.39	-	-	-	918.02

टिप्पणी-9 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रु. लाख में)



टिप्पणी-9 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी...)

अतिरिक्त जानकारी

- 1) भारत सरकार ने 10.10.2018 को एनजेएमसी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार, दिनांक 14.06.2018 को जारी किये गये का. ज्ञा. संख्या डीपीई/5(1)/2014 वित्त (भाग-I) द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बंद किया जाना है। एनजेएमसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की मंजूरी से एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) और मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड को संयंत्र और मशीनरी आदि के निपटान के लिए ईनीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनांक 14.06.2018 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बंद करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अलावा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को निदेशक मंडल की मंजूरी से एनजेएमसी लिमिटेड की परिसंपत्तियों के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन के लिए एलएमए से पहले की गतिविधियों का जिम्मा सौंपा गया है, जो पूरा हो चुका है।
 - 2) संयंत्र और उपकरणों में इकाई एलेक्जेंड्रा से संबंधित 8 अदद हेराकल मशीनें शामिल हैं, जो राष्ट्रीयकरण की तिथि पर किसी तीसरे पक्ष के पास हैं।
 - 3) भूमि में खड़दह इकाई से संबंधित लीजहोल्ड भूमि शामिल है, जिसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका है।
 - 4) भूमि में खड़दह इकाई की 4.48 एकड़ भूमि शामिल है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टीटागढ थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए अधिग्रहित किया है। मुआवजा राशि प्राप्त होने पर आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
 - 5) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उचित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया है। पूर्व के वर्ष में कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में कुछ अभिलेख तैयार किये गये थे, जो अधूरे हैं और कई मामलों में विभिन्न प्रासंगिक जानकारी और परिसंपत्तियों के उचित विवरण का अभाव है। इसके अलावा, इन अभिलेखों का पिछले कई वर्षों से अद्यतन नहीं किया जा रहा है।
 - 6) 20 दिसंबर, 1980 को जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के पास निहित अचल परिसंपत्तियों में 5, अलीपुर रोड, कोलकाता में यूनिट एलेक्जेंड्रा के संबंध में भूमि और भवन शामिल हैं, लेकिन कंपनी के कब्जे में नहीं हैं। यह संपत्ति उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 [I डी एंड आर) अधिनियम, 1951] के अधीन एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड के प्रबंधन के अधिग्रहण की तारीख से पहले ही गिरवी रखी गयी थी और इस तरह के उक्त अधिग्रहण की तारीख को “बिक्री हेतु समझौते” के तहत थी। हालांकि, बिक्री समझौता पूरा नहीं हुआ और प्रबंधन द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत अलीपुर कोर्ट, कलकत्ता में चुनौती दी गई। अंततः 8 सितंबर, 1981 को उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा का एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि अलीपुर कोर्ट में आगे की सभी कार्यवाही रोक दी जाए। इसके बाद बंधककर्ता ने आई (डी एंड आर) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। इसके बाद अलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड को 20.12.1980 से जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अधीन राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और सभी प्रकार के भार से मुक्त होकर इस निगम को परिसंपत्तियां सौंप दी गईं। इसके बाद बंधककर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक और रिट याचिका दायर की।
- जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों और उनकी वैधता को चुनौती देते हुए। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को चुनौती देते हुए बंधककर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा खारिज कर दिया गया है और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित किया गया है।
- स्थायी वकील मैसर्स फॉक्स एंड मंडल की राय है कि परिसर संख्या 5, अलीपुर, कोलकाता केन्द्र सरकार से संबंधित है, जो कि जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 की धारा 6 के अंतर्गत पुनः एनजेएमसी में संनिहित है और एनजेएमसी सभी बंधकों या ग्रहणाधिकार या ऋणभार से मुक्त उक्त संपत्ति का मालिक है। तथापि, एनजेएमसी सभी बंधकों या ग्रहणाधिकार या



टिप्पणी-9 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी...)

ऋणाभार से मुक्त उक्त संपत्ति का मालिक है। तथापि, एनजेएमसी ने एमओटी के निर्देश पर उनके पत्र एफ संख्या 17/16/2006 जेई दिनांक 24/12/2007 के माध्यम राय मांगी है, जिसमें एमओटी ने एनजेएमसी से कानूनी दृष्टिकोण से इस मुद्दे की जांच करने के लिए कहा है। तदनुसार, एनजेएमसी ने विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या ... के माध्यम मामले को विधि, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय के पास भेज दिया है तथा बैरिस्टर श्री अनिंद कुमार मित्रा को पत्र संख्या जेएनएमसी/सीएमडी/8 दिनांक 28/01/2008 के माध्यम से एमओटी को तथा उपर्युक्त मामले पर बैरिस्टर श्री अनिंद कुमार मित्रा को भी अग्रेषित किया गया है। हमारे डीलिंग वकील मैसर्स फॉक्स एंड मंडल की राय के साथ एनजेएमसी/सीएमडी/08/239 दिनांक 3 अप्रैल, 2008 की राय। एमओटी ने अपनी पत्र संख्या 17/1/2006 जेई दिनांक 30 अप्रैल, 2008 के माध्यम से अवगत कराया कि श्री अनिंद कुमार मित्रा, बैरिस्टर और वरिष्ठ अधिवक्ता के साथसाथ विधि एवं न्याय मंत्रालय बेंच सचिवालय, कोलकाता की राय है कि परिसर संख्या 5, अलीपुर रोड का स्वामित्व राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार/ एनजेएमसी में निहित नहीं माना जा सकता। वहीं दूसरी ओर एनजेएमसी की ओर से स्थायी वकील ने अन्यथा राय दी है। एमओटी ने आगे निर्देश दिया कि एनजेएमसी और भारत संघ (एमओटी) की ओर से जवाब में हलफनामों को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में उपर्युक्त बहुमत की कानूनी राय के आधार पर संशोधित किया जा सकता है जिसमें कानून और न्याय मंत्रालय बेंच सचिवालय कोलकाता की यह कानूनी राय शामिल है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम उक्त संपत्ति पर लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि संपत्ति राष्ट्रीयकरण के समय अलेक्जेंड्रा की संपत्ति नहीं थी। हालांकि, हलफनामे जून 2019 को दायर किये गये थे। 2019 में 1981 की रिट याचिका 5292 को बहाल कर दिया गया, हलफनामों का आदान-प्रदान पूरा हो गया और सुनवाई के प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई और प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए खातों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

- 7) आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मैसर्स एसजे कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की 31.03.1993 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, आरबीएचएम इकाई से संबंधित भूमि का मूल्य, जिसका माप 96 बीघा 15 कट्टा, 5 धुर है, को 21.06.2000 को निदेशक मंडल के अनुमोदन से 1999-2000 में ₹373.02 लाख के लिए पूंजीकृत किया गया है।
- 8) भूमि के मूल्य में 4.03 एकड़ भूमि शामिल है जिसका मूल्य ₹41.55 लाख है और भवन के मूल्य में ₹27.24 लाख मूल्य की इमारत शामिल है जो कि कलिम्पोंग और फोर्बेसगंज में आर.बी.एच.एम.इकाई में स्थित है, जैसा कि 31.03.1993 को आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मैसर्स एसजे कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार है, जिसे 24 दिसंबर, 1997 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसे वर्ष 1997-98 के दौरान पूंजीकृत किया गया था।
- 9) भूमि के स्वत्व विलेख, जो आईआईबीआई के पास बंधक रखे गये थे, वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी को प्राप्त हुए हैं। कुछ स्वत्व विलेख फटे हुए हैं तथा उनकी स्थिति बहुत खराब है। इसलिए उनका भौतिक सत्यापन करना संभव नहीं है।
- 10) संयंत्र एवं मशीनरी जिन्हें हटा दिया गया है और/या अप्रचलित घोषित किया गया है, उन्हें उनके बही मूल्य पर चालू परिसंपत्तियों के स्तर में दर्शाया गया है, जिसकी राशि ₹8.14 लाख (पिछले वर्ष ₹10.01 लाख) है, जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

11)	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने एलेक्जेंड्रा और नेशनल, जो सभी बंद इकाइयां हैं, की कुछ अचल परिसंपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया है।	31.03.2017 को सकल ब्लॉक (₹)	31.03.2017 को डब्ल्यूडीवी (₹)
	मिलों का नाम	अचल संपत्तियों का नाम	
	एलेक्जेंड्रा	संयंत्र व मशीनरी	1,48,276.00
	नेशनल	संयंत्र व मशीनरी	37,45,379.30
	कुल		38,93,655.30
			62,907.97



टिप्पणी-9 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी...)

- 12) कंपनी की नेशनल मिल इकाई में पड़ी चल-अचल परिसंपत्तियों के कुछ मद, जिनका कुल बही मूल्य 31.03.2020 तक ₹28422.16 है, वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंधन द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन के समय नहीं पायी गयी थी, जिसके लिए कंपनी द्वारा एफआईआर दर्ज करायी गयी है। सम्मानित सुरक्षा सेवा प्रदाता के साथ मामले के अंतिम निपटान पर इस संबंध में आवश्यक समायोजन किये जाएंगे।
- 13) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.10.2018 को बंद करने की घोषणा की। बंद करने की प्रक्रिया के अंग स्वस्थ प्रीएलएएम कार्य (सभी चल और अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन) एनबीसीसी (आई) लिमिटेड, एक केंद्रीय सरकारी पीएसयू के माध्यम से चल रहा है। यह रिपोर्ट अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में है। अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार किये जाने के बाद, पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव लेखा बहियों में दिया जाएगा।
- 14) रजत इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक द्वारा धारा 36(2) के अधीन ₹1106.76 लाख की राशि को अपने पक्ष में सुरक्षित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किये गये एक आवेदन के अनुसार उच्च न्यायालय के रजिस्टर के साथ प्रदान की गयी राशि जमा करने के लिए एनजेएमसी लिमिटेड को विशिष्ट निर्देश दिये जाने और एनजेएमसी लिमिटेड की संपत्ति की अभिरक्षा के लिए रिसीवर की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की गयी थी, साथ ही एनजेएमसी पर अपनी अचल संपत्तियों के निपटान के लिए निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना की गयी थी। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.02.2022 के माध्यम से उपर्युक्त पार्टी के पक्ष में उक्त आवेदन को अनुमति दी है। एलडी. मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी के खिलाफ पारित अधिनिर्णय की वैधता को चुनौती देकर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अधीन कंपनी ने एक आवेदन किया है।
- 15) पूर्ण स्वामित्व भूमि में आरबीएचएम कटिहार इकाई के संबंध में 15 एकड़ (लगभग) नाप का एक भूखंड शामिल है, जिसका स्वामित्व स्वत्वाधिकार माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के अधीन है।



टिप्पणी-10 गैर-चालू निवेश

31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
संख्या	संख्या			
		(क) इक्विटी लिखत में निवेश सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर गैर उद्धृत		
14415	14415	बर्ड्स जूट एवं एक्सपोर्ट्स लि., साधारण शेयर (अंकित मूल्य ₹100/- प्रत्येक)*	-	-
10	10	बर्ड्स जूट एवं एक्सपोर्ट्स लि., साधारण शेयर (अंकित मूल्य ₹100/- प्रत्येक)*	-	-
			-	-
		सहकारी समितियों में इक्विटी शेयर-गैर-उद्धृत		
250	250	यूनियन नार्थ जूट मिल्स इंग्लैंड कॉर्पोरेटिव स्टोर्स लि., (अंकित मूल्य ₹100/- प्रत्येक)*	-	-
			-	-
		सहयोगी कंपनियों में इक्विटी शेयर — गैर-उद्धृत		
5	5	किन्सिसन जूट मिल्स कं. लि., (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)*	-	-
			-	-
		अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर-उद्धृत		
180	180	डनकंस एग्रो इंडस्ट्रीज लि. (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)	0.01	0.01
111	111	बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)	0.01	0.01
63	63	चेविओट कंपनी लि. (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)*	-	-
			0.02	0.02
		अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर — गैर-उद्धृत		
180	180	हाथीखीरा टी कं. लि., (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
1200	1200	जयपुर उद्योग लि., (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)*	0.02	0.02
95	95	बजबज कं. लि., (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
95	95	डेल्टा जूट एवं इंडस्ट्रीज लि., (अंकित मूल्य ₹4/- प्रत्येक)*	-	-
20	20	द गैंगेस मैनुफैक्चरिंग कं. लि., (अंकित मूल्य ₹100/- प्रत्येक)	-	-
2	2	एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कं. लि., (अंकित मूल्य ₹100/ प्रत्येक)	-	-
26	26	दि एम्पायर जूट कं. लि., (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)	-	-
600	600	विलाई इंडिया लि. 600 सं. (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)*	0.01	0.01
3	3	लॉरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रोपर्टी कं. लि. 3 सं. (अंकित मूल्य ₹100/- प्रत्येक)	0.01	0.01
100	100	वेवरली जूट कं. लि., (अंकित मूल्य ₹50/- प्रत्येक)	0.01	0.01
36972	36972	ब्रितानिया इंजीनियरिंग कं. लि., (परिसमापन में) (अंकित मूल्य ₹100/- प्रत्येक)	-	-
2700	2700	टीटांगढ़ जूट फैक्टरी पीएलसी में 1 पांड का 2700 स्टॉक (अंकित मूल्य ₹1/- प्रत्येक)*	0.11	0.11
			0.18	0.18



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-10 गैर-चालू निवेश (जारी...)

शेयर/प्रतिभूति/बॉण्ड्स/
इकाई की संख्या

(₹ लाख में)

(ख) अधिमन्य शेयरों में निवेश

i) सहायक कंपनी में

143	143	बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि., (अंकित मूल्य ₹100/- प्रत्येक)	0.01	0.01
700	700	जे. एफ. लो एंड कंपनी लि. (अंकित मूल्य ₹100/- प्रत्येक)*	-	-
			<u>0.01</u>	<u>0.01</u>

(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश

3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य ₹700/- परिपक्व)	0.01	0.01
3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य ₹5,300/-)	0.04	0.04
7 वर्षों का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट :		
पुरानी श्रृंखला	0.05	0.05
नयी श्रृंखला	0.15	0.15
पश्चिम बंगाल एस्टेट अधिग्रहण मुआवजा बॉण्ड	0.01	0.01
12 वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्र	0.01	0.01
भारत सरकार 5.5% ऋण 1999 (अंकित मूल्य ₹ 42,500/-)	0.42	0.42
12 वर्ष का राष्ट्रीय रक्षा प्रमाणपत्र	0.01	0.01
12 वर्ष का राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र	0.04	0.04
	<u>0.74</u>	<u>0.74</u>

(घ) डिबेंचर में निवेश – गैर-उद्धृत

ईस्ट इंडियन क्लिनिक लि., 5% गैर प्रतिदेय डिबेंचर	0.36	0.36
	<u>0.36</u>	<u>0.36</u>

कुल

घटाएँ: प्रावधान

	<u>1.31</u>	<u>1.31</u>

कुल

	<u>-</u>	<u>-</u>
*₹1,000/- से कम के बही मूल्य को दर्शाता है।		
उद्धृत गैर चालू निवेश का कुल बही मूल्य	-	-
गैर-उद्धृत गैरचालू निवेश का कुल बही मूल्य		
घटाएँ: प्रावधान	-	-
कुल उद्धृत और गैर-उद्धृत गैर-चालू निवेश	<u>-</u>	<u>-</u>
उद्धृत गैर-चालू निवेश का कुल बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं

अतिरिक्त जानकारी

- (i) कुल निवेशों में से, विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों, ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और जे.एफ. लो एंड कंपनी लिमिटेड में किये गये निवेशों के संबंध में दस्तावेज राष्ट्रीयकरण के बाद से पता लगाने योग्य नहीं हैं। इस मामले को बोर्ड के समक्ष उठाया गया है और इसे फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में शामिल करने की सलाह दी गयी है जो प्रक्रियाधीन है। हालाँकि, लेखा बहियों में पूरा प्रावधान किया गया है।
- (ii) शेयरों के कुल निवेश में दो (2) बंद कंपनियों में निवेश शामिल है, अर्थात् डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और लॉरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड, जिनका कुल बही मूल्य ₹0.02 लाख है, जिसके प्रति पूरा प्रावधान किया गया है।



टिप्पणी-11 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ
बैंक में गैर-चालू सावधि जमा

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
31.03.2023 के बाद परिपक्व होने वाली बैंक में सावधि जमा	-	1781.61
कुल	-	1781.61

टिप्पणी-12 वस्तुसूची

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
क) कच्चा माल (लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो)	115.72		133.58	
जोड़: मार्गस्थ	-	115.72	-	133.58
ख) कार्य प्रक्रिया में (अनुमानित लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो)		24.18		63.38
ग) तैयार माल (लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो)		32.79		162.48
घ) भंडार और कलपुर्जे (लागत पर)	149.85		380.81	
घटाएँ: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	149.85	154.93	225.88
कुल		322.55		585.32

अतिरिक्त जानकारी

कंपनी ने 2015-16 से अपना परिचालन बंद कर दिया है। चालू लेखांकन वर्ष के दौरान आरबीएचएम मिल की ₹262.79 लाख की वस्तुसूची को 29.05.2023 को 198वीं बोर्ड की बैठकमें लिये गये निर्णय के अनुसार स्कैप के रूप में निपटारा गया।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-13 व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया		
क) अरक्षित - अच्छा माना गया	30.81	-
- संदिग्ध माना गया	283.36	283.36
	314.17	283.36
घटाएँ: संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान	283.36	283.36
	30.81	-
ख) अन्य प्राप्य- अच्छा माना गया	-	-
कुल	30.81	-

(₹ लाख में)

31.03.2023 को व्यापार प्राप्तियों का अवधिवार विश्लेषण								
विवरण	बिना बिल के बकाया	बकाया नहीं	प्राप्तियों की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया					
			6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्त - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	30.81	-	-	-	283.36	314.17
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान (विवादित + निर्विवाद)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	30.81	-	-	-	283.36	314.17

31.03.2022 को व्यापार प्राप्तियों का अवधिवार विश्लेषण								
विवरण	बिना बिल के बकाया	बकाया नहीं	प्राप्तियों की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया					
			6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्त - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान (विवादित + निर्विवाद)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36



टिप्पणी-14 नकद एवं बैंक शेष

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क) नकद और नकद समतुल्य		
(i) बैंक खाते में शेष राशि	13,418.73	40.17
(ii) हाथ में नकद	0.29	0.09
(iii) अल्पावधि सावधि जमा	-	178.61
	<u>13,419.02</u>	<u>218.87</u>
ख) अन्य बैंक शेष राशि		
(i) बैंकों के साथ सावधि जमा खातों में:		-
(क) 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले	3,114.01	2,309.06
(ख) 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले	271.10	-
(ग) अन्य सावधि जमा	-	-
(ii) मार्जिन राशि	3.10	3.10
	<u>3,388.21</u>	<u>2,312.16</u>
घटाएँ: मार्जिन राशि के तहत प्रावधान	3.10	3.10
	<u>3,385.11</u>	<u>2,309.06</u>
कुल	<u>16,804.13</u>	<u>2527.93</u>

अतिरिक्त जानकारी

- क) बैंक खातों में शेष राशि में बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाते में पड़े हुए ₹18.10 लाख शामिल हैं, जिसे प्रमाणपत्र अधिकारी, ईएसआईसी ने अपने बकाया के संबंध में कुर्क कर लिया है। (पिछले वर्ष ₹18.10 लाख)।
- ख) ₹3.10 लाख की मार्जिन राशि एक बहुत पुरानी शेष राशि है जिसे बिना किसी विवरण के आगे बढ़ाया जा रहा है। तदनुसार पूरा प्रावधान किया गया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	
क) ऋण एवं अग्रिम			
अरक्षित - अच्छा माना गया (संबंधित पक्ष के अलावा)	1,078.21	1,078.21	
अरक्षित - संदिग्ध माना गया (संबंधित पक्ष हेतु)	5,130.37	4,898.10	
	6,208.58	5,976.30	
घटाएँ: प्रावधान	5,130.37	4,898.10	
	1,078.21	1,078.21	
ख) स्रोत पर आयकर कटौती			
- अच्छी मानी गयी	828.78	780.53	
- संदिग्ध मानी गयी	408.77	408.77	
	1,237.55	1,189.30	
घटाएँ: प्रावधान	(408.77)	(408.77)	780.53
ग) सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा शेष राशि			
अरक्षित - अच्छी मानी गयी	-	-	
- संदिग्ध मानी गयी	12.10	12.10	
	12.10	12.10	
घटाएँ: प्रावधान	(12.10)	(12.10)	
	-	-	
घ) जीएसटी इनपुट क्रेडिट	-	279.14	
घटाएँ: प्रावधान	-	(40.70)	238.44
ड) अन्य			
अरक्षित - अच्छा माना गया	25.38	0.21	
- संदिग्ध माना गया	457.52	457.52	
	482.90	457.73	
घटाएँ: प्रावधान	(457.52)	(457.52)	
	25.38	0.21	
कुल	1,932.37	2,097.39	



टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (जारी...)

अतिरिक्त जानकारी

- क) कंपनी की सहायक कंपनी को दिये गये ऋण और अग्रिमों की कुल राशि, उस पर अर्जित ब्याज सहित, कंपनी की लेखा बहियों के अनुसार 31.03.2023 को ₹5130.37 लाख है (पिछले वर्ष ₹4898.10 लाख)। हालाँकि, सहायक कंपनी से प्राप्त खातों के विवरण के अनुसार, ऐसी राशि कुल मिलाकर ₹5155.90 लाख (पिछले वर्ष ₹4913.30 लाख) है। ऋण और उस पर ब्याज का अंतर एनजेएमसी की ओर से सुलझाया गया है और सहायक कंपनी की ओर से स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। दिये गये अग्रिमों में अंतर को अभी सुलझाया जाना है।
- ख) राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (एनजेएमसी लिमिटेड) ने वर्ष 1990-91 तक बडर्स जूट एंड एक्सपोर्टर्स लिमिटेड (बीजेईएल) को ₹216.07 लाख का ऋण वितरित किया जिसमें से वर्ष 1991-92 में ₹40 लाख वसूल किये गये और वर्ष 2010-11 में फिर से ₹251.42 लाख तथा वर्ष 2013-14 में पुनः ₹50 लाख वितरित किये गये। इस प्रकार, वर्ष 2013-14 से बकाया ऋण राशि ₹477.49 लाख है। जैसा कि 23 दिसंबर 1991 को आयोजित एनजेएमसी लिमिटेड की बोर्ड बैठक में संकल्प लिया गया था, उक्त ऋण पर ब्याज, मौजूदा और भविष्य के ऋणों पर संबंधित लेखांकन वर्षों की अंतिम तिथि पर प्रचलित बैंक दर पर प्रभारित किया जाना था। यह देखा गया है कि संवितरण से लेकर वर्ष 2014-15 तक की अवधि के दौरान ऋण की कुल राशि ₹477.49 लाख और उस पर लगाया गया ब्याज अलग-अलग वर्षों में ₹398.63 लाख के समायोजन के बाद ₹3292.88 लाख होता है, जिसकी पुष्टि बीजेईएल ने वर्ष 2014-15 के अपने वार्षिक खातों में की है। चूंकि ब्याज चक्रवृद्धि आधार पर लिया जा रहा था, इसलिए ब्याज का बोझ साल दर साल बढ़ता गया और सहायक कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वसूली अनिश्चित हो गयी थी, जिसने लंबे समय से कोई भी राशि नहीं चुकायी थी। उपर्युक्त स्थिति पर विचार करते हुए, यह प्रस्ताव किया गया कि ₹3292.88 लाख के ब्याज की राशि को भविष्य के वर्षों में उसी पर चक्रवृद्धि दर पर आगे ब्याज की गणना के लिए स्थिर रखा जाए, जो केवल सहायक कंपनी के साथसाथ नियंत्रक कंपनी की बहियों पर बोझ डालेगा। वर्ष 2015-16 से मूलधन पर ब्याज सहित ₹259.23 लाख की सीमा तक ब्याज लगाया गया है, जिसमें पिछले वर्षों के लिए ₹96.46 लाख और चालू वर्ष के लिए ₹162.77 लाख का अंतर ब्याज शामिल है।
- ग) प्रतिभूति जमा में ₹1.87 लाख की राशि शामिल है, जिसे बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना में नुकसान की छूट के प्रावधान के साथ-साथ डब्ल्यू.पी. संख्या 471(डब्ल्यू)/2016 के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण के अस्तित्व के बावजूद भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा वसूल किया गया है। खातों में पूरे ₹1.87 लाख का प्रावधान किया गया है।
- घ) अन्य में शामिल हैं
- खड़दह इकाई के संबंध में ₹11.33 लाख (पिछले वर्ष ₹11.33 लाख) की राशि जो 1982-83 में रेलवे माल के जमा/भुगतान के दुरुपयोग के दौरान धन का प्रतिनिधित्व करती है। मामला विचाराधीन है। हालाँकि, खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।
 - नेशनल इकाई के संबंध में ₹24.00 लाख (पिछले वर्ष ₹24.00 लाख) की राशि नेशनल कंपनी लिमिटेड जूट मिल वर्क्स प्रोविडेंट फंड के ट्रस्टियों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में भुगतान की गयी, ताकि ब्रोकरों से प्रतिभूतियों की प्राप्ति न होने के कारण फंड को होने वाले ब्याज हानि को कवर किया जा सके, इस शर्त पर कि ब्रोकरों से प्राप्त की जाने वाली उक्त प्रतिभूतियों से प्राप्त आय को उक्त ऋण की वापसी के लिए विनियोजित किया जाएगा। चूंकि आय अभी तक वसूल नहीं हुई है, इसलिए कोई समायोजन नहीं किया गया और खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।
 - नेशनल इकाई से संबंधित ₹32.76 लाख (पिछले वर्ष ₹32.76 लाख) की राशि और ₹2.24 लाख (पिछले वर्ष ₹2.24 लाख) की राशि क्रम से तैयार माल के स्टॉक के मूल्य के प्रति दावे का शेष और 31 अगस्त, 1986 को आग से नष्ट हुई अचल संपत्तियों के मूल्य के प्रति दावे का शेष है। उपर्युक्त शेष राशि को अस्वीकार करने के बाद नेशनल इश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा दावे का अंततः निपटान किया गया। कंपनी ने मामले को दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विवादों के निपटान के लिए दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यक रूप से मध्यस्थ को आगे भेजने के लिए संबंधित मंत्रालय, नयी दिल्ली को भेजा। मामला अभी तक हल नहीं हुआ है और इसके लिए खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (जारी...)

- iv) कंपनी के अधिकारियों को वीआरएस पैकेज के लिए ₹10.39 लाख की अग्रिम राशि दी गयी है। खातों में ₹10.39 लाख की पूरी राशि के लिए प्रावधान किया गया है।
- v) ₹238.45 लाख (पिछले वर्ष ₹164.56 लाख) का जीएसटी निविष्टि क्रेडिट अच्छा माना गया है क्योंकि इसे भविष्य की जीएसटी देनदारियों के खिलाफ समायोजित किये जाने की उम्मीद है।
- vi) पिछले वर्ष किये गये लेनदेन के कारण बीजेईएल से ₹5130.37 लाख की राशि प्राप्त होने वाली है और खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।
- vii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹1200.00 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया है। यह ऋण भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा अपनी पत्र संख्या एफ. सं. 21/2/2018/एचएचईसी/पीएसयू दिनांक 03.07.2018 के मार्फत दिये गये निर्देश के आधार पर दिया गया था। 31.03.2023 को बकाया राशि ₹1078.21 लाख थी। एमओयू की शर्त के अनुसार ऋण की अदायगी ऋण वितरण की तारीख से 2 साल के भीतर कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री से की जाएगी।

ड) स्रोत पर आयकर कटौती (टीडीएस) की राशि ₹1219.33 लाख है। उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	टीडीएस की राशि (₹ लाख में)
पुराना जमा शेष राशि		13.10
2014-15	2015-16	167.73
2015-16	2016-17	161.76
2016-17	2017-18	412.38
2017-18	2018-19	173.19
2018-19	2019-20	130.52
2019-20	2020-21	54.51
2020-21	2021-22	28.01
2021-22	2022-23	31.46
2022-23	2023-24	46.68
कुल		1219.33

पिछले कर निर्धारण वर्षों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर वापसी तथा उस पर देय ब्याज को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 के संबंध में बकाया मांगों के तहत विभाग द्वारा समायोजित किया जा रहा है। ऐसी मांग के संबंध में विवरण/दस्तावेज कंपनी द्वारा नहीं खोजे जा सके। तदनुसार, कंपनी ने इस मामले को क्षेत्राधिकार वाले आयकर प्राधिकरण के समक्ष उठाया, जिसने प्रासंगिक आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, जिसके तहत उक्त कर निर्धारण वर्ष के लिए मांग उठायी गयी थी तथा कंपनी को सीपीसी बेंगलोर से संपर्क करने की सलाह दी गयी।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन सीपीसीबेंगलोर से भी संपर्क किया गया, जिनसे अभी तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी इस मामले से उचित तरीके से निपटने का इरादा रखती है तथा आयकर विभाग से आवश्यक जानकारी/विवरण प्राप्त करने के बाद इस संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।



टिप्पणी-16 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	
क) जमा राशि पर अर्जित ब्याज	1.80	4.81	
घटाएँ: प्रावधान	1.80	1.80	3.01
ख) प्रतिभूति जमा राशि			
अरक्षित - अच्छा माना गया	44.84	44.84	
- संदिग्ध माना गया	11.47	11.47	
	56.31	56.31	
घटाएँ: प्रावधान	(11.47)	(11.47)	
	44.84	44.84	
ग) अन्यान्य	226.12	227.48	
घटाएँ: प्रावधान	(158.71)	(160.91)	
	67.41	66.57	
कुल	112.25	114.42	

टिप्पणी-17 प्रचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
जूट उत्पादों की बिक्री	-	-
अन्य प्रचालन राजस्व	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-18 अन्य आय

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क) ब्याज आय		
बैंक जमा से ब्याज	196.14	234.63
सहायक कंपनी को दिये गये ऋण पर ब्याज आय	259.23	88.34
	455.37	322.97
ख) अन्य गैर-प्रचालन आय	5,822.42	21.03
कुल	6,277.79	344.00

अतिरिक्त जानकारी

क) भारत सरकार ने एनजेएमसी लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए ₹48,362 लाख का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है। इसमें से 31.03.18 तक ₹41,571.41 लाख की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें से बची हुई राशि को फिलहाल बैंक में सावधि जमा में निवेश किया गया है। इस पर अर्जित ब्याज को 2011-12 से लगातार कंपनी की आय माना जा रहा है। 31 मार्च, 2016 को जारी ₹144.00 लाख की आईएसडीएस निधि भी सावधि जमा में निवेश की गयी है। यह ब्याज भी ऊपर दर्शाये गये बैंक जमा से ब्याज आय में शामिल है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-18 अन्य आय (जारी...)

ख) अन्य गैर-प्रचालन आय में शामिल हैं

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
i) सरकारी अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास समायोजन	0.10	0.10
ii) सीईएससी से ब्याज	-	0.85
iii) स्क्रेप की बिक्री पर लाभ	5,761.51	-
iv) वापस लिखित प्रावधान	44.40	2.15
v) आय कर वापसी पर ब्याज	1.57	14.63
vi) अन्य	14.79	1.81
vii) प्राप्त लाभांश	0.04	0.11
viii) प्राप्त बीमा दावा	- 5,822.42	1.37 21.03
कुल	5,822.42	21.03

टिप्पणी-19 उपभोग किये गये कच्चे माल की लागत

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक स्टॉक	133.58	138.57
घटाएँ: वस्तुसूची के मूल्य के स्क्रेप के रूप में लिखें/स्थानांतरित करें	17.86 115.72	4.99 133.58
जोड़ें: खरीद	-	-
	115.72	133.58
घटाएँ: समापन स्टॉक	115.72	133.58
खपत किये गये कच्चे माल की लागत (प्रक्रिया हानि सहित)	0.00	-

अतिरिक्त जानकारी

- खपत किये गये कच्चे माल में शामिल हैं:
कच्चा जूट
- स्वदेशी

- 100%

आरबीएचएम कटिहार मिल की चल परिसम्पत्तियां वर्ष के दौरान निपटान दी गयी हैं, वस्तुसूची चार्ज ऑफ कर दिया गया है। इसलिए कच्चे माल की कोई खपत नहीं हुई है।



टिप्पणी-20 कार्यप्रगति में और तैयार माल की वस्तुसूची में परिवर्तन

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष की शुरुआत में वस्तुसूची		
भंडार और कलपुर्जे	225.88	225.88
तैयार माल	162.48	199.48
कार्य प्रक्रिया में	63.38	63.38
	451.74	488.73
घटाएँ: स्क्रेप के रूप में तैयार माल की वस्तुसूची के मूल्य की बिक्री	244.92	37.00
	206.83	451.74
साल के अंत में वस्तुसूची		
भंडार व कलपुर्जे	149.85	225.88
तैयार माल	32.79	162.48
कार्य प्रक्रिया में	24.18	63.38
	206.83	451.74
कुल	0.00	-

टिप्पणी-21 कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन	102.96	83.32
भविष्य निधि व अन्य निधि में अंशदान	2.49	2.46
कर्मचारी कल्याण व्यय	1.20	0.75
कुल	106.64	86.53

टिप्पणी-22 वित्त लागत

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
पश्चिम बंगाल सरकार से उधार पर व्याज	36.59	36.36
कुल	36.59	36.36



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-23 अन्य व्यय

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
		(₹ लाख में)
किराया	16.80	16.78
दरें और कर	4.61	9.92
वृत्तिक प्रभार	4.70	2.18
कार भाड़ा प्रभार	4.38	6.93
यात्रा और परिवहन	14.61	7.17
संचार	0.26	0.42
मुद्रण और लेखन सामग्री	1.14	1.84
कंप्यूटर व्यय	0.61	0.60
बीमा - नैगम व शाखा	22.48	21.88
नगर निगम व संपत्ति कर - शाखा	18.00	27.43
मरम्मत व नैगम - अन्य	5.54	13.22
मरम्मत व कार्यालय अनुरक्षण - शाखा	0.50	1.70
सुरक्षा व्यय - नैगम	1.44	1.24
सुरक्षा व्यय - शाखा	480.63	270.09
बिजली प्रभार - नैगम	4.12	3.84
बिजली प्रभार - शाखा	12.70	12.25
सामान्य व्यय - शाखा	6.41	2.71
उत्पाद शुल्क, बिक्री कर आदि मांग पर भुगतान - शाखा	-	4.92
अन्य सामान्य व्यय - शाखा	3.38	1.14
पीएफ प्रशासनिक व्यय - शाखा	0.00	0.54
अपसामान्य हानि (चोरी)	1.84	-
विधिक प्रभार	13.60	2.61
बैंक प्रभार	0.08	0.12
संदिग्ध व्यापार और अन्य प्राप्तियों हेतु प्रावधान	232.28	79.50
पूर्व अवधि मद (शुद्ध)	268.52	0.51
विविध व्यय	5.05	5.14
देरी से भुगतान पर ब्याज और जुर्माना	-	1.06
विज्ञापन	0.32	0.07
एमएसटीसी सेवा प्रभार	55.81	-
	1,179.81	495.83



टिप्पणी-23 अन्य व्यय (जारी...)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ लाख में)
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक :		
क) सांविधिक लेखापरीक्षक :		
i) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.37	1.37
ख) अन्य लेखापरीक्षक		
i) कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.36	0.36
ii) अन्य लेखापरीक्षा शुल्क (पीएफ)	1.00	0.49
	2.73	2.22
कुल	1,182.54	498.05

अतिरिक्त जानकारी

i) पूर्व अवधि मदों में शामिल हैं:

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ लाख में)
पूर्व अवधि व्यय	268.52	0.12
मूल्यहास	-	0.39
कुल	268.52	0.51

टिप्पणी-24 आय प्रति शेयर

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ लाख में)
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कर पश्चात		
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	3,106.41	(353.13)
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	557974	557974
आय प्रति शेयर (₹) - मूल	556.73	(63.29)
आय प्रति शेयर (₹) - मंदित	556.73	(63.29)



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-25 : अन्य व्याख्यात्मक जानकारी

- भारत सरकार ने 10.10.2018 को एनजेएमसी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार, दिनांक 14.06.2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/5(1)/2014 वित्त (भाग) के तहत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बंद किया जाना है।

निर्देश के अनुसार, ब्याज मुक्त ऋण के पुनर्भुगतान के लिए भारत सरकार को ₹20,000 लाख वापस कर दिये गये हैं।

एनजेएमसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ अचल परिसंपत्तियों के निपटान के लिए भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को नियुक्त किया गया है और चल परिसंपत्तियों के निपटान के लिए नीलामी एजेंसी के रूप में मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। डीपीई दिशानिर्देशों दिनांक 14.06.2018 और 31.10.2022 के अनुरूप बंद करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को परिसंपत्तियों के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन के लिए एलएमए पूर्व गतिविधियों के लिए सौंपा गया है। एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत एलएमए पूर्व रिपोर्ट को एनजेएमसी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा चल और अचल (भवन और संरचनाएं) के निपटान की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

- इन वित्तीय विवरणों में कॉर्पोरेट कार्यालय की इकाइयों और कंपनी की 6 मिलों अर्थात् किन्सिन, आरबीएचएम, खड़दह, नेशनल, यूनियन और एलेक्जेंड्रा से संबंधित खाते शामिल हैं।
- संबंधित पार्टी लेनदेन
 - संबंधित पार्टियों का विवरण :

संबंधों का विवरण	संबंधित पार्टियों का नाम
नियंत्रण पार्टी	भारत के महामहिम राष्ट्रपति
सहायक कंपनी	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री मलय चंदन चक्रवर्ती (सीएमडी)
	सुश्री मोहिनी वर्मा (सीएस)

प्रबंधन द्वारा संबंधित पार्टियों की पहचान कर ली गयी है

- 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण और 31 मार्च 2022 को बकाया शेष राशि :

क) सहायक कंपनी के साथ :

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
सहायक कंपनी के साथ : दिये गये ऋणों पर ब्याज	259.23	88.34
मुख्य प्रबंधन कार्मिक के साथ : भुगतान किया गया पारिश्रमिक	4.49	3.10
वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों के पास बकाया शेष राशि :		
स्वीकृत ऋण और अग्रिम राशि	5130.37 नामे	4898.10 नामे
सेवाओं के लिए लेनदार	0.10 जमा	0.10 जमा
व्यापार प्राप्य	23.56 नामे	23.56 नामे
ब्रोकरेज के लिए लेनदार	0.28 जमा	0.28 जमा
सेवाओं के लिए लेनदारों को अग्रिम	3.33 नामे	3.33 नामे

उपर्युक्त शेष राशि के तहत प्रावधान टिप्पण संख्या 15(क) में उल्लिखित है।



टिप्पणी-25: अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जारी...)

ख)	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों के साथ: कंपनी सचिव के रूप में भुगतान किया गया पारिश्रमिक	4.49	3.10

- 4) कर्मचारी हितलाभ व्यय में निदेशक का पारिश्रमिक शामिल है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
पी.एफ. फंड में योगदान	शून्य	शून्य
उपदान	शून्य	शून्य

(₹ लाख में)

5)	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय/प्रेषण	शून्य	शून्य
ख)	विदेशी मुद्रा में आय	शून्य	शून्य

- 6) कंपनी के पास वर्ष के अंत में निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति है। हालांकि, पिछले कई वर्षों में हुए भारी घाटे और कंपनी द्वारा विनिर्माण गतिविधियों के निलंबन को देखते हुए, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को विवेक के मामले के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है क्योंकि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके तहत ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को समायोजित किया जा सकता है।
- 7) कंपनी ने लेखांकन मानक 28 के अनुसार अपनी अचल संपत्तियों पर नुकसान हानि का आकलन नहीं किया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-25 : अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जारी...)

8) विवादित देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:

क्र. स.	विवरण	31 मार्च, 2023 का	31 मार्च, 2022 का
क)	i) कंपनी के खिलाफ दावों को यूनिट किन्सिन के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रति ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	16.43	16.43
	ii) पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर प्राधिकरण और बिहार वाणिज्यिक कर प्राधिकरण द्वारा कंपनी के खिलाफ दावा 'सी' प्रपत्र जमा न करने के संबंध में, कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया और तदनुसार अपील की गयी। (वित्तीय वर्ष 2010-11 ₹0.003 वित्तीय वर्ष 2011-12 किन्सिन ₹0.002 लाख, खड़दह ₹2.88 लाख, वित्तीय वर्ष 2012-13 किन्सिन ₹43.96 लाख, खड़दह ₹38.04 लाख, वित्तीय वर्ष 2013-14 किन्सिन ₹67.02 लाख, खड़दह ₹40.18 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 किन्सिन ₹27.47 लाख, वित्तीय वर्ष 2015-16 किन्सिन ₹3.18 लाख एवं 0.01 लाख, वित्तीय वर्ष 2017-18 खड़दह ₹0.11 लाख एवं किन्सिन ₹0.22 लाख)	223.09	223.09
	iii) सेवा कर मांग	0.10	0.10
	iv) कर निर्धारण वर्ष 1990-91, 2007-08 और 2009-10 के संबंध में आयकर पोर्टल पर प्रदर्शित ब्याज की मांग, जो कंपनी के अनुसार सही नहीं है और जिसके लिए कंपनी ने न्यायिक आयकर प्राधिकरण के समक्ष मामला उठाया है, जिन्होंने सूचित किया कि उन्हें मांग के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और कंपनी को सीपीसी-बैंगलोर के समक्ष मामला उठाने की सलाह दी है। तदनुसार एनजेएमसी लिमिटेड ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन स्पष्टीकरण मांगा। एनजेएमसी लिमिटेड को अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।	676.17	676.17
	v) आयकर पोर्टल पर प्रदर्शित टीडीएस चूक और उस पर ब्याज के कारण उठायी गयी मांगें।	1.59	1.59
	कुल	917.38	917.38



टिप्पणी-25: अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जारी...)

9) आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं जिनका प्रावधान नहीं है

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को*	31 मार्च, 2022 को
i)	इस निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम देने के लिए निगम द्वारा एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड को दी गयी गारंटी	-	0.97
ii)	कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा बिक्री कर प्राधिकरण को जारी की गयी गारंटी	-	0.50
iii)	कंपनी के पूर्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किये गये दावे	राशि निश्चित नहीं	राशि निश्चित नहीं
iv)	कंपनी के लेनदारों द्वारा मांगे गये ब्याज के दावे विभिन्न कानूनी मंचों के समक्ष लंबित हैं	राशि निश्चित नहीं	राशि निश्चित नहीं

* सभी कर्मचारियों को 2011 या उससे पहले वीआरएस दिया गया है। वर्तमान में एनजेएमसी लिमिटेड में वेतन पर कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए इस स्थिति की प्रासंगिकता समाप्त हो गयी है।

10) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी
साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन: 23059144विजिडविलऊ1डविलऊवि5111

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 01.12.2023

(प्राजक्ता एल. वर्मा)
निदेशक
डीआईएन: 05117895

(बिमल चंद्र दास)
निदेशक
डीआईएन: 09485570

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-26 : अतिरिक्त विनियामक सूचना

(i) कंपनी के नाम पर न रखी गयी अचल परिसंपत्तियों का स्वत्व विलेख

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 18एए की उपधारा (1) के खंड (ए) के अधीन छह बीमार निजी क्षेत्र की जूट विनिर्माण कंपनियों का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिया गया और उसके बाद सक्षम कानूनों के माध्यम से इन कंपनियों की सभी संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों का स्वामित्व केंद्र सरकार में संहित कर दिया गया। राष्ट्रीय जूट मिल का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन किया गया था तथा शेष पांच कंपनियों का राष्ट्रीयकरण जूट कंपनियां (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अधीन किया गया था। इन राष्ट्रीयकृत कंपनियों का स्वामित्व एनजेएमसी लिमिटेड को दिया गया था, जो 3 जून 1980 को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनायी गयी एक नयी कंपनी थी। (राष्ट्रीय जूट मिल 10 जून, 1980 से प्रभावी है तथा शेष पांच मिलें 21 दिसंबर, 1980 से प्रभावी हैं)। एनजेएमसी लिमिटेड के नाम पर न रखी गयी अचल संपत्तियों के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

कंपनी के नाम पर न रखी गयी अचल संपत्तियों का विवरण						
तुलनपत्र में प्रासंगिक मदों के अनुरूप	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम में स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
संपत्ति संयंत्र व उपकरण	भूमि - यूनिट एलेक्जेंड्रा	₹ 134752 में शामिल है, जो एफएआर में उल्लिखित है, अलग से पता लगाने योग्य नहीं है	एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	हालांकि जूट कंपनी राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अनुसार सभी उल्लिखित संपत्तियां एनजेएमसी लिमिटेड में संहित थीं, लेकिन एनजेएमसी के नाम पर उनका हस्तांतरण अभी भी लंबित है।
	भूमि - यूनिट एलेक्जेंड्रा	₹ 4,86,332.00	मैकिन्नॉन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड*	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट नेशनल	₹ 3,183.01	मयारानी देवी	लागू नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - यूनिट नेशनल	₹ 240384.99 में शामिल है, जो एफएआर में उल्लिखित है, अलग से पता लगाने योग्य नहीं है	नेशनल जूट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - यूनिट किन्सिन	₹ 7911000 में शामिल है, जो एफएआर में उल्लिखित है, अलग से पता लगाने योग्य नहीं है	द किन्सिन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट किन्सिन		द केबल चुट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट खड़दाह	₹ 515136.00	खरदाह कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट आरबीएचएम	₹ 2700000.00	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन (पट्टा)	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	इमारत - अलीपुर रोड	₹ 200000.00	मैकिन्नॉन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड.*	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	

* अलीपुर रोड, कोलकाता में संपत्ति पर शीर्षक मुकदमेबाजी के अधीन है



टिप्पणी-26: अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी...)

- ii) कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
iii) पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि विनिर्दिष्ट किये बिना संबंधित पक्षों को दिये गये ऋण और अग्रिमों का विवरण :

उधारकर्ता का प्रकार	व्यक्तिगत रूप से या अन्य के साथ संयुक्त रूप से दिये गये ऋण/अग्रिम। (व्यक्तिगत रूप से/संयुक्त रूप से)	मांग पर चुकाये जाने योग्य	चुकोती की शर्तें/अवधि विनिर्दिष्ट है	31 मार्च 2023		31 मार्च 2022	
				तुलनपत्र की तिथि पर बकाया राशि (ब्याज सहित)	% का कुल	बकाया राशि (ब्याज सहित)	% का कुल
प्रवर्तक							
निदेशक							
केएमपी							
संबंधित पक्ष	सहायक कंपनी को	हाँ	नहीं	5130.37	82.63%	4898.10	81.96%

iv) पूंजी कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) पूंजी कार्य प्रगति पर हेतु, निम्नलिखित अवधि निर्धारण अनुसूची दी जाएगी:

सीडब्ल्यूआईपी अवधि निर्धारण अनुसूची

क) अवधि निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2023 को				
	निम्न अवधि हेतु सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएँ स्थगित				-	-
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ					-
कुल					-

सीडब्ल्यूआईपी	31 मार्च 2022 को				
	निम्न अवधि हेतु सीडब्ल्यूआईपी में राशि				Total
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएँ स्थगित				24.86	24.86
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ					-
कुल					24.86

मंत्रिमंडल द्वारा बंद घोषित किये जाने के कारण संपूर्ण सीडब्ल्यूआईपी को निलंबित माना गया है तथा बहियों में 100 प्रावधान किया गया है।

- v) कंपनी के पास विकास के अंतर्गत कोई अमूर्त परिसंपत्तियां नहीं हैं।
vi) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है तथा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन कंपनी के प्रति कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ या लंबित नहीं है।
vii) कंपनी के पास चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-26 : अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी...)

viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ix) हटायी गयी कंपनियों के साथ संबंध

हटायी गयी कंपनी का नाम	हटायी गयी कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	हटायी गयी कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना है	31.03.2023 को बकाया शेष राशि	31.03.2022 को बकाया शेष राशि
डंकन एगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेशित कंपनी	0.01	0.01
लॉरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड	इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेशित कंपनी	0.01	0.01
लागू नहीं	प्राप्तियां	लागू नहीं	0	0
लागू नहीं	देय	लागू नहीं	0	0
लागू नहीं	हटायी गयी कंपनी द्वारा धारित शेयर	लागू नहीं	0	0
लागू नहीं	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किये जाने बाबत)	लागू नहीं	0	0



टिप्पणी-26: अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी...)

- x) कोई पंजीकृत प्रभार लंबित नहीं है या आर.ओ.सी. से संतुष्ट नहीं है।
- xi) कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 87 के अधीन निर्धारित परतों की संख्या से परे कोई निवेश नहीं किया है।
- xii) वित्तीय अनुपात: टिप्पणी-26 के अनुबंध क को देखें।
- xiii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यवस्था की योजना में प्रवेश नहीं किया है।
- xiv) (क) कंपनी ने किसी भी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित में दर्ज हो या अन्यथा) अग्रिम, ऋण या निवेशित निधियां (उधार ली गई निधियां या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियां) नहीं दी हैं कि मध्यस्थ को:
- (i) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा (अंतिम) लाभार्थी) या
- (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना;
- (ख) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधि देने वाली पार्टी) शामिल हैं, इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी:
- (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से निधि देने वाली पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उनकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या
- (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करेगी।
- xv) कंपनी के पास कोई अघोषित आय नहीं है जो खाता बही में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण (जैसे, तलाशी, सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में वर्ष के दौरान आय (पिछले वर्ष शून्य) के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।
- xvi) सीएसआर गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xvii) कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभाषी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091इ

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन: 23059144बिजिडब्लिऊ1डब्लिऊवि5111

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 01.12.2023

(प्राजक्ता एल. वर्मा)
निदेशक
डीआईएन: 05117895

(बिमल चंद्र दास)
निदेशक
डीआईएन: 09485570

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-अतिरिक्त विनियामक जानकारी (अनुलग्नक-ए)

अनुपात

अनुपात	सूत्रों	अंश में शामिल मदें	भागक में शामिल मदें	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	% भिन्नता(रैं)	अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो
1. वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियाँ/वर्तमान देयताएँ	वस्तुसूची, व्यापार प्राप्तियाँ, नकद और बैंक शेष, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	व्यापार देय, अन्य वर्तमान देयताएँ, अल्पकालिक प्रावधान	1.07	0.59	81.10	31.03.2023 को चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि के चलते मुख्य रूप से नकद और बैंक शेष में
2. ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण/शेयरधारक निधि	दीर्घकालिक उधार	शेयर पूंजी, आरक्षित और अधिशेष	(1.11)	(0.96)	15.73	लागू नहीं
3. ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय/(ब्याज + मूलधन चुकोती)	ब्याज और कर पूर्व लाभ + गैर नकद व्यय और परिशोधन	मूलधन + ब्याज और पट्टा भुगतान	-	-	-	लागू नहीं क्योंकि कोई अल्पकालिक उधार नहीं है और दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता है।
4. इक्विटी अनुपात पर वापसी (%)	निवल आय/शेयरधारकों की इक्विटी	कर पश्चात निवल लाभ अधिमान लाभश	औसत शेयरधारक इक्विटी	-	-	-	लागू नहीं क्योंकि शेयरधारक का निधि नकारात्मक है।
5. वस्तुसूची कारोबार अनुपात	सीओजीएस/औसत वस्तुसूची	सीओजीएस या विक्री	औसत वस्तुसूची	-	-	-	लागू नहीं क्योंकि दोनों वर्षों में माल की विक्री नहीं हुई है।
6. व्यापार प्राप्तियाँ कारोबार अनुपात	निवल ऋण विक्री/औसत खाता प्राप्य	निवल क्रेडिट विक्री	औसत खाते प्राप्य	-	-	-	लागू नहीं क्योंकि दोनों वर्षों में कोई विक्री कारोबार नहीं हुआ है।
7. व्यापार देय कारोबार अनुपात	निवल ऋण खरीद/औसत खाता देय	निवल क्रेडिट खरीद	औसत खाते देय	-	-	-	लागू नहीं क्योंकि दोनों वर्षों में सामग्री की कोई खरीद नहीं हुई है।
8. निवल पूंजी कारोबार अनुपात (%)	विक्री/औसत कार्यशील पूंजी	निवल विक्री	औसत कार्यशील पूंजी	-	-	-	लागू नहीं क्योंकि दोनों वर्षों में कोई विक्री कारोबार नहीं हुआ है।
9. निवल लाभ अनुपात (%)	निवल लाभ/निवल विक्री*100	कर पश्चात निवल लाभ	निवल विक्री	-	-	-	लागू नहीं क्योंकि दोनों वर्षों में कोई विक्री कारोबार नहीं हुआ है।
10. नियोजित पूंजी पर वापसी (%)	ईवीआईटी/सकल नियोजित पूंजी*100	ब्याज और कर पूर्व लाभ (%)	मूत निवल मूल्य + कुल दीर्घकालिक ऋण + आस्थगित कर देयता	235.35	-	-	चूंकि पिछले वर्ष में नकारात्मक पूंजी नियोजित थी, इसलिए भिन्नता की गणना नहीं की जा सकती
11. निवेश पर प्रतिफल (%)	निवेश/औसत निवेश से आय*100	निवेश से आय	औसत निवेश	2.36	6.51	-63.67	लाभांश में कमी के कारण।



समेकित वित्तीय विवरण



31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मंतव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि यह कार्य उन्होंने 01 दिसंबर 2023 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 21 दिसंबर 2023

(बिभुदत्त बसंतिया)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता



समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

सापेक्ष राय

हमने राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (जिसे आगे होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनी (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को सामूहिक रूप से “समूह” कहा जाएगा) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पण शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे “समेकित वित्तीय विवरण” कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के सापेक्ष राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 तक समूह की समेकित स्थिति, समेकित लाभ तथा समाप्त वर्ष हेतु उसके समेकित नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

सापेक्ष राय हेतु आधार

अ) चालू व्यवसाय धारणा :

होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी के खाते चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किये गये हैं, जो निम्नलिखित कारणों के चलते परिस्थितियों के अधीन उचित नहीं है:

- क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (एनजेएमसी) और इसकी सहायक कंपनी बड्स जूट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) को बंद करने की मंजूरी दे दी है। सभी परिसंपत्तियों का निपटान डीपीई के दिनांक 14.06.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और देयताओं को पूरा करने के बाद परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय भारत की समेकित निधि में जमा की जाएगी। नीलामी एजेंसी के रूप में एमएसटीसी की नियुक्ति के संदर्भ में, इसकी तीन मिलों अर्थात् नेशनल, एलेक्जेंड्रा और आरबीएचएम की सभी चल परिसंपत्तियों का निपटान कर दिया गया है। किन्निसन के संबंध में वितरण सलाह सहित निपटान की सभी प्रक्रिया वर्ष के अंत तक पूरी हो गयी है, लेकिन उन परिसंपत्तियों को वास्तव में हटाने का काम लंबित है। इसके अलावा, खड़दह इकाई से संबंधित परिसंपत्तियों को बाद की अवधि के दौरान बेचा गया है। एनबीसीसी जिसे प्री-लैंड मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, लेकिन सभी इकाइयों के लिए भूमि और भवन का निपटान अभी तक नहीं किया गया है।
- ख) बंदी अधिसूचना के अनुसार, होल्डिंग कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार को 200 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज मुक्त ऋण वापस किया है। पिछले कई वर्षों से होल्डिंग कंपनी की आय मुख्य रूप से सावधि जमा पर ब्याज से है जो उक्त वापसी के बाद काफी कम हो गयी है।
- ग) सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने एकल वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट में यह भी राय व्यक्त की है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो सहायक कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर रही है।
- घ) सहायक कंपनी ने वर्ष 2022-23 हेतु अप्रदत्त नगर निगम करों और उस पर ब्याज के लिए ₹41.62 लाख (पिछले वर्ष ₹32.35 लाख) का प्रावधान किया है। सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने इस खाते पर देय अतिरिक्त ब्याज और जुर्माने, यदि कोई हो, की राशि पर अनिश्चितता के मद्देनजर ऐसे प्रावधान की पर्याप्तता या अन्यथा पर मंतव्य करने में असमर्थता व्यक्त की है।



- ड) सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने यह भी कहा है कि व्यापार प्राप्तियों, लेनदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अग्रिमों में शेष राशि पुष्टि/समाधान और बाद में समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है।
- च) सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों की राय में, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे थे।
- छ) वित्तीय विवरण दर्शाते हैं कि समूह की चालू और गैर-चालू देयताएँ इसकी कुल परिसंपत्तियों से ₹29,574.14 लाख (पिछले वर्ष ₹32,557.71 लाख) अधिक हैं और समूह की विनिर्माण इकाइयाँ भी पिछले कई वर्षों से प्रचालन में नहीं हैं।
- ये कारक समूह की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने और व्यवसाय के सामान्य क्रम में अपनी देयताओं का निर्वहन करने में असमर्थता की पुष्टि करते हैं।

ब) लेखांकन मानकों का अनुपालन :

ब.1 लेखांकन मानक-2 – वस्तु-सूची का मूल्यांकन

जैसा कि लेखांकन नीति 1.4 में कहा गया है, वस्तु-सूची का मूल्यांकन लागत और निवल प्राप्ति योग्य मूल्य/बाजार मूल्य में से कम पर किया जाता है। चूंकि इकाइयाँ परिचालन में नहीं थीं, इसलिए इन्वेंटरी कई वर्षों से स्थिर हैं। प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, वर्ष के दौरान वस्तु-सूची सहित तीनों इकाइयों की सभी चल परिसंपत्तियों का निपटान कर दिया गया है और प्राप्त मूल्य उसके बही मूल्य से अधिक पाया गया है। लेकिन शेष वस्तु-सूची के लिए प्रासंगिक लागत विवरण और निवल प्राप्ति योग्य मूल्य के निर्धारण का आधार हमें उपलब्ध नहीं कराया गया और, इसलिए, यह पता लगाना संभव नहीं है कि एएस-2 का अनुपालन किया गया है या नहीं। इसके अलावा, वस्तु-सूची का अवधिवार विश्लेषण और साथ ही अप्रचलित और गैर-विपणन योग्य वस्तुसूची की पहचान सुनिश्चित नहीं की गयी है। इसलिए, यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि वस्तु-सूची का वहन मूल्य उसके उचित मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं।

ब.2 लेखांकन मानक-9 – राजस्व मान्यता :

होलिंडग कंपनी के प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, चार इकाइयों हेतु निपटान प्रक्रिया लेखापरीक्षा प्राप्त ईएमडी/प्रतिभूति जमा, बोली मूल्य, बिक्री आदेश जारी करना और वितरण सलाह के अधीन वर्ष के समापन से पहले पूरी कर ली गयी थी। जबकि तीन मिलों अर्थात् एलेक्जेंड्रा, नेशनल और आरबीएचएम के संबंध में प्राप्त राशि क्रम से ₹1,511 लाख, ₹3,000 लाख और ₹1,570 लाख को स्क्रेप बिक्री में माना गया है, लेकिन, भले ही किन्निसन मिल के संबंध में 21.03.2023 को डिलीवरी सलाह जारी की गयी थी, वर्ष के दौरान किसी भी स्क्रेप बिक्री पर विचार नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹3,650 लाख की स्क्रेप बिक्री और प्रासंगिक सीमा तक लाभ को कम करके आंका गया है।

ब.3 लेखांकन मानक-22 – आय पर कर हेतु लेखांकन :

कंपनी ने आय पर करों बाबत एएस-22 लेखांकन का अनुपालन नहीं किया है। उक्त मानक के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता का निर्धारण नहीं किया गया है।

ब.4 लेखांकन मानक-29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां :

हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी विभिन्न पक्षों के साथ विभिन्न मामलों पर मुकदमेबाजी कर रही है, जिनमें से कुछ कई वर्षों से लंबित हैं। हालांकि, ज्यादातर मामलों में, इन कंपनियों ने विवाद के संभावित वित्तीय निहितार्थ की राशि का अनुमान और प्रकटीकरण नहीं किया है, जैसा कि एएस-29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां के अधीन आवश्यक है।

ब.5 लेखांकन मानक-24 – प्रचालन बंद करना :

चूंकि होलिंडग कंपनी ने बंद करने के निर्देशों के अनुसार वस्तु-सूची सहित अपनी चल परिसंपत्तियों का निपटान पहले ही शुरू कर दिया है, इसलिए कंपनी को परिचालन में जारी नहीं माना जा सकता है। लेखा मानक-24 प्रचालन बंद करना में निहित प्रकटीकरण का पालन कंपनी के खातों की तैयारी में नहीं किया गया है।



स) आय/व्यय और परिसम्पत्तियों/देयताओं का कम/अधिक विवरण

स.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा मूल्यहास :

- क) ₹637 के डब्ल्यूडीवी वाली होलिंग कंपनी की कुछ परिसंपत्तियां राष्ट्रीयकरण के बाद से तीसरे पक्ष के पास पड़ी थीं, जैसा कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर टिप्पण 9(2) में कहा गया है। उक्त मिल की चल परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ का निर्धारण प्रबंधन द्वारा तीसरे पक्ष के पास पड़ी हुई उक्त परिसंपत्तियों को ध्यान में रखे बिना किया गया है।
- ख) जैसा कि टिप्पण 9(6) में बताया गया है, भूमि और भवन में 5, अलीपुर रोड, कोलकाता की संपत्ति शामिल है, जो कंपनी के कब्जे में नहीं है, हालांकि जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अधीन कंपनी में संनिहित है। संपत्ति मुकदमेबाजी के अधीन है और कानूनी विशेषज्ञों के पास संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार के बारे में अलग-अलग विचार हैं। हालांकि स्वामित्व विवादित है, कंपनी कोलकाता नगर निगम को देय नगरपालिका करों के संबंध में देयता प्रदान कर रही है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹4.45 लाख (पिछले वर्ष : ₹4.45 लाख) थी। दिनांक 31.03.2023 तक प्रदान की गयी संचयी देयता ₹116.47 लाख (31.03.2022 तक : ₹112.02 लाख) है।
- ग) वर्ष 2021-22 के दौरान परिसम्पत्तियों की चोरी के कारण हुई ₹1.84 लाख की हानि को चालू वर्ष में वसूल किया गया है, लेकिन 2020-21 में हुई ₹0.28 लाख की इसी तरह की हानि के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि मिल की सभी चल परिसंपत्तियों का निपटान कर दिया गया है।
- घ) विभिन्न अवस्थानों पर भूमि के स्वत्व विलेख हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध कराये गये थे, लेकिन उन्हें ठीक से सत्यापित नहीं किया जा सका और अचल परिसंपत्तियों के अभिलेख के साथ जोड़ा नहीं जा सका। हालांकि, हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तीनों मिलों यानी खड़दह, किन्निसन और एलेक्जेंड्रा का कुछ हिस्सा अभी भी पूर्ववर्ती कंपनियों के नाम पर जारी है। हमें आगे बताया गया है कि उक्त संपत्तियों के संबंध में भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट और जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी - उत्तर 24 परगना, बारासात के साथ-साथ सचिव भूमि एवं भूमि सुधार और शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन 31 मार्च, 2023 तक मामला अभी भी लंबित है।
- सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां सहायक कंपनी पट्टेदार है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा समझौते विधिवत निष्पादित किये गये हैं) के स्वत्व विलेख आंशिक रूप से डिजिटल रूप में कंपनी के नाम पर और आंशिक रूप से पूर्ववर्ती कंपनी मेसर्स लैंसडाउन जूट कंपनी लिमिटेड के नाम पर हैं। सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के पत्र संख्या डीओएनओ.878सीएस/2022 दिनांक 06/06/2022 के मार्फत बीजेईएल की संपूर्ण भूमि पर स्वामित्व का दावा किया है। इसके अलावा, सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा अचल संपत्तियों, भूमि और भवनों का भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त हुई और कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पायी गयीं हैं।

स.2 निवेश :

नियंत्रक कंपनी अपने निवेशों का उचित रजिस्टर नहीं रख रही है। टिप्पणी संख्या 10 के अधीन बताये गये निवेशों का विवरण भी सामान्य खाता बही से मेल नहीं खा रहा है और इसमें ₹0.37 लाख का अंतर है। इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में कुल ₹0.74 लाख और ब्रिटानिया इंजीनियरिंग लिमिटेड और जे.एफ. लो एंड कंपनी लिमिटेड में धारित निवेश के संबंध में शेयर स्क्रिप्स, मूल्य शून्य को हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका और बताया गया कि उनका पता नहीं चल पा रहा है। ये निवेश बहुत पुराने हैं और हमें बताया गया कि मूल प्रमाणपत्र विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/विभागों को प्रतिभूति के रूप में प्रदान किये गये होंगे। यह भी देखा गया कि निवेश में उन कंपनियों के शेयरों में ₹0.02 लाख शामिल हैं, जिनके नाम पहले ही काट दिये गये हैं। हालांकि, इन सभी निवेशों के तहत पूर्ण प्रावधान किया गया है। इसके



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

अलावा, निवेश में चीविओट कंपनी लिमिटेड और बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर शामिल हैं, जिनके विरुद्ध पूर्ण प्रावधान किया गया है, हालाँकि इन शेयरों के प्रति लाभांश प्राप्त किये गये हैं।

स.3 वस्तु-सूची :

वर्ष के अंत में शेष मिलों की वस्तु-सूची का मूल्यांकन, जो बहुत पुरानी है, समय बीतने और गैर-प्रचालन के कारण क्षति/अप्रचलन पर विचार किये बिना होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा किया गया है, लेकिन उनकी प्राप्ति के संदर्भ में मूल्य में कमी नहीं की गयी है।

स.4 नकद और बैंक शेष :

होल्डिंग कंपनी के बैंक शेष में यूको बैंक, टीटागढ़ शाखा के पास पड़ी किन्निसन इकाई के खाते में ₹91,083.04 शामिल हैं, जो तुलनपत्र तिथि के अनुसार एक निष्क्रिय खाता है।

इसके अलावा, बैंक खातों में शेष राशि बैंक के साथ बुक ओवरड्राफ्ट का निवल है, जो कि 31 मार्च 2023 को ₹701.85 लाख की राशि के जीएसटी बकाया के भुगतान के कारण खाताबहियों के अनुसार ऋणात्मक बैंक शेष है, हालाँकि बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं थी।

बर्ड जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड के निम्नलिखित पुराने बैंक खातों के लिए, जिनमें कोई लेनदेन नहीं किया गया है और जो निष्क्रिय हैं, बैंकों से कोई पुष्टि नहीं की गयी है:

बैंकों का नाम	31.03.2023 को बही शेष (₹ में)	31.03.2022 को बही शेष (₹ में)
वैश्य बैंक, एन.एस. रोड, कोलकाता	804.15	804.15
सिंडिकेट बैंक, मद्रास	963.00	963.00
सिंडिकेट बैंक, कलकत्ता (पीसीएल)	683.00	683.00

सी.5 अल्पावधि ऋण और अग्रिम :

क) स्रोत पर आयकर कटौती के रूप में प्राप्य ₹1219.33 लाख की कुल राशि के प्रति होल्डिंग कंपनी ने ₹408.77 लाख का प्रावधान किया है। पिछले वर्षों के लिए निर्धारित आयकर रिफंड, उस पर अनुमत ब्याज के साथ, आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष 1990-91 के लिए बकाया मांग के प्रति समायोजित किया जा रहा है। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 143(1) के तहत सूचना में दिखायी देने वाली कंपनी की बकाया मांग सारांश में अभी भी कंपनी द्वारा देय ₹177.94 लाख की राशि दिख रही है। हमें सूचित किया गया है कि होल्डिंग कंपनी कर निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए उठायी गयी मांग के संबंध में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्राप्त होने के बाद आवश्यक समायोजन/आगे का प्रावधान किया जाएगा।

ख) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, एक सहायक कंपनी से प्राप्त 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु शेष राशि की पुष्टि और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को देखने के बाद, हमने पाया कि सहायक कंपनी के साथ विभिन्न खातों में पड़ी शेष राशि मेल नहीं खा रही हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है:



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

खाता	एनजेएमसी के अनुसार शेष राशि (₹ लाख में)	सहायक कंपनी के अनुसार शेष राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
सहायक कंपनी को दिये गये ऋणों पर अर्जित व्याज	4047.24	4047.33	कॉलम में उल्लिखित अंतरों का वर्ष के अंत तक मिलान नहीं किया गया है।
दी गयी अग्रिम राशि	605.64	631.05	
माल हेतु ऋणदाता	शून्य	94.91	
किराए हेतु ऋणदाता	शून्य	0.15	
अन्य सेवाओं हेतु ऋणदाता	0.10	शून्य	
ब्रोकरेज हेतु ऋणदाता	0.28	शून्य	
व्यापार प्राप्य खाता माल	23.56	258.21	
व्यापार प्राप्य खाता व्यय	शून्य	7.40	
सेवाओं हेतु दिये गये अग्रिम	3.33	शून्य	

होलिंडग कंपनी और सहायक कंपनी के बीच निवल अंतर ₹159.24 लाख था, जिसे समेकित तुलनपत्र में “होलिंडग और सहायक कंपनी के बीच सुलह के अधीन असमाधान” के रूप में दिखाया गया है।

स.6 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ :

होलिंडग कंपनी की सुरक्षा जमा राशि के संबंध में पार्टीवार विवरण और प्रासंगिक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, जो कुल ₹56.31 लाख है, जिसमें से ₹11.47 लाख को संदिग्ध माना जाता है, यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि होलिंडग कंपनी को ₹44.84 लाख की शेष राशि की वसूली का आश्वासन कैसे दिया गया है, जिसे वर्तमान स्थिति के तहत प्रदान भी किया जाना चाहिए था।

स.7 दीर्घकालिक उधार :

क) होलिंडग कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार से ₹281.48 लाख का ऋण लिया है। हालाँकि ऋण समझौता या ऐसे ऋण के नियम और शर्तों को दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज़ हमारे सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराया जा सका, लेकिन सरकार ने ऋण की पूरी अवधि के लिए व्याज दर “दंड दर 13%” के साथ एक विस्तृत गणना प्रदान की है, जो 31.03.2023 तक होलिंडग कंपनी द्वारा प्रदान की गयी ₹1613.67 लाख की कुल व्याज देयता दर्शाती है, जिसमें चालू वर्ष हेतु ₹36.59 लाख और पिछले वर्ष हेतु ₹268.46 लाख के ब्रेकअप में समीक्षाधीन वर्ष हेतु ₹305.06 लाख शामिल हैं। जैसा कि खातों हेतु टिप्पण 4 अतिरिक्त जानकारी (ग) में कहा गया है, होलिंडग कंपनी ने इस ऋण की अदायगी में चूक की है और कंपनी के बही खातों के अनुसार अप्रदत्त व्याज सहित मूलधन का संचित शेष 31 मार्च, 2023 को ₹1895.15 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹1590.09 लाख) है। व्याज दर और अन्य शर्तों को दर्शाने वाले किसी भी दस्तावेज़ के अभाव में, हम ₹1613.67 लाख के कुल व्याज की सत्यता को सत्यापित नहीं कर सके।

सहायक कंपनी ने भारत सरकार से ₹2159.36 (2021-22 में ₹2159.36 लाख) का गैर-योजना ऋण लिया है और इस ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की है और कंपनी के खाता बही के अनुसार 31 मार्च, 2023 को अप्रदत्त व्याज सहित मूलधन का संचित शेष ₹9626.70 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹9237.49 लाख) है।

ख) होलिंडग कंपनी और सहायक कंपनी द्वारा 31.03.2023 को ऋणों की बकाया राशि के लिए केंद्र सरकारों से कोई शेष पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

स.8 व्यापार देयताएं :

होलिंडग कंपनी की व्यापार देयताओं का कुल योग ₹2104.85 लाख (31.03.2022 को ₹2055.99 लाख) है, जिसमें होलिंडग



कंपनी द्वारा तैयार व्यापार देयताओं के अवधिवार विश्लेषण के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय से चली आ रही पुरानी बकाया राशि शामिल है, जो कुल मिलाकर ₹1976.48 लाख है। पार्टियों से प्राप्त पार्टीवार और चालानवार विवरण या खाते के विवरण के अभाव में, यह पता लगाना संभव नहीं है कि इन देयताओं में से कितनी अंततः देय हैं। आवश्यक जानकारी के अभाव में, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पार्टियों की स्थिति और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, पिछले कई वर्षों से एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन देय ब्याज के कारण कोई देयता खातों में प्रदान नहीं की जा रही है। फलस्वरूप, उक्त अधिनियम के अधीन देय ब्याज व्यापार देयताओं शीर्ष के अधीन दिखाये गये ब्याज देयता की राशि से भिन्न हो सकता है। इसके अलावा, किन्निसन इकाई के मामले में, सेवाओं हेतु विविध लेनदारों और भंडार के लिए विविध लेनदारों की राशि को इन लेनदार खातों में से कुछ में पड़े ₹25.32 लाख के नामे शेष के शुद्ध व्यापार देयताओं में शामिल किया जा रहा है। फलस्वरूप, व्यापार देयताओं के कारण देयता तुलनपत्र में उस सीमा तक कम करके दिखायी गयी है। इसके अलावा, होल्लिंग कंपनी द्वारा दिये गये संदिग्ध अग्रिमों के लिए किये गये प्रावधान भी उस सीमा तक कम हैं, जिसके कारण इस खाते पर ₹25.32 लाख की सीमा तक हानि को कम करके दिखाया गया है।

स.9 अन्य चालू देयताएँ:

क) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, होल्लिंग कंपनी ने ईएसआई की मांग और माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता के तत्पश्चात आदेश के अनुसार ईएसआई अंशदान पर ब्याज हेतु ₹284.36 लाख का भुगतान किया है। इन भुगतानों को 1 अप्रैल 2022 तक लेखा बहियों में पड़े ₹3524.19 लाख की अप्रदत्त देयता के तहत होल्लिंग कंपनी द्वारा समायोजित किया गया है, जो बिना किसी आधार के ईएसआई क्षति के लिए प्रावधान के रूप में है तथा इस खाते पर लाभ और हानि के विवरण में कुछ भी चार्ज नहीं किया गया है। हमें उपलब्ध कराये गये कागजात से पता चलता है कि उपर्युक्त भुगतान ईएसआई के दावों में जोड़े गये ब्याज के तहत किया गया है, जिसे समायोजित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए नुकसान कम दिखाया गया है।

ख) होल्लिंग कंपनी की सांविधिक बकाया में शामिल हैं पीएफ पर देय क्षति और उस पर ब्याज की राशि ₹903.05 लाख, ईएसआई पर क्षति और उस पर ब्याज की राशि ₹3,240.00 लाख, व्यवसाय कर (ब्याज सहित) ₹70.20 लाख, अनुषंगी लाभ कर ₹8.92 लाख, वैट/सीएसटी के लिए प्रावधान और बिक्री पर वैट ₹18.74 लाख जो काफी समय से अग्रेजीत हैं, जिनके लिए कंपनी द्वारा कोई प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की गयी है, इसलिए प्रासंगिक जानकारी के अभाव के कारण यह पता नहीं लगाया जा सका कि इन देयताओं में से कितनी अंततः देय हैं या क्या उन्हें पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया है।

होल्लिंग कंपनी की अन्य चालू देयताएँ (टिप्पण संख्या 7) में जीएसटी हेतु ₹701.85 लाख की सीमा तक सांविधिक बकाया शामिल नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि ये बकाया राशि कंपनी द्वारा 31 मार्च 2023 को आरटीजीएस के माध्यम से पहले ही चुका दी गयी है, लेकिन उक्त तिथि हेतु विधिवत भुगतान किया गया चालान हमारे सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके अलावा यह राशि वर्ष के अंत में तैयार किये गये बैंक समाधान विवरण में बकाया के स्वरूप में दिखाई दे रही है क्योंकि संबंधित बैंक खाते में यह भुगतान करने के लिए पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध नहीं थी। बाद के वर्ष के बैंक विवरण के सत्यापन पर, हमने पाया कि यह भुगतान 19 अप्रैल 2023 को बैंक खाते में नामे किया गया है। तदनुसार, हमारी राय में, यह भुगतान बाद के वर्ष में दर्ज किया जाना चाहिए था जब भुगतान वास्तव में 19 अप्रैल 2023 को किया गया था। 31 मार्च 2023 को उपर्युक्त भुगतान के लेखांकन के परिणामस्वरूप, वर्तमान परिसंपत्तियाँ और वर्तमान देनदारियाँ दोनों तुलनपत्र में ₹701.85 लाख की सीमा तक कम दिखायी गयी हैं।

ग) भुगतान आयुक्त के असंवितरित दावे के संबंध में होल्लिंग कंपनी के साथ पार्टीवार विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी के अभाव में: ₹40.29 लाख; कार्यप्रदर्शन गारंटी: ₹57.47 लाख, आईएसडीएस निधि पर ब्याज: ₹19.02 लाख और प्रतिभूति जमा/ईएमडी में शामिल पुरानी बकाया राशि और पार्टियों से अग्रिम: विवरण के अभाव में जिसकी राशि का



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

पता नहीं लगाया जा सका, हमारे लिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि इन देनदारियों में से कितनी अंततः देय हैं या क्या उनके लिए अंततः प्रावधान किया गया है। अधिकांश शेष राशि लंबे समय से बकाया हैं।

- घ) होल्लिंडग कंपनी के कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹338.80 लाख की देयताओं में वीआरएस देय, उपदान देय और वेतन देय के कारण ₹320.60 लाख की पुरानी बकाया देनदारी शामिल है। होल्लिंडग कंपनी कर्मचारियों से संबंधित भुगतानों के लिए देयता के रूप में पुरानी शेष राशि का अनुरक्षण कर रही है। हमें दी गयी जानकारी के अनुसार, श्रम मामलों में कुल वित्तीय आकस्मिक देयता, अब तक प्रबंधन कई मामलों में पता लगा सका है जो ₹6989.05 लाख है।
- ड) होल्लिंडग कंपनी के अप्रदत्त दरों व करों में शामिल हैं उपकर, शुल्क आदि ₹0.78 लाख, व्यावसायिक कर ₹0.12 लाख, सेवा कर ₹1.69 लाख, टीडीएस ₹0.99 लाख, अन्य दरें और कर ₹109.97 लाख, जिन्हें लंबी से अग्रणीत किया जा रहा है। प्रासंगिक जानकारी के अभाव में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि इनमें से कितनी देयताएं अंततः देय हैं या क्या उन्हें पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया है।
- च) सहायक कंपनी ने घाटे के बावजूद अपने संचयी अधिमान्य शेषों पर लाभांश के बकाया हेतु देयता प्रदान की है, जबकि लाभांश केवल लाभ में से देय है। इसके अलावा, सहायक कंपनी ने ऐसे लाभांश को व्यय के रूप में माना है जबकि लाभांश व्यय नहीं बल्कि लाभ का विनियोजन है।

स.10 अवधि निर्धारण अनुसूची:

व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों का विवरण और अवधि निर्धारण अनुसूची केवल होल्लिंडग कंपनी के व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों के संबंध में दी गयी है। हमें सूचित किया गया है कि सहायक कंपनी के व्यापार देय और व्यापार प्राप्तियों को इन अनुसूचियों में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि आवश्यक जानकारी सहायक कंपनी से प्राप्त नहीं की जा सकी है।

उपर्युक्त अवलोकनों के मद्देनजर, हम समूह के कार्यविवरण पर इन मामलों के प्रभाव और लाभ और हानि के समेकित विवरण पर तदनु रूप प्रभाव का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।

स.11 अन्य:

सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने राय दी है कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में, सहायक कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे थे।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबंधित किया गया था और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

एसए 701 के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मुख्य लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक गैरसूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

होल्लिंडग कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।



वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है, और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किये गये कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी का एक भौतिक गलत विवरण है तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों हेतु शासन प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

होलिडिंग कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और आवेदन, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाने के लिए जिम्मेदार हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, जिनका उपयोग होलिडिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल या तो समूह को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसे के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसे के अनुसार लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाये रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित और निष्पादित करें और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी सापेक्ष राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाले भौतिक गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।



- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं अभिकल्पित करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के स्तर में जारी रहना बंद कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के साथसाथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद भी करते हैं, जो यथोचित स्तर से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य मामले

हमने उस सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरणों पर विचार समेकित वित्तीय विवरणों में किया गया है। इन वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा दूसरे लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा दी गयी है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से दूसरे लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्टें

- अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ 2020) की आवश्यकता के अनुसार, हम अनुबंध क में आदेश के अनुच्छेद 3(xxi) में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
- अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनी की अन्य वित्तीय जानकारी के विचार पर, जैसा कि अन्य मामले अनुच्छेद में



उल्लेख किया गया है और उपर्युक्त “योग्य राय के लिए आधार” अनुच्छेद में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि :

- (क) हमने योग्यता आधारित राय के अनुच्छेद में वर्णित मामलों को छोड़कर, वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किये हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
- (ख) योग्यता आधारित राय के अनुच्छेद में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ कंपनी द्वारा रखी गयी हैं, जैसा कि बहियों की हमारी जांच से पता चलता है।
- (ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि का विवरण तथा समेकित नकद प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ रखी गयी प्रासंगिक लेखा बहियों के अनुस्यू हैं।
- (घ) सक्षम राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- (ङ) सक्षम योग्य राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामले, हमारी राय में, समूह में सम्मिलित कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- (च) हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, जो अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी है और जैसा कि सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिये गये आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक सहायक कंपनी का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।
- (छ) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यता उपर्युक्त सक्षम राय के आधार अनुच्छेद में बतायी गयी है।
- (ज) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध ख में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- (झ) चूंकि समूह में शामिल कम्पनियाँ निदेशकों को कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक नहीं दे रही है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 का प्रावधान लागू नहीं होता है।
- (ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - i. पूर्ण विवरण के अभाव में, हम यह मंतव्य करने की स्थिति में नहीं हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों ने होल्डिंग कंपनी के संबंध में लंबित मुकदमों के पूर्ण प्रभाव का प्रकटीकरण किया है या नहीं, जैसा कि अन्य व्याख्यात्मक सूचना के टिप्पणी 30 में बिंदु संख्या 9 और 10 में, इसके वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर दर्शाया गया है। सहायक कंपनी के संबंध में, अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, इसके वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण अनुबंध ग में किया गया है।
 - ii. होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी के पास व्युत्पन्नी अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमानित घाटा हुआ हो।



- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे होल्लिडिंग कंपनी और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
- iv. (क) होल्लिडिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन ने हमें और सहायक कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के अन्य लेखापरीक्षकों को बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, होल्लिडिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेशित नहीं की गयी है (चाहे उधार ली गयी निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गयी हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, होल्लिडिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;
- (ख) होल्लिडिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन ने हमें और सहायक कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के अन्य लेखापरीक्षकों को बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, होल्लिडिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गयी निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गयी है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गयी हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, होल्लिडिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;
- (ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में प्रावधान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।
- iv. चूंकि होल्लिडिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 में निहित प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के प्रत्युत्तर में, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
- (i) होल्लिडिंग कंपनी के पास अपनी इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच ईआरपी लेखांकन प्रणाली या पूरी तरह से एकीकृत आईटी प्रणाली नहीं है। प्रत्येक इकाई और कॉर्पोरेट कार्यालय के खातों को लेखांकन सॉफ्टवेयर पर अनुरक्षित किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय और विभिन्न प्रभागों के खातों का समेकन एक अलग डेटा प्रविष्टि साधन के जरिए किया जाता है।
- कंपनी द्वारा अपनायी गयी वर्तमान प्रणाली से डेटा ईमानदारी की अनुपलब्धता प्रतिबिंबित होती है और जो लेखापरीक्षा जोखिम को बढ़ाती है।
- सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार, सहायक कंपनी टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने खातों का अनुरक्षण कर रही है, लेकिन लेखांकन की प्रक्रिया एक तरह की हाइब्रिड प्रणाली है जिसमें मैनुअल और कम्प्यूटरकृत प्रक्रिया शामिल होती है। सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों को खातों की अखंडता पर कोई वित्तीय संहितायार्थ वाला कोई मुद्दा नहीं मिला है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

- (ii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गये होल्लिडिंग कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण होल्लिडिंग कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा ऋण/उधार/ब्याज आदि की माफ़ी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने रिपोर्ट दी है कि कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा सहायक कंपनी को दिये गये ऋण/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग/बट्टे खाते में डालने के मामलों से संबंधित निर्देश सहायक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

- (iii) (क) होल्लिडिंग कंपनी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) और बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित के अनुसार कंपनी के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण ले रही है, जो दीर्घकालिक उधार के रूप में है।

(ख) कंपनी ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार से ₹281.48 लाख का ऋण प्राप्त किया है, ऋण और ब्याज का पुनर्भुगतान 31 मार्च 1994 से चूक गया है। ऋण और अप्रदत्त ब्याज का संचित शेष 31.03.2023 तक ₹1895.15 लाख है। ऋण दस्तावेजों, नियमों और शर्तों के अभाव में, किये गये ब्याज प्रावधान की पर्याप्तता पर मंतव्य नहीं किया जा सकता है।

(ग) जैसा कि वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 3 में बताया गया है, होल्लिडिंग कंपनी को 1988-89 में बिहार सरकार और आईजेआईआरए से अनुदान मिला था और 1982-83 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से आर्थिक साहाय्य मिली थी। उक्त अनुदान/आर्थिक साहाय्य के साथ ही साथ उक्त अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों के विस्तृत कागजात हमें उपलब्ध नहीं कराये गये।

(घ) सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने भारत सरकार के जूट विशेष विकास कोष से अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम और उत्पाद विविधीकरण की कार्यान्वयन योजना हेतु पिछले वर्षों में सहायक कंपनी द्वारा प्राप्त अनुदान के संबंध में किसी विचलन की ओर संकेत नहीं किया है।

कृते आर.के. पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 305091ई

स्थान : कोलकाता

तारीख : 01-12-2023

सिद्धार्थ पटोदी

(साझेदार)

सदस्यता सं. 59144

यूडीआईएन : 22059144बीजीडब्ल्यू। डब्ल्यूडब्ल्यू7520



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध-क

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध,

सीएआरओ 2020 के अनुच्छेद 3(xxi) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित कंपनियों के लेखापरीक्षकों ने होल्डिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संबंधित कंपनियों के एकल वित्तीय विवरणों पर अपनी सीएआरओ रिपोर्ट में सक्षम या प्रतिकूल टिप्पणियां दी हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सीआईएन	होल्डिंग कंपनी के साथ संबंध	संबंधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख	संबंधित सीएआरओ रिपोर्ट में अनुच्छेद संख्या
1.	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	यू17232डब्ल्यूबी 1980जीओआई032768	होल्डिंग कंपनी	01.12.2023	(i)(क)(अ), (i)(ख), (i)(ग), (ii)(क), (iii) (घ), (iii)(ड), (vii)(क), (vii)(ख), (ix)(क), (ix)(ग), (xiv)(क), (xvii) और (xix)
2.	बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	यू17232डब्ल्यूबी 1904जीओआई001579	सहायक कंपनी	31.08.2023	(i)ग), (vii)(क), (vii)(ख), (xiv), (xvii) और (xix)

कृते आर.के. पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 305091ई

स्थान : कोलकाता

तारीख : 01-12-2023

सिद्धार्थ पटोदी

(साझेदार)

सदस्यता सं. 59144

यूडीआईएन : 22059144बीजीडब्ल्यू1डब्ल्यूडब्ल्यू7520



अनुबंध-ख

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हेतु

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (I) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 तक **राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड** (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथसाथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

होलिडिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी का सम्बन्धी निदेशक मंडल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गयी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए होलिडिंग कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर होलिडिंग कम्पनी एवं उसकी सहायक कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण (मार्गदर्शन टिप्पण) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षण के लिए लागू है। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पण के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाये रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमी मौजूद है, और मूल्यांकन किये गये जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्पन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गयी प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि पुराने मामलों को छोड़कर अधिकांश मामलों में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर होलिडिंग कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने राय दी है कि सभी भौतिक मामलों में, सहायक कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर उक्त आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे थे।



वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों बाबत वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (i) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (ii) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किये जा रहे हैं; और (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिप्रभाव की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधियों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं की अनुपालन मात्रा खराब हो सकती है।

सक्षम राय

हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी और इसकी इकाइयाँ कई वर्षों से निष्क्रिय बनी हुई हैं, इस समर्थन में विभिन्न जानकारी और कागजात उपलब्ध नहीं कराये जा सके, इसलिए हम आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में बताये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों, जैसे नियंत्रण वातावरण, जोखिम मूल्यांकन, नियंत्रण गतिविधियाँ, सूचना प्रणाली और संचार और अनुरक्षण पर आधारित मानदंडों पर या उन पर विचार करके वित्तीय रिपोर्टिंग पर इसके आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मतव्य नहीं कर सकते। बोर्ड की रिपोर्ट में जोखिम के तत्वों की पहचान सहित कंपनी के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति भी शामिल नहीं है।

उपर्युक्त अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए, 31.03.2023 को होलंडिंग कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में यथा स्वीकृत के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर अपर्याप्त है।

जैसा कि सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा राय व्यक्त की गयी है, सभी भौतिक मामलों में सहायक कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं है और इस तरह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे थे, जो कि आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में यथा स्वीकृत आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए सहायक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

अन्य मामले

होलंडिंग कंपनी के इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह सहायक कंपनी के अलगअलग



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित है, जो भारत में निगमित एक कंपनी है, भारत में निगमित ऐसी सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

हमने कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बतायी गयी सक्षम राय पर विचार किया है।

कृते आर.के. पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफ.आर.एन : 305091ई

स्थान : कोलकाता

तारीख : 01-12-2023

सिद्धार्थ पटोदी

(साझेदार)

सदस्यता सं. 59144

यूडीआईएन : 22059144बीजीडब्ल्यू।डब्ल्यूडब्ल्यू7520



अनुबंध-ग

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

सहायक कंपनी के लंबित न्यायालयीन मामले और मुकदमे:

1. 5वीं, न्यायालय, फास्ट ट्रैक एवं अपर जिला न्यायाधीश, बारासात के समक्ष 1996 की टाइटल अपील संख्या 29 एवं 2023 की सीओ संख्या 1732 अनोखी मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	9 तारीख को माननीय न्यायमूर्ति शम्पा सरकार के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवायी की गयी तथा टिन बॉक्स के गुम होने के संबंध में जांच तथा एल.डी. न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के शीघ्र निपटारे के लिए प्रार्थना की गयी। सुनवाई के पश्चात, माननीय न्यायालय ने आवेदन का निपटारा करते हुए एल.डी. प्रथम एडीजे, फास्ट ट्रैक कोर्ट, बारासात को आदेश की सूचना से छह माह की अवधि के भीतर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। अन्य निर्देश भी पारित किये गये हैं। माननीय न्यायमूर्ति शम्पा सरकार द्वारा 9.6.2023 को पारित आदेश इस प्रकार है: ऐसा प्रतीत होता है कि 2023 की टाइटल अपील संख्या 29 1996 लंबे समय से विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक, 5वीं कोर्ट, बारासात के समक्ष लंबित थी तथा हाल ही में इसे सुनवाई के लिए विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक, 1ली कोर्ट, बारासात की अदालत में स्थानांतरित किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि लंबे समय तक प्रदर्श सन्निहित टिन बॉक्स का पता नहीं लगाया जा सका। इस न्यायालय का विचार है कि निचली अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए कि टिन बॉक्स का पता लगाया जाए और अपील शीघ्रता से आगे बढ़े। अपील पर हर सप्ताह सुनवाई होनी चाहिए, जब तक कि उसका निपटारा न हो जाए। यदि टिन बॉक्स उपलब्ध नहीं है, तो निचली अदालत को साक्ष्य कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रदर्शों की फोटो प्रति/प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस आदेश के संप्रेषण की तारीख से छह महीने के भीतर अपील का निपटारा किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अपील के गुणों पर विचार नहीं किया है। यह आदेश पक्षों के बीच विवाद की अभिव्यक्ति नहीं है। अनुपालन की रिपोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान रजिस्टर जनरल को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार, पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया जाता है। आदेश की एक सर्वर कॉपी के साथ पुनरीक्षण आवेदन की एक प्रति विपक्षी पक्षों को दी जाएगी। हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। सभी पक्षों को इस आदेश की सर्वर कॉपी के आधार पर कार्य करने का निर्देश दिया जाता है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

		27 जून, 2023 को बारासात में विद्वान प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें सी.ओ. संख्या 1732 ऑफ़ 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 9 जून, 2023 के आदेश की जानकारी दी गयी है और सुनवाई के बाद, विद्वान न्यायालय ने बेंच क्लर्क को संबंधित टिन बॉक्स की गहन तलाशी लेने का निर्देश दिया है।
2.	बारासात में द्वितीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में 2013 की टाइटल सुइट संख्या 42 नयी संख्या 2014 की टाइटल सुइट संख्या 8191 बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम रोटोट्रॉन कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड	अगली तिथि: 20.7.2023 वर्तमान वाद बीजेईएल ने भूमि के कब्जे की वसूली सहित दाग संख्या 104 के संबंध में घोषणा और निषेधाज्ञा की डिक्री बाबत दायर किया गया है। मामले को बारासात में विद्वान द्वितीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई हेतु 24.1.2023 को निर्धारित किया गया था और हमारे काउंसेल उसी दिन उपस्थित हुए। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन एक आवेदन दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बीजेईएल द्वारा दायर व्यादेश आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए प्रार्थना की गयी है और पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायालय ने व्यादेश आवेदन पर सुनवाई के लिए 21.3.2023 को मामले को निर्धारित किया है, साथ ही बीजेईएल को इस बीच उक्त आवेदन पर आपत्ति दर्ज करने की छूट दी है। उपर्युक्त सुइट को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के अधीन आवेदन की सुनवाई के लिए 8.5.2023 को बारासात में विद्वान द्वितीय सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष लाया गया, सुनवाई के बाद विद्वान न्यायालय ने मामले को 20 जुलाई, 2023 तक स्थगित करने की कृपा की।
3.	तृतीय सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मयूख भवन की अदालत में 2004 के टाइटल सुइट संख्या 185 बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम शोभानाथ सिंह	अगली तारीख 18.8.2023 वर्तमान वाद बर्ड जूट द्वारा प्रतिवादियों (स्वर्गीय काशी नाथ उर्फ काशी प्रसाद सिंह के वारिसों) के खिलाफ दाग संख्या 104 के संबंध में व्यादेश हेतु डिक्री के लिए दायर किया गया है। विद्वान न्यायालय द्वारा 14 जुलाई, 2004 को यथास्थिति का एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था और समयसमय पर अंतरिम आदेश को बढ़ाया गया है एवं यह अभी भी कायम है। प्रतिवादियों की गैरहाजिरी के कारण प्रतिवादियों को कई बार वाद संबंधी समन भेजे गये हैं। इसके बाद, बीजेईएल की ओर से वाद की एकपक्षीय सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया गया, जिसे 2004 न्यायालय ने अनुमति दे दी और मामला एकपक्षीय सुनवाई के लिए तय किया गया। मुख्य परीक्षा पूरी हो गयी है। अगली तारीख को सुनवाई के लिए तय किया गया है। 16.09.2022 को कंपनी को मामले में हस्तक्षेप के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 1 नियम 10 (2) के साथ पठित आदेश 12 नियम 10 के अधीन आवेदन की एक प्रति दी गयी थी। श्री अरित्रा बसु एडवोकेट (फॉक्स एंड मंडल) उपर्युक्त मामले में लिखित आपत्ति दर्ज करेंगे, और 09.01.2023 को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।



		प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर पार्टी के संयोजन हेतु आवेदन पर 9 जनवरी, 2023 को विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सॉल्ट लेक द्वारा सुनवाई की गयी थी। सुनवाई के बाद हमारी ओर से वकील ने रोटोट्रॉन कंटेनर्स (पी) लिमिटेड द्वारा दायर पार्टी के संयोजन हेतु आवेदन के खिलाफ लिखित आपत्ति दायर की। विद्वान न्यायाधिकरण ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल, 2023 की तारीख तय की है। उपर्युक्त मामला सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 1 नियम 10(2) के साथ पठित आदेश 12 नियम 10 के अधीन आवेदन पर विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के समक्ष सुनवाई हेतु तय किया गया था, जिसे सुनने के बाद विद्वान न्यायालय ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18.8.2023 तय करने की कृपा की।
4.	बारासात में विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष 2016 के विविध अपील संख्या 155 टी.के. वेयर हाउसिंग एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड बनाम बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	विद्वान संपदा अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 20 सितम्बर, 2016 के आदेश के विरुद्ध यह अपील है, जिसमें अपीलकर्ता को ₹4,47,20,439 की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अपीलकर्ता प्रतिवादी के अधीन किरायेदार था। प्रतिवादी ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की है। बर्ड्स जूट की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल की गयी है। वसूली तथा मुकदमे को खारिज करने के लिए एक आवेदन भी दाखिल किया गया है। विद्वान न्यायालय द्वारा 27 मार्च, 2018 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें संपदा अधिकारी को अपनी वसूली कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। विद्वान न्यायालय ने 28 जून, 2018 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत से सभी रिकार्ड निचे की अदालत से मंगवाये हैं। उपर्युक्त अपील 20.2.2023 को बारासात में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आयी, लेकिन निचली अदालत के अभिलेख पेश करने के लिए 29.4.2023 को मामले को तय करने बाबत विद्वान अदालत में सुनवाई के बाद कोई निचला रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ। अपर जिला न्यायाधीश 29.4.2023 को उपलब्ध नहीं थे। मामला लंबित है।



5.	द्वितीय सिविल जज (वरिष्ठ डिबीजन), बारासात के समक्ष 2012 कीटी.एस. संख्या 85 2014 की नयी संख्या टाइल सुइट 2651 रोटोट्रॉन कंटेनर्स (पी) लिमिटेड बनाम बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	अगली तिथि 6.12.2023 वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ व्यादेश प्राप्त करने के लिए एक वाद दायर किया था, ताकि उन्हें उक्त परिसर के विकास में हस्तक्षेप करने, वादी को बाधित करने से रोका जा सके। बीजेईएल की ओर से लिखित बयान दायर किया गया है। वादी ने एक पूरक हलफनामा दायर किया है, जिस पर बर्ड जूट की ओर से लिखित आपत्ति दायर की गयी है। बीजेईएल की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए, पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 23 दिसंबर, 2022 की तारीख तय की। वादी द्वारा सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के अधीन याचिका में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया गया, जब वकील बीजेईएल की ओर से उपस्थित हुए और सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 13.03.2023 की तारीख निर्धारित की थी। इस बीच बीजेईएल की ओर से लिखित आपत्ति दायर की जानी है। उपर्युक्त वाद को द्वितीय सिविल जज (सीनियर डिबीजन) बारासात के समक्ष दिनांक 23.12.2022 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। वादी द्वारा सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के अधीन आवेदन में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया गया। हमारे वकील हमारी ओर से उपस्थित हुए और सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 30.3.2023 की तारीख तय की। इस बीच बीजेईएल की ओर से लिखित आपत्ति दायर की जानी है। सुनवाई हेतु तारीख तय नहीं है। चार सिविल मुकदमे हैं; यानी, 2004 का टीएस 185, 2012 का टीएस 85, 2012 का टीएस 97 और 2013 का टीएस 42। कानूनी फर्म द्वारा उन 4 मामलों हेतु एक आवेदन दायर करने की सलाह दी गयी है ताकि उक्त मुकदमों के समेकन और/या समग्र सुनवाई बाबत कलकत्ते में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया जा सके। यह कदम मुकदमे में शामिल मुद्दों के प्रभावी न्यायनिर्णयन के हित में भी होगा और मुकदमे में शामिल मुद्दों के एक साथ न्यायनिर्णयन में टकराव से बचने और अदालतों के निर्णयों और कार्यवाही की बहुलता के बीच टकराव से बचने के लिए भी होगा। वादी द्वारा दायर सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत आवेदन या वाद में संशोधन के लिए 26 जून, 2023 को विद्वान 2य सिविल जज (सीनियर डिबीजन), बारासात के समक्ष मुकदमा तय किया गया था। पीठासीन अधिकारी का तबादला हो गया और विद्वान प्रभारी न्यायाधीश अपने स्वयं के निर्णय में व्यस्त थे, इसलिए उक्त आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी। उक्त आवेदन पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 दिसंबर, 2023 तय की गयी है।



6.	2य न्यायालय, बारासात के समक्ष 2014 की टाइटल सुइट संख्या 97 2014 की नयी संख्या टाइटल सुइट 13252 बी.पी. पोद्दार फाउंडेशन फॉर एजुकेशन बनाम बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	वादी द्वारा यह घोषित करने के लिए मुकदमा दायर किया गया कि संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 57 के तहत बीएल एंड एलआरओ, बैरकपुर द्वारा 21/2/2014 को जारी किया गया नोटिस अवैध, अधिकारहीन और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वादी द्वारा बीजेईएल के खिलाफ अस्थायी व्यादेश के लिए निषेधाज्ञा आवेदन दायर किया गया है, ताकि उन्हें वादी की विवादित संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में बाधा डालने से रोका जा सके। बीजेईएल की ओर से 29 अप्रैल, 2014 के आदेश द्वारा लिखित बयान दायर किया गया, विद्वान न्यायालय ने वादी को व्यादेश का आदेश देने से इनकार कर दिया। वादी ने 29 अप्रैल, 2014 के आदेश को चुनौती देते हुए 2014 की विविध अपील संख्या 99 के रूप में अपील दायर की है जिसे खारिज कर दिया गया है। 9 दिसंबर 2022 को सुनवाई के बाद विद्वान न्यायालय ने वादी को कारण बताने का निर्देश दिया कि मुकदमा क्यों खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इस मुकदमे की अगली सुनवाई 31 जनवरी 2023 को तय की गयी है। कारण बताओ आवेदन की सुनवाई के लिए मुकदमा 31.1.2023 को तय किया गया था। विद्वान जिला न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा लिये गये संकल्प के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। उक्त आवेदन की सुनवाई के लिए मुकदमा 24.3.2023 को तय किया गया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन), 2य न्यायालय, बारासात जेओ कोड डब्ल्यूबी 01009 द्वारा पारित आदेश संख्या 30 दिनांक 24.3.2023। आज का दिन वादी द्वारा कारण बताओ दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में तय किया गया है। वादी बिना कार्यवाही के अनुपस्थित है। कोई कारण बताओ दाखिल नहीं किया गया है। यह घोषणा और स्थायी व्यादेश के लिए मुकदमा है। वादी 9.12.2022 से बिना कार्यवाही के अनुपस्थित है। वादी के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रतिवादी के खिलाफ इस मामले को आगे बढ़ाने में रूचि नहीं रखता है। उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय इस मुकदमे को आगे न बढ़ने के कारण इस मामले को खारिज करने का विचार करती है। अतः, यह आदेश दिया जाता है कि तत्काल मुकदमा चूक के कारण खारिज किया जाता है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

7.	बारासात में विद्वान 2य सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष 2021 की टी.एस. संख्या 736 बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम दक्षिण दमदम नगरपालिका और अन्य	बीजेईएल की भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए दक्षिण दमदम नगरपालिका के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया है। निषेधाज्ञा 29 अप्रैल, 2022 तक के लिए दी गयी है। मामले में प्रतिवादियों की अगली तारीख पर उपस्थिति तय की गयी है। व्यादेश दिया गया है जो 07.12.2022 तक है। मामले में प्रतिवादी की अगली तारीख पर उपस्थिति तय की गयी है। व्यादेश 31.01.2023 तक बढ़ा दी गयी है। अंतरिम आदेश के आगे विस्तार और प्रतिवादियों को समन रिट सेवा वापस करने के लिए आवेदन दायर करने बाबत मामले की अगली तारीख 31.01.2023 तय की गयी है। उपर्युक्त मामला 1.4.2023 को बारासात में विद्वान 2य सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) के समक्ष तय किया गया था और दिनांक 7 अक्टूबर, 2021 को अंतरिम आदेश के विस्तार हेतु एक आवेदन दायर किया गया था, सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश के आगे विस्तार के लिए आवेदन दायर करने और प्रतिवादियों को समन रिट सेवा वापस करने के लिए 17 जून, 2023 तक अंतरिम आदेश बढ़ाने की कृपा की।
8.	डब्ल्यू.पी. संख्या 11297 डब्ल्यू/2012 बर्ड जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड बनाम दक्षिण दमदम नगरपालिका	बीजेईएल की भूमि पर अतिक्रमण तथा बीजेईएल की भूमि पर अवैध जलाशय के निर्माण के खिलाफ रिट याचिका दायर की गयी है। विद्वान न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिए जाने की सूची में यह मामला नहीं आ रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करने की सलाह दी है। पूरक हलफनामा तैयार करने के लिए बीजेईएल की भूमि पर जलाशय, खेल के मैदान तथा पार्टी कार्यालय के निर्माण के विवरण को प्रमाणित करने वाले सभी विवरण तथा फोटोग्राफ भेजे।
9.	2019 की डब्ल्यूपी संख्या 9962(डब्ल्यू) से उत्पन्न 2019 कीसीएन संख्या 2019 की सीएन संख्या 2019 की एमएटी संख्या टी.के. वेयरहाउसिंग एंटरप्राइजेज प्राइ. लिमि. बनाम बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य	याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, जहां ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया था और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
10.	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार एवं काश्तकारी न्यायाधिकरण, सॉल्ट लेक के समक्ष 2022 की ओ.ए. संख्या 434 बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम रोटोट्रॉन कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य	यह अपील एडीएम और डीएल एवं एलआरओ के आदेश के खिलाफ दायर की गयी है, जिसमें एडीएम और डीएल एवं एलआरओ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गयी है। प्रतिवादी की ओर से वकील उपस्थित नहीं हुए।



11.	कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2021 की डब्ल्यूपीए संख्या 21128 बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम दक्षिण दमदम नगरपालिका एवं अन्य	बीजेईएल की भूमि पर दक्षिण दमदम नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध रिट याचिका। यह मामला माननीय न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के समक्ष दिनांक 16.3.2023 की दैनिक वाद सूची की मद संख्या 51 के रूप में प्रस्तुत है। मामले पर अभी विचार नहीं किया गया है। पक्षकारों के वकीलों की सुनवाई करने तथा उक्त घोषणा-सह-एनओसी पर विचार करने के पश्चात, न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा की थी: याचिकाकर्ता के पास उक्त भूमि के स्वामित्व के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य हैं। ऐसी घोषणा करने से पूर्व, नगरपालिका के अध्यक्ष का यह कर्तव्य था कि वे सभी अभिलेखों का सत्यापन करें। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी भूमि के भूखंड के संबंध में मुकदमा वर्ष 2012 से चल रहा है तथा नगरपालिका को अभिलेखों से परामर्श किये बिना ऐसी गलत घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता काफी समय से संपत्ति के लिए मुकदमा लड़ रहा है और जिस दौरान याचिकाकर्ता इस न्यायालय के गलियारों में घूम रहा था, उसी दौरान नगरपालिका ने एलिवेटेड सर्विस जलाशय के निर्माण के लिए भूमि का भूखंड केएमडीए को सौंप दिया। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में उक्त जलाशय से इलाके के निवासियों को पानी वितरित किया जा रहा है। इस स्तर पर, नगरपालिका को उक्त जलाशय को ध्वस्त करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा। अभी एकमात्र वैकल्पिक उपाय याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण पर पर्याप्त मुआवजा देना है। नगरपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, मामले को 16 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नगरपालिका को निर्देश दिया जाता है कि वह उस भूमि के क्षेत्रफल का पता लगाये जिस पर निर्माणकार्य किया गया है और उसका उचित माप करें। माप के समय, याचिकाकर्ता एवं संबंधित बीएल और एलआरओ और अमीन को नोटिस दिया जाएगा। याचिकाकर्ता को अमीन को नियुक्त करने की भी अनुमति दी जाएगी जो भूमि की माप के समय मौजूद रह सकता है। इस न्यायालय के समक्ष हलफनामे के माध्यम से एक रिपोर्ट पेश की जाए जिसमें बताया जाए कि नगरपालिका किस तरह से उत्पन्न समस्या को हल करने का इरादा रखती है। 16 मई, 2023 की सूची “आदेश के लिए” चिह्नित की गयी है। 16 मई को नगरपालिका की ओर से विद्वान वकील ने पूर्व में दिनांक 18.4.2023 को दिये गये हलफनामे के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया। पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय ने उक्त



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

		विस्तार को तत्काल अनुमति देते हुए मामले को आगे के विचार के लिए 21 जून, 2023 का दिन निर्धारित किया। 21.6.2023 को निरीक्षण के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित निर्देश का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगरपालिका पूर्व में दो अवसरों पर न्यायालय द्वारा पारित निर्देश का अनुपालन करने में विफल रही है। नगरपालिका को न्यायालय के निर्देश का तत्काल अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है। 18 अप्रैल, 2023 तथा 16 मई, 2023 के आदेश में उल्लिखित पक्षों को सूचना देकर 28 जून, 2023 तक निरीक्षण किया जाएगा। स्थगित तारीख को इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 30 जून, 2023 की सूची आदेश के लिए चिह्नित की गयी है। मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के समक्ष 30 तारीख को हुई, जिस दिन हमारे अधिवक्ता उपस्थित हुए। दक्षिण दमदम नगरपालिका के अधिवक्ता ने हलफनामे के रूप में रिपोर्ट दाखिल की। पक्षों के वकीलों की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता को हलफनामे पर विचार करने और यदि आवश्यक हो तो 10 जुलाई 2023 तक अपना आक्षेप दायर करने की अनुमति प्रदान की। अगली तिथि 17 जुलाई, 2023 तय की गयी है। केएमडी के विद्वान अधिवक्ता ने 11.4.2023 को एक संसूचना दाखिल की है। हमारे अधिवक्ता ने दक्षिण दमदम नगरपालिका की रिपोर्ट और मुख्य अभियंता, डब्ल्यूओएस (जल आपूर्ति स्कंध), केएमडीए द्वारा जारी 11.4.2023 के संसूचना की एकएक प्रति भेजी।
12.	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार एवं काश्तकारी न्यायाधिकरण, सॉल्ट लेक के समक्ष 2022 की ओ.ए. संख्या 22.10.2022 बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम रोटोट्रॉन कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य	अगली तिथि 12.10.2023 रोटोट्रॉन कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य द्वारा बीजेईएल भूमि दाग संख्या 104 पर अनाधिकृत अतिक्रमण एवं निर्माण के विरुद्ध। बीजेईएल के अधिवक्ता दिनांक 02.09.2022 को उपस्थित हुए। पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई के पश्चात विद्वान ट्रिब्यूनल ने मामले की अगली तिथि 12 अक्टूबर 2023 निर्धारित की।



13.	विविध अपील 29/17 मैसर्स जे.एल. चंद्रा फैमिली ट्रस्ट। विविध अपील 30/17 मैसर्स बेनॉय कुमार चंद्रा फैमिली ट्रस्ट। विविध अपील 31/17 मैसर्स जे.एन. चंद्रा फैमिली ट्रस्ट। विविध अपील 32/17 मैसर्स ए.के. चंद्रा फैमिली ट्रस्ट। विविध अपील 33/17 मैसर्स बिजॉय कुमार चंद्रा फैमिली ट्रस्ट।	अगली तिथि 11.10.2023 विद्वान संपदा अधिकारी द्वारा पारित बेदखली के आदेश को चुनौती देते हुए बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स के खिलाफ सभी पांच विविध अपीलों दायर की गयी हैं और उक्त मामलों की अंतिम तिथि 28.07.2022 को अपील की सुनवाई तय की गयी थी। चूंकि एलसीआर अभी तक विद्वान कोर्ट को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए एलसीआर के लिए अगली तारीख 15.12.2022 तय की गयी है। विद्वान संपदा अधिकारी द्वारा पारित बेदखली के आदेश को चुनौती देते हुए बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के खिलाफ उपर्युक्त सभी 5 (पांच) विविध अपीलों दायर की गयी हैं और मामलों की अंतिम तिथि एलसीआर के लिए 15.12.2022 तय की गयी थी। चूंकि एलसीआर अभी तक विद्वान न्यालय को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए एलसीआर के लिए अगली तारीख 24.3.2023 तय की गयी है। आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख 11.10.2023 है।

कृते आर.के. पटोदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 305091ई

स्थान : कोलकाता

तारीख : 01-12-2023

सिद्धार्थ पटोदी

(साझेदार)

सदस्यता सं. 59144

यूडीआईएन : 22059144बीजीडब्ल्यू1डब्ल्यूडब्ल्यू7520



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च 2023 तक समेकित तुलन पत्र

(₹ लाख में)

		टिप्पणी सं.	31 मार्च 2023 तक (लेखा परीक्षित)		31 मार्च 2022 तक (लेखा परीक्षित)	
(अ)	इक्विटी और देयताएं					
1	शेयरधारकों की निधि :					
	(क) शेयर पूंजी	2	5,579.74		5,579.74	
	(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	(35,153.88)	(29,574.14)	(38,137.45)	(32,557.71)
2	अल्पांश हित	4		-		-
3	गैर-चालू देयताएं					
	(क) दीर्घकालिक उधार	5	24,012.25		24,012.25	
	(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	6	6.77		6.77	
	(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	7	10.08		10.08	
	(घ) होल्डिंग और सहायक कंपनी के बीच असमाधानित अंतर (निवल)	8	159.22	24,188.32	159.24	24,188.34
4	चालू देयताएं					
	(क) व्यापार देय :	9				
	(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि		112.58		112.58	
	(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य को देय राशि		2,194.12		2,137.77	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	10	22,023.34		14,451.07	
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	11	2,006.29	26,336.33	189.08	16,890.49
	कुल			20,950.50		8,521.12
(बी)	परिसंपत्तियां					
1	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां					
	(क) (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	12	801.47		894.24	
	(ii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	12	-		-	
	(iii) समेकन पर सद्भावना		131.73		131.73	
	(ख) गैर-चालू निवेश	13	-		-	
	(ग) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	14	-		-	
	(घ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	15	7.31	940.51	1,788.92	2,814.89
2	चालू परिसंपत्तियां					
	(क) वस्तुसूची	16	322.55		585.32	
	(ख) व्यापार प्राप्त	17	35.59		48.17	
	(ग) नकद और बैंक शेष	18	17,591.00		2,834.39	
	(घ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	19	1,939.86		2,117.85	
	(इ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	20	120.99	20,009.99	120.50	5,706.23
	कुल			20,950.50		8,521.12

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 1
 अन्य व्याख्यात्मक जानकारी 30
 अतिरिक्त विनियामक जानकारी 31
 टिप्पणी 1 से 26 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

आर के पटोदी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
 पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार
 सदस्यता सं. 059144
 यूडीआईएन : 22059144बीजीडब्ल्यू1डब्ल्यूडब्ल्यू7520

स्थान : कोलकाता
 दिनांक : 01.12.2023

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(प्राजक्ता एल. वर्मा)

निदेशक
 डीआईएन : 05117895

(बिमल चंद्र दास)

निदेशक
 डीआईएन : 09485570

(मोहिनी वर्मा)

कंपनी सचिव
 सदस्यता सं. 52405



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु
आय			
1 प्रचालन से राजस्व	21	-	-
2 अन्य आय	22	6,594.46	399.19
कुल आय (1 + 2)		6,594.46	399.19
व्यय			
(क) उपभोग किये गये कच्चे माल की लागत	23	-	-
(ख) तैयार माल और कार्य-प्रक्रिया पर की वस्तु-सूची में परिवर्तन	24	-	-
(ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय	25	106.65	101.87
(घ) वित्त लागत	26	425.80	425.50
(ङ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	12	28.40	34.65
(च) अन्य व्यय	27	929.80	589.72
(छ) पूर्व के वर्षों के सम्बन्ध में समायोजन	28	302.93	16.53
कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ+च)		1,793.58	1,168.27
5 आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (3-4)		4,800.88	(769.08)
6 आपवादिक मदें(कोलन) वस्तु-सूची के मूल्य को लिखें		-	41.99
7 असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (5+6)		4,800.88	(811.07)
8 असाधारण मदें		-	-
9 कर पूर्व लाभ/(हानि) (7-8)		4,800.88	(811.07)
10 कर व्यय			
(क) चालू कर		1,817.21	-
(ख) आस्थगित कर		-	-
(ग) पूर्व के वर्षों हेतु		-	2.13
11 वर्ष हेतु लाभ/(हानि) (9+10)		2,983.67	(813.21)
घटायें: अल्पांश हित		-	-
		2,983.67	(813.21)
12 आय प्रति इक्विटी शेयर	29		
(₹ में, प्रत्येक ₹ 1,000/- के इक्विटी शेयर हेतु)			
मूल		534.73	(145.74)
मंदित		534.73	(145.74)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

1

अन्य व्याख्यात्मक जानकारी

30

अतिरिक्त विनियामक जानकारी

31

टिप्पणी 1 से 26 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

कृते एवं बोर्ड की ओर से

आर के पटोदी एंड कं.

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं. 305091ई

(प्राजक्ता एल. वर्मा)

निदेशक

डीआईएन: 05117895

(बिमल चंद्र दास)

निदेशक

डीआईएन: 09485570

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार

सदस्यता सं. 059144

यूडीआईएन: 22059144बीजीडब्ल्यू1डब्ल्यूडब्ल्यू7520

(मोहिनी वर्मा)

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 52405

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 01.12.2023



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
अ. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
असाधारण मद और कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		4,800.88	(811.08)
निम्न हेतु समायोजन:			
उधार पर ब्याज	425.80		425.50
मूल्यहास	28.40		34.65
पूर्व अवधि मूल्यहास	-		0.39
अधिमान्य शेयरों पर लाभांश प्रदान किया गया	59.28		
लाभांश आय	(0.04)		(0.11)
चल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	(6,239.62)		
बैंक जमा पर ब्याज आय	(208.97)		(249.39)
सरकारी अनुदान के लिए समायोजन (आरक्षित)	(0.10)	(5,935.26)	(0.10)
			210.94
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		(1,134.38)	(600.14)
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम में वृद्धि	212.24		(72.00)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(4.00)		132.59
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	56.35		3.10
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	6,818.72		(149.50)
दीर्घकालिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	-		(1.44)
व्यापार प्राप्त में कमी/(वृद्धि)	12.58		7.89
वस्तु-सूची में कमी/(वृद्धि)	262.77	7,358.66	41.99
			(37.37)
घटाएं: आयकर (निवल)		6,224.28	(637.51)
		34.25	46.80
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद (अ)		6,190.03	(684.31)
ब. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह			
सावधि जमा में (वृद्धि)/कमी	700.24		545.48
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद/(बिक्री)	6,303.99		(2.49)
लाभांश आय	0.04		0.11
स्वीकृत ऋणों में (वृद्धि)/कमी	-		5.00
सावधि जमा पर ब्याज	212.48	7,216.74	254.04
			802.14
निवेश गतिविधियों से निवल नकद (ब)		7,216.74	802.14
स. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह			
भारत सरकार से उधार		-	46.96
उधार पर ब्याज		268.47	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद (स)		268.47	46.96
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+ब+स)		13,675.24	164.79
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		410.85	246.06
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		14,086.09	410.85



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकद प्रवाह विवरण (जारी...)

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क)	नकद और नकद समकक्षों का घटक		
	(i) बैंक खातों में शेष राशि	13,964.29	82.77
	(ii) स्वीप खातों में शेष राशि	121.40	149.35
	(iii) नकद हाथ में	0.40	0.12
	(v) अल्पावधि सावधि जमा	-	178.61
		14,086.09	410.85

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 1
अन्य व्याख्यात्मक जानकारी 30
अतिरिक्त विनियामक जानकारी 31
टिप्पणी 1 से 26 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी
साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन: 22059144बीजीडब्ल्यू1डब्ल्यूडब्ल्यू7520

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 01.12.2023

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(प्राजक्ता एल. वर्मा)
निदेशक
डीआईएन: 05117895

(बिमल चंद्र दास)
निदेशक
डीआईएन: 09485570

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 1 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों के अंग स्वरूप

1.1 समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (कंपनी) और इसकी सहायक कंपनी बर्ड जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (होलिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को सामूहिक रूप से “समूह” कहा जाता है) से संबंधित हैं। सीएफएस को “समेकित वित्तीय विवरण” (एएस-21) पर लेखांकन मानक-21 के अनुसार तैयार किया गया है।

1.2 वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये जाते हैं:

(क) कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को एक साथ जोड़कर पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर संयोजित किया जाता है, जिसमें अवधि के अंत में परिसंपत्तियों, जैसे कि वस्तु-सूची, संपत्ति, संयंत्र व उपकरण, आदि में अप्राप्त लाभ/हानि सहित अंतरसमूह शेष और अंतरसमूह लेनदेन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। शेयरों के अधिग्रहण के समय इक्विटी के अपने हिस्से पर सहायक कंपनी में कंपनी के निवेश की लागत के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में सद्भावना या समेकन पर पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ जैसा भी मामला हो। कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए एक जिम्मेदार निवल आय पर पहुंचने के लिए वर्ष हेतु समेकित सहायक कंपनी के निवल लाभ/हानि में अल्पसंख्यक हित का हिस्सा समूह की आय के तहत समायोजित किया जाता है। समेकित सहायक कंपनियों की निवल शुद्ध परिसंपत्तियों में अल्पसंख्यक हित का हिस्सा कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं और इक्विटी से अलग समेकित तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में अल्पसंख्यक हित की पहचान और मान्यता निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर की जाती है:

- सहायक कंपनी में निवेश किये जाने की तिथि पर अल्पांश को देय इक्विटी की राशि।
- मूल-सहायक कंपनी संबंध के अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में अल्पांश की हिस्सेदारी में संचलन।
- अल्पांशों को देय घाटे को सहायक कंपनी की इक्विटी में अल्पांश हित के तहत समायोजित किया जाता है।
- सहायक कंपनी की इक्विटी में अल्पांश हित पर अल्पांश को देय घाटे की अधिकता को बहुलांश हित के तहत समायोजित किया जाता है।

1.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(क) लेखांकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत संपरिवर्तन के अनुसार प्रोद्भव आधार पर तैयार किये गये हैं तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ख) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण

- संपत्ति, संयंत्र व उपकरण को लागत में से संचित मूल्यहास एवं नुकसान हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया गया है। लागत में क्रय मूल्य एवं परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार अन्य लागतें शामिल हैं, लेकिन इसमें कर अधिकारियों से वसूल किये जाने वाले शुल्क व कर शामिल नहीं हैं।
- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्धारित अचल परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।



टिप्पणी- 1 (जारी...)

(ग) निवेश

दीर्घकालिक निवेश लागत पर किये जाते हैं। दीर्घकालीन निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान तब किया जाता है जब उसे स्थायी प्रकृति का माना जाता है। वर्तमान निवेश, यदि कोई हो, लागत और उचित मूल्य में से कम पर किये जाते हैं।

(घ) वस्तु-सूची

- (i) कच्चे जूट का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जो एफआईएफओ आधार पर निर्धारित होता है, या निवल प्राप्तियोग्य मूल्य पर, जो भी कम हो।
- (ii) तैयार माल का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में सभी प्रत्यक्ष लागत और लागू विनिर्माण उपरिव्यय शामिल हैं।
- (iii) व्यापारिक माल का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्तियोग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- (iv) प्रक्रियाधीन कार्य का मूल्यांकन प्रसंस्करण के विशिष्ट चरण के प्रतिशत के आधार पर अनुमानित लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- (प) भण्डार और कलपुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(ङ) राजस्व मान्यता

राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके। माल की बिक्री, यदि कोई हो, को तब मान्यता दी जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल में स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और अधिनिर्णय खरीदार को हस्तांतरित कर दिये जाते हैं। सेवाओं की बिक्री से राजस्व, यदि कोई हो, ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने पर मान्यता दी जाती है।

(च) सेवा-निवृत्ति और अन्य कर्मचारी हितलाभ

कंपनी के पास अपनी पेंशन पर कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। वर्ष के दौरान सभी कर्मचारी संविदात्मक/प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे थे। इसलिए किसी भी सेवा-निवृत्ति लाभ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

उपदान : तुलनपत्र की तारीख को रोल पर कर्मचारियों के संबंध में वास्तविक देयता के आधार पर उपदान हेतु देयता प्रदान की जाती है।

छुट्टी नकदीकरण : छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता तुलनपत्र की तारीख पर वास्तविक देयता के आधार पर प्रदान की जाती है।

(छ) कराधान हेतु लेखांकन

वर्तमान कर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय कर की राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। वर्ष के लिए बही और कर योग्य लाभ के बीच समय के अंतर के लिए आस्थगित कर का लेखा उन कर दरों और कानूनों का उपयोग करके किया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हैं। समय के अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है और आगे बढ़ाया जाता है कि भविष्य में परिसंपत्तियों की प्राप्ति की उचित निश्चितता हो।

(ज) प्रावधान

एक प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(झ) आकस्मिक देयताएँ/परिसंपत्तियाँ

ऐसी आकस्मिकताएँ जो भौतिक हों और जिनके भविष्य के परिणाम को उचित निश्चितता के साथ सुनिश्चित नहीं किया जा सकता



टिप्पणी- 1 (जारी...)

हो, उन्हें आकस्मिक देयताएँ मानी जाती है और उन्हें अन्य व्याख्यात्मक जानकारी में टिप्पण के माध्यम से प्रकट किया गया हो। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

(ज) नकद और नकद समकक्ष

नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य से, नकद और नकद समकक्ष में चालू और अल्पकालिक सावधि जमा खातों में नकद और बैंक शेष राशि, यदि कोई हो, शामिल है।

(ट) विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में लेनदेन को, यदि कोई हो, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर फिर से मापा जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ठ) परिसंपत्तियों की हानि

यदि संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की वहन राशि रिपोर्टिंग तिथि पर वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो वहन राशि वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। वसूली योग्य राशि को अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य द्वारा निर्धारित शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य में से उच्चतर के रूप में मापा जाता है।

(ड) उधार लागत

विशेषक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होने वाली उधार लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे इच्छित उपयोग हेतु तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधार लागत को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

(ढ) अनुमानों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी जिसके लिए प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गयी राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करने वाले निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। हालाँकि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्रवाइयों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, लेकिन इन मान्यताओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में परिसंपत्तियों या देयताओं की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

(ण) पट्टे

पट्टों पर लेखांकन मानक 19 लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी के पास कोई भी वित्तीय पट्टा समझौता लागू नहीं है।

(त) अमूर्त परिसंपत्तियाँ

कंपनी के पास समेकन से उत्पन्न सद्भावना को छोड़कर कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(थ) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को तब मान्यता दी जाती है जब यह एक उचित आश्वासन हो कि ऐसे अनुदान से जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदान को संबंधित परिसंपत्ति की लागत से घटा दिया जाता है।

ऊपर विशेष रूप से चर्चा नहीं की गयी लेखांकन नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और उनके अनुसार हैं।



टिप्पणी- 1 (जारी...)

1.4 समूह के सीएफएस में शामिल की गयी सहायक कंपनी और उसमें समूह के प्रभावी स्वामित्व हित के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं:

कंपनी का नाम	संबंध	निगमन का देश	समूह के स्वामित्व हित का अनुपात	
			31-03-2023	31-03-2022
बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	सहायक कंपनी	भारत	58.93%	58.93%

टिप्पणी - 2 शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अधिकृत		
₹1,000/- प्रत्येक के 600000 इक्विटी शेयर (31.03.2022 तक: 600000 इक्विटी शेयर)	6000.00	6000.00
जारी, सब्सक्राइब्ड और पूरी तरह से चुकता		
₹1,000/- प्रत्येक के 557974 इक्विटी शेयर (31.03.2022 तक: 557974 इक्विटी शेयर)	5579.74	5579.74
कुल	5579.74	5579.74

अतिरिक्त जानकारी

- क) कुल 557974 शेयरों में से, ₹1,000/- प्रत्येक के 366000 इक्विटी शेयर नकद में भुगतान प्राप्त किये बिना राष्ट्रीयकरण समायोजन खाते के तहत पूरी तरह से चुकता शेयरों के रूप में आवंटित किये गये थे ।
- ख) वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन/संचलन नहीं हुआ है।
- ग) कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका अंकित मूल्य ₹1,000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट और लाभांश के लिए समान अधिकार प्राप्त है।
- घ) तुलनपत्र तैयार होने की तिथि से ठीक पहले पांच वर्षों की अवधि के लिए:
- कंपनी ने नकद भुगतान प्राप्त किये बिना किसी भी अनुबंध के तहत पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई शेयर आवंटित नहीं किया है।
 - कंपनी ने बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई शेयर आवंटित नहीं किया है।
 - कंपनी ने कोई शेयर वापस नहीं खरीदा है।
- ड) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक:

शेयर धारकों का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	(%)	शेयरों की संख्या	(%)
भारत के माननीय राष्ट्रपति	557972	99.98	557972	99.98



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-2 शेयर पूंजी (जारी...)

च) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

शेयर धारकों का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	(%)	शेयरों की संख्या	(%)
भारत के महामहिम राष्ट्रपति	557972	99.98	557972	99.98
अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	1	0.01	1	0.01
आर्थिक सलाहकार	1	0.01	1	0.01
वर्ष के दौरान परिवर्तनों का प्रतिशत	शून्य		शून्य	

टिप्पणी-3 आरक्षित निधि और अधिशेष

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
पूंजी आरक्षित निधि				
सरकारी अनुदान के तहत				
प्रारंभिक शेष	73.27		73.37	
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/हस्तांतरित	-		-	
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग/हस्तांतरित	0.10	73.17	0.10	73.27
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	441.81		441.81	
जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन	-		-	
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग/हस्तांतरित	-	441.81	-	441.81
लाभ और हानि विवरण में (घाटा)				
प्रारंभिक शेष	(38,652.53)		(37,839.32)	
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	2,983.67	(35,668.86)	(813.21)	(38,652.53)
कुल	(35,153.88)		(38,137.45)	

अतिरिक्त जानकारी

पूंजी आरक्षित

- क) आरबीएचएम के संबंध में उपर्युक्त निधियों से प्राप्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के समायोजन के बाद अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए वर्ष 1988-89 में बिहार सरकार से प्राप्त अनुदान की शेष राशि ₹150 लाख के तहत और इकाई किन्निसन के संबंध में उपर्युक्त निधियों से प्राप्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के समायोजन के बाद यूएनडी परियोजना के अंतर्गत रिंग स्पिनिंग फ्रेम की स्थापना के लिए वर्ष 1988-89 में आईजेआईआरए से प्राप्त अनुदान की शेष राशि, ₹5.44 लाख के तहत। 0.57 0.67
- ख) ₹0.01 लाख का आर्थिक साहाय्य, जो 1982-83 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त अनुदान का शेष है, जो अधिग्रहण की तिथि से मूल्यहास के समायोजन के बाद इकाई किन्निसन के संबंध में कैप्टिव डीजल पावर जनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु ₹6.97 लाख की राशि है। (पिछले वर्ष: ₹0.01 लाख) 0.01 0.01



टिप्पणी-3 आरक्षित निधि और अधिशेष (जारी...)

ग) राष्ट्रीयकरण की तिथि पर इकाई आरबीएचएम के संबंध में निवेश के बाजार मूल्य और बही मूल्य के बीच का अंतर।	0.11	0.11
घ) अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम और उत्पाद विविधीकरण की कार्यान्वयन योजना हेतु पिछले वर्षों में भारत सरकार से जूट विशेष विकास निधि से सहायक कंपनी द्वारा प्राप्त अनुदान।	72.48	72.48
	73.17	73.27

पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि

इकाई आरबीएचएम के संबंध में कटिहार में स्थित भूमि तथा कलिम्पोंग और फोर्बेसगंज में स्थित भूमि और भवन के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि (1997-98 में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार) और 31.03.1993 को बही मूल्य के बीच का अंतर (संदर्भ(कोलन) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर टिप्पणी 11 में अतिरिक्त सूचना संख्या 7 और 8)	441.81	441.81
	441.81	441.81

टिप्पणी-4 अल्पसंख्यक हित

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्रारंभिक शेष	-	-
जोड़ें: चालू वर्ष के लाभ/(हानि) का हिस्सा	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-5 दीर्घकालिक उधार

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क) अन्य ऋण और अग्रिम (असुरक्षित)		
i) भारत सरकार से	23,730.77	23,730.77
ii) पश्चिम बंगाल सरकार से	281.48	281.48
कुल	24,012.25	24,012.25

अतिरिक्त जानकारी

- क) भारत सरकार से अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त ऋण आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) और बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित एनजेएमसी की पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना के अनुसार ब्याज मुक्त है। कंपनी ने 2018-19 के दौरान बंदी अधिसूचना के अनुसार ₹20000 लाख चुकाये हैं।
- ख) कंपनी ने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से उपर्युक्त ऋणों के संबंध में कोई सुरक्षा या कोई गारंटी प्रदान नहीं की है।
- ग) कंपनी ने निम्नलिखित के संबंध में ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है:



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-5 दीर्घकालिक उधार (जारी...)

	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	चूक की अवधि	राशि (₹ लाख में)	चूक की अवधि	राशि (₹ लाख में)
पश्चिम बंगाल सरकार से ऋण:				
i) मूलधन	31.03.1994 से	281.48	31.03.1994 से	281.48
ii) ब्याज	31.03.1994 से	1,613.67	31.03.1994 से	1,308.61
कुल		1,895.15		1,590.09
भारत सरकार से गैर-योजना ऋण:				
i) मूलधन		2,159.36		2,159.36
ii) ब्याज				
पिछले वर्ष तक का ब्याज		7,078.13		6,688.99
जोड़ें: चालू वर्ष हेतु		389.21		389.14
कुल		9,626.70		9,237.49

घ) कंपनी को निम्नलिखित के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से औपचारिक सहमति प्राप्त होना बाकी है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर टिप्पणी 11 में अतिरिक्त सूचना 4 में संदर्भित अनुसार उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए प्राप्त होने वाले मुआवजे के तहत ₹281.48 लाख की मूलधन राशि का समायोजन और ₹1613.67 लाख (31.03.2022 को: ₹1308.61 लाख) की उपरोक्त ब्याज राशि में शामिल ₹922 लाख के उपार्जित ब्याज का रूपांतरण।

ड) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से प्राप्त गैर-योजना ऋणों पर उपार्जित और वर्ष हेतु देय ब्याज के लिए ₹389.14 लाख (पिछले वर्ष ₹384.04 लाख) की राशि प्रदान की गयी है, जिसके लिए वस्त्र मंत्रालय से ऋण की पुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकी।

टिप्पणी-6 अन्य दीर्घकालिक देयताएं

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
व्यापार जमाराशि*	6.77	6.77
कुल	6.77	6.77

* बीजेईएल द्वारा विभिन्न पक्षों/किरायेदारों से प्राप्त जमाराशि जो लंबे समय से बहियों में पड़ी हुई है तथा समायोजन एवं समाधान के अधीन है।



टिप्पणी-7 दीर्घकालिक प्रावधान

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
i) छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	-	-
ii) उपदान हेतु प्रावधान	10.08	10.08
कुल	10.08	10.08

अतिरिक्त जानकारी

1. उपदान: चालू वित्त वर्ष के दौरान उपदान का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सभी कर्मचारी अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं।
2. छुट्टी नकदीकरण: उपर्युक्त यथा वर्णित के अनुसार एक ही आधार पर छुट्टी नकदीकरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालाँकि, भुगतान किये जाने पर वास्तविक भुगतान राजस्व खातों में प्रभारित किया जाता है।

टिप्पणी - 8 समाधान के अधीन होल्लिंग और सहायक कंपनी के बीच निवल अंतर

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
होल्लिंग और सहायक कंपनी के बीच असमाधानित अंतर	159.22	159.24
कुल	159.22	159.24

टिप्पणी - 9 व्यापार देय

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i) माल, व्यय और सेवाओं हेतु लेनदार*	2,180.09	2,123.74
ii) व्यापार देय पर दिया गया ब्याज	126.61	126.61
कुल	2,306.70	2,250.35

*बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माल, व्यय और सेवाओं के लिए लेनदारों की कुल राशि ₹191.41 लाख (31.3.2021 तक: ₹150.34 लाख) में कच्चे माल की खरीद और अन्य खर्चों के कारण देयता शामिल है, जो लंबे समय से खाता बहियों में पड़े हुए हैं और समायोजन के अधीन हैं।

31.03.2023 को							
विवरण	अबिलकृत व्यापार देय	भुगतान हेतु बकाया नहीं व्यापार देय	देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु भुगतान बाबत बकाया व्यापार देय				कुल
			1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य	-	-	123.34	2.48	2.54	1,866.85	1,995.22
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	123.34	2.48	2.54	1,979.43	2,107.80



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी - 9 व्यापार देय (जारी...)

(₹ लाख में)

31.03.2022 को							
विवरण	अबिलकृत व्यापार देय	भुगतान हेतु बकाया नहीं व्यापार देय	देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु भुगतान बाबत बकाया व्यापार देय				कुल
			1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य	-	-	76.60	5.08	0.16	1,864.51	1,946.36
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	76.60	5.08	0.16	1,977.09	2,058.94

**व्यापार देयताओं का ब्यौरा और आयु अनुसूची केवल होलिंग कंपनी के संबंध में दी गयी है। सहायक कंपनी के व्यापार देयताओं को उपर्युक्त अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि इस संबंध में आवश्यक जानकारी सहायक कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

(₹ लाख में)

iii) ऊपर दर्शाये गये एमएसएमई बकाया का ब्यौरा :

- क) वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन राशि
 ख) पिछले वर्ष के अंत तक बकाया और देय ब्याज
कुल

31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
55.06	55.06
57.52	57.52
112.58	112.58

टिप्पणी - 10 अन्य वर्तमान देयताएँ

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
i) सांविधिक बकाया (पीएफ और ईएसआईसी में योगदान, रोके गये कर, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, पीएफ और ईएसआई योगदान पर ब्याज/क्षति, आदि)	4947.18	5129.88
ii) अर्जित और देय ब्याज	9,081.01	8,386.74
iii) भुगतान आयुक्त का असंवितरित दावा	40.29	40.29
iv) कार्य-निष्पादन गारंटी	57.47	57.47
v) प्रतिभूति जमा/ईएमडी	2,751.58	92.68
vi) आईएसडीएस निधि पर ब्याज	19.02	19.02
vii) पार्टियों से अग्रिम	4496.95	142.11
viii) संपत्ति कर/नगर निगम कर सहित अप्रदत्त दरें और कर	230.03	242.79
ix) कर्मचारी हितलाभ हेतु देयताएं	338.80	338.15
x) देय लेखापरीक्षा शुल्क	1.73	1.92
xi) संचयी वरीयता शेयरों पर लाभांश हेतु देयता प्रदान की गयी	59.28	-
कुल	22,023.34	14,451.07

अतिरिक्त जानकारी

क) ईएसआई कॉर्पोरेशन और पीएफ कमिशनर द्वारा दावा किये गये क्रम से ₹3550.11 लाख (पिछले वर्ष ₹3550.11 लाख) और ₹592.24 लाख (पिछले वर्ष ₹592.24 लाख) की क्षति के संबंध में बीआईएफआर अनुमोदित योजना के अनुसार सक्षम अधिकारियों से कंपनी द्वारा मांगी गयी छूट अभी भी लंबित है।



टिप्पणी - 10 अन्य वर्तमान देयताएँ (जारी...)

- ख) वर्ष के दौरान एनजेएमसी लिमिटेड ने माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के बाद के आदेश के तहत यूनियन और नेशनल मिल को ब्याज और हर्जाने के रूप में ₹283.09 लाख का भुगतान किया है और एलेक्जेंड्रा एवं किन्निक्सन मिल के तहत ईएसआई अंशदान मांग के लिए ₹1.27 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है। यह भुगतान कंपनी द्वारा ईएसआई क्षति के प्रावधान के रूप में 01.04.2022 तक लेखा पुस्तकों में पड़े हुए ₹3524.19 लाख की अप्रदत्त देयता के विरुद्ध समायोजित किया गया है।
- ग) अप्रदत्त संपत्ति कर में 5, अलीपुर रोड, कोलकाता में परिसर के संबंध में प्रदान की गयी देयता शामिल है, जो मुकदमे के अधीन है। इस प्रकार प्रदान की गयी देयता का विवरण निम्नानुसार है:

	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
मूलधन	70.68	66.23
जुर्माना	7.21	7.21
बाज	38.58	38.58
कुल	116.47	112.02

हालाँकि न तो एनजेएमसी कोई भुगतान कर रही है और न ही केएमसी ने कंपनी पर कोई मांग उठायी है, फिर भी उपर्युक्त प्रावधान एहतियाती उपाय के रूप में किया जा रहा है क्योंकि उक्त संपत्ति का स्वामित्व विवाद में है।

- घ) कर्मचारी हितलाभ के लिए देयताओं में वीआरएस, उपदान, एलटीए, बकाया वेतन आदि के कारण देय ₹243.61 लाख (31.03.2022 तक: ₹243.61 लाख) का पुराना बकाया शामिल है।

टिप्पणी-11 अल्पावधि प्रावधान

	(₹ लाख में)	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आकस्मिकता हेतु प्रावधान (समाधान के बाद कामगारों को देय उपदान के कारण)	189.08	189.08
आय कर हेतु प्रावधान	1,817.21	-
कुल	2,006.29	189.08



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी - 12 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं मूल परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास						निवल ब्लॉक		
	31 मार्च, 2022 को	संयोजन (+)	स्क्रेप में स्थानांतरित (-)	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 तक	वर्ष 2023 हेतु नहीं बिका पर	स्क्रेप में स्थानांतरित परिसम्पत्तियों पर वर्ष 2023 हेतु	बकाया मूल्यहास	स्क्रेप में स्थानांतरित परिसम्पत्तियों पर कुल समेकित मूल्यहास	नहीं बिकी परिसम्पत्तियों पर कुल समेकित मूल्यहास	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण												
(क) भूमि-फ्रीहोल्ड	608.09	-	-	608.09	-	-	-	-	-		608.09	608.09
(ख) भवन व सड़कें	1,088.61	-	85.20	1,003.41	942.21	11.11	-	-	81.06	872.27	131.14	146.40
(ग) संयंत्र और उपकरण	3,906.11	-	2,224.60	1,681.51	3,775.08	9.33	6.96	-	2,166.88	1,624.49	57.02	131.03
(घ) फर्नीचर और जुड़नार	69.87	-	25.57	44.30	67.08	0.12	0.01	-	24.71	42.51	1.79	2.79
(ङ) वाहन	47.43	-	20.69	26.74	45.51	-	-	-	19.96	25.55	1.19	1.92
(च) कंप्यूटर	70.83	-	34.95	35.88	68.78	0.24	-	-	34.17	34.85	1.03	2.05
(छ) रेलवे साइडिंग	2.43	-	2.35	0.08	2.39	-	-	-	2.31	0.08	-	0.04
(ज) कार्यालय उपकरण	22.28	-	2.41	19.87	20.36	0.62	0.01	-	2.31	18.68	1.20	1.92
कुल (अ)	5,815.65	-	2,395.77	3,419.88	4,921.41	21.42	6.98	-	2,331.40	2,618.41	801.47	894.24
पिछले वर्ष कुल (अ)	5,815.65	-	-	5,815.65	4,886.36	34.65		0.39			894.24	929.28
ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	24.86	-	24.86	-	-	-	-	-	-		-	24.86
घटाएँ: प्रावधान	24.86	-	24.86	-	-	-	-	-	-		-	24.86
कुल (ब)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
पिछले वर्ष कुल (ब)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
वर्तमान वर्ष कुल (अ+ब)	5,815.65	-	2,395.77	3,419.88	4,921.41	21.42	6.98	-	2,331.40	2,618.41	801.47	894.24
पिछले वर्ष कुल (अ+ब)	5,813.16	2.49	-	5,815.65	4,886.36	34.65	-	0.39	-	-	894.24	929.28

टिप्पणी - 12 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं मूर्त परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)



टिप्पणी - 12 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी...)

अतिरिक्त जानकारी

- 1) क) भारत सरकार ने 10.10.2018 को एनजेएमसी लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है। सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार, दिनांक 14.06.2018 को जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/5(1)/2014 वित्त (भाग) के मार्फत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बंद किया जाना है।
 - ख) निदेशक मंडल की मंजूरी से एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) और मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड को संयंत्र और मशीनरी आदि के निपटान के लिए ई-नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनांक 14.06.2018 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बंद करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अलावा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को निदेशक मंडल की मंजूरी से एनजेएमसी लिमिटेड की परिसंपत्तियों के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन के लिए एलएमए से पहले की गतिविधियों का जिम्मा सौंपा गया है, जो पूरा हो चुका है।
 - 2) संयंत्र और उपकरणों में इकाई एलेक्जेंड्रा से संबंधित 8 नं. हेराकल मशीनें शामिल हैं, जो राष्ट्रीयकरण की तिथि पर किसी तीसरे पक्ष के पास हैं।
 - 3) भूमि में खड़दह इकाई से संबंधित लीजहोल्ड भूमि शामिल है, जिसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका है।
 - 4) भूमि में खड़दह इकाई की 4.48 एकड़ भूमि शामिल है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टीटागढ थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए अधिग्रहित किया है। मुआवजा राशि प्राप्त होने पर आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
 - 5) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उचित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया है। पूर्व के वर्ष में कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में कुछ अभिलेख तैयार किये गये थे, जो अधूरे हैं और कई मामलों में विभिन्न प्रासंगिक जानकारी और परिसंपत्तियों के उचित विवरण का अभाव है। एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत चल परिसंपत्तियों की अनुमोदित/स्वीकृत रिपोर्ट के अनुसार पुस्तकें, संयंत्र और मशीनरी को अद्यतन कर दिया गया है।
 - 6) 20 दिसंबर, 1980 को जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड के पास संनिहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में 5, अलीपुर रोड, कोलकाता में यूनिटएलेक्जेंड्रा के संबंध में भूमि और भवन शामिल हैं, लेकिन कंपनी के कब्जे में नहीं हैं। यह संपत्ति उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 [(डी एंड आर) अधिनियम, 1951] के अधीन एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड के प्रबंधन के अधिग्रहण की तारीख से पहले ही गिरवी रखी गयी थी और इस तरह के उक्त अधिग्रहण की तारीख को "बिक्री हेतु समझौते" के तहत थी। हालांकि, बिक्री समझौता पूरा नहीं हुआ और प्रबंधन द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत अलीपुर कोर्ट, कलकत्ता में चुनौती दी गयी। अंततः 8 सितंबर, 1981 को उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा का एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि अलीपुर कोर्ट में आगे की सभी कार्यवाही रोक दी जाए। इसके बाद बंधककर्ता ने आई (डी एंड आर) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। इसके बाद, अलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड को 20.12.1980 से जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अधीन राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर इस निगम को परिसंपत्तियां सौंप दी गयीं। इसके बाद बंधककर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक और रिट याचिका दायर की।
- जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों और उनकी वैधता को चुनौती देते हुए। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को चुनौती देते हुए बंधककर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा खारिज कर दिया गया है और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित किया गया है।
- स्थायी वकील मैसर्स फॉक्स एंड मंडल की राय है कि परिसर संख्या 5, अलीपुर, कोलकाता केन्द्र सरकार में संनिहित है, जो कि जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 की धारा 6 के अंतर्गत पुनः एनजेएमसी में संनिहित है और एनजेएमसी सभी बंधकों या ग्रहणाधिकार या भार से मुक्त उक्त संपत्ति का मालिक है। तथापि, एनजेएमसी ने एमओटी के निर्देश पर उनके



टिप्पणी - 12 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी...)

पत्र एफ संख्या 17/16/2006 जेई दिनांक 24/12/2007 के माध्यम राय मांगी है, जिसमें एमओटी ने एनजेएमसी से कानूनी दृष्टिकोण से इस मुद्दे की जांच करने के लिए कहा है।

तदनुसार, एनजेएमसी ने विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या ... के माध्यम मामले को विधि, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय के पास भेज दिया है तथा बैरिस्टर श्री अनिंद कुमार मित्रा को पत्र संख्या एनजेएमसी/सीएमडी/8 दिनांक 28/01/2008 के मार्फत एमओटी को भेजा गया। हमारे डीलिंग वकील मैसर्स फॉक्स एंड मंडल की राय के साथ एनजेएमसी/सीएमडी/08/239 दिनांक 3 अप्रैल, 2008 की राय। एमओटी ने अपनी पत्र संख्या 17/1/2006 जेई दिनांक 30 अप्रैल, 2008 के माध्यम से बताया कि श्री अनिंद कुमार मित्रा, बैरिस्टर और वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ ही साथ विधि एवं न्याय मंत्रालय बेंच सचिवालय, कोलकाता की राय है कि परिसर संख्या 5, अलीपुर रोड का स्वामित्व राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार/एनजेएमसी में संनिहित नहीं माना जा सकता। वहीं दूसरी ओर एनजेएमसी की ओर से स्थायी वकील ने अन्यथा राय दी है। एमओटी ने आगे निर्देश दिया कि एनजेएमसी और भारत संघ (एमओटी) की ओर से जवाब में हलफनामों को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में उपर्युक्त बहुमत की कानूनी राय के आधार पर संशोधित किया जा सकता है जिसमें कानून और न्याय मंत्रालय बेंच सचिवालय कोलकाता की कानूनी राय शामिल है, कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम उक्त संपत्ति पर लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि संपत्ति राष्ट्रीयकरण के समय अलेक्जेंड्रा की संपत्ति नहीं थी। हालांकि, हलफनामों को जून 2019 में दायर किये गये थे।

वर्ष 2019 में 1981 कीरिट याचिका 5292 को बहाल कर दिया गया था, हलफनामों का आदान-प्रदान पूरा हो गया और सुनवाई के लिए आगया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई और प्रगति नहीं हुई है।

चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए खातों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

- 7) आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मैसर्स एसजे कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की 31.03.1993 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, आरबीएचएम इकाई से संबंधित भूमि का मूल्य, जिसका माप 96 बीघा 15 कट्टा, 5 धुर है, को 21.06.2000 को निदेशक मंडल के अनुमोदन से 1999-2000 में ₹373.02 लाख के लिए पूंजीकृत किया गया है।
- 8) भूमि मूल्य में 4.03 एकड़ भूमि शामिल है जिसका मूल्य ₹41.55 लाख है और भवन के मूल्य में ₹27.24 लाख मूल्य की इमारत शामिल है जो कि कलिम्पोंग और फोर्बेसगंज में आर.बी.एच.एम. इकाई में स्थित है, जैसा कि 31.03.1993 को आईआईबीआई द्वारा नियुक्त मैसर्स एसजे कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार है, जिसे 24 दिसंबर, 1997 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसे वर्ष 1997-98 के दौरान पूंजीकृत किया गया था।
- 9) भूमि के स्वत्व विलेख, जो आईआईबीआई के पास बंधक रखे गये थे, वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी को प्राप्त हुए हैं। कुछ स्वत्व विलेख फटे हुए हैं तथा उनकी स्थिति बहुत खराब है। इसलिए उनका भौतिक सत्यापन करना संभव नहीं है।
- 10) संयंत्र एवं मशीनरी जिन्हें त्याग दिया गया है और/या अप्रचलित घोषित किया गया है, उन्हें उनके बही मूल्य पर चालू परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया गया है, जिसकी राशि ₹8.14 लाख (पिछले वर्ष ₹10.01 लाख) है, जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

11)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एलेक्जेंड्रा और नेशनल, जो सभी बंद इकाइयां हैं, की कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया है।	31.03.2017 को सकल ब्लॉक (₹)	31.03.2017 को डब्ल्यूडीवी (₹)
	मिलों का नाम	नियत परिसंपत्तियों का नाम	
	एलेक्जेंड्रा	संयंत्र व मशीनरी	1,48,276.00
	नेशनल	संयंत्र व मशीनरी	37,45,379.30
	कुल		38,93,655.30
			62,907.97



टिप्पणी - 12 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी...)

- 12) कंपनी की नेशनल मिल इकाई में पड़ी चल-अचल परिसंपत्तियों के कुछ मद, जिनका कुल बही मूल्य 31.03.2020 तक ₹28422.16 है, वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंधन द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन के समय नहीं पायी गयी थीं, जिसके लिए कंपनी द्वारा एफआईआर दर्ज करायी गयी है। तथापि, मिल की चल परिसम्पत्तियों की नीलामी से पूर्व बहियों में आवश्यक विवरण दे दिया गया है।
- 13) रजत इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक द्वारा धारा 36(2) के तहत ₹1106.76 लाख की राशि को अपने पक्ष में सुरक्षित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें एनजेएमसी लिमिटेड को उच्च न्यायालय के रजिस्टर के साथ अर्वाइ राशि जमा करने के लिए विशेष निर्देश दिये जाने और एनजेएमसी लिमिटेड की संपत्ति की अभिरक्षा के लिए रिसीवर की नियुक्ति हेतु प्रार्थना की गयी थी, साथ ही एनजेएमसी पर अपनी अचल संपत्तियों के निपटान के लिए व्यादेश बाबत प्रार्थना की गयी थी। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 28.02.2022 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को उपर्युक्त पार्टी के पक्ष में स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत विद्वान मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी के खिलाफ पारित अधिनिर्णय की वैधता को चुनौती देते हुए आवेदन किया है। माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के आदेश के अनुसार, पूरी राशि कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जमा कर दी गयी है।
- 14) फ्रीहोल्ड भूमि में आरबीएचएम कटिहार इकाई के संबंध में 15 एकड़ (लगभग) नाप का भूखंड शामिल है, जिसका स्वामित्व विलेख माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के अधीन है।
- 15) एनबीसीसी (आई) लिमिटेड ने अपनी पूर्व एलएमए रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी ने वर्ष 1904 में 61.18 एकड़ भूमि से शुरुआत की थी। 1959 से 1962 के बीच भूमि बंदोबस्त में इस क्षेत्र को 54.25 एकड़ में फिर से बसाया गया था। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में 53.02 एकड़ भूमि दिखायी गयी है, जिसमें से 48.39 एकड़ बीजेईएल के नाम पर और 4.63 एकड़ पूर्ववर्ती कंपनी (मेसर्स लैंसडाउन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड) के नाम पर है। बीजेईएल ने बीजेईएल के नाम पर भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के उपयुक्त प्राधिकरण के साथ पहले ही मामला उठाया है। 53.02 एकड़ में से 3.07 एकड़ भूमि जो 1961 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिग्रहित की गयी थी, वह भी शामिल है।
- 16) 53.02 एकड़ के मौजूदा राजस्व अभिलेखों में 0.5412 एकड़ भूमि शामिल नहीं है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। कंपनी ने शोभनाथ सिंह और अन्य द्वारा 0.5412 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए न्यायालय में टाइटल सुइट दायर किया है। चूंकि मामला मुकदमे में है, इसलिए मामले के निपटान के बाद खातों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
- 17) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने अपनी प्री-एलएमए रिपोर्ट में कहा है कि इमारतों और चल परिसंपत्तियों की स्थिति ज्यादातर कबाड़ है। दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों का आर्थिक जीवन समाप्त हो चुका है और इसलिए वे आर्थिक रूप से अप्रचलित हैं। कार्यक्षमता के संदर्भ में, कुछ परिसंपत्तियां अभी भी खड़ी हैं और वर्तमान किरायेदारों द्वारा संचालन किया जा रहा है। लेकिन इन संरचनाओं का मूल्य कबाड़ के बराबर होगा क्योंकि अधिकांश इमारतें जीर्णोद्धार स्थिति में पहुँच चुकी हैं। रिपोर्ट को 168वीं बोर्ड बैठक में स्वीकार कर लिया गया और इमारतों तथा भूमि को छोड़कर अन्य परिसंपत्तियों को लिखित मूल्य पर चालू परिसंपत्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया (संचित मूल्यहास के समायोजन के बाद)। इस वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के आर्थिक रूप से अप्रचलित हो जाने के कारण कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-13 गैर चालू निवेश

(रु. लाख में)

31 मार्च,
2023 को

31 मार्च,
2022 को

31 मार्च,
2023 को

31 मार्च,
2022 को

व्यापार निवेश

संख्या

संख्या

सहकारी समितियों में इक्विटी शेयर गैर-उद्धृत

250

250

यूनियन नॉर्थ जूट मिल्स एम्प्लाईज कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड
(अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)*

-

-

सहयोगी कंपनियों में इक्विटी शेयर गैर-उद्धृत

5

5

द किर्निसन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड
(अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)*

-

-

अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर-उद्धृत

180

180

डनकंस एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)

0.01

0.01

111

111

बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)

0.01

0.01

63

63

चेवियट कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*

-

-

0.02

0.02

अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयर गैर-उद्धृत

180

180

हाथीखिरा टी कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*

0.01

0.01

1200

1200

जयपुर उद्योग लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*

0.02

0.02

95

95

बजबज कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*

0.01

0.01

95

95

डेल्टा जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 4/- प्रत्येक)*

-

-

20

20

द गैंगेस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)*

-

-

2

2

एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)*

-

-

26

26

दि एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*

-

-

600

600

विलाड ईंडिया लि. 600 सं. (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)*

0.01

0.01

3

3

लॉरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड 3 सं.
(अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)

0.01

0.01

100

100

वेवरली जूट कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 50/- प्रत्येक)

0.01

0.01

36972

36972

ब्रितानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (परिसमापन में)
(अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)*

-

-

2700

2700

टीटागढ़ जूट फैक्टरी पीएलसी में 1 पाउंड का 2700 स्टॉक
(अंकित मूल्य ₹ 1/- प्रत्येक)*

0.11

0.11

47710

47710

बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड

4.50

4.50

500

500

सोनाकुंडा बेलिंग कंपनी लिमिटेड

0.45

0.45

716

716

बेकर ग्रे एंड कंपनी (1930) (पी) लिमिटेड

1.46

1.46

6.59

6.59



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-13 गैर चालू निवेश (जारी...)

(रु. लाख में)

शेयर/प्रतिभूति/बॉण्ड्स/इकाई
की संख्या

		(ख) अधिमन्य शेयरों में निवेश			
700	700	जे.एफ.लॉ एंड कंपनी लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100/- प्रत्येक)*	-	-	
305	305	सोनाकुंडा बेलिंग कंपनी लिमिटेड के 5% द्वितीय अधिमन्य शेयर	0.24	0.24	
			0.24	0.24	
		(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश एवं अन्य निवेश			
		3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य ₹ 700/- परिपक्व)	0.01	0.01	
		3% रूपांतरण ऋण 1986 (अंकित मूल्य ₹ 5,300/-)	0.04	0.04	
		7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र:			
		पुरानी श्रृंखला	0.05	0.05	
		नयी श्रृंखला	0.15	0.15	
		पश्चिम बंगाल एस्टेट अधिग्रहण मुआवजा बॉण्ड	0.01	0.01	
		12 वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्र	0.01	0.01	
		भारत सरकार 5.5% ऋण 1999 (अंकित मूल्य ₹ 42,500/-)	0.42	0.42	
		12 वर्ष का राष्ट्रीय रक्षा प्रमाणपत्र	0.01	0.01	
		12 वर्ष का राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र	0.04	0.04	
		राष्ट्रीय रक्षा प्रमाणपत्र	0.16	0.16	
			0.90	0.90	
		(घ) डिबेंचर में निवेश - गैर-उद्धृत			
		ईस्ट इंडियन क्लिनिक लिमिटेड, 5% गैर-रिडीमेबल डिबेंचर	0.36	0.36	
10000		ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड का 5% पंजीकृत गैर-रिडीमेबल डिबेंचर स्टॉक 1957	0.10	0.10	
			0.46	0.46	
		कुल	8.21	8.21	
		घटाएँ: प्रावधान	8.21	8.21	
		कुल	-	-	
		*₹ 1,000/- से कम के बही मूल्य को दर्शाता है।			
		उद्धृत गैर-चालू निवेश का कुल बही मूल्य	-	-	
		गैर-उद्धृत गैर-चालू निवेश का कुल बही मूल्य			
		घटाएँ: प्रावधान	-	-	
		कुल उद्धृत और गैर-उद्धृत गैर-चालू निवेश	-	-	
		उद्धृत गैर-चालू निवेश का कुल बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	

अतिरिक्त जानकारी

- (1) इकाई: नेशनल किन्सिन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड (गैर-उद्धृत) के प्रत्येक ₹ 100 के 5 इक्विटी शेयरों का निवेश, पुस्तक मूल्य ₹ 1/-, नेशनल कंपनी लिमिटेड के नाम पर है, जो निगम के नाम पर हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रहा है।
- (2) इकाई: यूनियन कुछ निवेश (बही मूल्य ₹ 8981/-) पूर्ववर्ती यूनियन जूट कंपनी लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत होना जारी रहा।
- (i) कुल निवेशों में से, विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों, ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और जे.एफ. लो एंड कंपनी



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-13 गैर चालू निवेश (जारी...)

लिमिटेड में किये गये निवेशों के संबंध में दस्तावेज राष्ट्रीयकरण के बाद से पता लगाने योग्य नहीं हैं। इस मामले को बोर्ड के समक्ष उठाया गया है और इसे फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में शामिल करने की सलाह दी गयी है जो प्रक्रियाधीन है। हालाँकि, लेखा बहियों में पूरा प्रावधान किया गया है।

- (ii) शेयरों के कुल निवेश में दो (2) बंद कंपनियों में निवेश शामिल है, अर्थात् डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और लॉरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड, जिनका कुल बही मूल्य ₹0.02 लाख है, जिसके तहत पूरा प्रावधान किया गया है।
- (iii) सोनाकुंडा बेलिंग कंपनी लिमिटेड बांग्लादेश के 500 साधारण शेयरों और 305 अदद 5% द्वितीय अधिमान्य शेयरों में बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया निवेश लैंसडाउन जूट कंपनी लिमिटेड के नाम पर था, जो कंपनी का पूर्व नाम था। कंपनी ने वर्ष 1978 में शत्रु संपत्ति के संरक्षक, भारत सरकार (जीओआई) के पास दावे (शेयर प्रमाण पत्र सहित) दर्ज किये थे। भारत सरकार के पास दर्ज किये गये दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश से किसी भी सूचना के अभाव में पूर्ण प्रावधान किये गये हैं।
- (iv) बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड और मैसर्स बेकर ग्रे एंड कंपनी (1930) (पी) लिमिटेड में किये गये निवेश के संबंध में, पिछले वर्षों में पूर्ण प्रावधान किया गया था।
- (v) ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड से 5% पंजीकृत गैर-रिडीमेबल डिबेंचर स्टॉक (1957) पर ब्याज पिछले कई वर्षों से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही, खाता बही में ब्याज का हिसाब नहीं दिया गया है। बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।
- (vi) राष्ट्रीय रक्षा प्रमाणपत्र जिसकी राशि ₹0.16 लाख है, बहुत पहले परिपक्व हो चुका है, लेकिन इन प्रमाण-पत्रों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है और ऐसे प्रमाण-पत्रों पर कोई आय दर्ज नहीं की गयी है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास प्रमाण-पत्र दर्ज कराने के समर्थन में दस्तावेज नहीं दिखाया गया है। बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी-14 दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

	(रु. लाख में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(अरक्षित अच्छा माना गया)		
(i) पूंजी अग्रिम	3.59	3.59
घटाएँ: मशीनरी अग्रिम हेतु प्रावधान	3.59	3.59
कुल	-	-

बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा मशीनरी की खरीद हेतु दिये गये पूंजी अग्रिम लंबे समय से बही खातों में पड़े हुए हैं, जिसके लिए पार्टियों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। पिछले वर्ष में पूरा प्रावधान किया गया है।



टिप्पणी-15 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(i) बैंक में गैर-चालू सावधि जमा	1781.61	-
31.03.2023 के बाद परिपक्व होने वाली बैंक में सावधि जमा	8.67	8.67
(ii) प्रतिभूति जमा	1790.28	8.67
घटाएँ: प्रतिभूति जमा हेतु प्रावधान	1.36	1.36
	1788.92	7.31

(ii) बडुर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की विभिन्न सांविधिक निकायों के पास जमा प्रतिभूति जमा राशि लंबे समय से बहियों में पड़ी हुई है, जिसके लिए पार्टियों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, केवल कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी के पास पड़ी हुई ₹7.31 लाख की जमा राशि को छोड़कर। शेष राशि के लिए प्रावधान पिछले वर्ष में किया गया है।

टिप्पणी-16 वस्तु-सूची

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क) कच्चा माल (लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो)	115.72	133.62
घटाएँ: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	-	0.04
ख) कार्य प्रक्रिया में (अनुमानित लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो)	24.18	63.38
ग) तैयार माल (कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)	32.79	167.51
घटाएँ: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	-	5.03
घ) भंडार और कलपुर्जे (लागत पर)	149.85	382.42
घटाएँ: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	-	156.54
ङ) व्यापार में स्टॉक	-	15.45
घटाएँ: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	-	15.45
कुल	322.55	585.32

अतिरिक्त जानकारी

होलिडिंग कंपनी ने 2015-16 से अपना परिचालन बंद कर दिया है। उस वर्ष से कोई उत्पादन/इन्वेंट्री की बिक्री नहीं हुई है। हालाँकि इन्वेंट्री कंपनी की सुरक्षित अभिरक्षा में पड़ी हुई है, लेकिन स्टॉक में गिरावट के कारण मूल्य में बदलाव हो सकता है। एनबीसीसी लिमिटेड को एनजेएमसी लिमिटेड और बीजेईएल के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन के लिए प्रीएलएमए के रूप में नियुक्त किया गया था। ई-नीलामी से पहले मूल्यांकन के प्रभाव लेखाबहियों में दिये गये हैं और बाद में नीलामी प्रक्रिया शुरू की गयी है। वस्तु-सूची के मूल्य को तदनुसार समायोजित किया गया है और पिछले वर्ष के दौरान मूल्य में परिणामी कमी को लिखा गया है तथा लाभ और हानि के विवरण में असाधारण मद के रूप में प्रभावित किया गया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-17 व्यापार प्राप्त

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	
छह महीने से अधिक अवधि हेतु बकाया			
क) अरक्षित - अच्छा माना गया	35.59	71.73	
- संदिग्ध माना गया	569.50	500.19	
	605.09	548.36	
घटाएँ: संदिग्ध व्यापार प्राप्य हेतु प्रावधान*	569.50	500.19	48.17
ख) अन्य प्राप्य - अच्छा माना गया	-	-	
कुल	35.59	48.17	

*वर्ष के दौरान बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए ₹92.87 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

व्यापार प्राप्तियों का विवरण और काल क्रम अनुसूची:**

(रु. लाख में)

31.03.2023 को व्यापार प्राप्तियों का अवधिवार विश्लेषण								
विवरण	बिना बिल के बकाया	बकाया नहीं	प्राप्तियों की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्त - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	30.81	-	-	-	259.80	259.80
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य हेतु प्रावधान (विवादित + निर्विवाद)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	30.81	-	-	-	259.80	259.80

31.03.2022 को व्यापार प्राप्तियों का अवधिवार विश्लेषण								
विवरण	बिना बिल के बकाया	बकाया नहीं	प्राप्तियों की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
			6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्त - अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्त - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य हेतु प्रावधान (विवादित + निर्विवाद)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80

**व्यापार प्राप्य का ब्यौरा और अवधि निर्धारण अनुसूची केवल होलिंग कंपनी के संबंध में दी गयी है। सहायक कंपनी के व्यापार प्राप्य को उपर्युक्त अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि इस संबंध में आवश्यक जानकारी सहायक कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।



टिप्पणी-18 नकद एवं बैंक शेष

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क) नकद और नकद समतुल्य		
हाथ में नकदी	0.40	0.12
निम्न में शेष राशि :		
(i) बैंक खातों	13,964.29	82.77
(ii) स्वीप जमा खातों	121.40	149.35
(iii) अल्पावधि सावधि जमा	-	178.61
	14,086.09	410.85
ख) अन्य बैंक शेष राशि		
(i) बैंकों के साथ सावधि जमा खातों में :		
(क) 12 महीने से ज्यादा की परिपक्वता अवधि वाले	-	2,309.06
(ख) अन्य सावधि जमा	3,504.91	114.48
(ii) मार्जिन राशि	3.10	3.10
	3,508.01	2,426.64
घटाएँ : मार्जिन राशि के तहत प्रावधान	3.10	3.10
	3,504.91	2,423.54
कुल	17,591.00	2,834.39

अतिरिक्त जानकारी

- क) बैंक खातों में शेष राशि में बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाते में पड़े हुए ₹18.10 लाख शामिल हैं, जिसे प्रमाण पत्र अधिकारी, ईएसआईसी ने अपने बकाया के संबंध में कुर्क कर लिया है। (पिछले वर्ष ₹18.10 लाख)।
- ख) ₹3.10 लाख की मार्जिन राशि एक बहुत पुरानी शेष राशि है जिसे बिना किसी विवरण के आगे बढ़ाया जा रहा है। तदनुसार पूरा प्रावधान किया गया है।
- ग) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड के निम्नलिखित पुराने बैंक खाते जिनमें कोई लेनदेन नहीं किया गया है और वे निष्क्रिय हैं।

बैंकर का नाम		31.03.2023 को बही शेष (₹ में)	31.03.2022 को बही शेष (₹ में)
वैश्य बैंक, एन.एस. रोड, कोलकाता	अपुष्टि	804.15	804.15
सिंडिकेट बैंक, मद्रास	अपुष्टि	963.00	963.00
सिंडिकेट बैंक, कलकत्ता (पीसीएल)	अपुष्टि	683.00	683.00

संबंधित बैंकों से पुष्टि के लिए कदम उठाये गये हैं। पुष्टि प्राप्त होने पर सहायक कंपनी द्वारा उचित समायोजन किया जाएगा।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-19 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
क) ऋण और अग्रिम				
अरक्षित - अच्छा समझा गया	1,083.65		1,083.65	
(संबंधित पक्ष के अलावा) - संदिग्ध माना गया				
घटाएँ: प्रावधान	5.44	1,078.21	5.44	1,078.21
ख) टीडीएस और अन्य आयकर				
- अच्छी मानी गयी	828.78		780.53	
- संदिग्ध मानी गयी	429.52		443.52	
	1,258.30		1,224.05	
घटाएँ: प्रावधान	424.08	834.22	424.08	799.97
ग) सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा शेष राशि				
अरक्षित - अच्छी मानी गयी	-		-	
- संदिग्ध मानी गयी	12.10		12.10	
	12.10		12.10	
घटाएँ: प्रावधान	12.10		12.10	
घ) जीएसटी इनपुट क्रेडिट	-		279.14	
घटाएँ: प्रावधान	-	-	40.70	238.44
ड) जीएसटी टीडीएस अतिरिक्त भुगतान		-		-
च) टीडीएस अतिरिक्त भुगतान		-		-
छ) अन्य*				
अरक्षित - अच्छा समझा गया	25.38		0.21	
- संदिग्ध माना गया	459.72		458.69	
	485.10		458.90	
घटाएँ: प्रावधान	457.67	27.43	457.67	1.23
कुल	1,939.86		2,117.85	

अतिरिक्त जानकारी

1. *अन्य में शामिल हैं

- i) खड़दह इकाई के संबंध में ₹ 11.33 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11.33 लाख) की राशि जो 1982-83 में रेलवे माल के जमा/भुगतान के दुरुपयोग के दौरान धन का प्रतिनिधित्व करती है। मामला विचाराधीन है। हालाँकि, खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।
- ii) नेशनल इकाई के संबंध में ₹ 24.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 24.00 लाख) की राशि नेशनल कंपनी लिमिटेड जूट मिल वर्क्स भविष्य निधि के ट्रस्टियों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में भुगतान की गयी, ताकि ब्रोकरों से प्रतिभूतियों की प्राप्ति न होने के कारण फंड को होने वाले ब्याज की हानि को कवर किया जा सके, इस शर्त पर कि ब्रोकरों से प्राप्त की जाने वाली उक्त प्रतिभूतियों से प्राप्त आय को उक्त ऋण की वापसी हेतु विनियोजित किया जाएगा। चूंकि आय अभी तक वसूल नहीं हुई है, इसलिए कोई समायोजन नहीं किया गया और खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।
- iii) नेशनल इकाई से संबंधित ₹ 32.76 लाख (पिछले वर्ष ₹ 32.76 लाख) की राशि और ₹ 2.24 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2.24 लाख) की राशि क्रम से तैयार माल के स्टॉक के मूल्य के प्रति दावे का शेष और 31 अगस्त, 1986 को आग से नष्ट हुई अचल संपत्तियों के मूल्य के प्रति दावे का शेष है। उपर्युक्त शेष राशि को अस्वीकार करने के बाद नेशनल इंडियोरेंस कंपनी



टिप्पणी-19 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (जारी...)

- द्वारा बीमा दावे का अंततः निपटान किया गया। कंपनी ने मामले को दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विवादों के निपटान के लिए दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यक रूप से मध्यस्थ को आगे भेजने के लिए संबंधित मंत्रालय, नयी दिल्ली को भेजा। मामला अभी तक हल नहीं हुआ है और इसके लिए खातों में पूरा प्रावधान किया गया है।
- iv) कंपनी के अधिकारियों को वीआरएस पैकेज के लिए ₹10.39 लाख की अग्रिम राशि दी गयी है। खातों में ₹10.39 लाख की पूरी राशि के लिए प्रावधान किया गया है।
2. नीलामी में चल परिसंपत्तियों के निपटान पर बढ़ी हुई जीएसटी देयताओं के प्रति संपूर्ण जीएसटी इनपुट क्रेडिट को समायोजित किया गया है।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने हैड्रिक्राफ्ट्स एंड हेंडलूमस एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹1200.00 लाख की राशि का ब्याज मुक्त ऋण दिया है। यह ऋण भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की पत्र संख्या एफ.सं. 21/2/2018/एचएचईसी/पीएसयू दिनांक 03.07.2018 के मार्फत निर्देश के आधार पर दिया गया था। 31.03.2022 को बकाया राशि ₹1078.21 लाख थी। एमओयू की शर्त के अनुसार ऋण की अदायगी ऋण वितरण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री करके की जाएगी।
4. होल्लिंग कंपनी द्वारा स्रोत पर काटे गये आयकर (टीडीएस) की कुल राशि ₹1219.33 लाख है। कर निर्धारण वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	टीडीएस राशि (₹लाख में)
पुराना जमा शेष राशि		13.10
2014-15	2015-16	167.73
2015-16	2016-17	161.76
2016-17	2017-18	412.38
2017-18	2018-19	173.19
2018-19	2019-20	130.52
2019-20	2020-21	54.51
2020-21	2021-22	28.01
2021-22	2022-23	31.46
2022-23	2023-24	46.68
कुल		1219.33

पिछले कर निर्धारण वर्षों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर वापसी तथा उस पर देय ब्याज को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 के संबंध में बकाया मांगों के तहत विभाग द्वारा समायोजित किया जा रहा है। ऐसी मांग के संबंध में विवरण/दस्तावेज कंपनी द्वारा नहीं खोजे जा सके। तदनुसार, कंपनी ने इस मामले को क्षेत्राधिकार वाले आयकर प्राधिकरण के समक्ष उठाया, जिसने प्रासंगिक आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, जिसके तहत उक्त कर निर्धारण वर्ष के लिए मांग उठायी गयी थी तथा कंपनी को सीपीसी-बैंगलोर से संपर्क करने की सलाह दी गयी।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन सीपीसी-बैंगलोर से भी संपर्क किया गया, जिनसे अभी तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

कंपनी इस मामले से उचित तरीके से निपटने का इरादा रखती है तथा आयकर विभाग से आवश्यक जानकारी/विवरण प्राप्त करने के बाद इस संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-20 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
क) जमा राशियों पर अर्जित ब्याज	7.38		10.89	
घटाएँ: प्रावधान	1.80	5.58	1.80	9.09
ख) प्रतिभूति जमा राशि				
अरक्षित - अच्छा माना गया	44.84		44.84	
- संदिग्ध माना गया	11.47		11.47	
	56.31		56.31	
घटाएँ: प्रावधान	11.47	44.84	11.47	44.84
ग) अन्य	229.28		227.48	
घटाएँ: प्रावधान	158.71	70.57	160.91	66.57
कुल	120.99		120.50	

टिप्पणी-21 प्रचालन से राजस्व

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
जूट उत्पादों की बिक्री	-	-
अन्य प्रचालन राजस्व	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-22 अन्य आय

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
क) ब्याज आय				
बैंक जमा से ब्याज	208.97		248.11	
प्राप्त किराया	75.42	284.39	128.77	376.88
ख) अन्य गैर-प्रचालन आय		6,310.07		22.31
कुल	6,594.46		399.19	

अतिरिक्त जानकारी

क) भारत सरकार ने एनजेएमसी लिमिटेड के पुनरुद्धार हेतु ₹48,362 लाख का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है। इसमें से 31.03.18 तक ₹41,571.41 लाख की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें से बची हुई राशि को फिलहाल बैंक में सावधि जमा में निवेश किया गया है। इस पर अर्जित ब्याज को 2011-12 से लगातार कंपनी की आय माना जा रहा है। 31 मार्च, 2016 को जारी ₹144.00 लाख की आईएसडीएस निधि भी सावधि जमा में निवेश की गयी है। यह ब्याज भी ऊपर दर्शाए गए बैंक जमा से ब्याज आय में शामिल है।



टिप्पणी-22 अन्य आय (जारी...)

ख) अन्य गैर-प्रचालन आय में शामिल हैं

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
i) सरकारी अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास समायोजन	0.10	0.10
ii) सीईएससी से ब्याज	-	0.85
iii) स्क्रेप की बिक्री पर लाभ	6,239.62	-
iv) प्रतिलेखित प्रावधान	45.24	2.15
v) आय कर वापसी पर ब्याज	2.67	15.91
vi) अन्य	14.79	1.81
vii) प्राप्त लाभांश	0.04	0.11
viii) बीमा दावा	-	1.37
ix) क्षति से आय (किराया)	7.61	-
कुल	6,310.07	22.31

टिप्पणी-23 उपयोग की गयी कच्चे माल का लागत

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक स्टॉक (किया गया निवल प्रावधान)	133.58	138.57
घटाएँ: स्क्रेप हेतु प्रावधान /हस्तांतरण	17.86	4.99
जोड़ें: खरीद	-	-
	115.72	133.58
घटाएँ: समापन स्टॉक (किया गया निवल प्रावधान)	115.72	133.58
खपत किये गये कच्चे माल की लागत (प्रक्रिया हानि सहित)	-	-

अतिरिक्त जानकारी

i) खपत किये गये कच्चे माल में शामिल हैं:

कच्चा जूट

ii) स्वदेशी

-

100%

आरबीएचएम कटिहार मिल की इन्वेंट्रीज़ वर्ष के दौरान ही खत्म हो गयी है और 2016 के मध्य से अन्य मिलों में कोई परिचालन गतिविधि नहीं है। तत्कालीन बीआईएफआर के अनुसूच भारत सरकार ने नेशनल, यूनियन और एलेक्जेंड्रा मिलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इसलिए कच्चे माल की खपत नहीं हो रही है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-24 तैयार माल, व्यापार में स्टॉक और कार्य-प्रक्रिया में की वस्तु-सूची में परिवर्तन

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
वर्ष की शुरुआत में वस्तु-सूची				
भंडार और कलपुर्जे	225.88		225.88	
तैयार माल	162.48		199.48	
कार्य प्रक्रिया में	63.38		63.38	
	451.74		488.73	
घटाएँ: स्क्रेप के लिए प्रावधान/हस्तांतरण	244.92	206.83	37.00	451.73
साल के अंत में वस्तु-सूची				
भंडार और कलपुर्जे	149.85		225.88	
तैयार माल	32.79		162.48	
कार्य प्रक्रिया में	24.18	206.83	63.38	451.73
वस्तु-सूची में परिवर्तन		-		-

टिप्पणी-25 कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	
वेतन	102.96		98.66	
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान	2.49		2.46	
कर्मचारी कल्याण व्यय	1.20		0.75	
कुल	106.65		101.87	

टिप्पणी-26 वित्त लागत

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	
सरकार से उधार पर ब्याज	425.80		425.50	
कुल	425.80		425.50	



टिप्पणी-27 अन्य व्यय

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 202 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. लाख में)
किराया	19.75	19.73
दरें और कर	17.97	23.28
पेशा प्रभार	10.58	48.17
भाड़ा प्रभार (मशीन एवं कार)	10.06	12.69
यात्रा और परिवहन	15.70	7.43
संचार	0.31	0.45
मुद्रण और लेखन सामग्री	1.96	2.20
कंप्यूटर व्यय	0.61	0.60
बीमा कॉर्पोरेट और शाखा	22.48	21.88
नगर निगम और संपत्ति कर - शाखा	46.28	27.43
मरम्मत और अनुरक्षण - अन्य	7.26	13.95
मरम्मत व कार्यालय अनुरक्षण - शाखा	0.50	1.70
सुरक्षा व्यय - कॉर्पोरेट	46.68	42.06
सुरक्षा व्यय - शाखा	480.63	270.09
बिजली शुल्क - कॉर्पोरेट	18.18	7.27
बिजली शुल्क - शाखा	12.70	12.25
सामान्य व्यय - शाखा	6.41	2.71
उत्पाद शुल्क, बिक्री कर आदि मांग पर भुगतान - शाखा	-	4.92
अन्य सामान्य व्यय - शाखा	3.38	1.14
पीएफ प्रशासनिक व्यय - शाखा	-	0.54
असामान्य हानि (चोरी)	1.84	-
सेवा बाहर से ली गयी	17.55	-
एमएसटीसी सेवा शुल्क	55.81	-
विधि प्रभार	26.39	10.38
बैंक प्रभार	0.22	0.17
संदिग्ध व्यापार और अन्य प्राप्तियों हेतु प्रावधान	93.69	29.06
विविध व्यय	8.38	5.82
देरी से भुगतान पर ब्याज व जुर्माना	-	20.81
विज्ञापन	0.40	0.32
अधिमान शेयर पर लाभांश	1.04	-
	926.76	587.05



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-27 अन्य व्यय (जारी...)

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक :		
क) वैधानिक लेखापरीक्षक :		
i) वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.68	1.67
ख) अन्य लेखापरीक्षक		
i) कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.36	0.51
ii) अन्य लेखापरीक्षा शुल्क	1.00	0.49
	3.04	2.67
कुल	929.80	589.72

टिप्पणी-28 पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
जीएसटी के देर से भुगतान पर ब्याज	-	0.27
ईएसआई के देर से भुगतान पर ब्याज	0.27	-
31.03.1967 से 31.03.2022 तक अधिमान शेयरों पर बकाया लाभांश	58.24	-
अतिरिक्त जमा की गयी सावधि जमा पर ब्याज	(0.54)	0.26
सेवा कर	-	0.75
पूर्व अवधि का व्यय	-	0.12
बैंक प्रभार	0.06	-
पश्चिम बंगाल सरकार से ऋण पर ब्याज	268.46	-
मूल्यहास	-	0.39
सहायक कंपनी से संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों हेतु प्रावधान का उन्मूलन	(23.56)	-
किराया	-	14.74
कुल	302.93	16.53



टिप्पणी-29 आय प्रति शेयर

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कर पश्चात लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	2,983.67	(813.21)
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	557974	557974
आय प्रति शेयर (₹) - मूल	534.73	(145.74)
आय प्रति शेयर (₹) - मंदित	534.73	(145.74)



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-30 अन्य व्याख्यात्मक जानकारी

- 1) भारत सरकार ने 10.10.2018 को एनजेएमसी लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी बर्ड जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार, दिनांक 14.06.2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/5(1)/2014 वित्त(भाग) के माध्यम डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बंद किया जाना है।

निर्देश के अनुसार, ब्याज मुक्त ऋण के पुनर्भुगतान के लिए भारत सरकार को ₹20,000 लाख वापस कर दिये गये हैं तथा संगठनों के निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ अचल परिसंपत्तियों के निपटान के लिए भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को नियुक्त किया गया है और चल परिसंपत्तियों आदि के निपटान के लिए नीलामी एजेंसी के रूप में मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। डीपीई दिशानिर्देशों दिनांक 14.06.2018 और 31.10.2022 के अनुरूप बंद करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही दोनों संगठनों की परिसंपत्तियों के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन के लिए एलएमए पूर्व गतिविधियों का कार्य एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है। एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत एलएमए पूर्व रिपोर्ट को दोनों संगठनों के बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा चल और अचल परिसम्पत्तियों के निपटान की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

2) संबंधित पार्टी लेनदेन

i) पार्टियों का विवरण:

संबंध का विवरण	संबंधित पार्टियों के नाम
नियंत्रण पार्टी	भारत के महामहिम राष्ट्रपति
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री मलय चंदन चक्रवर्ती (सीएमडी)
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	सुश्री मोहिनी वर्मा (सीएस)
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री हेमंत कुमार नंदा (निदेशक)
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री इमान अली मंडल (निदेशक)

ii) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण और 31 मार्च 2022 को बकाया शेष राशि:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ: कंपनी सचिव के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान	4.49	3.10

3) कर्मचारी हितलाभ व्यय में निम्नानुसार निदेशक का पारिश्रमिक शामिल है:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
पीएफ फंड में योगदान	शून्य	शून्य
उपदान	शून्य	शून्य

4) आय प्रति शेयर (ईपीएस)

विवरण	2022-23	2021-22
(क) शेयरों की भारित औसत संख्या	5,57,974	5,57,974
(ख) कर पश्चात लाभ/(हानि) (₹)	2,983.67	-813.21
(ग) आय प्रति शेयर मूल व मंदित (ख/क) (₹)	534.73	(145.74)
(घ) प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	1,000	1,000



30 अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जारी...)

5) विदेशी मुद्रा में आय, व्यय, विप्रेषण:

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क) विदेशी मुद्रा में व्यय/प्रेषण	शून्य	शून्य
ख) विदेशी मुद्रा में आय	शून्य	शून्य

- 6) कंपनी का परिचालन सिर्फ घरेलू बाजार में बिक्री हेतु एकल जूट उत्पाद के विनिर्माण और बिक्री से संबंधित है। इस प्रकार लेखांकन मानक 17 (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत खंड रिपोर्टिंग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- 7) कंपनी के पास वर्ष के अंत में निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति है। हालांकि, पिछले कई वर्षों में हुए भारी घाटे और कंपनी द्वारा विनिर्माण गतिविधियों के निलंबन को देखते हुए, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को विवेकपूर्ण तरीके से मान्यता नहीं दी गयी है क्योंकि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को समायोजित किया जा सके। अपनी स्थापना के बाद से सहायक कंपनी द्वारा लगातार किये गये घाटे को देखते हुए, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गयी है, क्योंकि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके तहत ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूला जा सके।
- 8) कंपनी ने लेखांकन मानक 28 के अनुसार अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर नुकसान हानि का आकलन नहीं किया है। हालांकि, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में शामिल अधिकांश परिसंपत्तियां बहुत पुरानी हैं और उनका डब्ल्यूडीवी पहले से ही महत्वहीन हो गया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

30 अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जारी...)

9) होलिंग कंपनी द्वारा प्रदान न की गयी विवादित देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क)	i) कंपनी के खिलाफ दावों को यूनिट किन्सिन के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रति ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	16.43	16.43
	ii) पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर प्राधिकरण और बिहार वाणिज्यिक कर प्राधिकरण द्वारा कंपनी के खिलाफ दावा "सी" प्रपत्र जमा न करने के संबंध में, कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया और तदनुसार अपील की गयी। (वित्तीय वर्ष 2010-11 ₹0.003 वित्तीय वर्ष 2011-12 किन्सिन ₹0.002 लाख, खड़दह ₹2.88 लाख, वित्तीय वर्ष 2012-13 किन्सिन ₹43.96 लाख, खड़दह ₹38.04 लाख, वित्तीय वर्ष 2013-14 किन्सिन ₹67.02 लाख, खड़दह ₹40.18 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 किन्सिन ₹27.47 लाख, वित्तीय वर्ष 2015-16 किन्सिन ₹3.18 लाख एवं ₹0.01 लाख, वित्तीय वर्ष 2017-18 खड़दह ₹0.11 लाख एवं किन्सिन ₹0.22 लाख)	223.09	223.09
	iii) सेवा कर की मांग	0.10	0.10
	iv) कर निर्धारण वर्ष 1990-91, 2007-08 और 2009-10 के संबंध में आयकर पोर्टल पर प्रदर्शित ब्याज की मांग, जो कंपनी के अनुसार सही नहीं है और जिसके लिए कंपनी ने न्यायिक आयकर प्राधिकरण के समक्ष मामला उठाया है, जिन्होंने सूचित किया कि उन्हें मांग के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और कंपनी को सीपीसी बैंगलोर के समक्ष मामला उठाने की सलाह दी है। तदनुसार एनजेएमसी लिमिटेड ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन स्पष्टीकरण मांगा। एनजेएमसी लिमिटेड को अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।	676.17	676.17
	v) आयकर पोर्टल पर प्रदर्शित टीडीएस चूक और उस पर ब्याज के कारण उठायी गयी मांगें।	1.59	1.59
	कुल	917.38	920.71



30 अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जारी...)

10) (i) होलिंग कंपनी द्वारा प्रदान न की गयी आकस्मिक देनदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को*	31 मार्च, 2022 को
i)	इस निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम प्रदान करने के लिए निगम द्वारा एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड को दी गयी गारंटी	-	0.97
ii)	कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा बिक्री कर प्राधिकरण को जारी की गयी गारंटी	-	0.50
iii)	कंपनी के पूर्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किये गये दावे	राशि निश्चित नहीं	राशि निश्चित नहीं
iv)	कंपनी के लेनदारों द्वारा मांगे गए ब्याज के दावे विभिन्न कानूनी मंचों के समक्ष लंबित हैं	राशि निश्चित नहीं	राशि निश्चित नहीं

*सभी कर्मचारियों को 2011 या उससे पहले वीआरएस दिया गया है। वर्तमान में एनजेएमसी लिमिटेड में वेतन पर कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए इस स्थिति की प्रासंगिकता समाप्त हो गयी है।

(ii) सहायक कंपनी द्वारा प्रदान नहीं की गयी आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
31 मार्च 1967 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के 7% संचयी अधिमान शेयरों पर बकाया लाभांश।	-	57.75
कुल	-	57.75

सहायक कंपनी ने 28.09.93 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में पुराने 7% संचयी अधिमान शेयरों के मोचन और इसके बदले में 15000 14% संचयी अधिमान शेयरों का नया निर्गम करने को मंजूरी दे दी है, जिसमें देय लाभांश के लिए देयता भी शामिल है। सहायक कंपनी ने इस मामले को कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष उठाया, लेकिन चूंकि सहायक कंपनी को बीआईएफआर को संदर्भित किया गया है, इसलिए मामले को आर.ओ.सी. द्वारा लंबित रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सहायक कंपनी ने अपने 7% संचयी अधिमान शेयरों पर देय लाभांश के संबंध में देयता का प्रावधान किया है। इस तरह की देयता सहायक कंपनी द्वारा लाभ और हानि के विवरण में प्रभार के माध्यम से प्रदान की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित इस तरह के लाभांश को “अन्य व्यय” शीर्षक के तहत शामिल किया गया है और पिछले वर्षों के संबंध में सहायक कंपनी द्वारा “पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन” शीर्षक के तहत शामिल किया गया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

30 अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जारी...)

11) समेकित निवल परिसंपत्तियों और लाभ या हानि का विवरण:

इकाई का नाम		शुद्ध परिसंपत्तियाँ यानी कुल परिसंपत्तियाँ में घटाएँ कुल देयताएँ		लाभ या हानि में हिस्सा	
		% समेकित निवल परिसंपत्तियों के रूप में	राशि	% समेकित लाभ या हानि के रूप में	राशि
क.	मूल कंपनी: राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	66.87%	(19775.71)	104.02%	3103.57
ख.	सहायक कंपनी: बडर्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	33.13%	(9798.43)	-4.02%	(119.90)
		100.00%	(29,574.14)	100.00%	2,983.67

12) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

आर के पटोदी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी
साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन: 22059144बीजीडब्ल्यू1 डब्ल्यूडब्ल्यू7520
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 01.12.2023

(प्राजक्ता एल. वर्मा)
निदेशक
डीआईएन: 05117895

(बिमल चंद्र दास)
निदेशक
डीआईएन: 09485570

(मोहिनी वर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405



टिप्पणी-31 अतिरिक्त विनियामक सूचना

(i) कंपनी के नाम पर न रखी गयी अचल संपत्तियों का स्वत्व विलेख

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 18 एए की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन छह बीमार निजी क्षेत्र की जूट विनिर्माण कंपनियों का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिया गया और उसके बाद सक्षम कानूनों के माध्यम से इन कंपनियों की सभी संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों का स्वामित्व केंद्र सरकार में संहित कर दिया गया। राष्ट्रीय जूट मिल का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन किया गया था तथा शेष पांच कंपनियों का राष्ट्रीयकरण जूट कंपनियां (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अधीन किया गया था। इन राष्ट्रीयकृत कंपनियों का स्वामित्व एनजेएमसी लिमिटेड को दिया गया था, जो 3 जून 1980 को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनायी गयी एक नयी कंपनी थी। (राष्ट्रीय जूट मिल 10 जून, 1980 से प्रभावी है तथा शेष पांच मिलें 21 दिसंबर, 1980 से प्रभावी हैं)। एनजेएमसी लिमिटेड के नाम पर न रखी गयी अचल संपत्तियों के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-31 अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी...)

कंपनी के नाम पर न रखी गयी अचल संपत्तियों का विवरण						
तुलनपत्र में प्रासंगिक मदों के अनुरूप	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹)	निम्नलिखित के नाम स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार या कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
संपत्ति संयंत्र और उपकरण	भूमि - यूनिट एलेक्जेंड्रा	₹ 134752 में शामिल है, जो एफएआर में उल्लिखित है, अलग से पता लगाने योग्य नहीं है	एलेक्जेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	हालांकि जूट कंपनी राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अनुसार सभी उल्लिखित संपत्तियां एनजेएमसी लिमिटेड में संनिहित थीं, लेकिन एनजेएमसी के नाम पर उनका हस्तांतरण अभी भी लंबित है।
	भूमि - यूनिट एलेक्जेंड्रा	₹ 4,86,332.00	मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड*	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट नेशनल	₹ 3,183.01	मायारानी देवी	लागू नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - यूनिट नेशनल	₹ 240384.99/- में शामिल है, जो एफएआर में उल्लिखित है, अलग से पता लगाने योग्य नहीं है	नेशनल जूट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	10 जून 1980	
	भूमि - यूनिट किन्सिन	₹ 7911000/- में शामिल है, जो एफएआर में उल्लिखित है, अलग से पता लगाने योग्य नहीं है	द किन्सिन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट किन्सिन		द केबल चूट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट खरदाह	₹ 515136.00	खरदाह कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - यूनिट आरबीएचएम	₹ 2700000.00	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन (पट्टा)	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भवन - अलीपुर रोड	₹ 200000.00	मैकिनॉन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड*	लागू नहीं	21 दिसंबर 1980	
	भूमि - बीजेईएल	₹ 2,50,142/- में शामिल	लैंसडाउन जूट कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	30 जून 1904	नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया, बीएलआरओ के पास मामला लंबित

* अलीपुर रोड, कोलकाता स्थित संपत्ति पर स्वामित्व का मामला मुकदमे में है।



टिप्पणी-31 अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी...)

- ii) कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
iii) पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किये बिना संबंधित पक्षों को दिये गये ऋण और अग्रिमों का विवरण :

				31 मार्च 2023		31 मार्च 2022	
उधारकर्ता के प्रकार	व्यक्तिगत रूप से या अन्य के साथ संयुक्त रूप से दिये गये ऋण/अग्रिम। (व्यक्तिगत रूप से/संयुक्त रूप से)	मांग पर चुकाये जाने योग्य	चुकोती की शर्तें/अवधि निर्दिष्ट है	तुलन पत्र की तिथि पर बकाया राशि (ब्याज सहित)	% कुल का	बकाया राशि (ब्याज सहित)	% कुल का
प्रमोटर							
निदेशक							
केएमपी							
संबंधित पक्ष	सहायक कंपनी को	हां	नहीं	5130.37	81.96%	4898.10	81.72%

iv) पूंजी कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) पूंजी कार्य प्रगति पर हेतु, निम्नलिखित अवधिनिर्धारण अनुसूची दी जाएगी :

सीडब्ल्यूआईपी आयु निर्धारण अनुसूची

क) अवधि निर्धारण अनुसूची

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2023 को				
सीडब्ल्यूआईपी	निम्न अवधि हेतु सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से ज्यादा	
प्रगतिशील परियोजनाएँ स्थगित				-	-
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ					-
कुल					-

	31 मार्च, 2022 को				
सीडब्ल्यूआईपी	निम्न अवधि हेतु सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से ज्यादा	
प्रगतिशील परियोजनाएँ स्थगित				24.86	24.86
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ					-
कुल					24.86

मंत्रिमंडल द्वारा बंद घोषित किये जाने के कारण संपूर्ण सीडब्ल्यूआईपी को निलंबित माना गया है तथा बहियों में 100% प्रावधान किया गया है।

- v) कंपनी के पास विकास के अंतर्गत कोई अमूर्त परिसंपत्तियां नहीं हैं।
vi) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है तथा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ या लंबित नहीं है।
vii) कंपनी के पास चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या किसी भी अन्य वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है।
viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।



राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड

टिप्पणी-31 अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी...)

x) हटायी गयी कंपनियों के साथ संबंध

(रु. लाख में)

हटायी गयी कंपनी का नाम	हटायी गयी कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	हटायी गयी कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना है	31.03.2023 को बकाया शेष राशि	31.03.2022 को बकाया शेष राशि
डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेशित कंपनी	0.01	0.01
लॉरेंस इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड	इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेशित कंपनी	0.01	0.01
सोनाकुण्डा बाइलिंग कंपनी लिमिटेड, बंगलादेश	इक्विटी शेयरों में निवेश (लैंसडाउन जूट कंपनी लिमिटेड के नाम पर धारित, जो सहायक कंपनी का पुराना नाम था)।	निवेशित कंपनी	0.45	0.45
सोनाकुण्डा बाइलिंग कंपनी लिमिटेड, बंगलादेश	अधिमान शेयरों में निवेश (लैंसडाउन जूट कंपनी लिमिटेड के नाम पर धारित, जो सहायक कंपनी का पुराना नाम था)।	निवेशित कंपनी	0.24	0.24
बेकर ग्रे एंड कंपनी	इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेशित कंपनी	1.46	1.46

x) यह आवश्यकता समेकित वित्तीय विवरण स्तर पर प्रासंगिक नहीं है, इसलिए कंपनी ने इसका खुलासा नहीं किया है।



टिप्पणी-31 अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी...)

- xi) कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 87 के अधीन निर्धारित परतों की संख्या से परे कोई निवेश नहीं किया है।
- xii) यह आवश्यकता समेकित वित्तीय विवरण स्तर पर प्रासंगिक नहीं है, इसलिए कंपनी ने इसका प्रकटीकरण नहीं किया है।
- xiii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यवस्था की योजना में प्रवेश नहीं किया है।
- xiv) (क) कंपनी ने किसी भी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित में दर्ज हो या अन्यथा) अग्रिम या ऋण या निवेशित निधियां (उधार ली गयी निधियां या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियां) नहीं दी हैं कि मध्यस्थ को:
 - (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उनकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या
 - (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना;
- (ख) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधि देने वाली पार्टी) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी:
 - (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से निधि देने वाली पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उनकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या
 - (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करेगी।
- xv) कंपनी के पास कोई अघोषित आय नहीं है जो खाता बही में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण (जैसे, तलाशी, सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम 1961 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में वर्ष के दौरान आय (पिछले वर्ष शून्य) के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।
- xvi) सीएसआर गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xvii) कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभाषी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

आर के पटोदी एंड कं.

सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 305091ई

सिद्धार्थ पटोदी

साझेदार
सदस्यता सं. 059144
यूडीआईएन : 22059144बीजीडब्ल्यू1 डब्ल्यूडब्ल्यू7520

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 01.12.2023

(प्राजक्ता एल. वर्मा)

निदेशक
डीआईएन : 05117895

(बिमल चंद्र दास)

निदेशक
डीआईएन : 09485570

(मोहिनी वर्मा)

कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 52405

BLANK



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

CIN: U17232WB1980GOI032768

43rd ANNUAL REPORT

2022-23

C O N T E N T S

Sl. No.	Description	Page No.
1.	Notice of Annual General Meeting	1
2.	Board of Directors & Other Details	2
3.	Director's Report	4
Standalone Financial Statements		
4.	Comments of the Comptroller and Auditor General of India	25
5.	Independent Auditors' Report	26
6.	Annexure to Auditors' Report	36
7.	Balance Sheet	45
8.	Statement of Profit & Loss	46
9.	Cash Flow Statement	47
10.	Notes to the Financial Statement	49
Consolidated Financial Statements		
11.	Comments of the Comptroller and Auditor General of India	84
12.	Independent Auditors' Report	85
13.	Annexure to Auditors' Report	97
14.	Balance Sheet	110
15.	Statement of Profit & Loss	111
16.	Cash Flow Statement	112
17.	Notes to the Financial Statement	114

BLANK



Ref. No. NJMC/43rd AGM/2023-24/5847

NOTICE FOR 43RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED is rescheduled to be held on Friday, 29th day of December, 2023 at 3:00 PM at Registered Office through Video Conference mode to transact the following business:

Ordinary Business :

- 1) To consider and approve to adopt the Annual Accounts (Consolidated & Standalone) comprising Balance Sheet as at 31st March, 2023 and Profit & Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2023 along with the Notes to Accounts, and the report of the Statutory Auditor and comments of Comptroller and Auditor General of India (C&AG) thereon.
- 2) To take note of the appointment of Statutory Auditors and to fix their remuneration as appointed by the Comptroller & Auditor General of India for the year 2023-24.

To consider, and if thought fit to pass, with or without modification the following resolution as an Ordinary Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013 (“The Act”) M/s Salarpuria & Partners (CA9199), Chartered Accountants has been appointed as the Statutory Auditors of the Corporation for the year 2023-24 as per directives of the Comptroller & Auditor General of India at a remuneration of Rs. 1,37,500/- (excluding out of pocket expenses and GST) pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the related rules thereon.

By Order of the Board

**(Mohini Verma)
Company Secretary**

Registered Office :

Chartered Bank Building, 2nd Floor
4, Netaji Subhas Road,
Kolkata -700001

Place : Kolkata

Dated : 29/12/2023

Note:

- 1) A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint an authorized representative to attend and vote instead of himself and he need not be a member.



**BOARD OF DIRECTORS
FROM 01.04.2022 TO 31.03.2023**

Chairman-cum-Managing Director	: Shri Moloy Chandan Chakrabortty
Directors	: Shri Shashi Ranjan Kumar Smt. Prajakta L. Verma (From 02.05.2022) Smt. Madhavi Agarwal (Till 03.02.2023) Shri Bimal Chandra Das
Company Secretary	: Ms. Mohini Verma

**AUDIT COMMITTEE
FROM 01.04.2022 TO 31.03.2023**

Smt. Madhavi Agarwal	: Chairperson (Till 03.02.2023)
Shri Bimal Chandra Das	: Chairman (From 29.03.2023)
Shri Shashi Ranjan Kumar	: Member
Smt. Prajakta L. Verma	: Member (From 02.05.2022)
Shri Moloy Chandan Chakrabortty	: Member

Statutory Auditors	: R. K. Patodi & Co. Chartered Accountants 2, Church Lane, 4 th Floor, Suite No. 404A, Kolkata-700 001

Bankers	: Allahabad Bank UCO Bank Central Bank of India IDBI Bank Union Bank State Bank of India



Registered Office	: Chartered Bank Buildings, 2nd floor, 4, Netaji Subhash Road Kolkata-700001
Mill Units	: Alexandra, P.O. Jagatdal, Dist.: North 24-Parganas, Pin-743125, West Bengal
	: Khardah, P.O. Titagarh Dist. North 24-Parganas, Pin-700019, West Bengal
	: Kinnison, P.O. Titagarh Dist. North 24-Parganas, Pin-700019, West Bengal
	: National Vill. Rajgunj, Sankrail, P.O. Banipur, Dist. Howrah, Pin-711304, West Bengal
	: Union Convent Lane, Kolkata-700015
	: RBHM Katihar, P.O. & Dist. Katihar, Pin-854105, Bihar
Subsidiary Company	: Birds Jute & Exports Limited Regd. Office: Chartered Bank Building, 1st Floor, 4, Netaji Subhash Road, Kolkata-700001
	: Mill Unit 200, Dakshindari Road, (Near V.I.P. Road) Kolkata-700048 (since 1986)



DIRECTORS' REPORT

To
The Shareholders,
National Jute Manufactures Corporation Limited

Gentlemen,

Your Directors have pleasure in presenting the 43rd Annual Report of NJMC Ltd. including Consolidated Audited Accounts for the year ended 31st March, 2023 together with the reports of Statutory Auditors and Comptroller and Auditor General of India thereon.

I. Financial Performance

The summarized performance of the Company for the financial year 2022-23 as compared to the previous year is given below:

Sl. No.	PARTICULARS	Consolidated		Standalone	
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
I	Production (in M. Ton)	NIL	NIL	NIL	NIL
		₹ in Cr.	₹ in Cr.	₹ in Cr.	₹ in Cr.
II.	Revenue from Operations	-	-	-	-
III.	Other Income	65.94	3.99	62.78	3.44
IV.	Net Profit / (Loss) for the year	29.84	(8.13)	31.06	(3.53)
V.	Cash profit / (Loss)	-	-	-	-
VI.	Accumulated Profit/ (Loss)	(356.69)	(386.53)	(257.67)	(288.74)
VII.	Net Worth	(295.74)	(325.58)	(197.45)	(228.51)

The Company has earned a net profit of ₹29.84 crores in comparison to net loss of ₹8.13 crores in previous financial year after consolidation with its subsidiary whereas NJMC Ltd. alone earned a Profit of ₹31.06 crores in comparison to net loss of ₹3.53 crores in previous financial year.

II. Present Status of the Company

The Union Cabinet has approved the closure of the Corporation on 10th October, 2018 and a letter in this regard was forwarded to us vide letter File No.11/18/2014-Jute (Vol III) dated 31st October, 2018. Further, it was also mentioned to follow the closure procedure as per DPE guidelines.

As per the directives, M/s NBCC (I) Ltd. engaged as Land Management Agency was engaged for Pre-LMA activities for verification, assessment and valuation of all movable and immovable property of the Organization. MOU signed with M/s NBCC (I) Ltd. on 09.01.2020 in line with scope of work of NBCC (I) Ltd.

As per the directives M/s MSTC Ltd. has been appointed as an auctioning agency for disposal of movable and immovable assets of NJMC Ltd.

MOU has been signed with MSTC for disposal of movable assets including buildings of NJMC Ltd. on 25.03.2022.

Approval received on 15.09.2022 to initiate the process of e-auction of movable assets in phased manner immediately as per the approved Special Terms & Conditions of e-auction vide "AS IS WHERE IS BASIS and AS IS WHAT IS BASIS" and "NO COMPLAINT BASIS".



As per directions of DPE, an Escrow Account opened with UCO Bank for the purpose of monetization of the non-core assets of NJMC Ltd.

From the e-auction of movable assets of unit Alexandra, RBHM, Kinnison and National Jute Mill, NJMC Ltd. has received total amount ₹ 142.33 crores including GST & TCS.

Regarding Khardah Jute Mill, vendor did not submit the bid value within stipulated time limit, hence NJMC Ltd. forfeited Pre-bid EMD amount ₹ 2.20 cr. as per clause 2.0 of Special Terms & Conditions.

Against the forfeiture of amount of ₹ 2.20 crores, vendor had filed a Writ Petition No. 4751 of 2023, “Sushil Kumar Thard vs NJMC Ltd.” before the Hon’ble Calcutta High Court where NJMC Ltd. was directed to quash the order withholding the pre-bid earnest money deposited by the agency and refund the same within 21 days from the date of judgment.

It is pertinent to mention that NJMC Ltd. appealed Division Bench of Hon’ble Calcutta High Court as well as Hon’ble Supreme Court of India against the Judgment of Single Bench of Hon’ble Calcutta High Court, however, no relief has been received against the judgment. NJMC Ltd. has to pay ₹ 2.20 crores in compliance of the order of Hon’ble Supreme Court to the Vendor.

NJMC Ltd was restricted by the order of injunction to the immovable assets of the Corporation in so far as the usual course of business is concerned vide case AP no. 221 of 2022 & AP No. 89 of Saurabh Muklania vs NJMC Ltd.

Saurabh Muklania, proprietor of M/s Rajat Engineering Works (REW) engage for job work contract, executed between NJMC Ltd. and M/s Rajat Engineering Works (REW) on 16.11.2015 for production of B-Twill Sacking Bags (665 gms). NJMC Ltd. terminated the said contract on 07.03.2016 for non-performance according to the contract. Thereafter M/s Rajat Engineering Works (REW) served upon the corporation a notice for invoking clause of Arbitration as per aforementioned agreement.

The Arbitral Tribunal passed an order amounting ₹ 11,06,76,409/- in favour of M/s Rajat Engineering Works. NJMC Ltd. has filed an application AP 221 of 2023 for setting aside of the Award.

The agency has filed an execution petition EC 22 of 2023. According to the Court Order NJMC Ltd. has deposited the total award amount before the Registrar, Original Side, Calcutta High Court in compliance of Court order to remove the said embargo.

Hence NJMC Ltd. is free for disposal of Building and other immovable assets. Therefore based on the approved Pre-LMA Report-June 2023 of NBCC (I) Ltd., NJMC Ltd. has received approval for disposal of (1) Buildings and Structures of Alexandra Mill, Kinnison Mill and National Mill in West Bengal separately, and (2) identified Assets of Unit Khardah Mill for re-auction of its movable assets as well as e-auction of building and structure through separate auctions for each Mill on **“AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS & CLEAN SWEEP BASIS” and “NO COMPLAINT BASIS” and “WITHOUT ANY LIABILITY AFTER SALE” and “NO WARRANTY OR GUARANTEE AS TO THE CONDITION OF THE IDENTIFIED ASSETS.**

With respect to the auction as mentioned above, only the buildings and structures without any encumbrance as per the list of identified assets will be considered for the forthcoming auctions. The available building and structure will represent the majority of the built-up space.

Broadly the following buildings and structures are to be included for dismantling and disposal (upto ground level) through e-auction:

- 1) Complete factory building including surrounding walls, internal walls, internal rooms, pillars and other structures if any.
- 2) Tool room, workshop, store room, boiler room, sub-station, generator room, transformer room etc.
- 3) Empty go downs which are free from all encumbrances and disputes.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

- 4) All office buildings, labour offices, Quality Control Rooms, training and research centers,
- 5) Abandoned staff and officers residences, guest houses, G.M. Bungalow, recreation clubs and associated rooms, mess rooms, dispensaries, community halls, toilet blocks and similar such presently unused and unoccupied structures etc.
- 6) Chimney with its housing and structures.

Mill wise exclusion list containing the i) places of religious significance ii) buildings and structures under litigation (if any), iii) buildings and structures having one wall common with the Mill Boundary(if any, then only the Common wall portion).

The prospective buyers are restricted for the items listed in the exclusion lists.

ED Bungalow Building situated adjacent to the Mill Premises of Khardah Mill, hereby considered a part of the exclusion list and not to be demolished. The said building be used for necessary day to day office activities including Auction related activities of Mills.

It is pertinent to mention that, your corporation is complying with all the applicable guidelines and regular status update on closure of NJMC Ltd. is being updated to the Ministry of Textiles.

Others Matters:

1. The Corporation has received demand notice from ESI, Kolkata demanding ₹3.33 crores vide letter No.C-21973/11-12/RRC & Ors (41000031560000102)/1139 dated 05.10.2021 after they received ₹1.52 crore as contribution amount on 14.09.2021.

As per directive of the Court NJMC Ltd had paid ₹50 lacs on 20.12.2021 and balance amount i.e. ₹2.83 crores has been paid as per the order of the Honorable High Court dated 29th April, 2022 through DD No. 935640 of Indian Bank, Kolkata Main Branch.

2. Continuous report of theft was reported in unit National of NJMC Ltd. Therefore considering the urgency of the situation and to safeguard the high valued assets, NJMC Ltd. approached Directorate General Resettlement (DGR) Security Agency to provide security services at the said unit. DGR has sponsored M/s 7313/Sisir Kumar Bag Security Agency to take the security charges with effect from 05.05.2022 at 2:00 PM. Total cost for deployment of Security personnel as approximately ₹19.84 lakhs per month plus GST.

3. There were differences in books of accounts of NJMC Ltd. and BJEL on interest part against the loan amount, therefore to keep it uniform by charging extra interest of ₹67.41 lacs upto 2020-21 by NJMC Ltd. and BJEL should book ₹77.72 lacs extra interest in their books of accounts.

Hence, NJMC Ltd. received approval to keep uniform interest of ₹536.92 lacs (during the years 2015-16 to 2020-21) in its the Books as well as in the books of BJEL. Further it was noted that the total interest against principal of ₹477.49 lacs as on 2020-21 would be ₹3829.8 lacs and SBI benchmark prime lending rate was considered for calculation interest from 2021-22 onwards.

4. As per the Index of Charges registered at Registrar of Companies (ROC), three (3) Charges were registered in the year 1981 and modified in the year 1986, in the name of NJMC Ltd and were in open status. Out of three (3), two (2) charges was created with UCO Bank and one (1) with Central Bank of India. However, NJMC Ltd has cleared all the liabilities earlier.

After long persuasion of NJMC Ltd. with the respective Banks all charges has been closed and NJMC Ltd has received "No Dues Certificates" for the respective charges from the said Banks.

5. As per the approved Pre LMA report of NBCC Ltd. for movable assets, list of plant & machinery has been considered as scrap for its disposal in a single lot and accordingly fixed assets register updated by transferring all movable assets to scrap. Further, the process of disposal has been carried out considering all movable assets as scrap.



Hence, it was approved to update fixed assets register of the Company as per approved list of plant and machinery considered as scrap in the Pre- LMA Report of NBCC (I) Ltd. for all units of NJMC Ltd.

Further, the existing difference in present Fixed Assets Register with list of plant and machinery considered as scrap and approved to write off its value amount to ₹(120180.55).

6. NJMC Ltd. has received the consent to transfer the balance amount from the Trustee Banks/ Investment Account and other financial institutions and to RPFC and then the said Bank Accounts to be closed with immediate effect after the transfer of the entire funds to RPFC after deducting bank charges, if any.
7. NJMC Ltd. is in the process of finalization of its total liabilities. Hence, NJMC Ltd has engaged an Audit Firm for assessment and finalization of total liabilities of NJMC Ltd. as on 31.07.2023 for settlement of claimed and unclaimed liabilities through Commissioner of Payments (COP) on behalf of NJMC Ltd. as per laid down procedure in The Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 and as per DPE guidelines.

III. Profit & Loss Analysis

During the financial year under review the company has earned net profit of ₹29.84 crores as against the net loss of ₹8.13 crores in previous financial year after consolidation with its subsidiary whereas NJMC Ltd. alone earned a Profit of ₹31.06 crores as against net loss of ₹3.53 crores in previous financial year.

IV. Subsidiary Company – BJEL

The company has one Subsidiary, namely Birds Jute and Exports Limited (BJEL). Union Cabinet has approved the closure of the organization on 10th October, 2018.

The statement containing the salient features of the Financial Statements of Company's Subsidiary Company under the first proviso to sub-section (3) of section 129 of Companies Act, 2013 is enclosed as AOC-1, the Annual Accounts of the Subsidiary Company shall be made available to the Shareholders on demand.

V. Memorandum of Understanding (MOU)

No Memorandum of Understanding (MOU) has been signed during the year under review.

VI. Corporate Governance

Company Philosophy

The Company's philosophy on Corporate Governance is aimed at the attainment of high level of transparency, accountability and compliance of law in all facets of operations, leading to best standards of Corporate Governance.

The Company complies with the requirement of Corporate Governance as per Guidelines for Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

Board of Directors and details of Meetings attended during the year as on 31.03.2023

Pursuant to the Articles of Association, all the Directors are appointed by the Government of India. The current composition of the Board of Directors and Meetings attended during the year are as follows:

Name of Director	Designation	Particulars of Board Meetings held during the year (1 st April, 2022 - 31 st March, 2023)						Whether AGM Attended
		31 st May 2022	15 th Sept. 2022	15 th Nov. 2022	5 th Dec., 2022	31 st Dec., 2022	29 th March 2023	31 st Dec., 2022
Shri Moloy Chandan Chakraborty, Jute Commissioner	Chairman-cum-Managing Director (Addl. Charge)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Shashi Ranjan Kumar, AS & FA	Govt. Nominee Director	Yes	LoA	LoA	LoA	LoA	LoA	No
Smt. Prajakta L. Verma, JS (Appointment w.e.f. 02.05.2022)	Govt. Nominee Director	Yes	Yes	LoA	Yes	LoA	Yes	No
Smt. Madhavi Agarwal (Cessation w.e.f. 03.02.2023)	Non Official Independent Director	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	NA	Yes
Shri Bimal Chandra Das	Non Official Director	LoA	LoA	LoA	Yes	Yes	Yes	No

Note:

- i. Smt. Prajakta L. Verma, Joint Secretary has been appointed as Govt. Nominee Director w.e.f. 02.05.2022 vide letter no. 11/25/2014-Jute from Ministry of Textiles, Jute Section, Govt. of India dated 2nd May, 2022.
- ii. Cessation of tenure of Smt. Madhavi Agarwal, Non-Official Independent Director w.e.f. 03.02.2023.

Audit Committee

The Audit Committee of your Corporation was constituted in accordance with the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and regulations incidental/ancillary thereto to follow a good corporate practice keeping in view its basic requirement. The Audit Committee comprises of five (5) members and the quorum of the Audit Committee is two members. The present members of the Audit Committee comprises of:

Sl. No.	Name of Directors
1	Smt. Madhavi Agarwal, Non-Official Independent Director - Chairperson (Till 03.02.2023)
2	Shri Bimal Chandra Das Non-Official Director - Chairman (From 29.03.2023)
3	Shri Shashi Ranjan Kumar, Govt. Nominee Director - Member
4	Smt. Prajakta L. Verma, Govt. Nominee Director - Member (From 02.05.2022)
5	Shri Moloy Chandan Chakraborty, Chairman cum Managing Director - Member.



The current composition of the Audit Committee and Meetings attended during the year are as follows:

Name of Director	Designation	Particulars of Audit Committee Meetings held during the year (1 st April, 2022 - 31 st March, 2023)					
		31 st May 2022	15 th Sept. 2022	15 th Nov. 2022	5 th Dec., 2022	31 st Dec., 2022	29 th March 2023
Smt. Madhavi Agarwal, Non-Official Independent Director (Cessation w.e.f. 03.02.2023)	Chairman (till 03.02.2023)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	NA
Shri Bimal Chandra Das, Non-Official Director	Chairman (from 29.03.2023)	LoA	LoA	LoA	Yes	Yes	Yes
Shri Shashi Ranjan Kumar, AS & FA	Member	Yes	LoA	LoA	LoA	LoA	LoA
Smt. Prajakta L. Verma, JS (Appointment w.e.f. 02.05.2022)	Member	Yes	Yes	LoA	Yes	LoA	Yes
Shri Moloy Chandan Chakraborty, Jute Commissioner, CMD (Addl. Charge)	Member	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

- ❖ The Audit Committee was reconstituted with the inclusion of Smt. Prajakta L. Verma, Joint Secretary as Member of the Committee.
- ❖ Cessation of the tenure of Smt. Madhavi Agarwal, Non Official Independent Director with effect from 03.02.2023 and thereafter Shri Bimal Chandra Das was designated as Chairman of the Committee w.e.f. 29.03.2023.
- ❖ The Company Secretary shall act as the Secretary to the Committee.

A brief description of the terms of reference of the Audit Committee are:

- a) Examination of the financial statement and auditor's report thereon.
- b) The recommendation for remuneration of auditors of the Company.
- c) Review and monitor the auditors' independence and performance and effectiveness of audit process.
- d) Approval or any subsequent modification of transactions of the Company with related parties.
- e) Scrutiny of inter-corporate loans and investments.
- f) Valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary.
- g) Evaluation of internal financial control and risk management system.
- h) Monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters, if any.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

General Body Meetings:

		2019-20 (40 th AGM)	2020-21 (41 st AGM)	2021-22 (42 nd AGM)
01	Date	31.12.2020	09.11.2021	31.12.2022
02	Day	Thursday	Tuesday	Saturday
03	Time	03:45 P.M.	03:30 P.M.	12:45 P.M.
04	Venue	Office of the Jute Commissioner, (Through Video Conferencing), C.G.O. Complex, 3rd MSO Building, 4th Floor, DF Block, Salt Lake City, Kolkata – 700064	Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi-110011.	Registered Office (Through Video Conferencing), Chartered Bank Buildings, 2nd Floor, 4 N. S. Road, Kolkata- 700001

Disclosures

- Disclosures required under the Companies Act, Accounting Standard practice and other Applicable Acts/Rules.
- Employees are free to report of violation of Rules/Regulations to their Supervisors/CVO/CMD.
- The requirements as specified in the applicable guidelines have been complied with as far as possible/ applicable to it.
- Presidential Directives issued by the Central Government have been complied with.
- No expenditure which is not for the purpose of business booked in the Books of Account.
- No expenditure which is personal in nature has been incurred.

a. Other Information

- Board / Audit Committee Meeting and procedure: The information usually placed before the Board includes:
 - Confirmation of the Minutes.
 - Follow up action on decisions taken in the Board Meeting.
 - Updated status report on various issues.
 - Legal Matters.
 - Annual Accounts.
 - Auditors report including Concurrent Auditors' report.
- Agenda for Board/Audit Committee Meetings: On fixation of dates of the Board/Audit Committee Meetings, the Agenda papers are prepared and are circulated to the Directors/Members within a stipulated time. Similarly the draft minutes of the meeting are circulated to the Directors/Members for their consideration and approval.
- Post Meeting Follow up Mechanism: Follow up Reports on decisions recorded in the Minutes of the previous meetings are discussed at the immediately succeeding meeting of the Board/Committee.
- Recording of Minutes at Board/Committee Meetings: The Minutes of the proceedings of each Board/Committee Meetings are recorded by the Company Secretary. The Minutes are subsequently confirmed in the following Meeting of the Board/Committee and entered in the Minutes Book accordingly.

Code of Business Conduct

The Company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations.



VII. DIVIDEND

Since, the Corporation has accumulated loss of ₹356.69 crores as per consolidated Statement of Accounts and accumulated loss of ₹257.67 crores as per Standalone Statement of Accounts of NJMC Ltd. for the financial year ended 31st March 2023.

The Corporation is under the process of closure in pursuance of a decision of the parliament and is suffering continuous loss, also has accumulated losses.

Therefore, your Directors do not recommend any amount as dividend during the year 2022-23.

VIII. TRANSFER TO RESERVES

During the year under review, the Board of Directors does not recommend to transfer any amount to the reserves.

IX. VIGILANCE

Vigilance Awareness Program was observed from 31.10.2022 to 06.11.2022. During the said period, pledge (physical as well as e- pledge) was taken by all the employees of the Corporation to bring transparency in all spheres of activities for the eradication of corruption

During the year under review, Shri Iman Ali Mandal, COO & DGM, NJMC Ltd. was handed over the charge of Part time Chief Vigilance Officer (CVO) w.e.f. 05.10.2018 and continuing since then.

X. PROMOTION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation has been making continuous efforts to implement the directives of Official Language Policy of Govt. of India during the year under review.

XI. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

As required by Section 134(3) (c) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:

- (i) In the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March 2023, the applicable accounting standards have been followed alongwith proper explanation relating to material departures;
- (ii) The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at 31st March 2023, and of the profit and loss of the Company for that period.
- (iii) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (iv) The Directors had prepared the annual accounts for the year 2022-23 on a going concern basis.
- (v) The Company being unlisted, sub clause (e) of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 pertaining to laying down internal financial controls are not applicable.
- (vi) They have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all the applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

XII. BOARD OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

• Board of Directors

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri Moloy Chandan Chakraborty Jute Commissioner and Chairman cum Managing Director (Additional Charge)	Chairman
2.	Shri Shashi Ranjan Kumar, AS & FA	Govt. Nominee Director
3.	Smt. Prajakta L. Verma	Govt. Nominee Director
4.	Smt. Madhavi Agarwal	Non-Official Independent Director
5.	Shri Bimal Chandra Das	Non-Official Director

NOTE:

• Directors

- Smt. Prajakta L. Verma, Joint Secretary has been appointed as Govt. Nominee Director w.e.f. 02.05.2022 vide letter no. 11/25/2014-Jute from Ministry of Textiles, Jute Section, Govt. of India dated 2nd May, 2022
- Cessation of tenure of Smt. Madhavi Agarwal, Non-Official Independent Director w.e.f. 03.02.2023

• Key Managerial Personnel

Ms. Mohini Verma has been appointed as the Company Secretary of the Corporation w.e.f. 1st February, 2022.

XIII. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Related Party Transactions made with the Subsidiary companies were exempted being transactions between two government companies and transactions entered between a holding and its Subsidiary Company whose accounts are consolidated with holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval. Hence, Form AOC-2 is not prepared.

There are no materially significant related party transactions made by the Company which may have potential conflict with the interest of the Company.

The Company has not entered into any transaction with the Related Parties in contravention of Section 188 of the Companies Act, 2013.

XIV. RTI ACT, 2005

Your Corporation implemented the Right to Information Act, 2005 with the appointment of a Central Public Information Officer at the Registered Office. The information sought for is provided within stipulated time.

XV. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

During the year under and in the preceding financial years the Corporation has continuous loss and the Cabinet has also approved the closure of the Corporation on 10.10.2018, hence CSR provisions under section 135 of the Companies Act, 2013 and related rules are not applicable to your Corporation.

XVI. DEPOSITS

During the period under review, your Corporation has neither accepted nor renewed any deposits.



XVII. DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013.

During the year under review, there were no cases filed pursuant to The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013.

XVIII. ORDERS PASSED BY REGULATORS/COURTS/TRIBUNALS.

- i. Court vide reference AP/89/2022, order dated 28.02.2022 allowed the prayer of injunction of M/s Rajat Engineering in respect to the immovable property of the respondent. The Court also made it clear that *“the order of injunction is restricted to the immovable assets of the respondents except insofar as the usual course of business is concerned”*.

Thereafter, application under Sec 34 of Arbitration Act is filed on 19.04.2022 on the grounds of the illegality of the Award passed by the Ld Arbitration Tribunal against NJMC Ltd.

Then the Opposite Parties has filed an Execution Application being E.C. Case No. 22 of 2023, where the Single Bench of Hon'ble Justice. S. B Saraf vide its order dated 31.01.2023 directed the Corporation to deposit 75% of the awarded sum as cash deposit within the period of six weeks from the date of order issued, with the Registrar, Original Side, Calcutta High Court and the balance amount by way of Bank Guarantee before the Registrar Original Side with any Nationalized Bank with an additional clause of renewal of the Bank Guarantee every year with an increment of 5% per annum and atleast one month before the scheduled date of expiry.

As per the order Hon'ble Justice. S. B Saraf dated 31.01.2023, in the event of the above order of security is carried out by the award debtor, AP/89/2022 shall stand disposed of along with the order passed therein. The orders passed in AP/89/2022 shall also stand vacated.

- ii. The writ petition was filed in Patna High Court (CWJC No. 1850 of 2018) by M/s Rajesh Kumar, a proprietor alleged that they had supplied Jute to NJMC Ltd in 2015 as a result raised claim of Rs. 15,82,609/- which remain unpaid.

Ex-Parte Order was passed on 29.10.2018 to pay outstanding due to the petitioner.

NJMC Ltd. has filed a Review Petition (Civil Revision No. 233 of 2019) before Patna High Court. Hon'ble Patna High Court passed an order on 31.08.2022 and disposed off the review petition, leaving it open to the NJMC Ltd to determine the admitted outstanding dues required to be paid to the opposite party, which in any case, shall be determined and paid within a period of four weeks from the date of /order passed by J. Mohit Kr. Jha.

XIX. MATERIAL CHANGES & COMMITMENTS

Following material changes and commitments have occurred between the end of the financial year to which the financial statements relate and the date of this Report and their impact on financial position of the company is not determinable.

1. NJMC Ltd. paid ₹9,48,000/- in compliance of court order of Civil Revision No. 233 of 2019, CWJ 1850 of 2018 NJMC Ltd. -vs- M/s Rajesh Kumar at Patna High Court on 25.07.2023.
2. NJMC Ltd. received approval on Pre-LMA Report-June 2023 of NBCC (I) Ltd., submitted for verification, assessment and valuation of immovable assets of NJMC Ltd. to initiate the process of disposal of immovable assets of NJMC Ltd.

Separate auctions for each Mill to be initiated starting from the auctioning of identified movable and immovable assets (Buildings & Structures only) of Khardah Mill, followed by the auctioning of identified assets (Buildings & Structures only) of National Mill, Alexandra Mill and Kinnison Mill successively, **“AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS & CLEAN SWEEP**



BASIS” and “NO COMPLAINT BASIS” and “WITHOUT ANY LIABILITY AFTER SALE” and “NO WARRANTY OR GUARANTEE AS TO THE CONDITION OF THE IDENTIFIED ASSETS.” as per approved Special Terms & Conditions.

3. With respect to AP/89/2022, order dated 28.02.2022, NJMC Ltd. has deposited a cheque of ₹8,30,07,307/- dated 21.04.2023 in favour of The Registrar, Original Side, High Court Calcutta. Further, NJMC Ltd. has paid cash security of ₹2,76,69,102/- through Demand draft issued dated 02.08.2023 in favour of Registrar, Original Side, Calcutta High Court and respondent cost of ₹20,000/- was paid through cheque dated 10.08.2023 in the favour of M/s Rajat Engineering in compliance of Court order.
4. A Writ petition No. 4751 of 2023, “Sushil Kumar Thard vs NJMC Ltd.” before the Hon’ble Calcutta High Court. Where, NJMC Ltd. to quash the order withholding Rs. 2.20 crores pre-bid earnest money deposited by the agency and refund the same within 21 days from the date of judgment.

Aggrieved with the judgment, NJMC Ltd. has filed MAT No. 2068 of 2023, (NJMC Ltd. vs Sushil Kr. Thard), before the Hon’ble Division Bench of Calcutta High Court. The matter was heard on 17.10.2023, NJMC Ltd. was directed for compliance of the direction of the Learned Single Bench and extended the time by a period of 21 days from the date of order. NJMC Ltd. has filed a Special Leave Petitions (SLP) No. 25436 of 2023 (Diary No. 46006 of 2023), NJMC Ltd. vs Sushil Kr. Thard before the Hon’ble Supreme Court on 03.11.2023, against the Judgment passed by the Learned Division Bench of Hon’ble Calcutta High Court.

Supreme Court has dismissed the matter on 28.11.2023

XX. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

As required to be disclosed under the Companies Act, details relating to conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo are given in the Annexure-I attached hereto and forms part of this Report.

XXI. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The details forming part of the Extract of Annual Return in form MGT-9 as required under Section 92 of the Companies Act 2013 read with Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed herewith as Annexure-II and forms part of this report.

XXII. RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD COMMUNITIES

Government of India has approved the closure of the Corporation on 10.10.2018. At present no permanent employee exists in the roll of the company, thus the above is not applicable.

XXIII. HUMAN RESOURCE POLICY AND INDUSTRIAL RELATIONS

In view of ongoing closure of the Corporation, NJMC Ltd. was suggested to operate the business with Contractual manpower, accordingly manpower are engaged on contractual basis. The recruited manpower is selected through agencies/ service providers and in conformity with the PSU selection process of open advertisement to get the best pool of manpower.

XIV. STATUTORY AUDITORS

M/s. R. K. Patodi & Co, Chartered Accountants, Kolkata has been appointed as the Statutory Auditors by the Comptroller And Auditor General of India for the financial year 2022-23 pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under as amended from time to time.



Your Corporation is not required to conduct Cost Audit pursuant to Section 148 of the Companies Act, 2013 in view of the ongoing closure of the Corporation and the Company has stopped all its production.

XXV. AUDIT OBSERVATIONS AND COMMENTS

During the year under review, the observations made by the statutory auditors are self explanatory and do not call for further comments under section 134 (3) (f) of the Companies Act, 2013.

XXVI. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

The Corporation has an internal control system in place which is reviewed periodically. As a measure of internal control, the management has in place Internal Audit which is conducted by a team of Chartered Accountants every year.

XXVII. REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

The Comptroller and Auditor General of India, has reviewed the accounts of your company and their comments has been placed in Annexure III.

XXVIII. ACKNOWLEDGEMENT:

Your Directors are grateful to the various Ministries of the Government of India particularly the Ministry of Textiles, Ministry of Finance and the Department of Public Enterprise for their support and guidance to the company from time to time. They are also thankful for the co-operation received from the Government of West Bengal and Bihar. The Directors also place on record the continued association and support received from Company's Bankers, C&AG, Statutory Auditors and all its employees.

For and on behalf of the Board of Directors

(Prajakta L. Verma)
Director
DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)
Director
DIN: 09485570

Place : New Delhi
Date : 19.12.2023



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

Form AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/associate companies/joint ventures

Part “A”: Subsidiaries

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in ₹)

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Name of the subsidiary	Birds Jute & Exports Ltd.
2.	The date since when subsidiary was acquired	29.09.1986
3.	Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	NA
4.	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries	NA
5.	Share capital	3948000
6.	Reserves & surplus	(151087000)
7.	Total assets	90343000
8.	Total Liabilities	15972665000
9.	Investments	NIL
10.	Turnover	NIL
11.	Profit before taxation	(33324000)
12.	Provision for taxation	NIL
13.	Profit after taxation	(33324000)
14.	Proposed Dividend	NIL
15.	% of shareholding	58.92

(Prajakta L. Verma)
Director
DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)
Director
DIN: 09485570

(Mohini Verma)
Company Secretary
ACS : 52405



ANNEXURE - I

Disclosure of particulars with respect to conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo.

A. Conservation of energy:

As the Corporation has received the Union Cabinet approval for the closure dated 10th October, 2018 the conservation of energy clause has lost its relevancy with the discontinue of operation and closure of all mills.

B. Technology Absorption

As the Corporation has received the Union Cabinet approval for the closure dated 10th October, 2018 the technology absorption clause has lost its relevancy with the discontinue of operation and closure of all mills.

C. Foreign exchange Earnings and outgo

There were no foreign exchange earnings or outgo during the year under review.

For and on behalf of the Board of Directors

(Prajakta L. Verma)

Director

DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)

Director

DIN: 09485570

Place : New Delhi

Date : 19.12.2023



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

ANNEXURE - II

Form No: MGT-9

Extract of Annual Return as on financial year ended 31.03.2023

Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i)	CIN	U17232WB1980GOI032768
ii)	Date of Registration	03/06/1980
iii)	Name of the company	National Jute Manufactures Corporation Limited
iv)	Category/sub. Category of the company	Company Limited by Shares/ Union Government Company
v)	Address of the Registered office and contact details	Chartered Bank Buildings, 4, N. S. Road, 2 nd Floor, Kolkata-700 001. Telephone: 033-22306434
vi)	Whether listed	No
vii)	Name Address and contact Details of Registrar an Transfer Agent, of any	NA

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the Turnover shall be stated

All the six (6) mills of the Company are not in operation which has resulted in nil production during the year 2022-23.

Sl No.	Name and Description of the main products/services	NIC Code of the Product/ Service	% of total turnover of the Company
1.	N.A.	N.A.	N.A.

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sl. No.	Name and Address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1.	BIRDS JUTE & EXPORTS LIMITED	U17232WB1904GOI001579	Subsidiary Company	59%	2(87)



IV. SHARE HOLDING PATTERN

(Equity Share Capital Breakup as Percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year			No. of Shares held at the end of the year			% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total
A. Promoters							
(1) Indian							
a) Individual/ HUF	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Central Govt.	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974
c) State Govt. (s)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d) Bodies Corp.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
e) Banks / FI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
f) Any Other....	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub Total (A)(1):-	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974
(2) Foreign							
a) NRIs – Individuals	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Other – Individuals	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c) Bodies Corp	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d) Banks / FI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
e) Any Other	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub Total (A)(2):-	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1) + (A)(2)	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974
							100
							Nil



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

Category of Shareholders		No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
		Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total Shares	% of Total Shares	
B.	Public Shareholding									
	1. Institutions									
	a)	Mutual Funds	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	b)	Banks / FI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	c)	Central Govt	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	d)	State Govt(s)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	e)	Venture Capital Fund	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	f)	Insurance Companies	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	g)	FIIs	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	h)	Foreign Venture Capital Fund	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	i)	Others (specify)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Sub Total (B)(1)		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	2. Non-Institutions									
	a) Bodies Corp.		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	i) Indian		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	ii) Overseas		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil



Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year	
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total Shares	% of Total Shares		
3. Individuals										
	i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
	ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
	4. Other (specify)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
	Sub Total (B)(2):-	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
	Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
	C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
	Grand Total (A+B+C)	Nil	557974	557974	100	Nil	557974	557974	100	Nil



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year			No. of Shares held at the end of the year			% change during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	
1.	President of India	557974	100	Nil	557974	100	Nil	Nil
	Total	557974	100	Nil	557974	100	Nil	Nil

❖ The Company is a wholly owned Govt. Company, out of the total shareholding of 557972 equity shares are held by the Nominee of Hon'ble President of India and rest 2 no. of shares are held by nominated officials of Ministry of Textiles, Govt. of India.

(iii) Change in Promoters' Shareholding

(Please specify, if there is no change)-No Change

Sl No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
	At the beginning of the year	557974	100	557974	100
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	-	-	-	-
	At the End of the year	557974	100	557974	100



(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

SI No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
	President of India				
	At the beginning of the year	557974	100	557974	100
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	-	-	-	-
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year	557974	100	557974	100

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

SI No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Company	No. of Shares	% of total shares of the Company
	For Each of the Directors and KMP				
	At the beginning of the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	Nil	Nil	Nil	Nil
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year	Nil	Nil	Nil	Nil



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(₹ in Crores)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	-	-	218.52	
ii) Interest due but not paid	-	-	13.09	
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	
Total (i + ii + iii)	-	-	231.61	
Change in Indebtedness during the financial year				
Addition	-	-	-	
Reduction	-	-	-	
Net Change	-	-	3.05	
Indebtedness at the end of the financial year:				
i) Principal Amount	-	-	218.52	
ii) Interest due but not paid	-	-	16.14	
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	
Total (i + ii + iii)	-	-	234.66	

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Your Corporation being a Central Public Sector Enterprise (Government Company), the appointment of Directors is made by the Govt. of India. Remuneration to the functional directors is made as per terms of their appointment by Govt. of India. During the year the remuneration paid to Non-Official Independent Director is ₹ 10,000/- per Meeting by way of sitting fees and Key Managerial Personnel (Company Secretary) is ₹ 4.60 lacs.

VII. PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES:

There were no penalties / punishments / compounding of offences for breach of any section of the Companies Act, 2013 against the Company, its Directors or other officers in default, during the financial year ended March 31, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors

(Prajakta L. Verma)
Director
DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)
Director
DIN: 09485570

Place : New Delhi
Date : 19.12.2023



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL
STATEMENTS OF NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION
LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023**

The preparation of financial statements of National Jute Manufactures Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 01 December 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of National Jute Manufactures Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Kolkata
Date: 21 December 2023

(Bibhudutta Basantia)
Director General of Audit (Mines)
Kolkata



Independent Auditors' Report

TO
THE MEMBERS OF NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED
REPORT ON THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of matters described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid Financial Statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023, its profit and cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

A) Going Concern Assumption:

The accounts have been drawn up on going concern basis which is not appropriate under the circumstances because of the following reasons:

- The Union Cabinet has approved the closure of National Jute Manufactures Corporation Limited (NJMC) and its subsidiary Birds Jute Exports Limited (BJEL) at its meeting held on 10th October, 2018. Disposal of all assets will be in accordance with the guidelines of DPE dated 14.06.2018 and the proceeds from the sale of assets, after meeting the liabilities will be deposited in Consolidated Fund of India. In terms of engagement of MSTC as auctioning agency, all the movable assets of three of its Mills namely viz. National, Alexandra and RBHM have been disposed off. In respect of Kinnison all the process of disposal including delivery advice is completed by the end of the year but the actual removal of those assets is pending. Besides, the assets in respect of Khardah unit have been sold during subsequent period. NBCC who has been appointed as Pre-Land Management Agency submitted their report but the disposal of Land and Building for all the units is yet to be taken.
- In terms with the closure notification, the company has during the year 2018-19 refunded Interest Free Loan to the extent of ₹200 crores to the Government of India. The income of the company for the last several years is primarily from Interest on Fixed Deposits which has been reduced significantly after the said refund.
- The Financial Statements indicate that the company's current and non-current liabilities exceed its total assets by ₹19745.27 Lakhs (Previous Year ₹22,851.57 Lakhs).

These factors confirm the inability of the company to continue as a going concern and to discharge its liabilities in the normal course of business.

B) Non Compliance with Accounting Standards:

B.1 Accounting Standard-2 - Valuation of Inventories

As stated in accounting Policy 1.4, Inventories are valued at lower of cost and net realizable value/market price. Since the units were not in operation, the inventories are unmoved for several years. As per the decision of the management all the movable assets of the three units including inventories have



been disposed off during the year and realized value is found to be higher than its book value. But for remaining inventories the relevant cost details and the basis of determination of net realizable value were not made available to us and, hence, it is not possible to ascertain whether AS-2 has been complied with. Moreover, age-wise analysis of inventory as well as identification of obsolete and non-marketable inventories has not been ascertained. Hence, it is not possible to determine whether the carrying value of inventories represents its proper valuation.

B.2 Accounting Standard-9 - Revenue Recognition:

As per decision of the management, the disposal procedure for four units was completed before closing of the year under audit receiving EMD/Security Deposits, Bid Value, Issuance of Sale order and Delivery Advice. While the amounts received in connection with three mills namely Alexandra, National and RBHM of ₹1,511 Lakhs, ₹3,000 Lakhs and ₹1,570 Lakhs respectively have been considered in 'scrap sale' but, even though delivery advice was issued on 21.03.2023 in respect of Kinnison Mill, no scrap sale has been considered during the year resulting in an understatement of scrap sale amounting to ₹3,650 Lakhs and profit to the relevant extent.

The Company has recognized interest income of ₹259.23 Lakhs on the loans granted to its subsidiary, Birds Jute & Exports Ltd. But at the same time, it has also made provision on this account towards doubtful interest receivable net of TDS. This process of accounting is causing loss to the company on account of income tax on the interest income being irrecoverable for years. The subsidiary company has not made any repayment of principal as well as interest for several years.

B.3 Accounting Standard-22 - Accounting for Taxes on Income:

The Company has not complied with AS-22 Accounting for Taxes on Income. Ascertainment of Deferred Tax Asset & Liability in accordance with the said standard has not been done.

B.4 Accounting Standard-29 - 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets':

According to the information and explanations given to us, the company is in litigation with various parties on diverse matters, a number of which are pending for several years. However, against many cases, the company has not estimated and disclosed the amount of possible financial implication of the dispute, as required under AS-29 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets'.

B.5 Accounting Standard-24 - 'Discontinuing Operations'

As the company has already started disposing off its movable assets including inventories according to the closure directives, the company cannot be treated to be continuing in operation. The Disclosure as contained in accounting standard 24 'Discontinuing operations' have not been followed in preparation of the accounts of the company.

C) Under/Over statement of Income/Expenses and Assets/Liabilities

C.1 Property, Plant & Equipment & Depreciation:

- a) Certain assets having WDV of ₹637/- were lying with third party since nationalization, as stated in Note 9(2), on Property, Plant & Equipment. Profit on disposal of movable assets of the said mill in its entirety has been determined by the management without taking into account the aforesaid assets lying with third party.
- b) As disclosed in Note 9(6), 'Land & Building' includes property at 5, Alipore Road, Kolkata, which is not in the possession of the Company though vested in the company under the Jute Companies (Nationalization) Act, 1980. The property is under litigation and the legal experts are having divergent views regarding the ownership right over the property. Though the ownership is disputed, the company



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

is providing liability in respect of municipal taxes payable to Kolkata Municipal Corporation, which amounted to ₹4.45 Lakhs for the financial year 2022-23 (Previous Year: ₹4.45 Lakhs). The cumulative liability so provided upto 31.03.2023 is ₹116.47 Lakhs (upto 31.03.2022: ₹112.02 Lakhs)

- c) While loss to the extent of ₹1.84 Lakhs due to theft of assets occurred during the year 2021-22 has been charged off in the current year but similar loss of ₹0.28 Lakhs occurred in 2020-21 has not been provided for separately though all the movable assets of the mill have been disposed off.
- d) The Title Deeds of the land at various location were made available for our verification but could not be properly verified and linked with the records of fixed assets. However, according to information and explanation given to us, the landed property of three mills viz. Khardah, some portion of Kinnison and Alexandra are still continuing in the name of the erstwhile companies. We have been further informed that representation has been made to the Additional District Magistrate & District Land & Land Reforms Officer – North 24 Paraganas, Barasat as well as Secretary Land and Land Reforms and Refugee Relief and Rehabilitation Department, Government of West Bengal for updating the land records in respect of the said properties but, the matter is still pending as on 31st March, 2023.

C.2 Investments:

The holding company is not maintaining proper Register of its Investments. The details of investments, as disclosed under note no. 10, is also not matching with the general ledger and there is a difference of ₹0.37 Lakh. Further, in respect of Investments in Govt. securities aggregating to ₹0.74 Lakhs and Share scrips in respect of investments held in Britannia Engineering Ltd. and J.F. Low & Co. Ltd., value 'NIL' could not be made available for our verification and were informed to be not traceable. These investments are very old and it was explained to us that the original certificates might have been provided as security to the various Govt. authorities/ departments. It was also noticed that investments include ₹0.02 Lakhs in the shares of companies, the names of which have already been struck off. However, full provision has been made against all these investments. Furthermore, investments include shares in Cheviot Company Limited and Birla Corporation Limited against which full provision has been made though dividends have been received against these shares.

C.3 Inventories:

The valuation of inventories of the remaining mills at the year-end, which are very old, have been done by the management without considering damage/obsolesce on account of lapse of time and non-operations but the value has not been reduced with reference to their realizability.

C.4 Cash and Bank Balances:

Bank balances include ₹91,083.04 on account of Kinnison unit lying with UCO Bank, Titagarh Branch, which is a dormant account as on Balance Sheet date.

Further, Balance in bank accounts is net of book overdraft with bank, that is negative bank balance as per books of account due to accounting for a payment of GST dues amounting to ₹701.85 Lakhs on 31st March 2023, though there was no sufficient balance in bank account.

C.5 Short Term Loans & Advances:

- a) Against the aggregate amount of ₹1219.33 Lakhs as income tax deducted at source receivable the company has made a provision of ₹408.77 Lakhs. The Income-tax refunds determined for earlier years, together with interest allowed thereon, are being adjusted by the Income Tax department against the arrear demand for the assessment year 1990-91. The outstanding demand summary of the company appearing in the Intimation u/s 143(1) for the assessment year 2022-23 is still showing a sum of ₹177.94 Lakhs payable by the company. We have been informed that the company is trying



to obtain necessary information and documents in respect of the demand raised for the assessment year 1990-91 and necessary adjustment/further provision will be made after receiving necessary documents/information.

- b) After going through the balance confirmation and the audited financial statements for the year ending 31.03.2023 received from Birds Jute & Exports Ltd., the subsidiary, we observed the balances lying in various accounts with the subsidiary are not matching, the details of which are as follows:

Account	Balance as per NJMC (₹ in Lakhs)	Balance as per Subsidiary (₹ in Lakhs)	Remarks
Interest Accrued on loans granted to Subsidiary	4047.24	4047.33	Differences enumerated in the columns have not been reconciled till close of the year.
Advances given	605.64	631.05	
Creditor for Goods	Nil	94.91	
Creditor for Rent	Nil	0.15	
Creditor for other services	0.10	Nil	
Creditor for Brokerage	0.28	Nil	
Trade Receivables A/c Goods	23.56	258.21	
Trade Receivables A/c Expenses	Nil	7.40	
Advances given for Services	3.33	Nil	

C.6 Other Current Assets:

In absence of party wise details and relevant documents in respect of Security Deposits aggregating to ₹56.31 Lakhs, of which 11.47 Lakhs considered doubtful, it could not be determined how the company is assured of the recovery of balance amount of ₹44.84 Lakhs which also should have been provided under the current situation.

C.7 Long Term Borrowings:

- a) The company has taken loans of ₹281.48 Lakhs from Government of West Bengal in earlier years. Though the loan agreement or any other document showing the terms and conditions of such loan could not be made available to us for our verification but the government has provided a detailed calculation with rate of interest “Penal rate-13%”, for the entire period of loan which shows a total Interest liability of ₹1613.67 Lakhs provided by the company up to 31-03-2023 including ₹305.06 Lakhs for the year under review in the breakup of ₹36.59 Lakhs for Current Year and ₹268.46 Lakhs for earlier year. As stated in Note 4 additional information (c) to accounts, the company has defaulted in repayment of this loan and the accumulated balance of Principal including interest unpaid as per the books of account of the company is ₹1895.15 Lakhs as on 31st March, 2023 (as on 31st March, 2022 ₹1590.09 Lakhs). In absence of any document showing the rate of interest and other terms, we could not verify the correctness of interest aggregating to ₹1613.67 Lakhs.
- b) No balance confirmations have been obtained by the company from the Central Governments for the outstanding balance of loans as on 31-03-2023 amounting to ₹21,571.41 Lakhs.



C.8 Trade Payables:

Trade Payables aggregating to ₹2104.85 Lakhs (as at 31.03.2022 ₹2055.99 Lakhs) include old outstanding balances carried over for more than three years aggregating to ₹1976.48 Lakhs as per age-wise analysis of trade payables prepared by the company. In absence of party wise and invoice wise details or statement of account received from parties, it is not possible to ascertain how much of these liabilities are ultimately payable. In absence of necessary information, the status of parties under MSMED Act and dues to Micro and Small Enterprises could not be ascertained. Further, no liability on account of interest payable under the MSMED Act is being provided in the accounts for the last several years. Consequently, the interest payable under the said Act may be different from the amount of interest liability shown under the head Trade Payables. Furthermore, in case of Kinnison Unit, the amount of Sundry Creditors for Services and Sundry Creditors for Stores are being included in Trade Payables at net of debit balance of ₹25.32 Lakhs lying in some of these creditor accounts. Consequently, the liability on account of Trade payables is understated to that extent in the balance sheet. Furthermore, the provision made by the company towards doubtful advances given is also short to that extent, which has the impact of understatement of loss to the extent of ₹25.32 Lakhs on this account.

C.9 Other Current Liabilities:

- a) During the year under review, the company has made payment of ₹284.36 Lakhs towards interest on ESI Contributions as per demand of ESI and subsequent order of Hon'ble High Court Kolkata. These payments have been adjusted by the company against the unpaid liability of ₹3524.19 Lakhs lying in the books of accounts as on 1st April 2022 as provision for ESI Damages without any basis and nothing has been charged to the statement of Profit & Loss on this Account. From the papers made available to us the above payment has been made against interest added to the claims of ESI which has not been adjusted leading to understatement of loss for the year.

- b) Statutory Dues includes

Damages due on PF and Interest thereon amounting to ₹903.05 Lakhs, Damages on ESI and Interest thereon amounting to ₹3,240.00 Lakhs, Profession Tax (including interest) amounting to ₹70.20 Lakhs, Fringe Benefit Tax amounting to ₹8.92 Lakhs, Provision for VAT/CST and VAT on sale amounting to ₹18.74 Lakhs which are brought forward since long back for which no any relevant information provided by the company so, due to absence of relevant information, it could not be ascertained how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided.

Other Current liabilities (Note No. 7) excludes statutory dues towards GST to the extent of ₹701.85 Lakhs. We have been informed that these dues have already been paid by the company through RTGS on 31st March 2023, but the duly paid challan for the said date could not be produced for our verification. Further this amount is appearing as outstanding in the Bank Reconciliation Statement prepared at the year-end as concerned bank account did not had sufficient balance to honour this stated payment. On verification of bank statement for the subsequent year, we found that this payment has been debited in bank account on 19th of April 2023. Accordingly, in our opinion, this payment should have been recorded in the subsequent year when the payment was actually made on 19th April 2023. As a result of accounting for of the aforesaid payment on 31st March 2023, the current assets and current liabilities both are understated in the balance sheet to the extent of ₹701.85 Lakhs.

- c) In absence of party wise details and other necessary information in respect of undisbursed claim of Commissioner of Payment: ₹40.29 Lakhs; Performance Guarantee: ₹57.47 Lakhs, Interest on ISDS Fund: 19.02 Lakhs and old outstanding balance included in Security Deposit/EMD and in Advance from parties: Amount of which could not be ascertained for want of details, it is not possible for



us to ascertain how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been ultimately provided for. Most of the balances are outstanding for a long period.

- d) Liabilities for Employee benefits of ₹ 338.80 Lakhs include old outstanding liability aggregating to ₹320.60 Lakhs on account of VRS payable, Gratuity payable and Salary Payable. The company is maintaining the old balances as liability towards staff related payments. According to the information given to us, the total financial contingent liability in Labour matters, so far the management could ascertain in a number of cases comes to ₹6989.05 Lakhs.
- e) Unpaid Rates & Taxes includes Cess, Duty etc ₹0.78 Lakhs, Professional Tax ₹0.12 Lakhs, Service Tax ₹1.69 Lakhs, TDS ₹0.99 Lakhs, Other Rates & Taxes ₹109.97 Lakhs which are being carried forward for long period. In the absence of relevant information, it could not be ascertained how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided.

In view of the aforesaid observations, we are unable to determine the impact of these matters on the statement of affairs of the company and the corresponding impact on the Statement of Profit & Loss.

KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

INFORMATION OTHER THAN THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexure to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions



of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent, design & implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, we give in Annexure-A, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order to the extent applicable.
2. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of the books;
 - (c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flow dealt with by this report are in agreement with the books of account.
 - (d) Except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the Standalone Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, Cash Flow Statement comply with the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - (e) The matters described in the basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.
 - (f) We have been informed that the provisions of section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Company, being a Government Company in terms of notification No.G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015.
 - (g) The qualification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above.
 - (h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure B.
 - (i) Since the company is not paying any managerial remuneration to the directors, the provision of Section 197 of the Companies Act, 2013 is not applicable.
 - (j) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best our information and according to the explanations given to us:
 - i. In the absence of complete details, we are not in position to comment whether the Company has disclosed the full impact of pending litigations on its financial position in its financial statements.
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.



- iii. There were no amounts which required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
(b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
 - v. As the company has not declared or paid any dividend during the year, the provisions contained in section 123 of the Companies Act, 2013 are not applicable to it.
3. In response to the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Act, we report that:
- (i) The company does not have an ERP Accounting System or fully integrated IT system among its units and corporate office. The accounts of each unit and corporate office are maintained on accounting software. Consolidation of accounts of the corporate office and the various divisions are done through a separate data entry mode.
The present system adopted by the company leaves a scope of absence of data integrity and increases audit risk.
 - (ii) According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, there have been no cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to company's inability to repay the loan.
 - (iii) (a) The Company is carrying Interest Free loan, sanctioned by the Government of India as additional budgetary support for restructuring/revival of the Company as approved by Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) and BIFR, as Long Term Borrowings.
(b) The Company has obtained a Loan of ₹281.48 lakhs from Government of West Bengal in earlier years, repayment of Loan and Interest on which have been defaulted in since 31st March 1994. The accumulated balance of Loan and Unpaid Interest is ₹1895.15 Lakhs as on 31.03.2023. In absence of loan documents, terms & conditions, adequacy of the interest provision made cannot be commented upon.



(c) As disclosed in Note 3 of the Financial Statements, the Company had received grants from Bihar Government and IJIRA in 1988-89 and subsidy from West Bengal Industrial Development Corporation in 1982-83. The detailed papers of such grant/subsidy as well as the assets acquired out of such grant were not made available to us.

Place: Kolkata
Date: 01-12-2023

FOR R.K.PATODI &CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 23059144BGW1WV5111



Annexure– A to Independent Auditors’ Report

The Annexure referred to in Independent Auditors’ Report to the members of National Jute Manufactures Corporation Limited (the company) on the Financial Statements for the year ended 31st March 2023,

We report that:

- (i) (a) (A) The Company is not maintaining proper records of its Property, Plant & Equipment. The records kept by the company in respect of Property, Plant & Equipment lack sufficient information, in many cases, like description of asset to make identification possible, its location/situation, year of purchase, adjustments made on account of revaluation or impairment, if any, its useful life and, in case of land at some of the units of the company, the plot-wise details of the same and specification whether free hold, lease hold or perpetual lease. Furthermore, the company has not updated these records for last several years. We have been informed that the company is in the process of closure and has already disposed-off entire movable assets in respect of three of its closed mills during the year under reference. Such sale has been accounted for over and above the valuation made for the list of movable assets provided by NBCC (I) Ltd., which was appointed for the purposes of verification, assessment and valuation of assets before undertaking disposal in accordance with the DPE guidelines, with due approval of the Board of Directors. Further, sale of remaining movable assets will be accounted for by the company transferring the same to scrap account on the basis of decision taken by the Board of Directors.
- (B) There is no intangible asset in the books of the company.
- (b) According to the information given to us, there is no regular programme for carrying out physical verification of Property, Plant & Equipment of the company. It was further informed that due to shortage of staff, the management could not carry out any physical verification of Property, Plant & Equipment during the year under review. In the absence of any physical verification, we are unable to comment whether there exists any material discrepancy. However, as informed to us by the management, verification of the assets (Property, Plant, Equipment and Land) was conducted through an external agency i.e, NBCC (India) Ltd., a Central Government PSU as part of Pre - LMA activities and the Board of Directors has accepted the list of movable assets as per the report of NBCC (India) Ltd. without ascertaining discrepancy, if any.
- (c) Though a number of title deeds in respect of various plots of land were produced before us by the management for our verification, the same could not be properly linked with the records kept by the company in respect of its immovable properties held at different locations of the country for want of adequate details in the records of Property, Plant and Equipment. We have been informed by the management that on the basis of verification of Records of Rights conducted by them from various sources, the title of the following immovable properties of the company are not in its name:

NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.



The details of Immovable Property not held in the name of the company						
Relevant line item in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross Carrying Value	Title deed held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/ director or employee of	Property held since date	Reason for not being held in the name of the company
Property Plant & Equipment	Land - Unit Alexandra	included in ₹134752/- mentioned in FAR not separately ascertainable	Alexandra Jute Mills Ltd	NA	21 st December 1980	Though all the mentioned properties were vested on NJMC Ltd. as per the Jute Company Nationalisation Act, the transfer of the same in the name of NJMC is still pending.
	Land - Unit Alexandra	₹4,86,332.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.*	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit National	₹3,183.01	Mayarani Devi	NA	10 th June 1980	
	Land - Unit National	included in ₹240384.99/- mentioned in FAR not separately ascertainable	National Jute Co Ltd	NA	10 th June 1980	
	Land - Unit Kinnison	included in ₹7911000/- mentioned in FAR not separately ascertainable	The Kinnison Jute Milss Co Ltd	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit Kinnison		The Cable Chut Company Ltd.	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit Khardah	₹5,15,136.00	Khardah Company Ltd.	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit RBHM	₹27,00,000.00	British India Corporation (Lease)	NA	21 st December 1980	
	Building - Alipore Road	₹2,00,000.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.*	NA	21 st December 1980	



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

As informed and explained to us, the management of six sick private sector Jute manufacturing companies were taken over by the Central Government under Clause (a) of sub-section (1) of Section 18 AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1956 and thereafter the ownership of all the properties and other Assets of these companies were vested in the Central Government. through enabling legislations. The National Jute Mill was nationalized under the National Company Limited (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1980 and the remaining five companies were nationalized under the Jute Companies (Nationalization) Act, 1980. The ownership of these nationalized companies was vested on NJMC Ltd, a company newly created specifically for this purpose on 3rd June 1980. (National Jute Mill w.e.f. 10th June, 1980 and the remaining five mills w.e.f. 21st December, 1980). It was informed to us the title deeds in respect some of the land belonging to these units, having approximate total area of 20 acres, though appearing in the Records of Rights, are not available with the company.

- (d) The company has not revalued its property plant & equipment (including right of use assets) during the year under reference.
- (e) As informed and explained to us by the company, no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.
- (ii) (a) According to the information given to us, the inventories were not physically verified during the year under review and hence we are unable to comment whether there exists any discrepancy.
- (b) As per information given to us and the books of the company, it has no working capital loan from any banks or financial institutions on the basis of security of current assets.
- (iii) (a) During the year under review, the company has not made any investment, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties.
 - (A) Though no loans or advances in the nature of loan were granted during the year, the company has granted unsecured loan and advances to its subsidiary in earlier years. The balance of such loans and advances, including interest aggregating to ₹5,130.37 Lakhs accrued thereon till 31.03.2023 (₹4898.10 Lakhs as on 31.03.2022).
 - (B) In the earlier years, the company has also granted non-interest bearing loan to one party, which is a central public sector unit. The balance of the said loan as at the Balance-Sheet as on 31.03.2023 is ₹1078.21 Lakhs (₹1078.21 Lakhs as on 31.03.2022)
- (b) The terms and conditions on which the loans and advances were granted to the subsidiary company in the earlier years could not be made available to us and, therefore, we are unable to comment whether same were prejudicial to the interest of the company. As regards the interest free loan granted in an earlier year to the aforesaid other party, which is a central public sector unit, we have been explained by the management that the same was granted as per the decision of the Ministry of Textiles, Government of India and, hence, should not be treated as prejudicial to the interest of the company.
- (c) The terms and conditions on which the loans and advances were granted to the subsidiary company in the earlier years could not be made available to us and, hence, we are unable to comment whether there are any express stipulations as regards the due dates for payment of interest and repayment of the principal amount. The Union Cabinet has approved the closure of the said subsidiary company and consequently the said loan is being considered doubtful but the company is charging interest on the loan given to its subsidiary at the agreed rates and also made full provision for the same, net



of TDS thereon, since the amount is being considered doubtful of recovery. As regards the interest free loan granted in an earlier year to the aforesaid other party, the said loan was repayable by the party within a maximum period of two years from the date of disbursement of the loan from the sale proceeds of its assets. The said party, vide its email dated 28.01.2021, has requested the company to extend the time stipulated for repayment by a further period of two years or until further direction of MOT, as the party is in advanced stage of the process of closure. As per the minutes of the Board meeting in its 189th Board Meeting, a letter was initiated to the Ministry of Textiles stating the facts regarding the requested extension of the time period for loan repayment and to get the necessary advice.

- (d) In the absence of any document produced before us specifying the terms and conditions on which the loans and advances were granted to the subsidiary company in the earlier years, we are unable to specify the amount overdue for more than 90 days included in the closing balance of ₹5130.37 Lakhs as at the Balance-Sheet date, which includes interest aggregating to ₹ 4047.24 Lakhs accrued thereon till that date. We have been informed that the Central Government has declared closure of the subsidiary company and the recovery, if any, will be made out of funds to be generated by the subsidiary through disposal of its assets. As regards the non-interest bearing loan granted to one other party, which is a central public sector unit, the balance of ₹1078.21 Lakhs is overdue for more than 90days on the basis of originally stipulated terms & conditions. As aforesaid, the said party, vide its email dated 28.01.2021, has requested the company to extend the time stipulated for repayment by a further period of two years or until further direction of MOT, as this party is in advanced stage of the process of closure. As per the minutes of the Board meeting in its 189th Board Meeting, a letter was initiated to the Ministry of Textiles stating the facts regarding the requested extension of the time period for loan repayment and to get the necessary advice.
- (e) Except what has been stated in the earlier clause, the company has not renewed or extended or granted fresh loans to settle the overdue of existing loans given to the same parties. The amount of the aforesaid loan awaiting decision of its renewal is ₹1078.21 Lakhs. No loans or advances in the nature of loans were granted during the year.
- (f) The company, during the year, has not granted any loan or advance in the nature of loan, which is either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment. As regards the loans or advances in the nature of loans granted in earlier years to the subsidiary, the terms and conditions on which the same were granted could not be made available to us and, hence we are unable to comment whether the same were repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.
- iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company during the year has not granted any loan, made investment, provided any guarantee or security, which attracts the provisions of section 185 and 186 of the Act.
- v) According to information given to us the Company has not accepted any deposit from the public during the year within the meaning of sections 73 to 76 of the Act or any other relevant provisions of the Companies Act and no order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal.
- vi) During the year under review, the company was not engaged in any such activities which attracts the maintenance of cost records under section 148 of the Act.
- vii) (a) According to the information and explanations given to us, the company was generally regular in depositing its current undisputed statutory dues with the appropriate authorities except:
Penalty for delayed payment of Land Rent Katihar: ₹2.81 Lakhs.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

However, there are many old outstanding statutory dues lying unpaid since long for which no proper details and other explanations for non-payment could be made available to us, the breakup of which as follows:-

- a) Damages for Provident Fund (including interest): ₹903.05 Lakhs
- b) Damages for Employees State Insurance (including interest): ₹3240.00 Lakhs
- c) Profession tax (including Interest): ₹70.20 Lakhs
- d) Fringe Benefit tax : ₹8.92 Lakhs
- e) VAT/CST : ₹18.74 Lakhs
- f) Other Rates & Taxes : ₹113.56 Lakhs

Further in absence of any supporting documents for proper explanation we could not ascertain whether there exists any dispute for non-payment of the aforesaid statutory dues.

- (b) According to the information and explanations given to us, the following statutory dues have not been deposited as on 31st March, 2023 on account of dispute:

Nature of the Statute	Nature of Dues	Forum where dispute is pending	Amount Due (₹ in lakhs)	Period to which dues relate
Finance Act 1994	Service Tax	Deputy Commissioner, Service Tax	0.10	Very Old
West Bengal Value Added Tax, 2003	CST	Deputy Commissioner of Commercial Tax	223.08	2010-11 to 2017-18

viii) No undisclosed income has been recognised during the year in tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

- ix) (a) According to the books of the Company examined by us and the information and explanations given to us, the Company has defaulted in repayment of loan taken from Government of West Bengal amounting to ₹1895.15 Lakhs (including interest and penal interest thereon aggregating to ₹1613.67 Lakhs) as on 31.03.2023. As stated in Note 4(d) of the Financial Statements, the company has made request for adjustment of principal amount against the compensation receivable by the company towards acquisition of land and conversion of ₹922 Lakhs out of interest payable into a soft loan. However, no documents in this regard could be made available for our verification. Since Terms and conditions of Loan could not be made available to us we are unable to comment on no. of days delayed and amount not paid within due date.

Nature of Borrowings	Name of lender	Amount not paid on due date	Principal/ Interest	No of days of delay	Remarks
Unsecured Loan	Govt. of West Bengal	₹281.48 Lakhs	Principal	Since 1994	According to information given to us the company has requested to adjust principal amount against compensation receivable on acquisition of land and to convert ₹922 Lakhs out of the total interest payable into soft loan. No consent has yet been received.
DO	DO	₹1613.67 Lakhs	Interest	1994 and subsequent years	



- (b) The company has not been declared as a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender;
- (c) The Company has obtained loans from both Government of West Bengal and Government of India in earlier years. However, the terms and conditions subject to which the company has obtained the loans including purpose for which such loans were sanctioned were not made available to us. Therefore, we are unable to comment whether the loans were applied for the purposes for which those were obtained.
- (d) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company the company has not raised any funds on short term basis and accordingly reporting requirements under paragraph 3(ix)(d) of the Order are not applicable to the company.
- (e) The company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures as explained and informed to us by the management.
- (f) The company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies.
- x) (a) The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). The Company has obtained loans from both Government of West Bengal and Government of India in earlier years. However, the terms and conditions subject to which the company has obtained the loans including purpose for which such loans were sanctioned were not made available to us. Therefore, we are unable to comment whether the loans were applied for the purposes for which those were obtained.
- (b) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year.
- xi) (a) During the course of our examination of the books and records of the company carried out in accordance with the generally accepted auditing standards in India and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any instance of fraud by the Company or on the Company by its officers or employees noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.
- (b) No report under sub-section 12 of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.
- (c) No whistle-blower complaints have been received during the year by the company.
- xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
- xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, where applicable, and details of such transactions have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.
- xiv) (a) No internal audit has been conducted for the financial year 2022-23.
- (b) As no internal audit was conducted during FY 2022-23, consideration of such report does not arise.
- xv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

- xvi) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, paragraph 3(xvi) of the Order is not applicable.
- xvii) The company has not incurred any cash loss for the financial year 2022-23.
- xviii) There has been no resignation of statutory auditors of the company during the year. Accordingly reporting requirements under paragraph 3(viii) of the Order are not applicable to the company.
- xix) On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the Board of Directors and management plans, and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, we are of the opinion that there exist material uncertainty as on the date of the audit report that the company is not capable of meeting its liabilities as on the date of Balance Sheet as and when they fall due within a period of one year from the Balance Sheet date even after disposal of four mills . We further state that our reporting is based on the facts upto the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet, will be met by the company as and when they fall due.
- xx) Since the company has neither formed any fund specified in Schedule vii to the Companies Act ,2013 nor spent any amount under section 135 of the said act the point does not apply to the company.
- xxi) As our report is not on consolidated financial statements, reporting under this clause is not applicable.

FOR R.K.PATODI &CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 23059144BGW1WV5111

Place: Kolkata
Date: 01-12-2023



ANNEXURE – B

TO
THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

REPORT ON THE INTERNAL FINANCIAL CONTROLS UNDER CLAUSE (I) OF SUB-SECTION 3 OF SECTION 143 OF THE COMPANIES ACT, 2013 ("THE ACT")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED** ("the Company") as on 31st March, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence obtained in most of the cases, excepting old cases, are sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the holding company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable



assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the company and its units being remained inoperative for several years, various information and papers in support could not be made available hence we cannot comment on its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by ICAI, e.g control environment, risk assessment, control activities, information system and communication and monitoring. The Board's report also does not include any risk management policy for the company including identification therein of elements of risk.

In view of above observations, Internal Financial Controls in the Company as on 31.03.2023 is inadequate based on the internal control over financial reporting criteria as stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

We have considered the qualified opinion reported above in determining the nature, timing and extent of audit tests applied in our opinion on the financial statements of the company

FOR R.K.PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 23059144BGW1WV5111

Place: Kolkata
Date: 01-12-2023



BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2023

(₹ In Lakh)

		Note no.	As at (Audited) 31st March, 2023		As at (Audited) 31st March, 2022	
(A)	EQUITY AND LIABILITIES					
(1)	Shareholders' Funds:					
	(a) Share Capital	2	5,579.74		5,579.74	
	(b) Reserves and Surplus	3	(25,325.01)	(19,745.27)	(28,431.31)	(22,851.57)
(2)	Non-Current Liabilities					
	(a) Long-Term Borrowings	4	21,852.89		21,852.89	
	(b) Long-Term Provisions	5	10.08	21,862.97	10.08	21,862.97
(3)	Current Liabilities					
	(a) Trade Payables:	6				
	i) Dues to micro and small enterprises		112.58		112.58	
	ii) Dues to Other than micro and small enterprises		1,992.27		1,943.41	
	(b) Other Current Liabilities	7	13,772.26		6,736.13	
	(c) Short-Term Provisions	8	2,006.29	17,883.40	189.08	8,981.19
	TOTAL			20,001.09		7,992.59
(B)	ASSETS					
(1)	Non-Current Assets					
	(a) Property, Plant and Equipment & Intangible Assets	9				
	(i) Property, Plant and Equipment		798.97		885.92	
	(ii) Capital Work-in-Progress		-		-	
	(b) Non-Current Investments	10	-		-	
	(c) Other Non -Current Assets	11	-	798.97	1,781.61	2,667.53
(2)	Current Assets					
	(a) Inventories	12	322.55		585.32	
	(b) Trade Receivables	13	30.81		-	
	(c) Cash And Bank Balance	14	16,804.13		2,527.93	
	(d) Short-Term Loans and advances	15	1,932.37		2,097.39	
	(e) Other Current Assets	16	112.25	19,202.12	114.42	5,325.06
	TOTAL			20,001.09		7,992.59

Summary of Significant Accounting Policies 1

Other Explanatory Information 25

Additional Regulatory Information 26

Notes 1 to 26 form integral part of the Financial Statements

For and on behalf of the Board

For R.K.Patodi & Co

Chartered Accountants

Registration No.305091E

(Prajakta L. Verma)

Director

DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)

Director

DIN: 09485570

Siddhartha Patodi

Partner

Membership No. 059144

UDIN: 23059144BGW1WV5111

(Mohini Verma)

Company Secretary

Membership No: 52405

Place : Kolkata

Dated: 01.12.2023



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(₹ In Lakh)

		Note no.	For the year ended 31st March 2023 Audited	For the year ended 31st March 2022 Audited
	INCOME			
1	Revenue from Operations	17	-	-
2	Other Income	18	6,277.79	344.00
3	Total Income (1 + 2)		6,277.79	344.00
4	EXPENSES			
	(a) Cost of Raw Materials Consumed	19	-	-
	(b) Change in Inventories of Finished Goods and Work-in-Process	20	-	-
	(c) Employee Benefits Expenses	21	106.64	86.53
	(d) Finance Costs	22	36.59	36.36
	(e) Depreciation and Amortisation Expenses	9	28.40	34.20
	(f) Other Expenses	23	1,182.54	498.05
	Total Expenses (a+b+c+d+e+f)		1,354.17	655.14
5	Profit/(Loss) before exceptional and extraordinary items and tax (3-4)		4,923.62	(311.14)
6	Exceptional Items: Write down of the value of inventory		-	41.99
7	Profit/(Loss) before extraordinary items and tax (5+6)		4,923.62	(353.13)
8	Extraordinary Items		-	-
9	Profit/ (Loss) before tax (7-8)		4,923.62	(353.13)
10	Tax Expense			
	(a) Current Tax		1,817.21	-
	(b) Deferred Tax		-	-
11	Profit (Loss) for the year (9+10)		3,106.41	(353.13)
12	Earnings per Equity Share (In ₹ For an equity Share of ₹ 1,000/- each)	24		
	Basic		556.73	(63.29)
	Diluted		556.73	(63.29)

Summary of Significant Accounting Policies 1
 Other Explanatory Information 25
 Additional Regulatory Information 26
 Notes 1 to 26 form integral part of the Financial Statements

For and on behalf of the Board

For R.K.Patodi & Co
 Chartered Accountants
 Registration No.305091E

(Prajakta L. Verma)
 Director
 DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)
 Director
 DIN: 09485570

Siddhartha Patodi
 Partner
 Membership No. 059144
 UDIN: 23059144BGW1WV5111

(Mohini Verma)
 Company Secretary
 Membership No: 52405

Place : Kolkata
 Dated: 01.12.2023



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(₹ In Lakh)

		For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
A.	Cash Flow from Operating Activities		
	Net Profit / (Loss) before extraordinary item and Tax	4,923.62	(353.13)
	Adjustments for:		
	Interest on Borrowings	36.59	36.36
	Depreciation	28.40	34.20
	Loss on Theft	1.84	-
	Prior Period Depreciation	-	0.39
	Dividend Income	(0.04)	(0.11)
	Write Down of Value of Inventories	-	41.99
	Profit on sale of scrap	(5,761.51)	-
	Interest Income on Bank Deposits	(196.14)	(234.63)
	Adjustments for Govt. Grant (Reserve)	(0.10)	(0.10)
	Operating Profit before Working Capital Change	(967.34)	(475.04)
	Increase in Short-term Loans & Advances	165.01	(119.09)
	(Increase)/Decrease in Other Current Assets	2.17	132.59
	Increase/(Decrease) in Trade Payables	48.85	(37.98)
	Increase Trade Receivable	(30.81)	-
	Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	6,999.54	(180.70)
	Increase/(Decrease) in Long term Provisions & non current assets	1,781.61	(1.44)
	Net Cash Flow from working capital changes	8,966.37	(206.61)
	Net Cash from Operating Activities (A)	7,999.03	(681.65)
B.	Cash Flow from Investing Activities		
	(Increase)/ Decrease in Fixed Deposits	(1,076.05)	533.53
	Sale/(Purchase) of Property, Plant & Equipment	6,081.00	(2.49)
	Dividend Income	0.04	0.11
	Interest on Fixed Deposits	196.14	237.99
	Net Cash from Investing Activities (B)	5,201.13	769.14
C	Cash Flow from Financing Activities	-	-
	Net cash from Financing Activities (C)	-	-
	Net Inc. / (Dec.) in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	13,200.16	87.49
	Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	218.87	131.38
	Cash and Cash Equivalents at the end of the year	13,419.03	218.87



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023 (Contd.)

(₹ In Lakh)

		For the year ended 31st March, 2023		For the year ended 31st March, 2022	
	Component of Cash and Cash Equivalents				
a)	(i) Balance in bank accounts		13,418.73		40.17
	(ii) Cash in hand		0.29		0.09
	(iii) Short Term Fixed Deposits		-		178.61
			13,419.02		218.87

Summary of Significant Accounting Policies 1
Other Explanatory Information 25
Additional Regulatory Information 26
Notes 1 to 26 form integral part of the Financial Statements

For and on behalf of the Board

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

(Prajakta L. Verma)
Director
DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)
Director
DIN: 09485570

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 23059144BGW1WV5111

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405

Place : Kolkata
Dated: 01.12.2023



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023.

NOTE - 1 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :-

1.1 BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements are prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in compliance with the accounting standards specified in under section 133 of The Companies Act, 2013 (the Act') read with Rule 7 of The Companies (Accounts) Rules 2014 (as amended) and other relevant provisions of the Companies Act 2013, to the extent applicable. The Company follows Mercantile system of accounting and recognises income and expenditure on accrual basis.

1.2 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

1.2.1 Property , Plant & Equipment are stated at cost/revalued amount in case certain items of Property , Plant & Equipment which were revalued during the financial year 1997-98. Property, Plant & Equipment acquired at the time of nationalisation are being stated at their book value on the date of nationalisation.

1.2.2 Depreciation :

Depreciation on Property , Plant & Equipment is provided on written down value method based on useful life of assets as prescribed in Schedule - II to the Companies Act, 2013.

1.3 INVESTMENTS

Investments held by the company are in the nature of Non-Current investments and are being carried at book value as on the date of nationalisation or at cost of acquisition/procurement in respect of investments made afterwards. Provision for diminution in the value of non-current investment is made when the same is considered to be permanent in nature. Current investments, if any, are carried at the lower of cost and fair value.

1.4 INVENTORIES

1.4.1 Raw Jute is valued at cost, determined on FIFO basis, or net realisable value whichever is lower.

1.4.2 Finished Goods are valued at cost or net realisable value whichever is lower. Cost includes all direct cost and applicable manufacturing overheads.

1.4.3 Work-in-process is valued at estimated cost based on percentage of specific stage of processing or net realisable value whichever is lower.

1.4.4 Stores and spares are valued at cost.

1.5 REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Sale of goods, if any, is recognized when the significant risks and rewards of the ownership in goods are transferred to the buyer as per terms of the contract. Revenue from sale of services, if any, is recognized upon rendering of services to the customer.

1.6 RETIREMENT AND OTHER EMPLOYEE BENEFITS

The company has no permanent employee on its payroll. All the employees during the year were working on contractual/deputation basis. Hence no provision is being made on account of any retirement benefit.

Short term employee benefits are recognised in the period in which the employees rendered the related service.



NOTE - 1 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd.)

Gratuity: Liability for gratuity is provided on the basis of actual liability in respect of employees on roll as on the Balance Sheet date.

Leave Encashment: Liability for Leave Encashment is provided for on the basis of actual liability as on the Balance Sheet Date.

1.7 ACCOUNTING FOR TAXATION

Current Tax is determined as the amount of tax payable on taxable Income for the year. The Deferred Tax for timing differences between the book and taxable profit, for the year is accounted for using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as on the Balance Sheet date. Deferred Tax assets arising from the timing difference are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that the assets will be realized in future.

1.8 PROVISIONS

A provision is recognized when the company has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle obligation, in respect of which a reliable estimate can be made.

1.9 CONTINGENT LIABILITIES/ASSETS

Contingencies which are material and future outcome of which cannot be ascertained with reasonable certainty are treated as Contingent Liabilities and are disclosed by way of Note in the other explanatory information. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

1.10 CASH & CASH EQUIVALENTS

For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents comprise cash and bank balances in current and short term fixed deposit accounts, if any.

1.11 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in foreign currency, if any, are recorded at the exchange rate prevailing at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are re-measured at the rate of exchange prevailing on the date of balance sheet and resultant gain or loss is recognized in the Statement of Profit and Loss.

1.12 IMPAIRMENT OF ASSETS

If the carrying amount of property, plant or equipment exceeds the recoverable amount on the reporting date, the carrying amount is reduced to the recoverable amount. The recoverable amount is measured as higher of the net selling price and the value in use determined by the present value of estimated future cash flow.

1.13 BORROWING COSTS

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for intended use. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss.

1.14 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with Indian GAAP which requires the management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses,



NOTE - 1 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd.)

assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge of current events and actions, uncertainty about these assumptions and estimates could result in the outcomes requiring a material adjustment to the carrying amounts of assets or liabilities in future periods.

1.15 LEASES

The Accounting Standard 19 on leases is not applicable as the company does not have any financial lease agreement in force.

1.16 INTANGIBLE ASSETS

The Company does not own any intangible assets required to be reported upon.

NOTE - 2 SHARE CAPITAL :-

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
AUTHORISED		
600000 Equity Shares of ₹ 1,000/- each (As at 31.03.2021: 600000 Equity Shares)	6000.00	6000.00
ISSUED, SUBSCRIBED AND FULLY PAID UP		
557974 Equity Shares of ₹ 1,000/- each (As at 31.03.2021: 557974 Equity Shares)	5579.74	5579.74
TOTAL	5579.74	5579.74

ADDITIONAL INFORMATION

- Out of total 557974 shares, 366000 Equity Shares of ₹ 1,000/- each were allotted as fully paid up shares against Nationalization Adjustment Account, without payment having been received in cash.
- There has been no change / movement in number of shares outstanding as at the beginning and as at the end of the year.
- The Company has only one class of Equity Shares having face value of is ₹ 1,000/- per shares. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share and equal right for dividend.
- For the period of five years immediately preceeding the date as at which the Balance Sheet is prepared:
 - The company has not allotted any shares as fully paid up pursuant to any contract without payment being received in cash.
 - The company has not allotted any shares as fully paid up by way of bonus shares.
 - The company has not bought back any shares.
- Shareholders holding more than 5 percent shares in the Company :

	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
Name of the Shareholders	No. of Shares	(%)	No. of Shares	(%)
Honourable President of India	557972	99.98	557972	99.98



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 2 SHARE CAPITAL (Contd.)

f) Shareholding of promoters

Name of the Shareholders	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
	No. of Shares	(%)	No. of Shares	(%)
Honourable President of India	557972	99.98	557972	99.98
Additional Secretary & Financial Advisor	1	0.01	1	0.01
Economic Advisor	1	0.01	1	0.01
Percentage of Changes during the year	Nil		Nil	

NOTE - 3 RESERVES AND SURPLUS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Capital Reserve		
Against Government Grants		
Opening Balance	0.79	0.89
Add :- Addition / Transferred during the year	-	-
Less :- Utilised / Transferred during the year	0.10	0.10
Closing Balance	0.69	0.79
Revaluation Reserve		
Opening Balance	441.81	441.81
Add :- Addition during the year	-	-
Less :- Utilised / Transferred during the year	-	-
Closing Balance	441.81	441.81
(Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening Balance	(28,873.91)	(28,520.78)
Add: Profit/(Loss) for the year	3,106.41	(353.13)
Closing Balance	(25,767.51)	(28,873.91)
TOTAL	(25,325.01)	(28,431.31)

ADDITIONAL INFORMATION

Capital Reserve

- a) Against balance of grant received from Bihar Government, amounting to ₹150 Lakhs, in 1988-89 for acquiring Fixed Assets after adjustment of depreciation on the assets so procured out of the above funds in respect of RBHM and against balance of grant received from IJIRA, amounting to ₹5.44 Lakhs, in 1988-89 for installation of Ring Spinning Frame under UND Project after adjustment of depreciation on the assets so procured out of the above funds in respect of Unit Kinnison. 0.57 0.67
- b) Subsidy of ₹0.01 Lakh being the balance of grant received from WB Industrial Development Corporation Limited in 1982-83 amounting to ₹6.97 Lakh for installation of captive diesel power generating set in respect of Unit Kinnison after adjustment of depreciation from the date acquisition (P.Y. 0.01 Lakh.) 0.01 0.01



NOTE - 3 RESERVES AND SURPLUS (Contd.)

- c) The difference between market value and book value of Investments in respect of Unit RBHM as on the date of nationalisation.

0.11	0.11
0.69	0.79

Revaluation Reserve

The difference between the revalued amount (as per valuation report in 1997-98) and book value as on 31.03.1993 in respect of Land situated at Katihar and Land and Building situated at Kalimpong and Forbesgunj in respect of Unit RBHM (Reference : Additional Information No. 5 and 6 in Note 9 on Property, Plant & Equipment)

441.81	441.81
441.81	441.81

NOTE - 4 LONG TERM BORROWINGS

(₹ In Lakh)

A) Other loans and advances (Unsecured)

- i) From Government of India
ii) From Government of West Bengal

TOTAL

As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
21,571.41	21,571.41
281.48	281.48
21,852.89	21,852.89

ADDITIONAL INFORMATION

- a) Loan received from Government of India as additional budgetary support is interest free as per the restructuring/revival scheme of NJMC approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) and BIFR. The Company has repaid ₹20000 Lakh in terms with closure notification during 2018-19.
- b) The Company has not provided any security or any guarantee in respect of the above Loans from Government of India and Government of West Bengal.
- c) The Company has defaulted in repayment of loans and interest in respect of the following :

Loan from Government of West Bengal :

- i) Principal

- ii) Interest

TOTAL

	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
	Period of default	Amount (₹ In Lakh)	Period of default	Amount (₹ In Lakh)
i) Principal	Since 31.03.1994	281.48	Since 31.03.1994	281.48
ii) Interest	Since 31.03.1994	1,613.67	Since 31.03.1994	1,308.61
TOTAL		1,895.15		1,590.09

- d) The company is yet to receive the formal consent from Government of West Bengal in respect of :

Adjustment of Principal Amount of ₹281.48 Lakhs above against compensation receivable for acquisition of Land by them as referred to in Additional Information 3 in Note 9 on Property, Plant & Equipment and Intangible Assets and Conversion of accrued interest of ₹922 Lakhs included in the above Interest amount of ₹1613.67 Lakhs (As at 31-03-2022: ₹1308.61 Lakhs) into a Soft Loan in accordance with BIFR Approved Scheme.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 5 LONG TERM PROVISIONS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Provision for Employee Benefits		
i) Provision for Leave Encashment	-	-
ii) Provision for Gratuity	10.08	10.08
TOTAL	10.08	10.08

ADDITIONAL INFORMATION

- Gratuity : No provision for gratuity has been made during the current financial year since all the employees are on contract/ deputation basis.
- Leave Encashment : No provision for Leave Encashment has been made on the same ground as mentioned above. However, actual payment is charged to revenue accounts as and when payment is made.

NOTE - 6 TRADE PAYABLES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
i) Creditors for Goods, Expenses & Services	1,978.24	1,929.38
ii) Interest provided on Trade Payables	126.61	126.61
TOTAL	2,104.85	2,055.99

Break-up and ageing Schedule of Trade Payables:

As on 31.03.2023							
Particulars	Unbilled Trade Payables	Trade Payables Not Due for Payment	Trade Payables due for payment for following periods from due date				Total
			Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Others	-	-	123.34	2.48	2.54	1,863.90	1,992.27
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	123.34	2.48	2.54	1,976.48	2,104.85

As on 31.03.2022							
Particulars	Unbilled Trade Payables	Trade Payables Not Due for Payment	Trade Payables due for payment for following periods from due date				Total
			Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Others	-	-	76.60	5.08	0.16	1,861.56	1,943.41
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	76.60	5.08	0.16	1,974.14	2,055.99



NOTE - 6 TRADE PAYABLES (Contd.)

(₹ In Lakh)

iii) Break-up of MSME Dues shown above:

	As on 31st March, 2023	As on 31st March, 2022
a) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	55.06	55.06
b) Interest due and payable upto the end of Last Year	57.52	57.52
TOTAL	112.58	112.58

NOTE - 7 OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
i) Statutory Dues (Contributions to PF and ESIC, Withholding Taxes, Excise Duty, VAT, Service Tax, Interest/Damages on PF & ESI Contributions, etc.)	4313.80	4536.35
ii) Interest Accrued & Due	1,613.67	1,308.61
iii) Undisbursed claim of Commissioner of Payments	40.29	40.29
iv) Performance Guarantee	57.47	57.47
v) Security Deposits/EMD	2,751.58	92.68
vi) Interest on ISDS Fund	19.02	19.02
vii) Advance from Parties	4405.86	98.83
viii) Unpaid Rates & Taxes including Property Tax/ Municipal Tax	230.03	242.79
ix) Liabilities for Employee Benefits	338.80	338.15
x) Audit Fees payable	1.73	1.92
TOTAL	13,772.26	6,736.13

ADDITIONAL INFORMATION

- The waiver sought by the company from the competent authorities in accordance with BIFR Approved Scheme in respect of damages amounting to ₹3550.11 Lakhs (Previous Year ₹3550.11 Lakhs) and ₹592.24 Lakhs (Previous Year ₹592.24 Lakhs) claimed by ESI Corporation and PF Commissioner respectively are still pending.
- During the year NJMC Ltd has made payment of ₹284.36 lakhs towards contribution towards Union & National Mill on adhoc basis on account of interest on ESI dues against the demand of ESI and subsequent order of Hon'ble High Court of Kolkata. This payments have been adjusted by the company against the unpaid liability of ₹3524.19 Lakhs lying in the books of accounts as on 01.04.2022 as provision for ESI Damages.
- Unpaid Property Tax includes liability provided in respect of premises at 5, Alipore Road, Kolkata, which is under litigation. The breakup of the liability so provided is as under:

	(₹. In Lakh)	(₹ In Lakh)
Principal	70.68	66.23
Penalty	7.21	7.21
Interest	38.58	38.58
Total	116.47	112.02

Though neither NJMC is making any payment nor the KMC has raised any demand upon the company, the above provision is being made as a precautionary measure as the ownership of the said property is under dispute.

- Liabilities for Employee Benefits include old outstanding dues aggregating to ₹243.61 Lakhs (As at 31.03.2022: ₹243.61 Lakhs) payable on account of VRS, gratuity, LTA, arrear salary etc.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 8 SHORT TERM PROVISIONS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Provision for Contingency (On account of Gratuity payable to workmen after reconciliation)	189.08	189.08
Provision for Tax	1,817.21	-
TOTAL	2,006.29	189.08



NOTE - 9 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Tangible Assets	GROSS BLOCK				DEPRECIATION							SCARP	NET BLOCK	
	As at 31st March, 2022	Addition (+)	Deduction (-)	As at 31st March, 2023	Upto 31st March, 2022	Unsold Dep For the Year 31.03.2023	Sale Dep. 31.03.2023	Arrear Depn	Sale Consolidated Dep. 31.03.2023	Unsold Consolidated Dep. 31.03.2023	Total Dep. 31.03.2023 (J+k)	Sale Scarp value 31.03.23	Unsold Net Block 31.03.2023	As at 31st March, 2022
(a) Land -Freehold	605.59	-	-	605.59	-	-	-	-	-	-	0	0	605.59	605.59
(b) Buildings & Roads	1,003.41	-	-	1,003.41	861.16	11.11	-	-	-	872.27	872.27	0	131.14	142.25
(c) Plant and Equipment	3,730.16	-	2,048.65	1,681.51	3,600.75	9.33	6.96	-	1,992.55	1,624.49	3617.04	56.10	57.02	129.41
(d) Furniture and Fixtures	68.30	-	24.00	44.30	65.51	0.12	0.01	-	23.14	42.51	65.64	0.86	1.79	2.79
(e) Vehicles	47.21	-	20.47	26.74	45.29	-	-	-	19.74	25.55	45.29	0.73	1.19	1.92
(f) Computer	68.61	-	32.73	35.88	66.61	0.24	-	-	32.01	34.85	66.86	0.72	1.03	1.99
(g) Railway Siding/Jetty	1.55	-	1.47	0.08	1.51	-	-	-	1.43	0.08	1.51	0.04	0.00	0.04
(h) Office Equipment	22.28	-	2.41	19.88	20.36	0.62	0.00	-	2.31	18.68	20.99	0.09	1.20	1.92
Total Tangible Assets (A)	5,547.11	-	2,129.72	3,417.39	4,661.19	21.42	6.98	-	2,071.17	2,618.42	4689.59	58.55	798.97	885.92
Previous year (A)	5,544.62	2.49	-	5,547.11	4,626.60	34.20	-	0.39	-	-	4661.19	-	-	918.02
Capital Work in Progress	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	24.86
Less: Provision	24.86	-	-	24.86	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	24.86
Total Capital Work in Progress (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00
Previous year (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00
Total Fixed Assets (A+B)	5,547.11	-	2,129.72	3,417.39	4,661.19	21.42	6.98	-	-	-	4689.59	-	-	885.92
Previous year(A+B)	5,544.62	2.49	-	5,547.11	4,626.60	34.20	-	0.39	-	-	4661.19	-	-	918.02



NOTE- 9 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

ADDITIONAL INFORMATION

- 1) Government of India has approved the closure of NJMC Ltd. on 10.10.2018. As per the directive of the competent authority, the closure has to be made in accordance with the DPE Guidelines issued vide O.M.No.DPE/5(1)/2014-Fin (Part-I) on 14.06.2018. NBCC (India) Ltd. has been appointed as Land Management Agency (LMA) and M/S. MSTC Ltd. has been appointed as E-Auctional agency for disposal of Plant & Machinery etc. with approval of Board of Directors of NJMC Ltd. Process of closure in line with the DPE Guidelines dated 14.06.2018 is under progress. Also NBCC India Ltd has been entrusted for pre LMA activities for verification, assessment and valuation of assets of NJMC Ltd with the approval of the Board of Directors which have been completed.
- 2) Plant and Equipments include 8 Nos. Herackle Machines pertaining to Unit Alexandra which is lying with a third party on the date of Nationalisation.
- 3) Land includes Leasehold Land, pertaining to Unit Khardah, the value of which could not be ascertained.
- 4) Land includes 4.48 acres of land of Unit Khardah acquired by Govt. of West Bengal, for setting up Titagarh Thermal Power Plant of Calcutta Electric Supply Corporation Ltd. Necessary adjustment will be made on receipt of compensation amount.
- 5) The company has not maintained proper records of its Property, Plant & Equipment. In an earlier year certain records were prepared by the company in respect of Property, Plant & Equipment, which are incomplete and lack various relevant information and proper description of assets in many cases. Further, these records are not being updated for the last several years.
- 6) Fixed Assets vested under the provision of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 on 20th December, 1980 with National Jute Manufactures Corporation Ltd., include land and building at 5, Alipore Road, Kolkata, in respect of unit-Alexandra but not in possession of the Company. This property was mortgaged prior to the date of take-over of the Management of the Alexandra Jute Mills Ltd under the Industries (Development & Regulations) Act, 1951 [I (D&R) Act, 1951] and was under an "Agreement to Sale" on the date of such take over. The Sale Agreement was, however, not concluded & was challenged by the Management under the provision of Industries (Development & Regulations) Act, 1951 at Alipore Court, Calcutta. An Interim order of injunction was ultimately issued by the High Court on 8th September, 1981 directing that all further proceedings at Alipore Court be stayed. Subsequently the mortgagee had filed a writ petition in the Calcutta High Court challenging the applicability of the provisions of I (D&R) Act, 1951. Thereafter Alexandra Jute Mills Ltd was nationalised under Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 with effect from 20.12.1980 and the Assets were vested to this Corporation free from all encumbrances. The mortgagee thereafter another writ petition in the Calcutta High Court.

Challenging the provisions of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 and their validity. The Writ Petition filed by the mortgagee challenging the applicability of provisions of Industries (Development & Regulations) Act, 1951 has since been dismissed by the Hon'ble High Court, Calcutta and thereafter an interim order of status quo is passed by the Hon'ble High Court, Calcutta.

The opinion of standing counsel M/s, Fox & Mondal that premises No.5, Alipore, Kolkata vested in Central Govt. which has again vested in NJMC under Section 6 of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 and NJMC is the owner of the said property free from all mortgages or lien or encumbrances, However, NJMC is the owner of the said property free from all mortgages or lien or encumbrances, However, NJMC has sought for opinion at the instruction of MOT vide their letter F. No. 17/16/2006 - JE dated 24/12/2007 wherein MOT asked NJMC to examine the issue from Legal point of view.



NOTE- 9 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

Accordingly NJMC has referred the matter of Ministry of Law Justice & Company affairs vide letter No. ... received from Ministry of Law & Justice and Barrister Sri Anindya Kumar Mitra were forwarded to MOT vide letter No. JNMC/CMD/8 dated 28/01/2008 and also to Barrister Sri Anindya Kumar Mitra on the aforesaid matter. The opinions NJMC/CMD/08/239 dated 3rd April, 2008 along with opinion of our dealing Counsel M/s. Fox & Mondal. The MOT vide their letter No. 17/1/2006 - JE dated 30th April, 2008 stated that the opinion of Sri Anindya Kumar Mitra, Barister and Sr. Advocate as well as of Ministry of Law and Justice Bench Secretariat, Kolkata is that the ownership of the premises No. 5, Alipore Road, cannot be deemed as vesting in Central Govt./NJMC under the Nationalisation Act. On the other hand the standing counsel on behalf of NJMC has opined otherwise. MOT further directed that the affidavits in reply on behalf of NJMC and Union of India (MOT) may be amended in the Hon'ble High Court, Calcutta based on the above majority legal opinion which included legal opinion from Ministry of Law & Justice Bench secretariat Kolkata, that the Nationalisation Act, should not be applicable on the said property as the property was no longer a property of Alexandra during the time of Nationalisation. However, the affidavits were filed on June 2019. In 2019 writ petition 5292 of 1981 was restored, exchange of affidavits completed and will come up for hearing. No further development has taken place during the financial year 2020-21 Since the matter is subjudice no adjustment has been made in the accounts.

- 7) Value of land pertaining to Unit RBHM, measuring 96 Bighas 15 Kattahs, 5 Dhurs has been capitalised for ₹373.02 Lakhs in 1999-2000 with the approval of Board of Directors on 21.06.2000 as per valuation report as on 31.03.1993 of M/s Esjay consultants Pvt Ltd. appointed by IIBI.
- 8) Value of Land includes 4.03 acres of land valued at ₹41.55 Lakh and Value of Building includes building valued at ₹27.24 Lakh situated at Kalimpong & Forbesgunj of Unit R.B.H.M as per valuation Report as on 31.03.1993 of M/s Esjay Consultants Pvt Ltd. appointed by IIBI duly approved by the Board of Directors on 24th December, 1997 and the same have been capitalised during the year 1997-98.
- 9) The Title deeds of land which were mortgaged to IIBI, has been received by the Company during the year 2006-07. Some of the Title Deeds are torn and in precarious condition. Hence it is not possible to physically verify the same.
- 10) Plant & Machinery declared as discarded and / or obsolete are shown as current assets at their book value amounting to ₹8.14 lakhs (Previous Year ₹10.01 lakhs) which is fully provided for.

11) During the Financial Year 2016-17 the Company has disposed off a substantial portion some of the fixed assets of Alexandra and National, which are all closed units.		Gross Block as on 31.03.2017 (₹)	WDV as on 31.03.2017 (₹)
Name of Mills	Name of the Fixed Assets		
Alexandra	Plant & Machineries	1,48,276.00	1,483.75
National	Plant & Machineries	37,45,379.30	61,424.22
Total		38,93,655.30	62,907.97



NOTE- 9 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

- 12) Certain Items of movable fixed assets lying at the National Mill Unit of the company, having aggregate book value of ₹28422.16 as on 31.03.2020, were not found at the time of physical verification conducted by the management during the year 2020-21 for which FIR has been lodged by the company. Necessary adjustments in this regard will be made on final settlement of the matter with the respected security services provider.
- 13) Union Cabinet declared closure on 10.10.2018. As part of the closure process Pre-LMA work (verification, assessment & valuation of all movable & immovable assets) is going on through NBCC (I) Ltd., a Central Govt PSU. This report is in advance stage of finalisation. After receiving the final report and duly accepted by appropriate authority, the effect of revaluation will be given in the Books of Account.
- 14) Pursuant to an application filed by the proprietor of Rajat Engineering Works before the Hon'ble High Court in order to secure the Awarded amount of ₹1106.76 Lakhs u/s 36(2) in their favour with a prayer for specific direction to be given to NJMC Ltd to deposit the Awarded amount with the Register of High Court and also for appointment of Receiver to take custody of the property of NJMC Ltd with a prayer for injunction upon NJMC for disposal of its immovable properties. The Hon'ble Calcutta High Court vide its order dated 28.02.2022 has allowed the said application in favour of the aforesaid party. The company has made an application u/s 34 of The Arbitration Act by challenging the legality of the award passed against the company by the Ld. Arbitration Tribunal.
- 15) Freehold Land includes plot of Land measuring 15 acres (approx) in respect of RBHM Katihar Unit , the ownership title of which is under litigation before the Hon'ble Patna High Court.



NOTE - 10 NON CURRENT INVESTMENT

(₹ In Lakh)

As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Trade Investments				
Number	Number			
(A) INVESTMENT IN EQUITY				
INSTRUMENTS- EQUITY SHARES IN				
SUBSIDIARY COMPANIES-UNQUOTED				
14415	14415	Birds Jute & Exports Ltd., Ordinary Share (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
10	10	Birds Jute & Exports Ltd., Ordinary Share (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
			-	-
EQUITY SHARES IN CO-OPERATIVE SOCIETIES-UNQUOTED				
250	250	Union North Jute Mills Employees' Co-Operative Stores Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
			-	-
EQUITY SHARES IN ASSOCIATED COMPANIES-UNQUOTED				
5	5	The Kinnison Jute Mills Co. Ltd., (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
			-	-
EQUITY SHARES IN OTHER COMPANIES-QUOTED				
180	180	Duncans Agro Industries Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
111	111	Birla Corporation Limited (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
63	63	Cheviot Company Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
			0.02	0.02
EQUITY SHARES IN OTHER COMPANIES-UNQUOTED				
180	180	Hathikhira Tea Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
1200	1200	Jaipur Udyog Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.02	0.02
95	95	Budge Budge Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
95	95	Delta Jute & Industries Ltd. (Face value ₹ 4/- each)*	-	-
20	20	The Ganges Manufacturing Co. Ltd. (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
2	2	Anglo India Jute Mills Co. Ltd. (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
26	26	The Empire Jute Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
600	600	Willard India Ltd. 600 Nos. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
3	3	Lawrence Investment & Property Co. Ltd. 3 Nos. (Face value ₹ 100/- each)	0.01	0.01
100	100	Waverly Jute Co. Ltd., (Face value ₹ 50/- each)	0.01	0.01
36972	36972	Britannia Engineering Co. Ltd. (in liquidation) (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
2700	2700	2700 Stock of 1 Pound each in Titagarh Jute Factory PLC (Face value Pund 1/- each)*	0.11	0.11
			0.18	0.18



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 10 NON CURRENT INVESTMENT (Contd.)

(₹ In Lakh)

Number of Share / Security /
Bonds / Units

(B) INVESTMENT IN PREFERENCE SHARES

i) In Subsidiary Company:

143	143	Birds Jute & Exports Ltd., 7% Cumulative Preference Share (Face value ₹ 100/- each)	0.01	0.01
700	700	J. F. Low & Co. Ltd. (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
			0.01	0.01

(C) INVESTMENT IN GOVERNMENT SECURITIES

3% Conversion Loan 1986 (Face value ₹ 700/- Matured)	0.01	0.01
3% Conversion Loan 1986 (Face value ₹ 5,300/-)	0.04	0.04
7 Years National Savings Certificate :-		
Old Series	0.05	0.05
New Series	0.15	0.15
The West Bengal Estate Acquisition Compensation Bonds	0.01	0.01
12 Years National Plan Savings Certificate	0.01	0.01
Government of India 5.5% Loan 1999 (Face value Rs. 42,500/-)	0.42	0.42
12 Years National Defence Certificate	0.01	0.01
12 Years National Savings Certificate	0.04	0.04
	0.74	0.74

(D) INVESTMENT IN DEBENTURES-UNQUOTED

East Indian Clinic Ltd., 5% Non redeemable Debentures	0.36	0.36
	0.36	0.36

TOTAL

Less Provision

TOTAL

* Denotes the Book Value of which is below ₹ 1,000/-.

Aggwgate Book value of Quoted Non-Current Investment	-	-
Aggwgate Book value of Unquoted Non-Current Investment		
less Provision	-	-
Total Quoted and Non-quoted Non-current investment	-	-
Aggregate Market value of quoted Non Current Investment	NA	NA

ADDITIONAL INFORMATION

- (i) Out of the total investments, documents in respect of investments made in various Govt. authorities, Britannia Engineering Co. Ltd. and J.F. Low & Co. Ltd. are not traceable since nationalisation. This matter has been taken up with Board and it has been advised to include the same in the forensic audit which is under process. However full provision has been made in the Books of Accounts.
- (ii) Total Investments in shares include investment in two (2) Struck off Companies namely Duncans Agro Industries Ltd. & Lawrence Investment & Property Co. Ltd. having aggregate Book Value of 0.02 lakhs against which full provision has been made.



NOTE - 11 OTHER NON CURRENT ASSETS

Non-Current Fixed Deposits with Bank

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Term Deposits with Bank maturing after 31.03.2023	-	1781.61
Total	-	1781.61

NOTE - 12 INVENTORIES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
a) Raw Materials (At the Lower of Cost and net realisable value)	115.72	133.58
Add : In Transit	- 115.72	- 133.58
b) Work in Process (At Lower of estimated cost and net realisable value)	24.18	63.38
c) Finished Goods (At the Lower of Cost and net realisable value)	32.79	162.48
d) Stores & Spares (At Cost)	149.85	380.81
Less - Provision for diminution in value	- 149.85	154.93 225.88
TOTAL	322.55	585.32

ADDITIONAL INFORMATION

The Company has stopped its operations from 2015-16. During the current accounting year inventories of RBHM Mill amounting to ₹262.79 lakhs disposed off as scrap as per the decision taken in the 198th Borad Meeting dated on 29.05.2023.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 13 TRADE RECEIVABLES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022	
Outstanding for a period exceeding six months			
a) Unsecured - Considered Good	30.81	-	
- Considered Doubtful	283.36	283.36	
	314.17	283.36	
Less : Provision for Doubtful Trade Receivables	283.36	283.36	-
b) Other Receivables-Considered Good	-	-	
TOTAL	30.81	-	

(₹ In Lakh)

Age wise analysis of Trade Receivables as on 31.03.2023								
Particulars	Unbilled Dues	Not Due	Outstanding for following periods from due date of Receipts					Total
			Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	30.81	-	-	-	283.36	314.17
Less: Provision for doubtful receivable (Disputed + Undisputed)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	30.81	-	-	-	283.36	314.17

Age wise analysis of Trade Receivables as on 31.03.2022								
Particulars	Unbilled Dues	Not Due	Outstanding for following periods from due date of Receipts					Total
			Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36
Less: Provision for doubtful receivable (Disputed + Undisputed)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	283.36	283.36



NOTE - 14 CASH AND BANK BALANCE

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
a) Cash & Cash Equivalents		
(i) Balance in Bank Accounts	13,418.73	40.17
(ii) Cash on hand	0.29	0.09
(iii) Short Term Fixed Deposits	-	178.61
	<u>13,419.02</u>	<u>218.87</u>
b) Other Bank Balances		
(i) In Fixed Deposit Accounts with Banks:		-
(a) Having original maturity period of less than 12 months	3,114.01	2,309.06
(b) Having original maturity period of more than 12 months	271.10	-
(c) Other Fixed Deposits	-	-
(ii) Margin Money	3.10	3.10
	<u>3,388.21</u>	<u>2,312.16</u>
Less :- Provision against Margin Money	3.10	3.10
	<u>3,385.11</u>	<u>2,309.06</u>
TOTAL	<u>16,804.13</u>	<u>2527.93</u>

ADDITIONAL INFORMATION

- Balances in Bank accounts include ₹ 18.10 Lakhs lying in current account with Bank of India, which has been attached by Certificate Officer, ESIC in connection with its dues. (Previous Year ₹ 18.10 Lakhs).
- Margin Money of ₹ 3.10 lakhs is a very old balance being carried forward without any details. Accordingly full provision has been made.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 15 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022	
a) Loans and advances			
Unsecured - considered good (other than related party)	1,078.21	1,078.21	
Unsecured - considered doubtful (to related Party)	5,130.37	4,898.10	
	6,208.58	5,976.30	
Less: Provision	5,130.37	4,898.10	
	1,078.21	1,078.21	
b) Income Tax deducted at Source			
- Considered good	828.78	780.53	
- Considered doubtful	408.77	408.77	
	1,237.55	1,189.30	
Less:- Provision	(408.77)	(408.77)	780.53
c) Balances with Government Authorities			
Unsecured - considered good	-	-	
- considered doubtful	12.10	12.10	
	12.10	12.10	
Less: Provision	(12.10)	(12.10)	
	-	-	
d) GST Input Credit	-	279.14	
Less: Provision	-	(40.70)	238.44
e) Others			
Unsecured - considered good	25.38	0.21	
- considered doubtful	457.52	457.52	
	482.90	457.73	
Less: Provision	(457.52)	(457.52)	
	25.38	0.21	
TOTAL	1,932.37	2,097.39	



NOTE - 15 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

ADDITIONAL INFORMATION

- a) The aggregate amount of loans and advances given to the subsidiary of the company, including accrued interest considered there on is ₹5130.37 lakhs as on 31.03.2023 (previous year ₹4898.10 Lakhs) as per books of accounts of the company. However, as per the statement of accounts received from the subsidiary, such amount aggregates to ₹5155.90 lakhs (previous year Rs.4913.30 Lakhs). The difference of loan and interest thereon is reconciled on NJMC's part and awaiting for acceptance from subsidiary's side. The difference in advances given is yet to be reconciled.
- b) National Jute Manufactures Corporation Ltd. (NJMC Ltd.) has disbursed loan to Birds Jute & Exports Limited (BJEL) upto year 1990-91 amount to ₹216.07 lacs. Out of which ₹40 lacs realized in the year 1991-92 and further disbursed ₹251.42 lacs in the year 2010-11 and the again ₹50 lacs in the year 2013-14. Thus, outstanding loan since year 2013-14 amount to ₹477.49 lacs. As resolved in the Board Meeting of NJMC Ltd. held on 23rd of December 1991, interest on the said loan had to be charge at the bank rate prevailing on the last date of the respective accounting years on the existing and future loans. It has been observed that aggregated loan amount of ₹477.49 lacs and interest charged thereon during the period from disbursement up to the year 2014-15 amount to ₹3292.88 lacs, after adjustment of ₹398.63 lacs, in different years., have been confirmed by BJEL in their annual accounts of the year 2014-15. Since, the interest was being charged on compound basis, the interest burden mounted up year after year and recoverability had become uncertain in view of financial condition of the subsidiary which did not repay any of the amounts since long. Considering aforesaid position, it was proposed that the amount of interest of ₹3292.88 lakhs may be kept frozen for calculation of further interest at compound rate on the same in future years which will only burden the books of the Subsidiary as well as the Holding Company. Interest to the extent of ₹259.23 Lakhs has been charged on principal along with interest thereon since 2015-16 during the year including differential interest of ₹96.46 lakhs for earlier years and ₹162.77 lakhs for current year.
- c) Security Deposit includes an amount of ₹1.87 lakhs which has been recovered by Provident Fund authority in spite of provision for waiver of damages in BIFR revival scheme as well as existence of injunction by the High Court of Kolkata against W.P.No.471(W)/2016. The provision for the entire ₹1.87 Lakhs has been made in the Accounts.
- d) Others Include
 - i) An amount of ₹11.33 Lakh in respect of Unit Khardah (Previous Year ₹11.33 Lakhs) which represents money in course of misappropriation of deposit/payment of railway freight in 1982-83. The matter is subjudice. However, full provision has been made in the accounts.
 - ii) An amount of ₹24.00 Lakhs in respect of Unit National (Previous Year ₹24.00 Lakhs) paid to the Trustees of National Company Limited Jute Mill Works Provident Fund as interest free loan to cover the loss of interest to the fund caused by non receipt of Securities from the Brokers on the condition that the proceeds from the said securities to be obtained from the Brokers would be appropriated towards refund of the said loan. Since the proceeds have not yet been realised no adjustment was carried out and full provision has been made in the accounts.
 - iii) An amount of ₹32.76 lakhs (Previous Year ₹32.76 Lakhs) and an amount of ₹2.24 Lakhs (Previous Year ₹2.24 lakhs), being the balance of claim towards value of the stock of finished goods and the balance of claim towards the value of the fixed assets destroyed by fire on 31st August, 1986 respectively pertaining to Unit National. The insurance claim was finally settled by the National Insurance Company after disallowing the above balances. The Company referred the matter to the



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 15 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

concerned Ministry, New Delhi for further referring the matter to the arbitrator, as required under the guidelines for settlement of disputes between two Public Sector Undertakings. The matter has not yet been resolved and full provision against the same has been made in the accounts.

- iv) An amount of ₹10.39 lakhs represents advanced towards VRS Package to officers of the Company provision has been made for the entire amount of 10.39 lakhs in the Accounts.
 - v) GST Input credit of ₹238.45 lakhs (Previous Year ₹164.56 Lakhs) is considered good as the same is expected to be adjusted against future GST liabilities.
 - vi) An amount of ₹5130.37 lakhs is receivable from BJEL on account of transactions carried out in the preceeding year and full provision has been made in the accounts.
 - vii) During the financial year 2018-19 the Company has given an Interest free loan amounting to ₹1200.00 Lakhs to Hadricrafts & Handlooms Exports Corporation of India Ltd. This loan was given on the basis of directive from Ministry of Textiles, Government of India vide its letter no.F.No.21/2/2018/HHEC/PSU dated 03.07.2018. The outstanding balance as on 31.03.2023 was ₹1078.21 Lakhs. As per condition of MOU the loan will be repaid by sale of assets of the Company within 2 years from date of disbursement of loan.
- e) The amount of Income Tax deducted at Source (TDS) is ₹1219.33 Lakh. The details of above assessment year wise as under:

Financial Year	Assessment Year	TDS Amount.(In Lakh)
Old balance		13.10
2014-15	2015-16	167.73
2015-16	2016-17	161.76
2016-17	2017-18	412.38
2017-18	2018-19	173.19
2018-19	2019-20	130.52
2019-20	2020-21	54.51
2020-21	2021-22	28.01
2021-22	2022-23	31.46
2022-23	2023-24	46.68
Total		1219.33

The Income Tax Refund determined by the Income Tax department in respect of earlier assessment years together with interest allowable thereon are being adjusted by the department against arrear demands in respect of assessment years 1990-91. The details/documents in respect of such demand could not be traced by the company. Accordingly, the company took up the matter with the jurisdictional Income Tax Authority which expressed its inability to provide copies of relevant orders vide which the demand for the said assessment year was raised and advised the company to contact CPC Bangalore.

CPC-Bangalore was also contacted under RTI Act, 2005 from whom clarification is yet to be received. The company intends to deal with the matter in appropriate manner and necessary adjustment in this regard will be made after obtaining necessary information/details from the Income Tax department.



NOTE - 16 OTHER CURRENT ASSETS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022	
a) Interest accrued on deposits	1.80	4.81	
Less :- Provision	1.80	1.80	3.01
b) Security deposits			
Unsecured - considered good	44.84	44.84	
- considered doubtful	11.47	11.47	
	56.31	56.31	
Less: Provision	(11.47)	(11.47)	
	44.84	44.84	
c) Others	226.12	227.48	
Less :- Provision	(158.71)	(160.91)	
	67.41	66.57	
TOTAL	112.25	114.42	

NOTE - 17 REVENUE FROM OPERATIONS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Sale of Jute Products	-	-
Other Operating Revenue	-	-
TOTAL	-	-

NOTE - 18 OTHER INCOME

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
a) Interest Income		
Interest from Bank Deposit	196.14	234.63
Interest income on Loan to Subsidiary	259.23	88.34
	455.37	322.97
b) Other Non-operating Income	5,822.42	21.03
TOTAL	6,277.79	344.00

ADDITIONAL INFORMATION

- A) Govt of India has sanctioned interest free loan amounting to ₹48,362 lakhs for revival of NJMC Ltd. Out of that a sum of ₹41,571.41 lakhs has been released till 31.03.18. Unspent amount out of that has been invested in Term Deposits with bank for the time being. The interest earned on the same is being considered as Company's income consistently since 2011-12. ISDS fund of ₹144.00 lakhs, released on 31st March, 2016, has also been invested in Fixed Deposit. This interest is also included in the Interest income from Bank Deposits shown above.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 18 OTHER INCOME (Contd.)

B) Other Non-operating Income comprises of

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
i) Depreciation Adjustment for assets acquired with Govt. Grant	0.10	0.10
ii) Interest from CESC	-	0.85
iii) Profit on Sale of Scarp sale	5,761.51	-
iv) Prov. Written back	44.40	2.15
v) Interest on I Tax Refund	1.57	14.63
vi) Others	14.79	1.81
vii) Dividends Received	0.04	0.11
viii) Insurance Claim received	- 5,822.42	1.37 21.03
TOTAL	5,822.42	21.03

NOTE - 19 COST OF RAW MATERIALS CONSUMED

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Opening Stock	133.58	138.57
Less: Write down /Transfer as a scarp of value of inventory	17.86 115.72	4.99 133.58
Add :- Purchase	-	-
	115.72	133.58
Less :- Closing stock	115.72	133.58
Cost of Raw Materials Consumed (Including Process Loss)	0.00	-
ADDITIONAL INFORMATION		
i) Raw Materials consumed comprises :-		
Raw Jute		
ii) Indegenous	-	100%

Movable assets of RBHM Katihar Mill been disposed off during the year, the inventories have been charged off. So there is no consumption of Raw Materials.



NOTE - 20 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS AND WORK-IN-PROCESS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Inventories at the beginning of the year		
Stores & Spares	225.88	225.88
Finished Goods	162.48	199.48
Work in Process	63.38	63.38
	<u>451.74</u>	<u>488.73</u>
Less: Sale of the value of inventory of finished goods as scar	244.92	37.00
	<u>206.83</u>	<u>451.74</u>
Inventories at the end of the year		
Stores & Spares	149.85	225.88
Finished Goods	32.79	162.48
Work in Process	24.18	63.38
	<u>206.83</u>	<u>451.74</u>
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>-</u>

NOTE - 21 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Salaries	102.96	83.32
Contribution to Provident Fund & Other Fund	2.49	2.46
Staff Welfare Expenses	<u>1.20</u>	<u>0.75</u>
TOTAL	<u>106.64</u>	<u>86.53</u>

NOTE - 22 FINANCE COSTS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Interest on Borrowings from Govt. of West Bengal	<u>36.59</u>	<u>36.36</u>
TOTAL	<u>36.59</u>	<u>36.36</u>



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 23 OTHER EXPENSES

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Rent	16.80	16.78
Rates and taxes	4.61	9.92
Professional Charges	4.70	2.18
Car Hire Charges	4.38	6.93
Travelling and Conveyance	14.61	7.17
Communication	0.26	0.42
Printing and stationery	1.14	1.84
Computer Expenses	0.61	0.60
Insurance - Corporate & Branch	22.48	21.88
Municipal & Property Tax - Branch	18.00	27.43
Repairs and Maintenance - Others	5.54	13.22
Repairs & Office Maintenance - Branch	0.50	1.70
Security Expenses - Corporate	1.44	1.24
Security Expenses - Branch	480.63	270.09
Electricity Charges - Corporate	4.12	3.84
Electricity Charges - Branch	12.70	12.25
General Expenses - Branch	6.41	2.71
Excise Duty, Sales Tax etc. Paid on demand - Branch	-	4.92
Other General Expenses - Branch	3.38	1.14
PF Administrative Expenses - Branch	0.00	0.54
Abnormal loss (Theft)	1.84	-
Legal Charges	13.60	2.61
Bank Charges	0.08	0.12
Provision for doubtful trade and other receivables	232.28	79.50
Prior period Items(Net)	268.52	0.51
Miscellaneous expenses	5.05	5.14
Interests & penalties on delayed payments	-	1.06
Advertisement	0.32	0.07
MSTC service charges	55.81	-
	1,179.81	495.83



NOTE - 23 OTHER EXPENSES (Contd.)

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Auditors Remuneration :		
a) Statutory Auditors:		
i) Statutory Audit Fees	1.37	1.37
b) Other Auditors		
i) Tax Audit Fees	0.36	0.36
ii) Others Audit Fees (PF)	1.00	0.49
	<u>2.73</u>	<u>2.22</u>
TOTAL	1,182.54	498.05

ADDITIONAL INFORMATION

i) Prior Period items include:

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Prior Period Expenses	268.52	0.12
Depreciation	-	0.39
	<u>268.52</u>	<u>0.51</u>

NOTE - 24 EARNING PER SHARE

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Profit / (Loss) after tax as per Statement of Profit and Loss (₹ In Lakh)	3,106.41	(353.13)
Weighted average Number of equity share	557974	557974
Earnings per share (₹) - Basic	556.73	(63.29)
Earnings per share (₹) - Diluted	556.73	(63.29)



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE-25 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION

- 1) Government of India has approved the closure of NJMC Ltd. on 10.10.2018. As per the directive of the competent authority, the closure has to be made in accordance with the DPE Guidelines issued vide O.M. No. DPE/5(1)/2014-Fin(Part-I) on 14.06.2018.

In line with the directive, ₹20,000 Lakhs has been refunded to Government of India towards the repayment of Interest free loan.

NBCC (India) Ltd. has been appointed as Land Management Agency (LMA) for disposal of immovable assets and M/S. MSTC Ltd. has been appointed as Auctioning Agency for disposal of movable assets with approval of Board of Directors of NJMC Ltd. Process of closure in line with the DPE Guidelines dated 14.06.2018 & 31.10.2022 is under progress. Also NBCC India Ltd has been entrusted for pre LMA activities for verification, assessment and valuation of assets. The Pre-LMA report submitted by NBCC has been accepted by the Board of NJMC Ltd. Further the process of disposal of movable and immovable (Buildings & Structures) is under process.

- 2) These Financial Statements incorporate the Accounts pertaining to the Units of Corporate Office and 6 mills of the Company viz Kinnison, RBHM, Khardah, National, Union and Alexandra.
- 3) Related Party Transactions

- i) Details of Related Parties :

Description of Relationship	Name of related Parties
Controlling Party	Honourable President of India
Subsidiary Company	Birds Jute & Exports Limited
Key Management Personnel	Sri Moloy Chandan Chakraborty (CMD)
	Ms. Mohini Verma (CS)

Note :- Related parties have been identified by the Management

- ii) Details of related party transaction during the year ended 31st March 2023 and balances outstanding as at 31st March 2022 :

- a) With Subsidiary Company:

Particulars	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
With Subsidiary Company:		
Interest on loans granted	259.23	88.34
With Key Management Personnel:		
Remuneration paid	4.49	3.10
Balances outstanding at the year-end with related Parties:		
Loans & Advances Granted	5130.37 Dr.	4898.10 Dr.
Creditors for Services	0.10 Cr.	0.10 Cr.
Trade Receivable	23.56 Dr.	23.56 Dr.
Creditors for Brokerage	0.28 Cr.	0.28 Cr.
Advance to Creditors for Services	3.33 Dr.	3.33 Dr.

Provision against the above balance is mentioned in note no. 15(a)



NOTE-25 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

b)	With Key Managerial Personnel : Remuneration paid as Company Secretary	4.49	3.10

4) Employee Benefits expenses include Director's Remuneration as below :-

Particulars	Current Year	Previous Year
Remuneration	Nil	Nil
Contribution to P.F. Fund	Nil	Nil
Gratuity	Nil	Nil

(₹ In Lakh)

5)	Particulars	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
a)	Expenditure/Remittance in Foreign Currency	Nil	Nil
b)	Earnings in Foreign Exchange	Nil	Nil

6) The company has net deferred tax asset at the year end. However, in view of the substantial losses incurred in a number of past years and suspension of manufacturing activities by the Company, the Deferred Tax Assets have not been recognized as a matter of prudence as there is no reasonable certainty that sufficient future taxable income would be available against which such Deferred Tax Assets can be adjusted.

7) The Company has not assessed the Impairment loss on its fixed assets as per Accounting Standard 28.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE-25 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

8) Disputed liabilities and commitments not provided for:-

SL NO.	Particulars	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
A)	i) Claims against the Company not acknowledged as debt towards Central Excise for Unit Kinnison	16.43	16.43
	ii) Claim against the Company by the West Bengal Commercial Tax Authority And Bihar Commercial Tax Authority as regards non-submission of "C" forms, not acknowledged by the Company as debt and preferred appeal accordingly. (Financial Year 2010-11 ₹0.003 Financial Year 2011-12 Kinnison ₹ 0.002 Lakh, Khardah- ₹2.88 Lakh, Financial Year 2012-13 Kinnison - ₹43.96 Lacs, Khardah - ₹38.04 lakh, Financial Year 2013-14 Kinnison - ₹67.02 Lakh, Khardah - ₹40.18 Lakh & Financial Year 2014-15 Kinnison - ₹27.47 Lakh, Financial Year 2015-16 Kinnison - ₹3.18 Lakh & 0.01 Lakhs, Financial Year 2017-18 Khardah ₹0.11 Lakh and Kinnison ₹0.22 Lakh)	223.09	223.09
	iii) Service Tax demand	0.10	0.10
	iv) Demands of Interest appearing on the Income-tax Portal in respect of Assessment Years 1990-91, 2007-08 and 2009-10, which according to the company is not correct and for which the company has taken up the matter with Jurisdictional Income Tax Authority who informed that they do not have any knowledge regarding the demand and advised it to take up the matter with CPC-Bangalore. Accordingly NJMC Ltd. sought the clarification under RTI Act, 2005. NJMC Ltd. is yet to receive any reply.	676.17	676.17
	v) Demands raised on account of of TDS defaults and interest thereon appearing on the Income Tax Portal.	1.59	1.59
	Total	917.38	917.38



NOTE-25 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

9) Contingent liabilities and commitments not provided for

SL NO.	Particulars	As at 31st March, 2023*	As at 31st March, 2022
i)	Guarantees extended by the Corporation to SBI Home Finance Ltd for granting House Building Advance to the employees of this Corporation	-	0.97
ii)	Guarantee issued to Sales Tax Authority by the Banks on behalf of the Company	-	0.50
iii)	Claims made by ex-employees/officers of the company	Amount Not Ascertained	Amount Not Ascertained
iv)	Claims for interest demanded by the creditors of the company pending before various legal forums	Amount Not Ascertained	Amount Not Ascertained

* All the employees have been given VRS on or before 2011. At present there is no employee on role of NJMC Ltd, hence the relevency of the point has expired.

10) Figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever necessary to make them comparable with the current year figures.

For and on behalf of the Board

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 23059144BGW1WV5111

Place : Kolkata
Dated: 01.12.2023

(Prajakta L. Verma)
Director
DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)
Director
DIN: 09485570

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE : 26 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION

(i) Title deeds of Immovable Properties not held in name of the Company

The management of six sick private sector Jute manufacturing companies were taken over by the Central Government under Clause (a) of sub-section (1) of Section 18 AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1956 and thereafter the ownership of all the properties and other Assets of these companies were vested in the Central Government through enabling legislations. The National Jute Mill was nationalized under the National Company Limited (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1980 and the remaining five companies were nationalized under the Jute Companies (Nationalization) Act, 1980. The ownership of these nationalized companies was vested on NJMC Ltd, a company newly created specifically for this purpose on 3rd June 1980. (National Jute Mill w.e.f. 10th June, 1980 and the remaining five mills w.e.f. 21st December, 1980). The details in respect of immovable properties not held in the name of NJMC Ltd. are as follows:-

The details of Immovable Property not held in the name of the company						
Relevant line item in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross Carrying Value	Title deed held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of	Property held since date	Reason for not being held in the name of the company
Property Plant & Equipment	Land - Unit Alexandra	included in ₹ 134752/- mentioned in FAR not separately ascertainable	Alexandra Jute Mills Ltd	NA	21st December 1980	Though all the mentioned properties were vested on NJMC Ltd. as per the Jute Company Nationalisation Act, the transfer of the same in the name of NJMC is still pending.
	Land - Unit Alexandra	₹ 4,86,332.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.*	NA	21st December 1980	
	Land - Unit National	₹ 3,183.01	Mayarani Devi	NA	10th June 1980	
	Land - Unit National	included in ₹ 240384.99/- mentioned in FAR not separately ascertainable	National Jute Co Ltd	NA	10th June 1980	
	Land - Unit Kinnison	included in ₹ 7911000/- mentioned in FAR not separately ascertainable	The Kinnison Jute Milss Co Ltd	NA	21st December 1980	
	Land - Unit Kinnison		The Cable Chut Company Ltd.	NA	21st December 1980	
	Land - Unit Khardah	₹ 515136.00	Khardah Company Ltd.	NA	21st December 1980	
	Land - Unit RBHM	₹ 2700000.00	British India Corporation (Lease)	NA	21st December 1980	
	Building - Alipore Road	₹ 200000.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.*	NA	21st December 1980	

* The title over Property at Alipore Road, Kolkata is under litigation.



NOTE : 26 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

- ii) The Company has not revalued its property, plant & equipment during the year 2022-23.
- iii) Details of Loans & Advances granted to related parties without specifying any terms or period of repayment:

Type of Borrower	Loans/Advances granted Individually or Jointly with other. (Individually / Jointly)*	Repayable on demand	Terms/ Period of repayment is specified	31 March 2023		31 March 2022	
				Amount outstanding as at the balance sheet date (including Interest)	% of Total	Amount outstanding (including interest)	% of Total
Promoter							
Directors							
KMPs							
Related Parties	to subsidiary	Yes	No	5130.37	82.63%	4898.10	81.96%

iv) Capital-Work-in Progress (CWIP)

- (a) For Capital-work-in progress, following ageing schedule shall be given:

CWIP ageing schedule

a) Ageing Schedule

(₹ In Lakh)

As at 31st March, 2023					
CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 year	2-3 year	More than 3 years	
Projects in progress suspended				-	-
Projects temporarily suspended					-
Total					-

As at 31st March, 2022					
CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 year	2-3 year	More than 3 years	
Projects in progress suspended				24.86	24.86
Projects temporarily suspended					-
Total					24.86

Due to closure declared by cabinet the entire CWIP has been considered suspended and 100% provision made in the books.

- v) The Company does not have any Intangible Assets under development.
- vi) The company has no Benami Property and no proceedings has been initiated or pending against the company for holding any Benami Property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under.
- vii) The Company has no borrowing from banks or any other Financial Institutions on the basis of security of Current Assets.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE : 26 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

viii) The company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

ix) Relationship with Struck off Companies

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed	Balance outstanding as on 31.03.2023	Balance outstanding as on 31.03.2022
Duncans Agro Industries Ltd.	Investments in Equity Shares	Investee Company	0.01	0.01
Lawrence Investment & Property Co. Ltd.	Investments in Equity Shares	Investee Company	0.01	0.01
NA	Receivables	NA	0	0
NA	Payables	NA	0	0
NA	Shares held by struck off company	NA	0	0
NA	Other outstanding balances (to be specified)	NA	0	0



NOTE : 26 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

- x) There are no pending registered charges or satisfaction with the ROC.
- xi) The company has not made any investment beyond the number of layers prescribed under clause 87 of section 2 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017.
- xii) Financial Ratios : Refer Annexure A to Note -26
- xiii) The Company has not entered into any scheme of arrangement under approved by competent authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013.
- xiv) (A) The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall:
 - (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 (B) The company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall:
 - (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- xv) The Company doesnot have any undisclosed Income which is not recorded in the books of Account that has been surrendered or disclosed as income during the year (Previous year- Nil) in the Tax assessments under Income Tax Act 1961 (such as , search, survey or any other relevant provisions of Income Tax Act 1961.
- xvi) The Provisions of section 135 of the Companies Act, with regard to CSR activities do not apply to the Company.
- xvii) The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during this financial year.

For and on behalf of the Board

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 23059144BGW1WV5111

Place : Kolkata
Dated: 01.12.2023

(Prajakta L. Verma)
Director
DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)
Director
DIN: 09485570

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE :ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (ANNEXURE- A)

Ratio

Ratio	Formulas	Items included in Numerator	Items included in Denominator	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022	% Variance(s)	Explanation for change in ratio by more than 25%, if any
1. Current Ratio	Current Assets / Current Liabilities	Inventories, Trade Receivables, Cash And Bank Balances, Short-Term Loans and advances, Other Current Assets	Trade Payables, Other Current Liabilities, Short-Term Provisions	1.07	0.59	81.10	Due to increase in Current Assets mainly in the Cash and Bank balance as on 31.03.2023.
2. Debt Equity Ratio	Total Debts / Shareholders Fund	Long term Borrowing	Share Capital, Reserves & Surplus	(1.11)	(0.96)	15.73	Not applicable
3. Debt Service Coverage Ratio	Earning Available for Debt Service / (Interest +Principal Repayments)	Profit before Interest & Tax + Non Cash Expenses & amortisations	Principal + Interest & Lease Payments	-	-	-	Not Applicable as there is no short term borrowings and current maturities of Long term borrowings.
4. Return On Equity Ratio(%)	Net Income / Shareholders' Equity	Net profit after Tax - Preference Dividend	Average Shareholders Equity	-	-	-	Not applicable as Share Holder's fund is negative.
5. Inventory Turnover Ratio	COGS / Average Inventory	COGS or Sales	Average Inventory	-	-	-	Not applicable as there is no sale of goods in both the years.
6. Trade Receivables Turnover Ratio	Net Credit Sales / Average Accounts Receivables.	Net Credit Sales	Average Accounts Receivable	-	-	-	Not applicable as there is no sales turnover in both the years.
7. Trade Payables Turnover Ratio	Net Credit Purchases / Average Accounts Payables.	Net Credit Purchases	Average Accounts Payable	-	-	-	Not applicable as there is no purchase of materials in both the years.
8. Net Capital Turnover Ratio (%)	Sales / Average Working Capital	Net Sales	Average Working Capital	-	-	-	Not applicable as there is no sales turnover in both the years.
9. Net Profit Ratio (%)	Net Profit / Net Sales*100	Net Profit After Tax	Net Sales	-	-	-	Not applicable as there is no sales turnover in both the years.
10. Return on Capital Employed.(%)	EBIT / Gross Capital Employed *100	Profit Before Interest & Tax (%)	Tangible Networth+Total Long Term Debt+Deferred Tax Liability	235.35	-	-	Since there was negative capital employed in the last year, variation could not be computed
11. Return On Investment (%)	Income from Investments/ Average Investments *100	Income from Investments	Average Investments	2.36	6.51	-63.67	Due to decrease in dividend.



Consolidated Financial Statements



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES
ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL
JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED
31 MARCH 2023**

The preparation of consolidated financial statements of National Jute Manufactures Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 01 December 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the consolidated financial statements of National Jute Manufactures Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Kolkata
Date: 21 December, 2023

(Bibhudutta Basantia)
Director General of Audit (Mines)
Kolkata



Independent Auditors' Report on Consolidated Financial Statements

TO THE MEMBERS OF NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Qualified Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of **NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED** (hereinafter referred to as the 'Holding Company') and its subsidiary (Holding Company and its Subsidiary together referred to as "the Group"), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2023, the Consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of matters described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2023, of consolidated profit, and its consolidated cash flows for the year then ended.

Basis for Qualified Opinion

A) Going Concern Assumption:

The accounts of the Holding Company and the Subsidiary have been drawn up on going concern basis which is not appropriate under the circumstances because of the following reasons:

- The Union Cabinet has approved the closure of National Jute Manufactures Corporation Limited (NJMC) and its subsidiary Birds Jute Exports Limited (BJEL) at its meeting held on 10th October, 2018. Disposal of all assets will be in accordance with the guidelines of DPE dated 14.06.2018 and the proceeds from the sale of assets, after meeting the liabilities will be deposited in Consolidated Fund of India. In terms of engagement of MSTC as auctioning agency, all the movable assets of three of its Mills namely viz. National, Alexandra and RBHM have been disposed off. In respect of Kinnison all the process of disposal including delivery advice is completed by the end of the year but the actual removal of those assets is pending. Besides, the assets in respect of Khardah unit have been sold during subsequent period. NBCC who has been appointed as Pre-Land Management Agency submitted their report but the disposal of Land and Building for all the units is yet to be taken.
- In terms with the closure notification, the holding company has during the year 2018-19 refunded Interest Free Loan to the extent of ₹200 crores to the Government of India. The income of the holding company for the last several years is primarily from Interest on Fixed Deposits which has reduced significantly after the said refund.
- The auditors of the subsidiary company in their report on the Standalone Financial Statements have also expressed opinion that there exists material uncertainty which is casting significant doubt on the ability of the subsidiary to continue as a going concern.
- The subsidiary company has made a provision of ₹41.62 Lakhs for the year 2022-23 (Previous Year ₹32.35) towards unpaid municipal taxes and interest thereon. The auditors of the subsidiary company has expressed inability to comment on the adequacy or otherwise of such provision in view of uncertainty over the amount of further interest and penalty, if any, payable on this account.



- e) The auditors of subsidiary company have also stated that the balances in Trade Receivables, Creditors, Suppliers and Advances are subject to confirmation/reconciliation and subsequent adjustments, if any.
- f) In the opinion of the auditors of the subsidiary company, it in all material respects, does not have adequate internal control system over financial reporting and such internal controls over financial reporting were not operating effectively as on 31st March, 2023.
- g) The Financial Statements indicate that the group's current and non-current liabilities exceed its total assets by ₹29,574.14 Lakhs (Previous Year ₹32,557.71 Lakhs) and the manufacturing units of the group are also not in operation for the last several years.

These factors confirm the inability of the group to continue as a going concern and to discharge its liabilities in the normal course of business.

B) Non Compliance with Accounting Standards:

B.1 Accounting Standard-2 - Valuation of Inventories

As stated in accounting Policy 1.4, Inventories are valued at lower of cost and net realizable value/market price. Since the units were not in operation, the inventories are unmoved for several years. As per the decision of the management all the movable assets of the three units including inventories have been disposed off during the year and realized value is found to be higher than its book value. But for remaining inventories the relevant cost details and the basis of determination of net realizable value were not made available to us and, hence, it is not possible to ascertain whether AS-2 has been complied with. Moreover, age-wise analysis of inventory as well as identification of obsolete and non-marketable inventories has not been ascertained. Hence, it is not possible to determine whether the carrying value of inventories represents its proper valuation.

B.2 Accounting Standard-9 - Revenue Recognition:

As per decision of the management of the holding company, the disposal procedure for four units was completed before closing of the year under audit receiving EMD/Security Deposits, Bid Value, Issuance of Sale order and Delivery Advice. While the amounts received in connection with three mills namely Alexandra, National and RBHM of ₹1,511 Lakhs, ₹3,000 Lakhs and ₹1,570 Lakhs respectively have been considered in 'scrap sale' but, even though delivery advice was issued on 21.03.2023 in respect of Kinnison Mill, no scrap sale has been considered during the year resulting in an understatement of scrap sale amounting to ₹3,650 Lakhs and profit to the relevant extent.

B.3 Accounting Standard-22 – Accounting for Taxes on Income:

The Group has not complied with AS-22 Accounting for Taxes on Income. Ascertainment of Deferred Tax Asset & Liability in accordance with the said standard has not been done.

B.4 Accounting Standard-29 – 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets':

According to the information and explanations given to us, both the companies in the group are in litigation with various parties on diverse matters, a number of which are pending for several years. However, against many cases, these companies have not estimated and disclosed the amount of possible financial implication of the dispute, as required under AS-29 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets'.

B.5 Accounting Standard-24- 'Discontinuing Operations'

As the holding company has already started disposing off its movable assets including inventories according to the closure directives, the company cannot be treated to be continuing in operation. The



Disclosure as contained in accounting standard 24 'Discontinuing operations' have not been followed in preparation of the accounts of the company.

C) Under/Over statement of Income/Expenses and Assets/Liabilities

C.1 Property, Plant & Equipment & Depreciation:

- a) Certain assets having of holding company with WDV of ₹637/- were lying with third party since nationalization, as stated in Note 9(2), on Property, Plant & Equipment. Profit on disposal of movable assets of the said mill in its entirety has been determined by the management without taking into account the aforesaid assets lying with third party.
- b) As disclosed in Note 9(6), 'Land & Building' includes property at 5, Alipore Road, Kolkata, which is not in the possession of the Company though vested in the company under the Jute Companies (Nationalization) Act, 1980. The property is under litigation and the legal experts are having divergent views regarding the ownership right over the property. Though the ownership is disputed, the company is providing liability in respect of municipal taxes payable to Kolkata Municipal Corporation, which amounted to ₹4.45 Lakhs for the financial year 2022-23 (Previous Year: ₹4.45 Lakhs). The cumulative liability so provided upto 31.03.2023 is ₹116.47 Lakhs (upto 31.03.2022: ₹112.02 Lakhs)
- c) While loss to the extent of ₹1.84 Lakhs due to theft of assets occurred during the year 2021-22 has been charged off in the current year but similar loss of ₹0.28 Lakhs occurred in 2020-21 has not been provided for separately though all the movable assets of the mill have been disposed off.
- d) The Title Deeds of the land at various location were made available for our verification but could not be properly verified and linked with the records of fixed assets. However, according to information and explanation given to us, the landed property of three mills viz. Khardah, some portion of Kinnison and Alexandra are still continuing in the name of the erstwhile companies. We have been further informed that representation has been made to the Additional District Magistrate & District Land & Land Reforms Officer – North 24 Paraganas, Barasat as well as Secretary Land and Land Reforms and Refugee Relief and Rehabilitation Department, Government of West Bengal for updating the land records in respect of the said properties but, the matter is still pending as on 31st March, 2023. The auditors of the subsidiary company in their report have stated the title deeds of the immoveable properties (other than properties where the subsidiary is the Lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) are partly held in the name of the company in digitized form and partly in the name of erstwhile company M/s Lansdowne Jute Company Limited. The auditors of the subsidiary company have stated that a letter has been received from Chief Secretary, Govt. of West Bengal, wherein Govt of West Bengal vide letter no. DONO.878-CS/2022 Dated 06/06/2022 has claimed ownership of the entire Land of BJEL. Further, the auditors of the subsidiary company in their report have also .stated that physical verification of Fixed Assets, Land & Buildings carried was out by NBCC India Ltd in the financial year 2020-21, the final report of which was received during the Financial Year 2022-23 and no material discrepancies have been found.

C.2 Investments:

The holding company is not maintaining proper Register of its Investments. The details of investments, as disclosed under note no. 10, is also not matching with the general ledger and there is a difference of ₹0.37 Lakh. Further, in respect of Investments in Govt. securities aggregating to ₹0.74 Lakhs and Share scrips in respect of investments held in Britannia Engineering Ltd. and J.F. Low & Co. Ltd., value 'NIL' could not be made available for our verification and were informed to be not traceable. These



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

investments are very old and it was explained to us that the original certificates might have been provided as security to the various Govt. authorities/ departments. It was also noticed that investments include ₹0.02 Lakhs in the shares of companies, the names of which have already been struck off. However, full provision has been made against all these investments. Furthermore, investments include shares in Cheviot Company Limited and Birla Corporation Limited against which full provision has been made though dividends have been received against these shares.

C3 Inventories:

The valuation of inventories of the remaining mills at the year-end, which are very old, have been done by the management of the holding company without considering damage/obsolesce on account of lapse of time and non-operations but the value has not been reduced with reference to their realizability.

C4 Cash and Bank Balances:

Bank balances of holding company include ₹91,083.04 on account of Kinnison unit lying with UCO Bank, Titagarh Branch, which is a dormant account as on Balance Sheet date.

Further, Balance in bank accounts is net of book overdraft with bank, that is negative bank balance as per books of account due to accounting for a payment of GST dues amounting to ₹701.85 Lakhs on 31st march 2023, though there was no sufficient balance in bank account.

For the following old bank accounts of Bird Jute and Export Ltd wherein no transactions have been made and are inoperative, no confirmation has been obtained from the banks:

Bankers Name	Book Balance as at 31.03.2023 (in ₹)	Book Balance as at 31.03.2022 (in ₹)
Vysya Bank, N.S. Road, Kolkata	804.15	804.15
Syndicate Bank, Madras	963.00	963.00
Syndicate Bank, Calcutta (PCL)	683.00	683.00

C.5 Short Term Loans & Advances:

- Against the aggregate amount of ₹1219.33 Lakhs as income tax deducted at source receivable, the holding company has made a provision of ₹408.77 Lakhs. The Income-tax refunds determined for earlier years, together with interest allowed thereon, are being adjusted by the Income Tax department against the arrear demand for the assessment year 1990-91. The outstanding demand summary of the company appearing in the Intimation u/s 143(1) for the assessment year 2022-23 is still showing a sum of ₹177.94 Lakhs payable by the company. We have been informed that the holding company is trying to obtain necessary information and documents in respect of the demand raised for the assessment year 1990-91 and necessary adjustment/further provision will be made after receiving necessary documents/information.
- After going through the balance confirmation and the audited financial statements for the year ending 31.03.2023 received from Birds Jute & Exports Ltd., the subsidiary, we observed the balances lying in various accounts with the subsidiary are not matching, the details of which are as follows:



Account	Balance as per NJMC (₹ in Lakhs)	Balance as per Subsidiary (₹ in Lakhs)	Remarks
Interest Accrued on loans granted to Subsidiary	4047.24	4047.33	Differences enumerated in the columns have not been reconciled till close of the year.
Advances given	605.64	631.05	
Creditor for Goods	Nil	94.91	
Creditor for Rent	Nil	0.15	
Creditor for other services	0.10	Nil	
Creditor for Brokerage	0.28	Nil	
Trade Receivables A/c Goods	23.56	258.21	
Trade Receivables A/c Expenses	Nil	7.40	
Advances given for Services	3.33	Nil	

The net difference between the holding company and subsidiary company amounted to ₹159.24 Lakhs, which has been shown in the Consolidated Balance Sheet as “Unreconciled between Holding & Subsidiary subject to reconciliation”.

C.6 Other Current Assets:

In absence of party wise details and relevant documents in respect of Security Deposits of the holding company aggregating to ₹56.31 Lakhs, of which ₹11.47 Lakhs considered doubtful, it could not be determined how the holding company is assured of the recovery of balance amount of ₹44.84 Lakhs which also should have been provided under the current situation.

C.7 Long Term Borrowings:

- a) The holding company has taken loans of ₹281.48 Lakhs from Government of West Bengal in earlier years. Though the loan agreement or any other document showing the terms and conditions of such loan could not be made available to us for our verification but the government has provided a detailed calculation with rate of interest “Penal rate-13%”, for the entire period of loan which shows a total interest liability of ₹1613.67 Lakhs provided by the holding company up to 31-03-2023 including ₹305.06 Lakhs for the year under review in the breakup of ₹36.59 Lakhs for Current Year and ₹268.46 Lakhs for earlier year. As stated in Note 4 additional information (c) to accounts, the holding company has defaulted in repayment of this loan and the accumulated balance of Principal including interest unpaid as per the books of account of the company is ₹1895.15 Lakhs as on 31st March, 2023 (as on 31st March, 2022 ₹1590.09 Lakhs). In absence of any document showing the rate of interest and other terms, we could not verify the correctness of interest aggregating to ₹1613.67 Lakhs.

The subsidiary company has taken Non-Plan Loan from Government of India of ₹2159.36 (₹2159.36 Lakhs in 2021-22) and has defaulted in repayment of this loan and the accumulated balance of Principal including interest unpaid as per the books of account of the company is ₹9626.70 Lakhs as on 31st March, 2023 (as on 31st March, 2022 ₹9237.49 Lakhs).

- b) No balance confirmations have been obtained by the holding company and subsidiary company from the Central Governments for the outstanding balance of loans as on 31-03-2023.

C.8 Trade Payables:

Trade Payables of holding company aggregating to ₹2104.85 Lakhs (as at 31.03.2022 ₹2055.99Lakhs) include old outstanding balances carried over for more than three years aggregating to ₹1976.48 Lakhs



as per age-wise analysis of trade payables prepared by the holding company. In absence of party wise and invoice wise details or statement of account received from parties, it is not possible to ascertain how much of these liabilities are ultimately payable. In absence of necessary information, the status of parties under MSMED Act and dues to Micro and Small Enterprises could not be ascertained. Further, no liability on account of interest payable under the MSMED Act is being provided in the accounts for the last several years. Consequently, the interest payable under the said Act may be different from the amount of interest liability shown under the head Trade Payables. Furthermore, in case of Kinnison Unit, the amount of Sundry Creditors for Services and Sundry Creditors for Stores are being included in Trade Payables at net of debit balance of ₹25.32 Lakhs lying in some of these creditor accounts. Consequently, the liability on account of Trade payables is understated to that extent in the balance sheet. Furthermore, the provision made by the holding company towards doubtful advances given is also short to that extent, which has the impact of understatement of loss to the extent of ₹25.32 Lakhs on this account.

C.9 Other Current Liabilities:

- a) During the year under review, the holding company has made payment of ₹284.36 Lakhs towards interest on ESI Contributions as per demand of ESI and subsequent order of Hon'ble High Court Kolkata. These payments have been adjusted by the holding company against the unpaid liability of ₹3524.19 Lakhs lying in the books of accounts as on 1st April 2022 as provision for ESI Damages without any basis and nothing has been charged to the statement of Profit & Loss on this Account. From the papers made available to us the above payment has been made against interest added to the claims of ESI which has not been adjusted leading to understatement of loss for the year.
- b) Statutory Dues of holding company includes Damages due on PF and Interest thereon amounting to ₹903.05 Lakhs, Damages on ESI and Interest thereon amounting to ₹3,240.00 Lakhs, Profession Tax (including interest) amounting to ₹70.20 Lakhs, Fringe Benefit Tax amounting to ₹8.92 Lakhs, Provision for VAT/CST and VAT on sale amounting to ₹18.74 Lakhs which are brought forward since long back for which no any relevant information provided by the company so, due to absence of relevant information, it could not be ascertained how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided.

Other Current liabilities of holding company (Note No. 7) excludes statutory dues towards GST to the extent of ₹701.85 Lakhs. We have been informed that these dues have already been paid by the company through RTGS on 31st March 2023, but the duly paid challan for the said date could not be produced for our verification. Further this amount is appearing as outstanding in the Bank Reconciliation Statement prepared at the year-end as concerned bank account did not had sufficient balance to honour this stated payment. On verification of bank statement for the subsequent year, we found that this payment has been debited in bank account on 19th of April 2023. Accordingly, in our opinion, this payment should have been recorded in the subsequent year when the payment was actually made on 19th April 2023. As a result of accounting for of the aforesaid payment on 31st march 2023, the current assets and current liabilities both are understated in the balance sheet to the extent of ₹701.85 Lakhs.

- c) In absence of party wise details and other necessary information with the holding company in respect of undisbursed claim of Commissioner of Payment: ₹40.29 Lakhs; Performance Guarantee: ₹57.47 Lakhs, Interest on ISDS Fund: 19.02 Lakhs and old outstanding balance included in Security Deposit/ EMD and in Advance from parties: Amount of which could not be ascertained for want of details,



it is not possible for us to ascertain how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been ultimately provided for. Most of the balances are outstanding for a long period.

- d) Liabilities for Employee benefits of holding company of ₹338.80 Lakhs include old outstanding liability aggregating to ₹320.60 Lakhs on account of VRS payable, Gratuity payable and Salary Payable. The holding company is maintaining the old balances as liability towards staff related payments. According to the information given to us, the total financial contingent liability in Labour matters, so far, the management could ascertain in a number of cases comes to ₹6989.05 Lakhs.
- e) Unpaid Rates & Taxes of holding company includes Cess, Duty etc ₹0.78 Lakhs, Professional Tax ₹0.12 Lakhs, Service Tax ₹1.69 Lakhs, TDS ₹0.99 Lakhs, Other Rates & Taxes ₹109.97 Lakhs which are being carried forward for long period. In the absence of relevant information, it could not be ascertained how much of these liabilities are ultimately payable or whether the same have been adequately provided.
- f) The subsidiary company has provided liability towards arrears of dividend on its cumulative preference shares despite incurring losses, whereas, dividend is payable out of profits only. Further, the subsidiary company has treated such dividend as expenditure whereas dividends are not expense but appropriation of profit.

C.10 Ageing Schedules:

Break-up and ageing Schedules of Trade Payables and Trade Receivables have been given in respect of Trade Payables and Trade Receivables of Holding Company only. We have been informed that the Trade Payables and Trade Receivables of the Subsidiary could not be included in these schedules as the required information could not be obtained from the subsidiary company.

In view of the aforesaid observations, we are unable to determine the impact of these matters on the statement of affairs of the group and the corresponding impact on the Consolidated Statement of Profit & Loss.

C.11 Others:

The auditors of subsidiary company have opined that in all material respects, the subsidiary company does not have an adequate internal control system over financial reporting and such internal controls over financial reporting were not operating effectively as at 31st March, 2023.

KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

INFORMATION OTHER THAN THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT THEREON

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.



Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements in term of the requirements of the Companies Act, 2013 (the Act) that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:



- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls;
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to event or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

OTHER MATTERS

We did not audit the financial statements and other financial information of the subsidiary, whose financial statements have been considered in the consolidated financial statements. These financial statements and other financial information have been audited by other auditor whose report have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, and our report in terms of subsection (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, is based solely on the reports of the other auditor.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 (CARO 2020), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure A, a statement on the matters specified in paragraph 3(xxi) of the Order.



2. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of the subsidiary, as noted in the 'other matter' paragraph and except for the possible effects of the matter described in "Basis for qualified opinion" paragraph above, we report, to the extent applicable, that:
- (a) We have sought and, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of the books.
 - (c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss, and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.
 - (d) Except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the Consolidated Financial Statements comply with the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - (e) The matters described in the basis for Qualified Opinion Paragraph, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Companies comprised in the group.
 - (f) We have been informed that the provisions of section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the holding company, being a Government Company in terms of notification No.G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015 and as reported by auditors of the subsidiary, on the basis of written representation received from the directors and taken on record by the Board of Directors, none of the directors of the subsidiary is disqualified as on 31st March, 2023, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.
 - (g) The qualification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above.
 - (h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure B.
 - (i) Since the companies comprised in the group are not paying any managerial remuneration to the directors, the provision of Section 197 of the Companies Act, 2013 are not applicable.
 - (j) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best our information and according to the explanations given to us:
 - i. In the absence of complete details, we are not in position to comment whether the Consolidated Financial Statements has disclosed the full impact of pending litigations in respect of Holding Company, as shown against point no 9 and 10 in Note-30 of other explanatory information, on its financial position in its financial statements. In respect of Subsidiary Company, the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements, as per the report of the other Auditor, are disclosed in Annexure C.
 - ii. The holding company and its subsidiary company did not have any such long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses.



- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Holding Company and its subsidiary company incorporated in India.
 - iv. (a) The respective Managements of holding company and its subsidiary companies have represented to us and the other auditors of Standalone Financial Statements of subsidiary company that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the holding company and its subsidiary company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Holding Company and its subsidiary company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (b) The respective Managements of holding company and its subsidiary company have represented to us and the other auditors of standalone financial statements of subsidiary company that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the holding company and its subsidiary company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the holding company and its subsidiary company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
 - v. As the holding company and its subsidiary have not declared or paid any dividend during the year, the provisions contained in section 123 of the Companies Act, 2013 are not applicable to it.
3. In response to the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Act, we report that:
- (i) The holding company does not have an ERP Accounting System or fully integrated IT system among its units and corporate office. The accounts of each unit and corporate office are maintained on accounting software. Consolidation of accounts of the corporate office and the various divisions are done through a separate data entry mode.
- The present system adopted by the company leaves a scope of absence of data integrity and increases audit risk.
- As reported by the auditors of subsidiary company, the subsidiary company is maintaining its accounts through Tally software but the process of accounting is kind of Hybrid system involve manual and computerized process. The auditors of subsidiary have not found any issue on the integrity of the accounts with any financial implication.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

- (ii) According to the information and explanations given to us and the records of the Holding Company examined by us, there have been no cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the holding company due to company's inability to repay the loan.

The auditors of the subsidiary company have reported that the directions related to cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the subsidiary company due to company's inability to repay the loan is not applicable to the subsidiary company.

- (iii) (a) The holding company is carrying Interest Free loan, sanctioned by the Government of India as additional budgetary support for restructuring/revival of the Company as approved by Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) and BIFR, as Long Term Borrowings.
- (b) The Company has obtained a Loan of ₹281.48 Lakhs from Government of West Bengal in earlier years, repayment of Loan and Interest on which have been defaulted in since 31st March 1994. The accumulated balance of Loan and Unpaid Interest is ₹1895.15 Lakhs as on 31.03.2023. In absence of loan documents, terms & conditions, adequacy of the interest provision made cannot be commented upon.
- (c) As disclosed in Note 3 of the Financial Statements, the Holding Company had received grants from Bihar Government and IJIRA in 1988-89 and subsidy from West Bengal Industrial Development Corporation in 1982-83. The detailed papers of such grant/subsidy as well as the assets acquired out of such grant were not made available to us.
- (d) The auditors of the subsidiary company have not pointed out any deviation in respect of Grant received by the Subsidiary in earlier years for the implementation scheme of R & D Programme and product Diversification from Government of India Jute Special Development Fund.

FOR R.K. PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

Place: Kolkata
Date: 01-12-2023

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 23059144BGW1WW7520



Annexure– A to Independent Auditors’ Report

The Annexure referred to in Independent Auditors’ Report to the members of National Jute Manufactures Corporation Limited (the company) on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 March 2023.

As required by paragraph 3(xxi) of the CARO 2020, we report that the auditors of the following companies have given qualification or adverse remarks in their CARO report on the standalone financial statements of the respective companies included in the Consolidated Financial Statements of the Holding Company:

Sl. No	Name of the Company	CIN	Relationship with Holding Company	Date of the respective auditor’s report	Paragraph no in the respective CARO Report
1.	National Jute Manufactures Corporation Limited	U17232WB1980GOI032768	Holding Company	01.12.2023	(i)(a)(A), (i)(b), (i)(c), (ii)(a), (iii)(d), (iii)(e), (vii)(a), (vii)(b), (ix)(a), (ix)(c), (xiv)(a), (xvii) and (xix)
2.	Birds Jute and Exports Limited	U17232WB1904GOI001579	Subsidiary Company	31.08.2023	(i)(c), (vii)(a), (vii)(b), (xiv), (xvii) and (xix)

FOR R.K. PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

Place: Kolkata
Date: 01-12-2023

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 23059144BGW1WW7520



ANNEXURE – B

TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

REPORT ON THE INTERNAL FINANCIAL CONTROLS UNDER CLAUSE (I) OF SUB-SECTION 3 OF SECTION 143 OF THE COMPANIES ACT, 2013 ("THE ACT")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LIMITED** ("the Company") as on 31st March, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Holding Company and its Subsidiary Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Holding Company and its Subsidiary Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the standards on auditing prescribed under Section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence obtained in most of the cases, excepting old cases, are sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the holding company's internal financial controls system over financial reporting.

The auditors of subsidiary company have opined that in all material respects, the subsidiary company does not have an adequate internal control system over financial reporting and such internal controls over financial reporting were not operating effectively as at 31st March, 2023.



Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the company and its units being remained inoperative for several years, various information and papers in support could not be made available hence we cannot comment on its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by ICAI, e.g control environment, risk assessment, control activities, information system and communication and monitoring. The Board's report also does not include any risk management policy for the company including identification therein of elements of risk.

In view of above observations, Internal Financial Controls in the holding company as on 31.03.2023 is inadequate based on the internal control over financial reporting criteria as stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the ICAI.

As opined by the auditors of the subsidiary company, the subsidiary company in all material respects, does not have an adequate internal financial controls over the financial reporting and as such internal financial controls over financial reporting were not operating effectively as at 31st March, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the subsidiary company considering the essential components of internal controls as stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the ICAI.

Other Matters

Our report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting with reference to these consolidated financial statements of the Holding Company, in so far as it relates to separate financial statements of the subsidiary, which is a company



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

incorporated in India, is based on the corresponding reports of the auditors of such subsidiary incorporated in India.

We have considered the qualified opinion reported above in determining the nature, timing and extent of audit tests applied in our opinion on the consolidated financial statements of the company.

Place: Kolkata
Date: 01-12-2023

FOR R.K. PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 305091E

SIDDHARTHA PATODI
(PARTNER)
MEMBERSHIP NO. 059144
UDIN: 23059144BGW1WW7520



ANNEXURE – C

TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Pending Court Cases & Litigations of Subsidiary Company:

1.	Before the 5th, Court, Fast Track & Addl. District Judge at Barasat Title Appeal no. 29 of 1996 And CO No. 1732 of 2023 Anokhi Manufacturing Products Pvt. Ltd. -vs- Birds Jute & Exports Limited	Revisional application was heard before Hon'ble Justice Shampa Sarkar on the 9th instant and prayed for investigation with regard to missing Tin Box and expeditious disposal of the appeal pending before the Ld. Court. After hearing, the Hon'ble Court was pleased to dispose of the application with a direction upon the Ld. 1st ADJ, Fast Track Court at Barasat to decide the appeal within a period of six months from the communication of the order. Other directions have been also passed. Order passed by Hon'ble Justice Shampa Sarkar on 9.6.2023 as follows: It appears that Title Appeal no. 29 of 1996 had been pending before learned Additional District Judge, Fast Track, 5th Court at Barasat, for a long time and recently has been transferred to the court of the learned Additional district Judge, Fast Track, 1st Court at Barasat for hearing. It is further submitted that the tin bon containing the exhibits could not be traced out for a long time. This court is of the view that the learned court below shall take immediate steps in order to ensure that the tin bon is traced out and the appeal proceeds expeditiously. The appeal should be heard every week, till disposal of the same. If the tin box is not available, then steps shall be taken by the learned court below to admit the photocopies/ certified copies of the exhibits to be tendered by the parties, by following the provision of the law of evidence. The appeal shall be disposed of, not later than six months from the date of communication of this order. This court has not gone into the merits of the appeal. The order is not an expression on the lis between the parties. A report of compliance shall be furnished to the learned Register General, High Court at Calcutta. Accordingly, the revisional Application is disposed of. A copy of the revisional application shall be served upon the opposite parties along with a server copy of the order.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

		However, there will be no order as to costs. All the parties are directed to act on the basis of the server copy of this order. Put up application has been filed and moved before the Ld. 1st Additional District Judge at Barasat on the 27th June, 2023 communicating the order dated 9th June, 2023 passed by the High Court at Calcutta in C.O. No. 1732 of 2023 and after hearing, the Learned Court was pleased to direct the bench Clerk to search thoroughly Tin Box in question.
2.	In the Court of the Second Civil Judge (Sr. Division) at Barasat Title Suit no. 42 of 2013 New No. Title Suit No. 8191 of 2014 Birds Jute & Exports Ltd. -vs- Rototron Containers Pvt. Ltd.	Next date:- 20.7.2023 The present suit has been filed by BJEL for decrees for declaration and injunctions in respect of Dag No. 104, including decree for recovery of possession of the Land. The matter was fixed for hearing of Injunction Application before the Ld. 2nd Civil Judge (Sr. Division) at Barasat on 24.1.2023 our counsel appeared on the same date. The Ld. Advocate for the defendant has filed an application under section 151 of the Code of Civil Procedure inter-alia praying for expeditious disposal of the injunction application as filed by BJEL and after hearing the parties the Ld. Court was pleased to fix the matter on 21.3.2023 for hearing the injunction application with a liberty to BJEL to file the objection to the said application in the mean time. The above suit before the Ld. 2nd Civil Judge Senior Division at Barasat on 8.5.2023 for hearing of the application under section 151 of Civil Procedure Code 1908, after hearing the Ld. Court was pleased to adjourn the matter till 20th July, 2023.
3.	In the Court of the 3rd Civil Judge (Jr. Division), Mayuk Bhavan Title Suit no. 185 of 2004 Birds Jute & Exports Limited. -vs- Sovanath Singh	Next date- 18.8.2023 The present Suit has been filed by Bird Jute for decree for injunctions against the defendants (heirs of Late Kashi Nath @ Kashi Prasad Singh) in respect of Dag No. 104. An ad-interim order of status quo was passed by the Learned Court on 14th July, 2004 and from time to time the interim order has been extended and it is still subsisting. Due to non-appearance of the defendants, summons of the suit have been sent to the defendants on number of occasions. Thereafter, an application has been filed on behalf of BJEL for hearing the suit exparte which was allowed by the Learned Court and the matter is fixed for exparte hearing. Examination in Chief has been completed. Fixed for hearing on the next date.



		On the 16.09.2022 Company was served with a copy of application under order 12 rule 10 read with order 1 Rule 10(2) read with Sec 151 of the Code of Civil Procedure for intervention in the matter. Mr. Aritra Basu Advocate (Fox & Mandal) will draw the written objection in the above matter, and placed before the court on 09.01.2023. The application for Addition of Party filed by the Defendant no. 5 was heard by the Ld. Civil Judge (Jr. Division) Salt Lake on 9th January, 2023 Counsel on our behalf filed the written objection against the application for Addition of Party filed by Rototron Containers (P) Ltd. after hearing the Ld. Tribunal to fix the matter on 18th April, 2023 for further hearing. The above matter was fixed for hearing the application under order 12 rule 10 read with order 1 Rule 10(2) read with section 151 of the code of civil procedure before Ld. Civil Judge (Jr. Division) after hearing he Ld. Court was pleased to fix he mater on 18.8.2023 for further hearing.
4.	Before the LD. District Judge at Barasat Misc Appeal No. 155 of 2016 T. K. Ware Housing Enterprise Pvt. Ltd -vs- Birds Jute & Exports Limited	This is an appeal from the order dated 20th September, 2016 passed by the Ld. Estate Officer directing the appellant to pay an amount of ₹4,47,20,439/- . The appellant was a tenant under the respondent. The respondent has initiated proceeding under section 7 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupation) Act, 1971. Written objection has been filed on behalf of Bird Jute. An application has also been filed for recovery and dismissal of the suit. An order has been passed by the Ld. Court on 27th March, 2018 granting liberty to the Estate Officer to start his recovery proceeding. The Learned Court on 28th June, 2018 after hearing both the parties has called for all the lower court records from the court below. The above appeal came up for hearing before the 1st Additional District Judge at Barasat on 20.2.2023 but no lower records were found after hearing the Ld. Court to fix the matter on 29.4.2023 for producing the Lower Court Record. Additional District Judge was not available on 29.4.2023. The matter is pending.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

5.	Before the 2nd Civil Judge (Sr. Div), Barasat T.S. No. 85 of 2012 New No. Title Suit 2651 of 2014 Rototron Containers (P) Ltd. -vs- Birds Jute & Exports Limited	Next date 6.12.2023 The plaintiff had filed the suit for obtaining injunction against the defendant restraining them from interfering, obstructing the plaintiff in the development of the said premises in question. Written Statement has been filed on behalf of BJEL. The plaintiff has filed a supplementary affidavit to which written objection has been filed on behalf of Bird Jute. Advocate appeared on BJEL behalf, after hearing the parties the court was pleased to fix matter on 23rd December, 2022 for hearing. The application under order VI rule 17 of CPC filed by the Plaintiff for amendment of the plaint, when advocate appeared on behalf of BJEL and after hearing the Court was pleased to fix the matter on 13.03.2023 for hearing. A written objection on behalf of BJEL is to be filed in the meantime. The above suit was fixed before the Ld. 2nd Civil Judge (Sr. Division) Barasat on 23.12.2022 for hearing. The application under Order VI Rule 17 of CPC filed by the Plaintiff for amendment of the plaint. Our Counsel appeared on our behalf and after hearing the court was pleased to fix the matter on 30.3.2023 for hearing. Written Objection is to be filed on behalf of BJEL in the meantime;. Date is not fix for Hearing. There are four civil suits i.e. TS 185 of 2004, TS 85 of 2012, TS 97 of 2012 and TS 42 of 2013. It is advised by the legal firm to file an application for those 4 cases to file an application before the Hon'ble High Court at Calcutta for consolidation and or/composite hearing of the said suits. The step will also be in the interest of effective adjudication of the issues involved in the suit together and to avoid conflict adjudication of the issues involved in the suit together and to avoid conflict the decisions by the courts and multiplicity of proceedings. The suit was fixed before Ld. 2nd Civil Judge (Sr. Division), Barasat on 26th June, 2023 for hearing of the application under Order VI Rule 17 of CPC filed by the Plaintiff or amendment of the Plaint. Presiding Officer was transferred and Ld. Judge-in-charge was preoccupied with his own determination, the said application could not be heard. Next date has been fixed on 6th December, 2023 for hearing of the said application.



6.	Before the 2nd Court, Barasat Title Suit No.97 of 2014 New No. Title Suit 13252 of 2014 B.P. Poddar Foundation for education - vs - Birds Jute & Exports Limited	Suit file by the plaintiff for decree declaring that the notice dated 21/2/2014 issued by the BL& LRO, Barrackpore under Section 57 of the Estate Acquisition Act, 1953 as illegal, ultra vires and without jurisdiction. Injunction Application filed by the plaintiff for temporary injunction against BJEL from restraining them from disturbing the plaintiff peaceful possession regarding the suit property. Written statement filed on behalf of BJEL by an order dated 29th April, 2014 the Ld. Court refused to grant the plaintiff an order of injunction. The Plaintiff has filed an appeal being Misc Appeal no. 99 of 2014 challenging the order dated 29th April, 2014 which has been dismissed. On 9th December 2022 the learned court after hearing was pleased to direct the plaintiff to show cause as to why the suit should not be dismissed. The suit has been fixed on 31st January 2023 for further consideration. The suit was fixed on 31.1.2023 for hearing of the show cause application. Due to resolution taken by Bar Association of the Learned District Court the matter could not be heard. The suit has been fixed on 24.3.2023 for hearing of the said application. Order no. 30 dated 24.3.2023 passed by Civil Judge (Sr.Div), 2nd Court, Barasat JO Code WB 01009 Today is fixed for filing show cause by the plaintiff as last chance. The plaintiff is absent without steps. No Show cause is filed. This is a suit for declaration and permanent injunction. The plaintiff has been absent without steps since 9.12.2022. It appears from the demeanor of the plaintiff that he is not interested in proceeding this case against the defendant. In view of the above facts and circumstances, this court thinks it to dismiss this case for not proceeding with this suit. Hence, it ORDERED That the instant suit be and the same is dismissed for default.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

7.	Before the Learned 2nd Civil Judge (Senior Division) at Barasat T. S. No. 736 of 2021 Birds Jute & Exports Ltd. -vs- South Dum Dum Municipality &Ors	The suit has been filed for permanent injunction against south Dum Dum Municipality for encroachment of the land of BJEL. Injunction has been granted which is till 29th April, 2022. The matter is fixed for appearance of the defendants on the next date. Injunction has been granted which is till 07-12-2022. The matter is fixed for appearance of the defendants on the next date. Injunction has been extended till 31-01-2023. The matter is fixed for the next date 31.01.2023 for filing application for further extension of the interim order and for service return of writ of summons upon the defendants. The above matter was fixed before the Ld. 2nd Civil Judge (Sr. Division) at Barasat on 1.4.2023 and filed an application for extension of interim order dated 7th October, 2021 after hearing the court was pleased to extend the interim order till 17th June, 2023 for filing application for further extension of the interim order and for service return of writ of summons upon the defendants.
8.	W.P. No.11297w/2012 Bird Jute & Export Limited -vs- South Dum Dum Municipality	The writ petition has been filed against encroachment of the land of BJEL and for illegal construction of reservoir on the land of BJEL. The matter is not appearing in the list of the Learned Judge taking determination. Ld. Advocate has advised to file a supplementary Affidavit in the matter. Send the all particulars and the photograph evidencing the details of construction of the Reservoir, Play Ground and Party Office on the land of BJEL for drafted the supplementary affidavit.
9.	CAN No. of 2019 CAN No. of 2019 MAT No. of 2019 Arising out of WP No. 9962(w) of 2019 T.K. Warehousing Enterprises Pvt. Ltd. -vs- Birds Jute & Exports Ltd. &Ors.	The petitioner has filed an appeal against the trial court order where the trial court has dismissed the writ petition of the petitioner directing the petitioner to pay the amount due to the respondent.
10.	Before the West Bengal Land Reforms and Tenancy Tribunal, Salt Lake O.A. No. 434 of 2022 Birds Jute & Exports Limited -vs- Rototron Containers Pvt. Ltd. &Ors	This appeal is filed against the order of the ADM & DI & LRO challenging the jurisdiction of the ADM & DL & LRO. Advocate on behalf of respondent did not appear.



11.	In the High Court at Calcutta WPA No. 21128 of 2021 Birds Jute & Exports Ltd. &Anr. -vs- South Dum Dum Municipality and Ors	Writ petition against encroachment by South Dum Dum Municipality in the land of BJEL. The matter is appearing as item no. 51 of the daily cause list dated 16.3.2023 before Hon'ble Justice Amrita Sinha. Matter not yet taken up. After hearing Counsel for the parties and upon consideration of the said Declaration-cum-NOC, the court was pleased to pass the following order: <i>There are overwhelming evidences in support of the ownership of the said land at the hand of petitioner. Prior to making such declaration, it was the duty of the Chairman of the Municipality to verify all records. It appears that litigation in respect of the selfsame plot of land is continuing from 2012 onwards and the Municipality ought not to have made such incorrect declaration without consulting the records.</i> <i>The Petitioner is litigating for the property for a considerable period of time and during the period the petitioner was moving around the corridors of this Court, the Municipality handed over the plot of land to KMDA for construction of the Elevated Service Reservoir.</i> <i>It has been submitted that at present water is being distributed to the inhabitants of the locality from the said reservoir.</i> <i>At this stage, it will not be proper to direct the Municipality to demolish the said reservoir. The only alternative remedy left right now is to pay adequate compensation to the petitioner on acquisition of the land is question in accordance with law.</i> <i>On the request of the learned advocate representing the Municipality, the matter adjourned till May 16, 2023</i> <i>The Municipality is directed to ascertain the area of land over which the construction has been made and make proper measurement of the same. At the time of measurement, notice shall be given to the petitioner and the concerned BL & LRO and Amin.</i> <i>The Petitioner shall also be permitted to engage Amin who may remain present at the time of measurement of land.</i> <i>A report by way of affidavit be placed before this Court disclosing the manner in which the Municipality intends to solve the problem that has cropped up.</i> <i>List of May 16, 2023 marked "For orders".</i>



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

		On 16th May Ld. Counsel on behalf of the municipality prayed for extension time to file the affidavit in compliance to the earlier dated 18.4.2023. After hearing the counsel for the parties, the Hon'ble Court was pleased to allow such extension peremptorily and fixed the matter on 21st June, 2023 for further consideration. On 21.6.2023 the direction passed by the Court regarding inspection has not be complied till date. It appears that the Municipality on two earlier occasions failed to comply the direction passed by the court. The Municipality is directed to comply the courts direction immediately. Let inspection be conducted by June 28, 2023 upon notice to the parties as mentioned in the order dated April 18, 2023 and May 16, 2023. A report shall be placed before this court on the adjourned date. List on June 30, 2023 marked "For Orders" The matter was heard before Hon'ble Justice Amrita Sinha on the 30th instant our Advocate appeared. Council on South Dum Dum Municipality filed a Report in the form of an Affidavit. After hearing Council for the parties the Hon'ble Court was pleased to grant leave to the Petitioner to consider the affidavit and file their exception if necessary, 10th July 2023. Next date has been fixed on 17th July, 2023. Learned Advocate for KMD has filed a communication dated 11.4.2023. Our Advocate send one copy each of the Report of South Dum Dum Municipality and communication dated 11.4.2023 issued by Chief Engineer, WOS (Water Supply Wing), KMDA.
12.	Before the West Bengal Land Reforms and Tenancy Tribunal, Salt Lake O.A. No. 2210 of 2022 Birds Jute & Exports Limited -vs- Rototron Containers Pvt. Ltd. &Ors.	Next Date- 12.10.2023 Against unauthorized encroachment and construction by Rototron Containers Pvt. Ltd. &Ors in BJEL Land Daag No 104. BJEL's advocate appeared on 02.09.2022 after hearing the counsel for the parties the Ld. Tribunal was fixed the matter on 12th Oct 2023.



13.	Misc Appeal 29/17 M/S J.L Chandra Family Trust. Misc Appeal 30/17 M/S Benoy Kr. Chandra Family Trust. Misc Appeal 31/17 M/S J.N. Chandra Family Trust. Misc Appeal 32/17 M/S A.K. Chandra Family Trust. Misc Appeal 33/17 M/s Bijoy Kr Chandra Family Trust.	Next Date 11.10.2023 All the five Misc Appeals have been filed against Birds Jute and Exports challenging the order of eviction passed by the Ld. Estate Officer and the last date of the said cases were fixed on 28.07.2022 for Hearing appeal. As the LCR has not yet been received by the Ld. Court. So the next date has been fixed on 15.12.2022 for LCR. All the above noted 5 (five) Misc. Appeals has been filed against Birds Jute & Exports Ltd. challenging the order of eviction passed by the Ld. Estate Officer and the last date of the cases were fixed on 15.12.2022 for LCR. As the LCR has not been received by the Ld. Court so the next date has been fix on 24.3.2023 for LCR. Next date for further hearing on 11.10.2023.

FOR R.K. PATODI & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 FRN: 305091E

SIDDHARTHA PATODI
 (PARTNER)
 MEMBERSHIP NO. 059144
 UDIN: 23059144BGW1WW7520

Place: Kolkata
 Date: 01-12-2023



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2023

(₹ In Lakh)

		Note No.	As at (Audited) 31st March, 2023		As at (Audited) 31st March, 2022	
(A)	EQUITY AND LIABILITIES					
1	Shareholders' Funds:					
	(a) Share Capital	2	5,579.74		5,579.74	
	(b) Reserves and Surplus	3	(35,153.88)	(29,574.14)	(38,137.45)	(32,557.71)
2	Minority Interest	4		-		-
3	Non-Current Liabilities					
	(a) Long-Term Borrowings	5	24,012.25		24,012.25	
	(b) Other Long Term Liabilities	6	6.77		6.77	
	(c) Long-Term Provisions	7	10.08		10.08	
	(d) Unreconciled difference between Holding & Subsidiary (Net)	8	159.22	24,188.32	159.24	24,188.34
4	Current Liabilities					
	(a) Trade Payables:	9				
	i) Dues to micro and small enterprises		112.58		112.58	
	ii) Dues to Other than micro and small enterprises		2,194.12		2,137.77	
	(b) Other Current Liabilities	10	22,023.34		14,451.07	
	(c) Short-Term Provisions	11	2,006.29	26,336.33	189.08	16,890.49
	TOTAL			20,950.50		8,521.12
(B)	ASSETS					
1	Non-Current Assets					
	(a) (i) Property, Plant and Equipment	12	801.47		894.24	
	(ii) Capital Work-in-Progress	12	-		-	
	(iii) Goodwill on Consolidation		131.73		131.73	
	(b) Non-Current Investments	13	-		-	
	(c) Long Term Loans and Advances	14	-		-	
	(d) Other Non -Current Assets	15	7.31	940.51	1,788.92	2,814.89
2	Current Assets					
	(a) Inventories	16	322.55		585.32	
	(b) Trade Receivables	17	35.59		48.17	
	(c) Cash and Bank Balances	18	17,591.00		2,834.39	
	(d) Short-Term Loans and advances	19	1,939.86		2,117.85	
	(e) Other Current Assets	20	120.99	20,009.99	120.50	5,706.23
	TOTAL			20,950.50		8,521.12

Summary of Significant Accounting Policies 1
Other Explanatory Information 30
Additional Regulatory Information 31
Notes 1 to 29 form integral part of the Financial Statements

For and on behalf of the Board

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

(Prajakta L. Verma)
Director
DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)
Director
DIN: 09485570

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 23059144BGW1WW7520

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405

Place : Kolkata
Dated: 01.12.2023



CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(₹ In Lakh)

	Note No.	For the period ended 31st March 2023	For the period ended 31st March 2022
INCOME			
1 Revenue from Operations	21	-	-
2 Other Income	22	6,594.46	399.19
3 Total Income (1 + 2)		6,594.46	399.19
EXPENSES			
(a) Cost of Raw Materials Consumed	23	-	-
(b) Change in Inventories of Finished Goods and Work-in-Process	24	-	-
(c) Employee Benefits Expenses	25	106.65	101.87
(d) Finance Costs	26	425.80	425.50
(e) Depreciation and Amortisation Expenses	12	28.40	34.65
(f) Other Expenses	27	929.80	589.72
(g) Adjustment in respect of earlier years	28	302.93	16.53
Total Expenses (a+b+c+d+e+f)		1,793.58	1,168.27
5 Profit/(Loss) before exceptional and extraordinary items and tax (3-4)		4,800.88	(769.08)
6 Exceptional Items: Write down of the value of inventory		-	41.99
7 Profit/(Loss) before extraordinary items and tax (5+6)		4,800.88	(811.07)
8 Extraordinary Items		-	-
9 Profit/ (Loss) before tax (7-8)		4,800.88	(811.07)
10 Tax Expense			
(a) Current Tax		1,817.21	-
(b) Deferred Tax		-	-
(c) For Earlier Years		-	2.13
11 Profit (Loss) for the year (9+10)		2,983.67	(813.21)
Less: Minority Interest		-	-
		2,983.67	(813.21)
12 Earnings per Equity Share	29		
(In ₹ for an equity Share of ₹ 1,000/- each)			
Basic		534.73	(145.74)
Diluted		534.73	(145.74)

Summary of Significant Accounting Policies	1
Other Explanatory Information	30
Additional Regulatory Information	31

Notes 1 to 29 form integral part of the Financial Statements

For and on behalf of the Board

For R.K.Patodi & Co

Chartered Accountants

Registration No.305091E

Siddhartha Patodi

Partner

Membership No. 059144

UDIN: 23059144BGW1WW7520

Place : Kolkata

Dated: 01.12.2023

(Prajakta L. Verma)

Director

DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)

Director

DIN: 09485570

(Mohini Verma)

Company Secretary

Membership No: 52405



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023		For the year ended 31st March, 2022	
A. Cash Flow from Operating Activities				
Net Profit / (Loss) before extraordinary item and Tax		4,800.88		(811.08)
Adjustments for:				
Interest on Borrowings	425.80		425.50	
Depreciation	28.40		34.65	
Prior Period Depreciation	-		0.39	
Dividend on preference shares provided	59.28			
Dividend Income	(0.04)		(0.11)	
Profit on sale of movable assets	(6,239.62)			
Interest Income on Bank Deposits	(208.97)		(249.39)	
Adjustments for Govt. Grant (Reserve)	(0.10)	(5,935.26)	(0.10)	210.94
Operating Profit before Working Capital Change		(1,134.38)		(600.14)
Increase in Short-term Loans & Advances	212.24		(72.00)	
(Increase)/Decrease in Other Current Assets	(4.00)		132.59	
Increase/(Decrease) in Trade Payables	56.35		3.10	
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	6,818.72		(149.50)	
Increase/(Decrease) in Long term Provisions	-		(1.44)	
Decrease/(Increase) in Trade Receivables	12.58		7.89	
Decrease/(Increase) in Inventories	262.77	7,358.66	41.99	(37.37)
Less: Income-tax (Net)		6,224.28		(637.51)
		34.25		46.80
Net Cash from Operating Activities (A)		6,190.03		(684.31)
B. Cash Flow from Investing Activities				
(Increase)/ Decrease in Fixed Deposits	700.24		545.48	
Purchase/(Sale) of Property, Plant & Equipment	6,303.99		(2.49)	
Dividend Income	0.04		0.11	
(Increase)/ Decrease in Loans Granted	-		5.00	
Interest on Fixed Deposits	212.48	7,216.74	254.04	802.14
Net Cash from Investing Activities (B)		7,216.74		802.14
C. Cash Flow from Financing Activities				
Borrowings from GOI		-		46.96
Interest on Borrowings		268.47		-
Net cash from Financing Activities (C)		268.47		46.96
Net Inc./ (Dec.) in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)		13,675.24		164.79
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year		410.85		246.06
Cash and Cash Equivalents at the end of the year		14,086.09		410.85



CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(Contd.)

(₹ In Lakh)

		For the year ended 31st March, 2023		For the year ended 31st March, 2022	
a)	Component of Cash and Cash Equivalents				
	(i) Balance in bank accounts		13,964.29		82.77
	(ii) Balance in sweep accounts		121.40		149.35
	(iii) Cash in hand		0.40		0.12
	(iv) Short Term Fixed Deposits		-		178.61
			14,086.09		410.85

Summary of Significant Accounting Policies 1
 Other Explanatory Information 30
 Additional Regulatory Information 31
 Notes 1 to 29 form integral part of the Financial Statements

For and on behalf of the Board

For R.K.Patodi & Co
 Chartered Accountants
 Registration No.305091E

(Prajakta L. Verma)
 Director
 DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)
 Director
 DIN: 09485570

Siddhartha Patodi
 Partner
 Membership No. 059144
 UDIN: 23059144BGW1WW7520

(Mohini Verma)
 Company Secretary
 Membership No: 52405

Place : Kolkata
 Dated: 01.12.2023



NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023.

NOTE - 1 FORMING PART TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

1.1 PRINCIPLES OF CONSOLIDATION

The Consolidated Financial Statements (CFS) relate to National Jute Manufactures Corporation Ltd. (the Company) and its subsidiary Bird Jute & Exports Limited (the Holding Company and its subsidiary together referred to as “the Group”). The CFS has been prepared in accordance with the Accounting Standard-21 on “Consolidated Financial Statements” (AS-21).

1.2 FINANCIAL STATEMENTS ARE PREPARED ON THE FOLLOWING BASIS:

(a) The financial statements of the Company and its Subsidiary are combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating inter-group balances and inter-group transactions including unrealized profits/losses in the period-end assets, such as inventories, property, plant & equipment, etc. The difference between the Company’s cost of investments in the Subsidiary, over its portion of equity at the time of acquisition of shares, is recognized in the consolidated financial statements as Goodwill or Capital Reserve on consolidation, as the case may be. Minority Interest’s share in net profit/loss of consolidated subsidiary for the year is adjusted against the income of the Group in order to arrive at the net income attributable to equity shareholders of the Company. Minority Interest’s share in net assets of consolidated subsidiaries is presented in the Consolidated Balance Sheet separate from liabilities and the equity of the Company’s shareholders. Minority Interest in the consolidated financial statements is identified and recognized after taking into consideration:

- (i) The amount of equity attributable to minorities at the date on which investments in a subsidiary is made.
- (ii) The minorities’ share of movement in equity since the date parent-subsidiary relationship came into existence.
- (iii) The losses attributable to the minorities are adjusted against the minority interest in the equity of the subsidiary.
- (iv) The excess of loss attributable to the minority over the minority interest in the equity of the subsidiary is adjusted against the majority interest.

1.3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(a) BASIS OF ACCOUNTING

The Consolidated financial statements have been prepared in accordance with the historical cost convention on accrual basis and comply with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(b) PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

- (i) Properties, Plant & Equipments are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost comprises the purchase price and other costs attributable to bringing the assets to their working condition for their intended use but excludes duties & taxes recoverable from the taxing authorities.
- (ii) Depreciation on Property, Plant & Equipment is provided on the basis of the useful life of the fixed assets prescribed in Schedule - II of the Companies Act, 2013.



NOTE - 1 (Contd.)

(c) INVESTMENTS

Long term investments are carried at cost. Provision for diminution in the value of long term investment is made when the same is considered to be permanent in nature. Current investments, if any, are carried at the lower of cost and fair value.

(d) INVENTORIES

- (i) Raw Jute is valued at cost, determined on FIFO basis, or net realisable value whichever is lower.
- (ii) Finished Goods are valued at cost or net realisable value whichever is lower. Cost includes all direct cost and applicable manufacturing overheads.
- (iii) Trading Goods are valued at cost or net realisable value whichever is lower.
- (iv) Work-in-process is valued at estimated cost based on percentage of specific stage of processing or net realisable value whichever is lower.
- (v) Stores and spares are valued at cost.

(e) REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Sale of goods, if any, is recognized when the significant risks and rewards of the ownership in goods are transferred to the buyer as per terms of the contract. Revenue from sale of services, if any, is recognized upon rendering of services to the customer.

(f) RETIREMENT AND OTHER EMPLOYEE BENEFITS

The company has no permanent employee on its payroll. All the employees during the year were working on contractual/deputation basis. Hence no provision is being made on account of any retirement benefit.

Short term employee benefits are recognised in the period in which the employees rendered the related service.

Gratuity: Liability for gratuity is provided on the basis of actual liability in respect of employees on roll as on the Balance Sheet date.

Leave Encashment: Liability for Leave Encashment is provided for on the basis of actual liability as on the Balance Sheet Date.

(g) ACCOUNTING FOR TAXATION

Current Tax is determined as the amount of tax payable on taxable Income for the year. The Deferred Tax for timing differences between the book and taxable profit, for the year is accounted for using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as on the Balance Sheet date. Deferred Tax assets arising from the timing difference are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that the assets will be realized in future.

(h) PROVISION

A provision is recognized when the company has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle obligation, in respect of which a reliable estimate can be made.

(i) CONTINGENT LIABILITIES/ASSETS

Contingencies which are material and future outcome of which cannot be ascertained with reasonable certainty are treated as Contingent Liabilities and are disclosed by way of Note in the other explanatory information. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.



NOTE - 1 (Contd.)

(j) CASH & CASH EQUIVALENTS

For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents comprise cash and bank balances in current and short term fixed deposit accounts, if any.

(k) FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in foreign currency, if any, are recorded at the exchange rate prevailing at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are re-measured at the rate of exchange prevailing on the date of balance sheet and resultant gain or loss is recognized in the Statement of Profit and Loss.

(l) IMPAIRMENT OF ASSETS

If the carrying amount of property, plant or equipment exceeds the recoverable amount on the reporting date, the carrying amount is reduced to the recoverable amount. The recoverable amount is measured as higher of the net selling price and the value in use determined by the present value of estimated future cash flow.

(m) BORROWING COSTS

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for intended use. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss.

(n) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with Indian GAAP which requires the management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge of current events and actions, uncertainty about these assumptions and estimates could result in the outcomes requiring a material adjustment to the carrying amounts of assets or liabilities in future periods.

(o) LEASES

The Accounting Standard 19 on leases is not applicable as the company does not have any financial lease agreement in force.

(p) INTANGIBLE ASSETS

The Company does not own any intangible assets except Goodwill arising on Consolidation.

(q) GOVERNMENT GRANTS

Government Grant is recognized when there is a reasonable assurance that condition attached to such grant shall be complied with and grant shall be received. Government grant related to property, plant and equipment is deducted from the cost of the concerned asset.

The Accounting policies not specifically discussed above are consistent and in accordance with generally accepted accounting principles in India.



NOTE - 1 (Contd.)

1.4 Particulars in respect of subsidiary which has been included in the CFS of the Group and the Group's effective ownership interest therein are as under:

Name of the Company	Relationship	Country of Incorporation	Group's Proportion of Ownership Interest	
			31-03-2023	31-03-2022
Birds Jute & Exports Limited	Subsidiary	India	58.93%	58.93%

NOTE - 2 SHARE CAPITAL

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
AUTHORISED		
600000 Equity Shares of ₹1,000/- each (As at 31.03.2022: 600000 Equity Shares)	6000.00	6000.00
ISSUED, SUBSCRIBED AND FULLY PAID UP		
557974 Equity Shares of ₹1,000/- each (As at 31.03.2022: 557974 Equity Shares)	5579.74	5579.74
TOTAL	5579.74	5579.74

ADDITIONAL INFORMATION

- Out of total 557974 shares, 366000 Equity Shares of ₹1,000/- each were allotted as fully paid up shares against Nationalization Adjustment Account, without payment having been received in cash.
- There has been no change / movement in number of shares outstanding as at the beginning and as at the end of the year.
- The Company has only one class of Equity Shares having face value of is ₹1,000/- per shares. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share and equal right for dividend.
- For the period of five years immediately preceeding the date as at which the Balance Sheet is prepared:
 - The company has not allotted any shares as fully paid up pursuant to any contract without payment being received in cash.
 - The company has not allotted any shares as fully paid up by way of bonus shares.
 - The company has not bought back any shares.
- Shareholders holding more than 5 percent shares in the Company :

	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
Name of the Shareholders	No. of Shares	(%)	No. of Shares	(%)
Honourable President of India	557972	99.98	557972	99.98



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 2 SHARE CAPITAL (Contd.)

f) Shareholding of promoters

Name of the Shareholders	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
	No. of Shares	(%)	No. of Shares	(%)
Honourable President of India	557972	99.98	557972	99.98
Additional Secretary & Financial Advisor	1	0.01	1	0.01
Economic Advisor	1	0.01	1	0.01
Percentage of Changes during the year	Nil		Nil	

NOTE - 3 RESERVES AND SURPLUS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
Capital Reserve				
Against Government Grants				
Opening Balance	73.27		73.37	
Add :- Addition / Transferred during the year	-		-	
Less :- Utilised / Transferred during the year	0.10	73.17	0.10	73.27
Revaluation Reserve				
Opening Balance	441.81		441.81	
Add :- Addition during the year	-		-	
Less :- Utilised / Transferred during the year	-	441.81	-	441.81
(Deficit) in Statement of Profit and Loss				
Opening Balance	(38,652.53)		(37,839.32)	
Add: Profit/(Loss) for the year	2,983.67	(35,668.86)	(813.21)	(38,652.53)
TOTAL		(35,153.88)		(38,137.45)

ADDITIONAL INFORMATION

Capital Reserve

- a) Against balance of grant received from Bihar Government, amounting to ₹150 Lakhs, in 1988-89 for acquiring Fixed Assets after adjustment of depreciation on the assets so procured out of the above funds in respect of RBHM and against balance of grant received from IJIRA, amounting to ₹5.44 Lakhs, in 1988-89 for installation of Ring Spinning Frame under UND Project after adjustment of depreciation on the assets so procured out of the above funds in respect of Unit Kinnison. 0.57 0.67
- b) Subsidy of ₹0.01 Lakh being the balance of grant received from WB Industrial Development Corporation Limited in 1982-83 amounting to ₹6.97 Lakh for installation of captive diesel power generating set in respect of Unit Kinnison after adjustment of depreciation from the date acquisition (P.Y. 0.01 Lakh.) 0.01 0.01



NOTE - 3 RESERVES AND SURPLUS (Contd.)

c) The difference between market value and book value of Investments in respect of Unit RBHM as on the date of nationalisation.	0.11	0.11
d) Grant received by Subsidiary from Jute Special Development Fund from Government of India in earlier years for the implementation scheme of R & D Programme and product Diversification.	72.48	72.48
	<u>73.17</u>	<u>73.27</u>

Revaluation Reserve

The difference between the revalued amount (as per valuation report in 1997-98) and book value as on 31.03.1993 in respect of Land situated at Katihar and Land and Building situated at Kalimpong and Forbesgunj in respect of Unit RBHM (Reference : Additional Information No. 7 and 8 in Note 11 on Property, Plant & Equipment)

441.81	441.81
<u>441.81</u>	<u>441.81</u>

NOTE - 4 MINORITY INTEREST

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Opening Balance	-	-
Add: Share of current year's profit/(loss)	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTE - 5 LONG TERM BORROWINGS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
A) Other loans and advances (Unsecured)		
i) From Government of India	23,730.77	23,730.77
ii) From Government of West Bengal	281.48	281.48
TOTAL	<u>24,012.25</u>	<u>24,012.25</u>

ADDITIONAL INFORMATION

- Loan received from Government of India as additional budgetary support is interest free as per the restructuring/revival scheme of NJMC approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) and BIFR. The Company has repaid ₹20000 Lakh in terms with closure notification during 2018-19.
- The Company has not provided any security or any guarantee in respect of the above Loans from Government of India and Government of West Bengal.
- The Company has defaulted in repayment of loans and interest in respect of the following :



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 5 LONG TERM BORROWINGS (Contd.)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
	Period of default	Period of default
	Amount (₹ In Lakh)	Amount (₹ In Lakh)
Loan from Government of West Bengal :		
i) Principal	Since 31.03.1994	Since 31.03.1994
	281.48	281.48
ii) Interest	Since 31.03.1994	Since 31.03.1994
	1,613.67	1,308.61
TOTAL	1,895.15	1,590.09
Non-Plan Loan from Government of India:		
i) Principal	2,159.36	2,159.36
ii) Interest		
Upto last year	7,078.13	6,688.99
Add: For current year	389.21	389.14
TOTAL	9,626.70	9,237.49

- d) The company is yet to receive the formal consent from Government of West Bengal in respect of :
Adjustment of Principal Amount of ₹281.48 Lakhs above against compensation receivable for acquisition of Land by them as referred to in Additional Information 4 in Note 11 on Property, Plant & Equipment and Intangible Assets and Conversion of accrued interest of ₹922 Lakhs included in the above Interest amount of ₹1613.67 Lakhs (As at 31-03-2022: ₹1308.61 Lakhs).
- e) An amount of ₹389.14 Lacs (previous year ₹384.04 Lacs) has been provided by Birds Jute and Exports Limited towards interest accrued and due for the year on the Non-Plan Loans received from Government of India, for which loan confirmation could not be obtained from the Ministry of Textiles.

NOTE - 6 OTHER LONG TERM LIABILITIES

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Trade Deposits*	6.77	6.77
TOTAL	6.77	6.77

*Deposits received by BJEL from different parties / tenants lying in the books since long and are subject to adjustment & reconciliation.



NOTE - 7 LONG TERM PROVISIONS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Provision for Employee Benefits		
i) Provision for Leave encashment	-	-
ii) Provision for Gratuity	10.08	10.08
TOTAL	10.08	10.08

ADDITIONAL INFORMATION

1. Gratuity : No provision for gratuity has been made during the current financial year since all the employees are on contract/ deputation basis.
2. Leave Encashment : No provision for Leave Encashment has been made on the same ground as mentioned above. However, actual payment is charged to revenue accounts as and when payment is made.

NOTE - 8 NET DIFFERENCE BETWEEN HOLDING AND SUBSIDIARY SUBJECT TO RECONCILIATION

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Unreconciled difference between Holding & Subsidiary	159.22	159.24
TOTAL	159.22	159.24

NOTE - 9 TRADE PAYABLES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
i) Creditors for Goods, Expenses & Services*	2,180.09	2,123.74
ii) Interest provided on Trade Payables	126.61	126.61
TOTAL	2,306.70	2,250.35

*Creditors for Goods, Expenses & Services of Birds Jute and Exports Ltd aggregating to ₹ 191.41 lakhs (As at 31.3.2021: ₹ 150.34 lakhs) include liability on account of purchase of raw materials and other expenses, which are lying in the books of account for long time and are subject to adjustment.

As on 31.03.2023							
Particulars	Unbilled Trade Payables	Trade Payables Not Due for Payment	Trade Payables due for payment for following periods from due date				Total
			Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Others	-	-	123.34	2.48	2.54	1,866.85	1,995.22
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	123.34	2.48	2.54	1,979.43	2,107.80



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 9 TRADE PAYABLES (Contd.)

As on 31.03.2022							
Particulars	Unbilled Trade Payables	Trade Payables Not Due for Payment	Trade Payables due for payment for following periods from due date				Total
			Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-	112.58	112.58
(ii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Others	-	-	76.60	5.08	0.16	1,864.51	1,946.36
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	76.60	5.08	0.16	1,977.09	2,058.94

**Break-up and ageing Schedule of Trade Payables has been given in respect of Holding Company only. Trade Payables of Subsidiary could not be included in the above schedule as necessary information in this regard was not made available by the subsidiary.

iii) Break-up of MSME Dues shown above:

	As on 31st March, 2023	As on 31st March, 2022
a) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	55.06	55.06
b) Interest due and payable upto the end of Last Year	57.52	57.52
TOTAL	112.58	112.58

NOTE - 10 OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
i) Statutory Dues (Contributions to PF and ESIC, Withholding Taxes, Excise Duty, VAT, Service Tax, Interest/Damages on PF & ESI Contributions, etc.)	4947.18	5129.88
ii) Interest Accrued & Due	9,081.01	8,386.74
iii) Undisbursed claim of Commissioner of Payments	40.29	40.29
iv) Performance Guarantee	57.47	57.47
v) Security Deposits/EMD	2,751.58	92.68
vi) Interest on ISDS Fund	19.02	19.02
vii) Advance from Parties	4496.95	142.11
viii) Unpaid Rates & Taxes including Property Tax/ Municipal Tax	230.03	242.79
ix) Liabilities for Employee Benefits	338.80	338.15
x) Audit Fees Payable	1.73	1.92
xi) Liability provided for Dividend on cumulative Pref. Shares	59.28	-
TOTAL	22,023.34	14,451.07



NOTE - 10 OTHER CURRENT LIABILITIES (Contd.)

ADDITIONAL INFORMATION

- The waivers sought by the company from the competent authorities in accordance with BIFR Approved Scheme in respect of damages amounting to ₹3550.11 Lakhs (Previous Year ₹3550.11 Lakhs) and ₹592.24 Lakhs (Previous Year ₹592.24 Lakhs) claimed by ESI Corporation and PF Commissioner respectively are still pending.
- During the year NJMC Ltd has made payment of ₹283.09 lakhs towards Interest & Damages towards Union & National Mill against subsequent order of Hon'ble High Court of Kolkata and a further sum of ₹1.27 lakhs towards ESI contribution demand against Alexandra & Kinnison mill. This payments have been adjusted by the company against the unpaid liability of ₹3524.19 lakhs lying in the books of accounts as on 01.04.2022 as provision for ESI Damages.
- Unpaid Property Tax includes liability provided in respect of premises at 5, Alipore Road, Kolkata, which is under litigation. The breakup of the liability so provided is as under:

	(Rs. In Lakh)	(Rs. In Lakh)
Principal	70.68	66.23
Penalty	7.21	7.21
Interest	38.58	38.58
Total	116.47	112.02

Though neither NJMC is making any payment nor the KMC has raised any demand upon the company, the above provision is being made as a precautionary measure as the ownership of the said property is under dispute.

- Liabilities for Employee Benefits include old outstanding dues aggregating to ₹243.61 Lakhs (As at 31.03.2022: ₹243.61 Lakhs) payable on account of VRS, gratuity, LTA, arrear salary etc.

NOTE - 11 SHORT TERM PROVISIONS

	(₹ In Lakh)	
	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Provision for Contingency	189.08	189.08
(On account of Gratuity payable to workmen after reconciliation)	1,817.21	-
Provision for Income Tax		
TOTAL	2,006.29	189.08



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 12 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT & INTANGIBLE ASSETS

(₹ In Lakh)

Description	GROSS BLOCK				DEPRECIATION						NET BLOCK	
	As at 31st March, 2022	Addition (+)	Transferred to Scrap (-)	As at 31st March, 2023	Upto 31st March, 2022	On Unsold For the Year 2023	for the year 2023 on assets transferred to scrap	Arrear Depn	Total consolidated dep on assets transferred to scrap	Total consolidated Depn. Unsold assets	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
A) Property, Plant & Equipment												
(a) Land -Freehold	608.09	-	-	608.09	-	-	-	-	-	-	608.09	608.09
(b) Buildings & Roads	1,088.61	-	85.20	1,003.41	942.21	11.11	-	-	81.06	872.27	131.14	146.40
(c) Plant and Equipment	3,906.11	-	2,224.60	1,681.51	3,775.08	9.33	6.96	-	2,166.88	1,624.49	57.02	131.03
(d) Furniture and Fixtures	69.87	-	25.57	44.30	67.08	0.12	0.01	-	24.71	42.51	1.79	2.79
(e) Vehicles	47.43	-	20.69	26.74	45.51	-	-	-	19.96	25.55	1.19	1.92
(f) Computer	70.83	-	34.95	35.88	68.78	0.24	-	-	34.17	34.85	1.03	2.05
(g) Railway Siding	2.43	-	2.35	0.08	2.39	-	-	-	2.31	0.08	-	0.04
(h) Office Equipments	22.28	-	2.41	19.87	20.36	0.62	0.01	-	2.31	18.68	1.20	1.92
Total (A)	5,815.65	-	2,395.77	3,419.88	4,921.41	21.42	6.98	-	2,331.40	2,618.41	801.47	894.24
Previous Year Total (A)	5,815.65	-	-	5,815.65	4,886.36	34.65		0.39			894.24	929.28
B) Capital Work in Progress	24.86	-	24.86	-	-	-	-	-	-	-	-	24.86
Less: Provision	24.86	-	24.86	-	-	-	-	-	-	-	-	24.86
Total (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previous year Total (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Current Year Total (A+B)	5,815.65	-	2,395.77	3,419.88	4,921.41	21.42	6.98	-	2,331.40	2,618.41	801.47	894.24
Previous year Total (A+B)	5,813.16	2.49	-	5,815.65	4,886.36	34.65	-	0.39	-	-	894.24	929.28



NOTE- 12 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

ADDITIONAL INFORMATION

- 1) a) Government of India has approved the closure of NJMC Ltd. and its subsidiary on 10.10.2018. As per the directive of the competent authority, the closure has to be made in accordance with the DPE Guidelines issued vide O.M. No.DPE/5(1)/2014-Fin(Part-I) on 14.06.2018.
- b) NBCC (India) Ltd. has been appointed as Land Management Agency (LMA) and M/s. MSTC Ltd. has been appointed as E-Auction agency for disposal of Plant & Machinery etc. with approval of Board of Directors. Process of closure in line with the DPE Guidelines dated 14.06.2018 is under progress. Also NBCC (India) Ltd has been entrusted for pre LMA activities for verification, assessment and valuation of assets of NJMC Ltd with the approval of the Board of Directors have been completed.
- 2) Plant and Equipments include 8 Nos. Herackle Machines pertaining to Unit Alexandra which is lying with a third party on the date of Nationalisation.
- 3) Land includes Leasehold Land, pertaining to Unit Khardah, the value of which could not be ascertained.
- 4) Land includes 4.48 acres of land of Unit Khardah acquired by Govt. of West Bengal, for setting up Titagarh Thermal Power Plant of Calcutta Electric Supply Corporation Ltd. Necessary adjustment will be made on receipt of compensation amount.
- 5) The company has not maintained proper records of its Property, Plant & Equipment. In an earlier year certain records were prepared by the company in respect of Property, Plant & Equipment, which are incomplete and lack various relevant information and proper description of assets in many cases. As per approved/accepted report of movable assets submitted by NBCC Ltd the Books Plant & Machineries have been updated.
- 6) Property, Plant & Equipment vested under the provision of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 on 20th December, 1980 with National Jute Manufactures Corporation Ltd., include land and building at 5, Alipore Road, Kolkata, in respect of unit-Alexandra but not in possession of the Company. This property was mortgaged prior to the date of take-over of the Management of the Alexandra Jute Mills Ltd under the Industries (Development & Regulations) Act, 1951 [I (D&R) Act,1951] and was under an "Agreement to Sale" on the date of such take over. The Sale Agreement was, however, not concluded & was challenged by the Management under the provision of Industries (Development & Regulations) Act, 1951 at Alipore Court, Calcutta. An Interim order of injunction was ultimately issued by the High Court on 8th September, 1981 directing that all further proceedings at Alipore Court be stayed. Subsequently the mortgagee had filed a writ petition in the Calcutta High Court challenging the applicability of the provisions of I (D&R) Act, 1951. Thereafter, Alexandra Jute Mills Ltd was nationalised under Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 with effect from 20.12.1980 and the Assets were vested to this Corporation free from all encumbrances. The mortgagee thereafter another writ petition in the Calcutta High Court.

Challenging the provisions of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 and their validity. The Writ Petition filed by the mortgagee challenging the applicability of provisions of Industries (Development & Regulations) Act, 1951 has since been dismissed by the Hon'ble High Court, Calcutta and thereafter an interim order of status quo is passed by the Hon'ble High Court, Calcutta.

The opinion of standing counsel M/s. Fox & Mondal that premises No.5, Alipore, Kolkata vested in Central Govt. which has again vested in NJMC under Section 6 of the Jute Companies (Nationalisation) Act. 1980 and NJMC is the owner of the said property free from all mortgages or lien or encumbrances, However, NJMC is the owner of the said property free from all mortgages or lien or encumbrances, However, NJMC has sought for opinion at the instruction of MOT vide their letter F. No. 17/16/2006



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE- 12 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

- JE dated 24/12/2007 wherein MOT asked NJMC to examine the issue from Legal point of view. Accordingly, NJMC has referred the matter of Ministry of Law Justice & Company affairs vide letter No.... received from Ministry of Law & Justice and Barrister Sri Anindya Kumar Mitra were forwarded to MOT vide letter No. NJMC/CMD/8 dated 28/01/2008 and also to Barrister Sri Anindya Kumar Mitra on the aforesaid matter. The opinions NJMC/CMD/08/239 dated 3rd April, 2008 along with opinion of our dealing Counsel M/s. Fox & Mondal. The MOT vide their letter No. 17/1/2006 - JE dated 30th April, 2008 stated that the opinion of Sri Anindya Kumar Mitra, Barister and Sr. Advocate as well as of Ministry of Law and Justice Bench Secretariat, Kolkata is that the ownership of the premises No. 5, Alipore Road, cannot be deemed as vesting in Central Govt./NJMC under the Nationalisation Act. On the other hand the standing counsel on behalf of NJMC has opined otherwise. MOT further directed that the affidavits in reply on behalf of NJMC and Union of India (MOT) may be amended in the Hon'ble High Court, Calcutta based on the above majority legal opinion which included legal opinion from Ministry of Law & Justice Bench Secretariat Kolkata, that the Nationalisation Act, should not be applicable on the said property as the property was no longer a property of Alexandra during the time of Nationalisation. However, the affidavits were filed on June 2019.

In 2019 writ petition 5292 of 1981 was restored, exchange of affidavits completed and will come up for hearing. No further development has taken place during the financial year 2020-21.

Since the matter is subjudice no adjustment has been made in the accounts.

- 7) Value of land pertaining to Unit RBHM, measuring 96 Bighas 15 Kattahs, 5 Dhurs has been capitalised for ₹373.02 Lakhs in 1999-2000 with the approval of Board of Directors on 21.06.2000 as per valuation report as on 31.03.1993 of M/s Esjay Consultants Pvt Ltd. appointed by IIBI.
- 8) Value of Land includes 4.03 acres of land valued at ₹41.55 Lakh and Value of Building includes building valued at ₹27.24 Lakh situated at Kalimpong & Forbesgunj of Unit R.B.H.M as per valuation Report as on 31.03.1993 of M/s Esjay Consultants Pvt Ltd. appointed by IIBI duly approved by the Board of Directors on 24th December, 1997 and the same have been capitalised during the year 1997-98.
- 9) The Title deeds of land which were mortgaged to IIBI, has been received by the Company during the year 2006-07. Some of the Title Deeds are torn and in precarious condition. Hence it is not possible to physically verify the same.
- 10) Plant & Machinery declared as discarded and / or obsolete are shown as current assets at their book value amounting to ₹8.14 lakhs (Previous Year ₹10.01 lakhs) which is fully provided for.

11)	During the Financial Year 2016-17 the Company has disposed off a substantial portion of some of the property, plant & equipment of Alexandra and National, which are all closed units		Gross Block as on 31.03.2017 (₹)	WDV as on 31.03.2017 (₹)
	Name of Mills	Name of the Fixed Assets		
	Alexandra	Plant & Machineries	1,48,276.00	1,483.75
	National	Plant & Machineries	37,45,379.30	61,424.22
	Total		38,93,655.30	62,907.97



NOTE- 12 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT INTANGIBLES ASSETS (Contd.)

- 12) Certain Items of movable fixed assets lying at the National Mill Unit of the company, having aggregate book vale of ₹28422.16 as on 31.03.2020, were not found at the time of physical verification conducted by the management during the year 2020-21 for which FIR has been lodged by the company. However before auction of the movable assets of the mill the necessary effects in the books has been given.
- 13) Pursuant to an application filed by the proprietor of Rajat Engineering Works before the Hon'ble High Court in order to secure the Awarded amount of ₹1106.76 Lakhs u/s 36(2) in their favour with a prayer for specific direction to be given to NJMC Ltd to deposit the Awarded amount with the Register of High Court and also for appointment of Receiver to take custody of the property of NJMC Ltd with a prayer for injunction upon NJMC for disposal of its immovable properties. The Hon'ble Calcutta High Court vide its order dated 28.02.2022 has allowed the said application in favour of the aforesaid party. The company has made an application u/s 34 of The Arbitration Act by challenging the legality of the award passed against the company by the Ld. Arbitration Tribunal. As per order of Hon'ble High Court Calcutta, the full amount has been deposited to registrar of High Court of Calcutta.
- 14) Freehold Land includes plot of Land measuring 15 acres (approx) in respect of RBHM Katihar Unit, the ownership title of which is under litigation before the Hon'ble Patna High Court.
- 15) NBCC (I) Ltd. in their pre LMA report stated that the company started with 61.18 Acres of land in the year 1904. In the Land settlement between 1959 to 1962 the area was resettled to 54.25 Acres. Present Revenue records shows 53.02 Acres of Land, out of which 48.39 Acres in the name of BJEL and 4.63 Acres in the name of erstwhile Company (M/s Lansdowne Jute Mills Co. Ltd.). BJEL has already taken up the matter with the appropriate Authority of Government of West Bengal for updation of Land Records in the name of BJEL. Out of 53.02 Acres, 3.07 Acres of land which was acquired by Government of West Bengal in 1961 is also included.
- 16) The present Revenue records of 53.02 acres does not include 0.5412 acres which was illegally occupied. The company has filed a title suit before the Court for the eviction of illegal occupation of 0.5412 Acre of land by Shobhnath Singh & Others. Since the matter is under litigation, necessary adjustment will be made in the accounts as and when the matter is settled.
- 17) NBCC (I) Ltd. in their Pre LMA Report stated that the condition of Buildings and movable assets are mostly scrap. Both types of assets have exhausted its economic life and therefore its economically obsolete. In terms of functionality, some assets are still standing and operation is carried out by the current tenants. But the value of these structures will be that of scrap since most of the buildings are in dilapidated condition. The Report was accepted in 168th Board Meeting and buildings and other assets except Land transferred to Current assets at written down value (after adjustment of accumulated Depreciation). No Depreciation was charged during this financial year due to Assets becoming economically obsolete.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 13 NON CURRENT INVESTMENT

(₹ In Lakh)

As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Trade Investments				
Number	Number			
EQUITY SHARES IN CO-OPERATIVE SOCIETIES-UNQUOTED				
250	250	Union North Jute Mills Employees` Co-Operative Stores Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
			-	-
EQUITY SHARES IN ASSOCIATED COMPANIES-UNQUOTED				
5	5	The Kinnison Jute Mills Co. Ltd., (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
			-	-
EQUITY SHARES IN OTHER COMPANIES-QUOTED				
180	180	Duncans Agro Industries Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
111	111	Birla Corporation Limited (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
63	63	Cheviot Company Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
			0.02	0.02
EQUITY SHARES IN OTHER COMPANIES-UNQUOTED				
180	180	Hathikhira Tea Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
1200	1200	Jaipur Udyog Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.02	0.02
95	95	Budge Budge Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
95	95	Delta Jute & Industries Ltd. (Face value ₹ 4/- each)*	-	-
20	20	The Ganges Manufacturing Co. Ltd. (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
2	2	Anglo India Jute Mills Co. Ltd. (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
26	26	The Empire Jute Co. Ltd. (Face value ₹ 10/- each)*	-	-
600	600	Willard India Ltd. 600 Nos. (Face value ₹ 10/- each)	0.01	0.01
3	3	Lawrence Investment & Property Co. Ltd. 3 Nos. (Face value ₹ 100/- each)	0.01	0.01
100	100	Waverly Jute Co. Ltd.,(Face value ₹ 50/- each)	0.01	0.01
36972	36972	Britannia Engineering Co. Ltd. (in liquidation) (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
2700	2700	2700 Stock of 1 Pound each in Titagarh Jute Factory PLC (Face value Pund ₹ 1/- each)*	0.11	0.11
47710	47710	Bisra Stone Lime Co. Ltd.	4.50	4.50
500	500	Sonakunda Bailing Co. Ltd.	0.45	0.45
716	716	Becker Gray & Co.(1930) (P) Ltd.	1.46	1.46
			6.59	6.59



NOTE - 13 NON CURRENT INVESTMENT (Contd.)

(₹ In Lakh)

Number of Share / Security /
Bonds / Units

		(B) INVESTMENT IN PREFERENCE SHARES		
700	700	J. F. Low & Co. Ltd. (Face value ₹ 100/- each)*	-	-
305	305	5% 2nd Preference Sh.of Sonakunda Bailing Co. Ltd.	0.24	0.24
			0.24	0.24
		(C) INVESTMENT IN GOVERNMENT SECURITIES & OTHER INVESTMENTS		
		3% Conversion Loan 1986 (Face value ₹ 700/- Matured)	0.01	0.01
		3% Conversion Loan 1986 (Face value ₹ 5,300/-)	0.04	0.04
		7 Years National Savings Certificate :-		
		Old Series	0.05	0.05
		New Series	0.15	0.15
		The West Bengal Estate Acquisition Compensation Bonds	0.01	0.01
		12 Years National Plan Savings Certificate	0.01	0.01
		Government of India 5.5% Loan 1999 (Face value ₹ 42,500/-)	0.42	0.42
		12 Years National Defence Certificate	0.01	0.01
		12 Years National Savings Certificate	0.04	0.04
		National Defence Certificate	0.16	0.16
			0.90	0.90
		(D) INVESTMENT IN DEBENTURES- UNQUOTED		
		East Indian Clinic Ltd., 5% Non redeemable Debentures	0.36	0.36
10000		5% Registered Non- Redeemable Debenture Stock 1957 of The East India Clinic Ltd.	0.10	0.10
			0.46	0.46
		TOTAL	8.21	8.21
		Less Provision	8.21	8.21
		TOTAL	-	-
		* Denotes the Book Value of which is below ₹ 1,000/-.		
		Aggregate Book value of Quoted Non-Current Investment	-	-
		Aggregate Book value of Unquoted Non-Current Investment		
		less Provision	-	-
		Total Quoted and Non-quoted Non-current investment	-	-
		Aggregate Market value of quoted Non Current Investment	NA	NA

ADDITIONAL INFORMATION

- (1) Unit : National - Investment of 5 Equity Shares of ₹100/- each with Kinnison Jute Mills Co. Ltd. (unquoted) book value ₹1/- stand in the name of National Co. Ltd., awaiting transfer in the name of the Corporation.
- (2) Unit : Union - Certain Investment (Book Value ₹8981/-) continued to be registered in the name of the erstwhile Union Jute Company Ltd.
 - (i) Out of the total investments, documents in respect of investments made in various Govt. authorities, Britannia Engineering Co. Ltd. and J.F. Low & Co. Ltd. are not traceable since nationalisation. This



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 13 NON CURRENT INVESTMENT (Contd.)

matter has been taken up with Board and it has been advised to include the same in the forensic audit which is under process. However full provision has been made in the Books of Accounts.

- (ii) Total Investments in shares include investment in two (2) Struck off Companies namely Duncans Agro Industries Ltd. & Lawrence Investment & Property Co. Ltd. having aggregate Book Value of 0.02 lakhs against which full provision has been made.
- (iii) Investment made by Birds Jute and Exports Ltd in 500 No. of Ordinary Shares and 305 No. of 5% 2nd Preference Shares of Sonakunda Bailing Company Ltd. Bangladesh were held in the name of Lansdowne Jute Co. Ltd. , which was the erstwhile name of the Company. The Company had lodged claims (including share certificate) with the Custodian of Enemy Property, Government of India (GOI) in the year 1978. No document in support of claim lodged with GOI is available with the company. In the absence of any information from Bangladesh full provision have been made.
- (iv) In respect of investment made by Birds Jute and Exports Ltd in M/s Bisra Stone Lime Co. Ltd., and M/s Becker Gray & Co.(1930) (P) Ltd, full provision was made in earlier years.
- (v) Interest on 5% Registered Non-Redeemable Debenture Stock (1957) from East India Clinic Ltd. has not been received for last several years. Also interest has not been accounted for in the books of account. Full provision has been made in the accounts by Birds Jute and Exports Ltd.
- (vi) National Defence Certificate amounting to ₹0.16 Lakhs matured long back but these certificates have not been released by the Central Excise Department and no income has been accounted for on such certificates. Document in support of lodging of certificate with Central Excise Department is not shown. Full provision has been made in the accounts by Birds Jute and Exports Ltd.

NOTE - 14 LONG TERM LOANS & ADVANCES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
(unsecured considered good)		
(i) Capital Advances	3.59	3.59
Less: Provision for Machinery Advance	3.59	3.59
TOTAL	-	-

Capital Advances given by Birds Jute and Exports Limited for purchase of machinery are lying in the books for long time for which no confirmation from the parties has been received/ obtained. Full provision has been made in earlier year.



NOTE - 15 OTHER NON CURRENT ASSETS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
(i) Non-Current Fixed Deposits with Bank		
Term Deposits with Bank maturing after 31.03.2023	-	1781.61
(ii) Security Deposit	8.67	8.67
	8.67	1790.28
Less: Provision for Security Deposits	1.36	1.36
	7.31	1788.92

(ii) Security Deposits of Birds Jute and Exports Limited with different statutory bodies are lying in the books for a long time for which no confirmation from the parties has been received/ obtained except for deposit of ₹7.31 lakhs lying with Calcutta Electric Supply Co. Provision for rest of the amount has been made in the earlier year.

NOTE - 16 INVENTORIES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
a) Raw Materials (At the Lower of Cost and net realisable value)	115.72	133.62
Less - Provision for diminution in value	-	0.04
	115.72	133.58
b) Work in Process (At Lower of estimated cost and net realisable value)	24.18	24.18
		63.38
c) Finished Goods (At the Lower of Cost and net realisable value)	32.79	167.51
Less - Provision for diminution in value	-	5.03
	32.80	162.48
d) Stores & Spares (At Cost)	149.85	382.42
Less - Provision for diminution in value	-	156.54
	149.85	225.88
e) Stock in Trade	-	15.45
Less - Provision for diminution in value	-	15.45
	-	-
TOTAL	322.55	585.32

ADDITIONAL INFORMATION

The Holding Company has stopped its operations from 2015-16. No Production/ Sale of Inventories have taken place since that year. Though the inventories are lying in the safe custody of the company, there may be change of value due to deterioration of stock. NBCC Ltd was appointed as Pre-LMA for verification, assesment & valuation of NJMC Ltd. & BJEL. Befor E- Auction Effects of the valuation has been given in the books of accounts & subsequently Auction process have been initiated. The value of inventory has been accordingly adjusted and the resultant reduction in value has been written down during last year and charged to the Statement of Profit & Loss as Exceptional item.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 17 TRADE RECEIVABLES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022	
Outstanding for a period exceeding six months			
a) Unsecured - Considered Good	35.59	71.73	
- Considered Doubtful	569.50	500.19	
	605.09	548.36	
Less : Provision for Doubtful Trade Receivables*	569.50	500.19	48.17
b) Other Receivables-Considered Good	-	-	
TOTAL	35.59	48.17	

*Provision during the year amounting to ₹92.87 lakh for doubtful Trade Receivables has been made by Birds Jute and Exports Ltd.

Break-up and ageing Schedule of Trade Receivables:**

(₹ In Lakh)

Age wise analysis of Trade Receivables as on 31.03.2023								
Particulars	Unbilled Dues	Not Due	Outstanding for following periods from due date of Receipts					Total
			Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	30.81	-	-	-	259.80	290.61
Less: Provision for doubtful receivable (Disputed+Undisputed)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	30.81	-	-	-	259.80	290.61

Age wise analysis of Trade Receivables as on 31.03.2022								
Particulars	Unbilled Dues	Not Due	Outstanding for following periods from due date of Receipts					Total
			Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80
Less: Provision for doubtful receivable (Disputed+Undisputed)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	259.80	259.80

**Break-up and ageing Schedule of Trade Receivables has ben given in respect of Holding Company only. Trade Receivables of Subsidiary could not be included in the above schedule as necessary information in this regard was not made available by the subsidiary.



NOTE - 18 CASH AND BANK BALANCE

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
a) Cash & Cash Equivalents		
Cash in Hand	0.40	0.12
Balance in:		
(i) Bank Accounts	13,964.29	82.77
(ii) Sweep Deposit Accounts	121.40	149.35
(iii) Short Term Fixed Deposits	-	178.61
	<u>14,086.09</u>	<u>410.85</u>
b) Other Bank Balances		
(i) In Fixed Deposit Accounts with Banks:		
(a) Having maturity period of more than 12 months	-	2,309.06
(b) Other Fixed Deposits	3,504.91	114.48
(ii) Margin Money	3.10	3.10
	<u>3,508.01</u>	<u>2,426.64</u>
Less :- Provision against Margin Money	3.10 3,504.91	3.10 2,423.54
TOTAL	<u>17,591.00</u>	<u>2,834.39</u>

ADDITIONAL INFORMATION

- Balances in Bank accounts include ₹18.10 Lakhs lying in current account with Bank of India, which has been attached by Certificate Officer, ESIC in connection with its dues. (Previous Year ₹18.10 Lakhs).
- Margin Money of ₹3.10 lakhs is a very old balance being carried forward without any details. Accordingly full provision has been made.
- The following old bank accounts of Birds Jute and Export Ltd wherein no transactions have been made and are inoperative.

Bankers Name		Book Balance (In ₹) As on 31.03.2023	Book Balance (In ₹) As on 31.03.2022
Vysya Bank, N.S. Road, Kolkata	Unconfirmed	804.15	804.15
Syndicate Bank, Madras	Unconfirmed	963.00	963.00
Syndicate Bank, Calcutta (PCL)	Unconfirmed	683.00	683.00

Steps have been taken for confirmation from respective banks. On receipt of confirmation appropriate adjustments will be made by the subsidiary.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 19 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
a) Loans and advances				
Unsecured - considered good (other than related party) Considered Doubtful	1,083.65		1,083.65	
Less:- Provision	5.44	1,078.21	5.44	1,078.21
b) TDS & other Income-tax				
- Considered good	828.78		780.53	
- Considered doubtful	429.52		443.52	
	1,258.30		1,224.05	
Less:- Provision	424.08	834.22	424.08	799.97
c) Balances with Government Authorities				
Unsecured - Considered good	-		-	
- Considered doubtful	12.10		12.10	
	12.10		12.10	
Less: Provision	12.10		12.10	
d) GST Input Credit	-		279.14	
Less: Provision	-	-	40.70	238.44
e) GST TDS Excess Paid		-		-
f) TDS Excess Paid		-		-
g) Others*				
Unsecured - Considered good	25.38		0.21	
- Considered doubtful	459.72		458.69	
	485.10		458.90	
Less: Provision	457.67	27.43	457.67	1.23
TOTAL	1,939.86		2,117.85	

ADDITIONAL INFORMATION

1. *Others Include

- i) An amount of ₹11.33 Lakh in respect of Unit Khardah (Previous Year ₹11.33 Lakhs) which represents money in course of misappropriation of deposit/payment of railway freight in 1982-83. The matter is subjudice. However, full provision has been made in the accounts.
- ii) An amount of ₹24.00 Lakhs in respect of Unit National (Previous Year ₹24.00 Lakhs) paid to the Trustees of National Company Limited Jute Mill works' Provident Fund as interest free loan to cover the loss of interest to the fund caused by non receipt of Securities from the Brokers on the condition that the proceeds from the said securities to be obtained from the Brokers would be appropriated towards refund of the said loan. Since the proceeds have not yet been realised no adjustment was carried out and full provision has been made in the accounts.
- iii) An amount of ₹32.76 lakhs (Previous Year ₹32.76 Lakhs) and an amount of ₹2.24 Lakhs (Previous Year ₹2.24 lakhs), being the balance of claim towards value of the stock of finished goods and



NOTE - 19 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

the balance of claim towards the value of the fixed assets destroyed by fire on 31st August, 1986 respectively pertaining to Unit National. The insurance claim was finally settled by the National Insurance Company after disallowing the above balances. The Company referred the matter to the concerned Ministry, New Delhi for further referring the matter to the arbitrator, as required under the guidelines for settlement of disputes between two Public Sector Undertakings. The matter has not yet been resolved and full provision against the same has been made in the accounts.

- iv) An amount of ₹ 10.39 lakhs represents advanced towards VRS Package to officers of the Company provision has been made for the entire amount of 10.39 lakhs in the Accounts.
2. Entire GST Input credit has been adjusted against raised GST liabilities on disposal of movable assets on Auction.
3. During the financial year 2018-19 the Company has given an Interest free loan amounting to ₹ 1200.00 Lakhs to Hadricrafts & Handlooms Exports Corporation of India Ltd. This loan was given on the basis of directive from Ministry of Textiles, Government of India vide its letter no. F.No.21/2/2018/HHEC/PSU dated 03.07.2018. The outstanding balance as on 31.03.2022 was ₹ 1078.21 Lakhs. As per condition of MOU the loan will be repaid by sale of assets of the Company within 2 years from date of disbursement of loan.
4. The total amount of Income Tax deducted at Source (TDS) of the holding company is ₹ 1219.33 Lakh. The assessment year wise break-up of which as under:

Financial Year	Assessment Year	TDS Amount.(In Lakh)
Old balance		13.10
2014-15	2015-16	167.73
2015-16	2016-17	161.76
2016-17	2017-18	412.38
2017-18	2018-19	173.19
2018-19	2019-20	130.52
2019-20	2020-21	54.51
2020-21	2021-22	28.01
2021-22	2022-23	31.46
2022-23	2023-24	46.68
Total		1219.33

The Income Tax Refund determined by the Income Tax department in respect of earlier assessment years together with interest allowable thereon are being adjusted by the department against arrear demands in respect of assessment years 1990-91. The details/documents in respect of such demand could not be traced by the company. Accordingly, the company took up the matter with the jurisdictional Income Tax Authority which expressed its inability to provide copies of relevant orders vide which the demand for the said assessment year was raised and advised the company to contact CPC Bangalore.

CPC-Bangalore was also contacted under RTI Act.2005 from whom clarification is yet to be received.

The company intends to deal with the matter in appropriate manner and necessary adjustment in this regard will be made after obtaining necessary information/details from the Income Tax department.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 20 OTHER CURRENT ASSETS

(₹ In Lakh)

	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
a) Interest accrued on deposits	7.38		10.89	
Less :- Provision	1.80	5.58	1.80	9.09
b) Security deposits				
Unsecured - considered good	44.84		44.84	
- considered doubtful	11.47		11.47	
	56.31		56.31	
Less: Provision	11.47	44.84	11.47	44.84
c) Others	229.28		227.48	
Less :- Provision	158.71	70.57	160.91	66.57
TOTAL	120.99		120.50	

NOTE - 21 REVENUE FROM OPERATIONS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Sale of Jute Products	-	-
Other Operating Revenue	-	-
TOTAL	-	-

NOTE - 22 OTHER INCOME

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023		For the year ended 31st March, 2022	
a) Interest Income				
Interest from Banks Deposit	208.97		248.11	
Rent Received	75.42	284.39	128.77	376.88
b) Other Non-operating Income		6,310.07		22.31
TOTAL	6,594.46		399.19	

ADDITIONAL INFORMATION

- A) Govt of India has sanctioned interest free loan amounting to ₹48,362 lakhs for revival of NJMC Ltd. Out of that a sum of ₹41,571.41 lakhs has been released till 31.03.18. Unspent amount out of that has been invested in Term Deposits with bank for the time being . The interest earned on the same is being considered as Company's income consistently since 2011-12. ISDS fund of ₹144.00 lakhs, released on 31st March, 2016, has also been invested in Fixed Deposit. This interest is also included in the Interest income from Bank Deposits shown above.



NOTE - 22 OTHER INCOME (Contd.)

B) Other Non-operating Income comprises of

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
i) Depreciation Adjustment for assets acquired with Govt. Grant	0.10	0.10
ii) Interest from CESC	-	0.85
iii) Profit on Sale of Scarp sale	6,239.62	-
iv) Prov. Written back	45.24	2.15
v) Interest on I Tax Refund	2.67	15.91
vi) Others	14.79	1.81
vii) Dividends Received	0.04	0.11
viii) Insurance Claim	-	1.37
ix) Income from Damages (Rent)	7.61	-
TOTAL	6,310.07	22.31

NOTE - 23 COST OF RAW MATERIALS CONSUMED

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Opening Stock (Net of Provision made)	133.58	138.57
Less: Provision/Transfer to scrap	17.86	4.99
Add :- Purchase	-	-
	115.72	133.58
Less :- Closing stock (Net of Provision made)	115.72	133.58
Cost of Raw Materials Consumed (Including Process Loss)	-	-

ADDITIONAL INFORMATION

i) Raw Materials consumed comprises :-

Raw Jute

ii) Indegenous

- 100%

Inventories of RBHM Katihar Mill has been disposed off during the year and there is no operating activity in other mill since mid of 2016. In line with the erstwhile BIFR GOI has taken a decision to close National, Union and Alexandra mills. So there is no consumption of Raw materials.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 24 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, STOCK IN TRADE AND WORK-IN-PROCESS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023		For the year ended 31st March, 2022	
Inventories at the beginning of the year				
Stores & Spares	225.88		225.88	
Finished Goods	162.48		199.48	
Work in Process	63.38		63.38	
	451.74		488.73	
Less: Provision/Transfer to scrap	244.92	206.83	37.00	451.73
Inventories at the end of the year				
Stores & Spares	149.85		225.88	
Finished Goods	32.79		162.48	
Work in Process	24.18	206.83	63.38	451.73
Change in Inventories		-		-

NOTE - 25 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023		For the year ended 31st March, 2022	
Salaries	102.96		98.66	
Contribution to Provident Fund & Other Fund	2.49		2.46	
Staff Welfare Expenses	1.20		0.75	
TOTAL	106.65		101.87	

NOTE - 26 FINANCE COSTS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023		For the year ended 31st March, 2022	
Interest on Borrowings from Govt	425.80		425.50	
TOTAL	425.80		425.50	



NOTE - 27 OTHER EXPENSES

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Rent	19.75	19.73
Rates and taxes	17.97	23.28
Professional Charges	10.58	48.17
Hire Charges (Machine and Car)	10.06	12.69
Travelling and Conveyance	15.70	7.43
Communication	0.31	0.45
Printing and stationery	1.96	2.20
Computer Expenses	0.61	0.60
Insurance - Corporate & Branch	22.48	21.88
Municipal & Property Tax - Branch	46.28	27.43
Repairs and Maintenance - Others	7.26	13.95
Repairs & Office Maintenance - Branch	0.50	1.70
Security Expenses - Corporate	46.68	42.06
Security Expenses - Branch	480.63	270.09
Electricity Charges - Corporate	18.18	7.27
Electricity Charges - Branch	12.70	12.25
General Expenses - Branch	6.41	2.71
Excise Duty, Sales Tax etc. Paid on demand - Branch	-	4.92
Other General Expenses - Branch	3.38	1.14
PF Administrative Expenses - Branch	-	0.54
Abnormal Loss - Theft	1.84	-
Service outsourced	17.55	-
MSTC Service Charges	55.81	-
Legal Charges	26.39	10.38
Bank Charges	0.22	0.17
Provision for doubtful trade and other receivables	93.69	29.06
Miscellaneous expenses	8.38	5.82
Interests & penalties on delayed payments	-	20.81
Advertisement	0.40	0.32
Dividend on Preference Share	1.04	-
	926.76	587.05



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE - 27 OTHER EXPENSES (Contd.)

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Auditors Remuneration :		
a) Statutory Auditors:		
i) Statutory Audit Fees	1.68	1.67
b) Other Auditors		
i) Tax Audit Fees	0.36	0.51
ii) Others Audit Fees	1.00	0.49
	3.04	2.67
TOTAL	929.80	589.72

NOTE - 28 ADJUSTMENTS PERTAINING TO EARLIER YEARS

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Interest on Late Payment of GST	-	0.27
Interest on Late payment of ESI	0.27	-
Arrear Dividend on Preference Shares from 31.03.1967 to 31.03.2022	58.24	-
Interest on Fixed Deposit excess credited	(0.54)	0.26
Service Tax	-	0.75
Prior period Expense	-	0.12
Bank Charges	0.06	-
Interest on Loan from WB Govt	268.46	-
Depreiation	-	0.39
Elimination of provision for Doubtful Trade Receivables from subsidiary	(23.56)	-
Rent	-	14.74
TOTAL	302.93	16.53



NOTE - 29 EARNING PER SHARE

(₹ In Lakh)

	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
Profit / (Loss) after tax as per Statement of Profit and Loss (₹ In Lakh)	2,983.67	(813.21)
Weighted average Number of equity share	557974	557974
Earnings per share (₹) - Basic	534.73	(145.74)
Earnings per share (₹) - Diluted	534.73	(145.74)



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE-30 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION

- 1) Government of India has approved the closure of NJMC Ltd. & its subsidiary Bird Jute & Exports Ltd. on 10.10.2018. As per the directive of the competent authority, the closure has to be made in accordance with the DPE Guidelines issued vide O.M. No. DPE/5(1)/2014-Fin(Part-I) on 14.06.2018.

In line with the directive, ₹ 20,000 Lakhs has been refunded to Government of India towards the repayment of Interest free loan and NBCC (India) Ltd. has been appointed as Land Management Agency (LMA) for disposal of immovable assets and M/S. MSTC Ltd. has been appointed as Auctioning agency for disposal of movable assets etc. with approval of Board of Directors of the organisations. Process of closure in line with the DPE Guidelines dated 14.06.2018 & 31.10.2022 is under progress. Also NBCC India Ltd has been entrusted for pre LMA activities for verification, assessment and valuation of assets of both the organisations. The Pre-LMA reports submitted by NBCC has been accepted by the board of both the organisations. Further the process of disposal of movable & immovable assets is under process.

2) Related Party Transactions

i) Details of Parties :

Description of Relationship	Name of related Parties
Controlling Party	Honourable President of India
Key Management Personnel	Sri Moloy Chandan Chakraborty (CMD)
Key Management Personnel	Ms. Mohini Verma (CS)
Key Management Personnel	Sri Hemant Kumar Nanda (Director)
Key Management Personnel	Sri Iman Ali Mandal (Director)

ii) Details of related party transaction during the year ended 31st March 2023 and balances outstanding as at 31st March 2022 :

With Key Managerial Personnel : Remuneration paid as Company Secretary	4.49	3.10

3) Employee Benefits expenses include Director's Remuneration as below :-

Particulars	Current Year	Previous Year
Remuneration	Nil	Nil
Contribution to P.F. Fund	Nil	Nil
Gratuity	Nil	Nil

4) Earnings per share (EPS)

Particulars	2022-23	2021-22
(a) Weighted Average No. of Shares	5,57,974	5,57,974
(b) Profit /(Loss) after tax (₹)	2,983.67	-813.21
(c) Basic & Diluted Earnings per Share (b/a) (₹)	534.73	(145.74)
(d) Face value per Share (₹)	1,000	1,000



NOTE-30 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

5) Earnings, expenditure, remittances in foreign currency:

Particulars	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
a) Expenditure/Remittance in Foreign Currency	Nil	Nil
b) Earnings in Foreign Exchange	Nil	Nil

- 6) The Company's operations pertain to manufacture and selling of single Jute Product for sale in the Domestic Market only. As such reporting under Accounting Standard 17 (Segment reporting under Section 133 of Companies Act 2013) is not applicable.
- 7) The company has net deferred tax asset at the year end. However, in view of the substantial losses incurred in a number of past years and suspension of manufacturing activities by the Company, the Deferred Tax Assets have not been recognized as a matter of prudence as there is no reasonable certainty that sufficient future taxable income would be available against which such Deferred Tax Assets can be adjusted. In view of continuous losses incurred by the Subsidiary Company since its inception, deferred tax assets have not been recognised, as there is no reasonable certainty that sufficient future taxable income would be available against which such deferred tax assets can be realized.
- 8) The Company has not assessed the Impairment loss on its property, plant & equipment as per Accounting Standard 28. However, most of the assets comprised in property, plant & equipment are very old and their WDV has already become insignificant.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE-30 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

9) Disputed liabilities and commitments not provided for by the Holding Company:-

SL NO.	Particulars	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
A)	i) Claims against the Company not acknowledged as debt towards Central Excise for Unit Kinnison	16.43	16.43
	ii) Claim against the Company by the West Bengal Commercial Tax Authority And Bihar Commercial Tax Authority as regards non-submission of "C" forms, not acknowledged by the Company as debt and preferred appeal accordingly. (Financial Year 2010-11 ₹0.003 Financial Year 2011-12 Kinnison ₹0.002 Lakh, Khardah- ₹2.88 Lakh, Financial Year 2012-13 Kinnison - ₹43.96 Lacs , Khardah - ₹38.04 lakh, Financial Year 2013-14 Kinnison - ₹67.02 Lakh, Khardah - ₹40.18 Lakh & Financial Year 2014-15 Kinnison - ₹27.47 Lakh, Financial Year 2015-16 Kinnison - ₹3.18 Lakh & 0.01 Lakhs, Financial Year 2017-18 Khardah ₹0.11 Lakh and Kinnison ₹0.22 Lakh)	223.09	223.09
	iii) Service Tax demand	0.10	0.10
	iv) Demands of Interest appearing on the Income-tax Portal in respect of Assessment Years 1990-91, 2007-08 and 2009-10, which according to the company is not correct and for which the company has taken up the matter with Jurisdictional Income Tax Authority who informed that they do not have any knowledge regarding the demand and advised it to take up the matter with CPC-Bangalore. Accordingly NJMC Ltd. sought the clarification under RTI Act. 2005. NJMC Ltd. is yet to receive any reply.	676.17	676.17
	v) Demands raised on account of of TDS defaults and interest thereon appearing on the Income Tax Portal.	1.59	1.59
	Total	917.38	917.38



NOTE-30 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

10) (i) Contingent liabilities and commitments not provided for by the Holding Company:

SL NO.	Particulars	As at 31st March, 2023*	As at 31st March, 2022
i)	Guarantees extended by the Corporation to SBI Home Finance Ltd for granting House Building Advance to the employees of this Corporation	-	0.97
ii)	Guarantee issued to Sales tax Authority by the banks on behalf of the Company	-	0.50
iii)	Claims made by ex-employees/ officers of the company	Amount Not Ascertained	Amount Not Ascertained
iv)	Claims for interest demanded by the creditors of the company pending before various legal forums	Amount Not Ascertained	Amount Not Ascertained

*All the employees have been given VRS on or before 2011. At present there is no employee on role of NJMC Ltd, hence the relevency of the point has expired.

(ii) Contingent liabilities and commitments not provided for by the Subsidiary Company:

Particulars	As at 31st March 2023	As at 31st March 2022
Arrears Dividend on 7% Cumulative Preference Shares of the company for the year ended 31 st March 1967.	-	57.75
Total	-	57.75

The Subsidiary Company in its Annual General Meeting held on 28.09.93 has approved the redemption of old 7% Cumulative Preference Shares and to make fresh Issue of 15000 14% Cumulative Preference Shares in lieu thereof including liability for dividend due. The Subsidiary Company took the matter with the Registrar of Companies but since the Subsidiary Company has been referred to BIFR, the matter has been kept pending by the R.O.C.

During the financial year 2022-23, the subsidiary company has provided for liability in respect of dividends payable on its 7% cumulative preference shares. Such liability has been provided by the subsidiary by way of charge to the Statement of Profit & Loss. Such dividend pertaining to the current financial year has been included under the head "Other Expenses" and in respect of earlier years has been included under the head "Adjustment Pertaining to Earlier Years" by the Subsidiary.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE-30 : OTHER EXPLANATORY INFORMATION (Contd.)

11) Break-up of consolidated Net Assets and Profit or Loss:

Name of Entity		Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		Share in Profit or Loss	
		As % of Consolidated Net assets	Amount	As % of Consolidated Profit or Loss	Amount
A.	Parent: NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.	66.87%	(19775.71)	104.02%	3103.57
B.	Subsidiary: BIRDS JUTE & EXPORTS LIMITED	33.13%	(9798.43)	-4.02%	(119.90)
		100.00%	(29,574.14)	100.00%	2,983.67

12) Figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever necessary to make them comparable with the current year figures.

For and on behalf of the Board

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 23059144BGW1WW7520

Place : Kolkata
Dated: 01.12.2023

(Prajakta L. Verma)
Director
DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)
Director
DIN: 09485570

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405



NOTE : 31 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION

(i) Title deeds of Immovable Properties not held in name of the Company

The management of six sick private sector Jute manufacturing companies were taken over by the Central Government under Clause (a) of sub-section (1) of Section 18 AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1956 and thereafter the ownership of all the properties and other Assets of these companies were vested in the Central Government through enabling legislations. The National Jute Mill was nationalized under the National Company Limited (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1980 and the remaining five companies were nationalized under the Jute Companies (Nationalization) Act, 1980. The ownership of these nationalized companies was vested on NJMC Ltd, a company newly created specifically for this purpose on 3rd June 1980. (National Jute Mill w.e.f. 10th June, 1980 and the remaining five mills w.e.f. 21st December, 1980). The details in respect of immovable properties not held in the name of NJMC Ltd. are as follows:-



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE : 31 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

The details of Immovable Property not held in the name of the company						
Relevant line item in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross Carrying Value	Title deed held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of	Property held since date	Reason for not being held in the name of the company
Property Plant & Equipment	Land - Unit Alexandra	included in ₹134752/- mentioned in FAR not separately ascertainable	Alexandra Jute Mills Ltd	NA	21 st December 1980	Though all the mentioned properties were vested on NJMC Ltd. as per the Jute Company Nationalisation Act, the transfer of the same in the name of NJMC is still pending.
	Land - Unit Alexandra	₹4,86,332.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.*	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit National	₹3,183.01	Mayarani Devi	NA	10 th June 1980	
	Land - Unit National	included in ₹240384.99/- mentioned in FAR not separately ascertainable	National Jute Co Ltd	NA	10 th June 1980	
	Land - Unit Kinnison	included in ₹7911000/- mentioned in FAR not separately ascertainable	The Kinnison Jute Milss Co Ltd	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit Kinnison		The Cable Chut Company Ltd.	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit Khardah	₹515136.00	Khardah Company Ltd.	NA	21 st December 1980	
	Land - Unit RBHM	₹2700000.00	British India Corporation (Lease)	NA	21 st December 1980	
	Building - Alipore Road	₹200000.00	Mackinon Mackenzie & Co Pvt Ltd.*	NA	21 st December 1980	
	Land - BJEL	Included in ₹2,50,142/-	Lansdowne Jute Co Limited	NA	30 th June 1904	Applied for transfer of the name, pending with the BLRO

* The title over Property at Alipore Road, Kolkata is under litigation.



NOTE : 31 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

- ii) The Company has not revalued its property, plant & equipment during the year 2022-23.
- iii) Details of Loans & Advances granted to related parties without specifying any terms or period of repayment:

Type of Borrower	Loans/Advances granted Individually or Jointly with other. (Individually / Jointly)*	Repayable on demand	Terms/ Period of repayment is specified	31 March 2023		31 March 2022	
				Amount outstanding as at the balance sheet date (including Interest)	% of Total	Amount outstanding (including interest)	% of Total
Promoter							
Directors							
KMPs							
Related Parties	to subsidiary	Yes	No	5130.37	81.96%	4898.10	81.72%

iv) Capital-Work-in Progress (CWIP)

- (a) For Capital-work-in progress, following ageing schedule shall be given:

CWIP ageing schedule

a) Ageing Schedule

(₹ In Lakh)

As at 31st March, 2023					
CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 year	2-3 year	More than 3 years	
Projects in progress suspended				-	-
Projects temporarily suspended					-
Total					-

As at 31st March, 2022					
CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 year	2-3 year	More than 3 years	
Projects in progress suspended				24.86	24.86
Projects temporarily suspended					-
Total					24.86

Due to closure declared by cabinet the entire CWIP has been considered suspended and 100% provision made in the books.

- v) The Company does not have any Intangible Assets under development.
- vi) The company has no Benami Property and no proceedings has been initiated or pending against the company for holding any Benami Property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under.
- vii) The Company has no borrowing from banks or any other Financial Institutions on the basis of security of Current Assets
- viii) The company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.



NATIONAL JUTE MANUFACTURES CORPORATION LTD.

NOTE : 31 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

ix) Relationship with Struck off Companies

(₹ In Lakh)

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed	Balance outstanding as on 31.03.2023	Balance outstanding as on 31.03.2022
Duncans Agro Industries Ltd.	Investments in Equity Shares	Investee Company	0.01	0.01
Lawrence Investment & Property Co. Ltd.	Investments in Equity Shares	Investee Company	0.01	0.01
Sonakunda Bailing Company Ltd. Bangladesh.	Investments in Equity Shares (held in the name of Lansdowne Jute Co.Ltd., which was the earstwhile name of the Subsidiary.	Investee Company	0.45	0.45
Sonakunda Bailing Company Ltd. Bangladesh.	Investments in Preference Shares (held in the name of Lansdowne Jute Co.Ltd., which was the earstwhile name of the Subsidiary.	Investee Company	0.24	0.24
Baker Grey & co	Investments in Equity Shares	Investee Company	1.46	1.46

- x) This requirement is not relevant at Consolidated Financial Statements level hence company has not disclosed it.



NOTE : 31 ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION (Contd.)

- xi) The company has not made any investment beyond the number of layers prescribed under clause 87 of section 2 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017.
- xii) This requirement is not relevant at Consolidated Financial Statements level hence company has not disclosed it.
- xiii) The Company has not entered into any scheme of arrangement under approved by competent authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013.
- xiv) (A) The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall:
 - (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 (B) The company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall:
 - (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- xv) The Company doesnot have any undisclosed Income which is not recorded in the books of Account that has been surrendered or disclosed as income during the year (Previous year- Nil)in the Tax assessments under Income Tax Act 1961 (such as , search, survey or any other relevant provisions of Income Tax Act 1961).
- xvi) The Provisions of section 135 of the Companies Act, with regard to CSR activities do not apply to the Company.
- xvii) The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during this financial year.

For and on behalf of the Board

For R.K.Patodi & Co
Chartered Accountants
Registration No.305091E

Siddhartha Patodi
Partner
Membership No. 059144
UDIN: 23059144BGW1WW7520

Place : Kolkata
Dated: 01.12.2023

(Prajakta L. Verma)
Director
DIN: 05117895

(Bimal Chandra Das)
Director
DIN: 09485570

(Mohini Verma)
Company Secretary
Membership No: 52405

BLANK



Registered Office:

Chartered Bank Buildings, 2nd Floor

4, N. S. Road, Kolkata - 700 001

Phone: 033-22306434

Email: njmc ltd@gmail.com

Web: www.njmc.org.in